



लेखक

प्रे म चं द

प्रकाशक :  
शिवरानी प्रेमचंद

वितरक :  
हँस प्रकाशन  
इलाहाबाद

मुद्रक :  
भारत प्रेस  
इलाहाबाद

प्रथम संस्करण जुलाई १९५४

मूल्य ४)

$$\frac{860 - H}{350}$$

## अनुक्रम

✓१—साहित्य का उद्देश्य	१
✓२—जीवन में साहित्य का स्थान	२०
✓३—साहित्य का आधार	३०
✓४—कहानीकला १	३५
✓५—कहानीकला २	४०
✓६—कहानीकला ३	४८
७—उपन्यास	५४
८—उपन्यास का विषय	६७
९—साहित्य में बुद्धिवाद	७६
१०—जड़वाद और आत्मवाद	८०
११—सग्राम में साहित्य	८५
१२—साहित्य में समालोचना	९०
१३—हिन्दी गत्पकला का विकास	९५
✓१४—साहित्य और मनोविज्ञान	१०३
१५—फिल्म और साहित्य	१०७
१६—सिनेमा और जीवन	१२०
१७—साहित्य की नयी प्रकृति	१२४
१८—दन्तकथाओं का महत्व	१२८
१९—ग्राम्यगीतों में समाज का चित्र	१३२
२०—समकालीन अँग्रेजी ड्रामा	१३५
२१—रोमे रोलों की कला	१४१
२२—राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ	१४६
२३—कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार	१६६

२४—हिन्दी-उर्दू की एकता'	...	१८६
२५—उर्दू हिन्दी और हिन्दुस्तानी	...	२०५
२६—अन्तरप्रान्तीय साहित्यक आदान-प्रदान	.	२१७
२७—हस के जन्म पर	...	२४३
२८—प्रगतिशील लेखक संघ का अभिनन्दन	...	२५४
२९—उड़ा मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो	...	२५८
३०—अर्तीत का मुर्दा बोझ	..	२६१
३१—साहित्यिक उदासीनता	.	२६५
३२—लेखक-संघ	..	२६७
३३—एक प्रसिद्ध गलतकार के विचार		२७०
३४—समाचारपत्रों के सुफ्तखोर पाठक		२७४
३५—जापान में पुस्तकों का प्रचार		२७८
३६—रुचि की विभिन्नता		२८०
३७—प्रेम विषयक गल्तों से अरुचि		२८२
३८—साहित्य में ऊँचे विचार		२८४
३९—रुसी साहित्य और हिन्दी —	...	२८६
४०—शिरोरेखा क्यों हटानी चाहिये	.	२८८

## दो शब्द

प्रेमचन्द के साहित्य और भाषा सबधी निबन्धों-भाषणों आदि का एक संग्रह 'कुछ विचार' के नाम से पहले छप चुका है। लेकिन उसमें दी गयी सामग्री के अलावा भी सामग्री थी जो 'हस' की पुरानी फाइलों में दबी पड़ी थी और अब तक किसी सकलन में नहीं आयी थी। वे अधिकाश में सम्पादकीय टिप्पणियों हैं। उनमें कुछ टिप्पणियों बड़ी हैं और कुछ छोटी, कुछ टिप्पणियों एकदम स्वतन्त्र हैं और कुछ में किसी तात्कालिक साहित्यिक घटना या वादविवाद ने निमित्त का काम किया है। वह जो भी हो, सब में प्रेमचन्द की आवाज बोल रही है और सब किसी न किसी महत्वपूर्ण साहित्यिक-सास्कृतिक प्रश्न पर रोशनी डालती हैं। इसलिए इस सामग्री का सकलन करते समय हमने और सब बातों को छोड़कर अपनी दृष्टि केवल इस बात पर रखी है कि ऐसी एक पक्की भी छूटने न पाये जिससे किसी साहित्यिक प्रश्न पर रोशनी पड़ती हो या प्रेमचन्द का स्पष्ट अभिमत मालूम होता हो। जो टिप्पणियों सामयिक विषयों को लेकर हैं, उनको लेते समय भी हमारी दृष्टि यही है कि यद्यपि उनकी सामयिकता अब कालप्रवाह में बह गयी है तथापि उनके भीतर, किसी भी निमित्त से, कही हुई मूल बात का महत्व आज भी है और आगे भी रहेगा और इसलिए उसे पाठकों तक पहुँचना चाहिए।

( २ )

हमें विश्वास है कि यह नया, पूर्णतर, सकलन साहित्यिक विचारक प्रेमचद और साहित्यकार प्रेमचद को और अच्छी तरह समझने में सहायता होगा ।

—संकलनकर्ता

साहित्यिक सम्मेलन

## साहित्य का उद्देश्य

सज्जनों,

यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में एक स्मरणीय घटना है। हमारे सम्मेलनों और अञ्जुमनों में अब तक आम तौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही व्यापक की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू और हिन्दी का जो आरम्भिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भावों पर असर डालना नहीं, केवल भाषा का निर्माण करना था। वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति ही कहाँ से आयेगी? हमारी भाषा के 'पाठ्यनियरो' ने—रास्ता साफ़ करने वालों ने—हिन्दुस्तानी भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ न हो तो यह हमारी कृतधनता होगी।

भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था, वह क्योंकर पूरा हो। वही भाषा, जिसमें आरम्भ में 'बागो-बहार' और 'बैताल-पचीसी' की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य-सेवा थी, अब इस योग्य हो गयी है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके और यह सम्मेलन इस सचाई की स्पष्ट स्वीकृति है।

भाषा बोल-चाल की भी होती है और लिखने की भी। बोल चाल, की भाषा तो मीर अम्मन और लल्लूलाल के जमाने में भी मौजूद थी

पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली, वह लिखने की भाषा थी और वही साहित्य है। बोल चाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं—अपने हर्ष शोक के भावों का चित्र खाँचते हैं। साहित्यकार वही काम लेखनी द्वारा करता है। हों, उसके आताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है, और अगर उसके बयान में सचाई है, तो शतांशियों और युगों तक उसकी रचनाएँ हृदयों को प्रभावित करती रहती हैं।

परन्तु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाय, वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सचाई प्रकट की गयी हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है, जब उसमें जीवन की सचाइयों और अनुभूतियों व्यक्त की गयी हो। तिलसमाती कहानियों, भूत-प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हम भले ही प्रभावित हुए हो, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम-गाथाओं और तिलसमाती कहानियों में भी जीवन की सचाइयों वर्णन कर सकता है, और सौन्दर्य की सृष्टि कर सकता है, परन्तु इससे भी इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सचाइयों का दर्पण हो। फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहें, लगा सकते हैं—चिङ्गे की कहानी और गुलाबुलबुल की दास्तान भी उसके लिए उपयुक्त हा सकती है।

साहित्य की बहुत सी परिभाषाएँ की गयी हैं, पर मेरे विचार से उसकी सबोत्तम परिभाषा ‘जीवन की आलोचना’ है। चाहे वह निबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानियों के, या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए।

हमने जिस युग को अभी पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सुष्ठि खड़ी करके उसमे मनमाने तिलस्म वर्णना करते थे। कहीं फिसानये अजायब की दास्तान थी, कहीं बास्ताने खयाल की और कहीं चन्द्रकान्ता-सन्तान की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरञ्जन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की तृती, साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन। दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएँ समझी जाती थीं। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को तुस करना था, और सौन्दर्य का अर्द्धों को। इन्हीं शृङ्खालिक भावों को प्रकट करने में कवि मडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पच्च में कोई नयी शब्द-योजना, नयी कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफी था—चाहे वह वस्तु-स्थिति से कितनी ही दूर क्यों न हो। आशियाना और कफस, वर्क और खिरमन की कल्पनाएँ, विरह दशाआ के वर्णन में निराशा और देदना की विविध अवस्थाएँ, इस खूबी से दिखायी जाती थीं कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी इस ढग की कविता कितन लोक प्रिय है, इसे हम और आप खूब जानते हैं।

निस्सन्देह, काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों का तीव्रता को बढ़ाना है, पर मनुष्य का जीवन केवल छी-पुरुष-प्रेम का जीवन नहीं है। क्या वह साहित्य, जिसका विषय शृङ्खालिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होनेवाली विरह व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो—जिसमे दुनिया और दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गयी हो, हमारी विचार-और भाव-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? शृङ्खालिक मनोभाव मानव जीवन का एक अग मात्र है, और जिस साहित्य का अधिकाश इसी से सम्बन्ध रखता हो, वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरचि का ही प्रमाण हो सकता है।

क्या हिन्दी और क्या उर्दू—कविता में दोनों की एक ही हालत थी। उस समय साहित्य और काव्य के विषय में जो लोक-रुचि थी, उसके प्रभाव से अलित रहना सहज न था। सराहना और कददानी की हवस तो हर एक को होती है। कवियों के लिए उनकी रचना ही जीविका का साधन थी। और कविता की कददानी रईसों और अमीरों के सिवा और कौन कर सकता है? हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने और उसकी सचाइयों से प्रभावित होने के या तो अवसर ही न थे, या हर छोटे बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावट छायी हुई थी कि मानसिक और बौद्धिक जीवन रह ही न गया था।

।। हम इसका दोष उस समय के साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते। साहित्य अपने काल का प्रतिविम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं, या अन्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर ससार की नश्वरता का रग चढ़ा हो, और उसका एक एक शब्द नैराश्य में फूटा हो, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा हो और शृङ्खारिक भावों का प्रतिविम्ब बन गया हो, तो समझ लीजिये कि जाति जड़ता और ह्रास के पजे में फैस चुकी है और उसमें उद्योग तथा सर्वधर्ष का बल बाकी नहीं रहा, उसने ऊँचे लद्यों की ओर से आँखे बन्द कर ली है और उसमें से दुनिया को देखने-समझने की शक्ति लुप्त हो गयी है।

/ १ परन्तु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन-बहलाव की चीज नहीं है, मनोरञ्जन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के स्योग-वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है, और उन्हें हल करता है।) अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए

अद्भुत आश्रयजनक घटनाएँ नहीं ढूँढ़ता और न अनुप्राप्ति का अन्वे-  
षण करता है, किन्तु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है, जिनमें समाज या  
व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति  
की वह तीव्रता है, जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा  
करता है।

✓ नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है—केवल उप-  
देश की विधि में अन्तर है। नीति-शास्त्र तकों और उपदेशों के द्वारा  
बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, साहित्य ने अपने  
लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का ज्ञेत्र चुन लिया है (इस जीवन  
में जो कुछ देखते हैं, या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और  
बही चोटें कल्पना में पहुँचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है,) कवि  
या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना  
उतनी ही आकर्षक और जँचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से  
हमारी सुखनी न जागे, आव्यात्मिक और मानसिक त्रुटि न मिले, इसमें  
शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य-प्रेम न जाग्रत हो—जो  
इसमें सच्चा सङ्कल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची ढृता न  
उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का  
अधिकारी नहीं।

पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य  
की आन्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था और  
वह भय या प्रलोभन से काम लेता था—पुण्य-पाप के मसले उसके  
साधन थे।

अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है और उसका  
साधन सौन्दर्य प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौन्दर्य प्रेम को जगाने का  
यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौन्दर्य की अनुभूति न  
हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी ही जाग्रत और सक्रिय होती है,  
उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। प्रकृति निरीक्षण और

अपनी अनुभूति की तीक्षणता की बदौलत उसके सौन्दर्य बोध मे इतनी तीव्रता आ जाती है कि जा कुछ असुन्दर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित है, वह उसके लिए अस्थि हो जाता है। उस पर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से बार करता है। यो कहिये कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना वॉवे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, चश्चित है—चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और बकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है। इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय-वृत्ति तथा सौन्दर्य वृत्ति को जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता है।

पर सावरण बकीलों की तरह साहित्यकार अपने मुवक्किल की ओर से उचित-अनुचित सब तरह के दावे नहीं पेश करता, अतिरक्खना से काम नहीं लेता, अपनी ओर से बातें गढ़ता नहीं। वह जानता है कि इन युक्तियों से वह समाज की अदालत पर असर नहीं डाल सकता। उस अदालत का हृदय परिवर्तन तभी सम्भव है, जब आप सत्य से तनिक भी विमुख न हो, नहीं तो अदालत की धारणा आपकी ओर से खराब हो जायगी और वह आपके खिलाफ़ फैसला सुना देगी। वह कहानी लिखता है, पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए, मूर्ति बनाता है पर ऐसी कि उसमे सजीवता हो और भावव्यञ्जकता भी—वह मानव प्रकृति का सूक्ष्म इटि से अबलोकन करता है, मनो-विज्ञान का अव्ययन करता है और इसका यत्न करता है कि उसके पात्र हर हालत मे और हर मौके पर इस तरह आचरण करे, जैसे रक्त मास का बना मनुष्य करता है। अपनी सहज सहानुभूति और सौन्दर्य प्रेम के कारण वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक जा पहुँचता है, जहाँ मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुँचने मे असमर्थ होता है।

आधुनिक साहित्य मे वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासम्भव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा के बाहर

नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही सन्तोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्यों से मिलते जुलते हैं, बल्कि हम यह इत्सीनान चाहते हैं कि वे सचमुच के मनुष्य हैं, और लेखक ने यथासम्भव उनका जीवन-चरित्र ही लिखा है क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिये कि लेखक ने जो सृष्टि की है, वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की गई है और अपने पात्रों की जबान से वह खुद बोल रहा है।

इसीलिए साहित्य को कुछ समालोचकों ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन चरित्र कहा है।

एक ही घटना या स्थिति से सभी मनुष्य समान रूप में प्रभावित नहीं होते। हर आदमी की मनोवृत्ति और दृष्टिकोण अलग है। रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उसमें उससे सहमत हो जाय। यही उसकी सफलता है। इसके साथ ही हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुशता और अपने विचारों की विस्तृति से हमें जाग्रत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे—उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनन्द और बल मिले।

सुधार को जिस अवस्था में वह हो, उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हमें जो कमजोरियाँ हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिमटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलटा उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह सन्तुष्ट नहीं रहते, जैसे कोई रोगी अपने रोग से सन्तुष्ट नहीं रहता। जैसे वह सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों

को परे फेंककर अधिक अच्छे मनुष्य बनें। इसीलिए हम साधु फकीरों की सोज मेरहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, चिद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं।

और हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से बच्चित होने पर है। जहाँ सच्चा सौन्दर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियों कहाँ रह सकती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियों इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हमसे सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता। उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत, इस तरह हमारे अनंदर जा बैठता है कि हमारा अन्त करण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौन्दर्य-प्रेम से छुककर मस्त न हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमे यह प्रकाश क्योंकर दे सकता है?

प्रश्न यह है कि सौन्दर्य है क्या वस्तु? प्रकटत. यह प्रश्न निरर्थक सा मालूम हाता है क्योंकि सौन्दर्य के विषय मेरहमारे मन मेरोई शका सन्देह नहीं। हमने सूरज का उगना और छब्बना देखा है, ऊषा और सन्ध्या की लालिमा देखी है, सुन्दर सुगन्धि भरे फूल देखे हैं, मीठी बोलियों बोलनेवाली चिडियों देखी है, कल-कल निनादिनी नदियों देखी है, नाचते हुए झरने देखे है—यही सौन्दर्य है।

इन दृश्यों को देखकर हमारा अन्त करण क्यों खिल उठता है? इसलिए कि इनमेरह या ध्वनि का सामजस्य है। बाजों का स्वर-साम्य अथवा मेल ही सरीत की मोहकता का कारण है। हमारी रचना ही तत्त्वों के समानुपात मेरयोग से हुई है, इसलिए हमारी आत्मा सदा उसी साम्य तथा सामजस्य की खाज मेरहती है। साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामजस्य का व्यक्त रूप है और सामजस्य सौन्दर्य की सुष्टि करता है, नाश नहीं। वह हमसे बफादारी, सचाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और ममता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव

है, वहीं दृढ़ता है और जीवन है, जहों इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता है—द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। यह बिलगाव, विरोध, प्रकृति विरुद्ध जीवन के लक्षण हैं, जैसे रोग प्रकृति विरुद्ध आहार-विहार का चिह्न है। जहों प्रकृति से अनुकूलता और सम्मय है, वहों सकीर्णता और स्वार्य का अस्तित्व कैसे सम्भव होगा? जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायुमण्डल में पालित पोषित होती है, तो नीचता दुष्टता के कीड़े अपने आप हवा और रोशनी से मर जाते हैं। प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से ही ये सारी मानसिक और भावगत वीमारियों पैदा होती है। साहित्य हमारे जीवन को स्वामाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में, उसी की बदौलत मन का सस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।

‘प्रगतिशील लेखकसघ’, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। सेहित्यकार या कलाकार स्वभावत प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अन्दर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को तुख और स्वच्छन्दता की जिस अवस्था में देखना चाहता है, वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए, वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुड़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अन्त कर देना चाहता है, जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिये इससे ग्राधिक अच्छा स्थान हो जाय। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाये रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढियों के बन्धन में पड़कर कष्ट भोगता रहे? क्यों न ऐसे सामान इकड़ा किये जायें कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाय? वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सचाई

पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रन्थकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है, दूसरा समुदाय असनिदर्घ अवनति मान सकता है, इसलिए कि यह साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े।

उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है, जिससे हममें दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुखावस्था की अनुभूति हो, हम देखें कि किन अन्तर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और ह्रास की अवस्था को पहुँच गये, और उन्हें दूर करने की कोशिश करें।

हमारे लिए कविता के बें भाव निरर्थक है, जिनसे ससार की नश्वरसा का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाय, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाय। वे प्रेम कहानियों, जिनसे हमारे मासिकत्वों के पृष्ठ भरे रहते हैं, हमारे लिए अर्थहीन हैं, अगर वे हममें इरकत और गरमी नहीं पैदा करतीं। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली, पर उससे हमारे सौन्दर्य प्रेम पर कोई असर न पड़ा और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह व्यथा पर रोये, तो इससे हममें कौन सी मानसिक या सूचि सम्बन्धी गति पैदा हुई? इन बातों से किसी जमाने में हमें भावावेश हो जाता रहा हो तो हो जाता रहा हो पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है, जिसमें कर्म का सन्देश हो। अब तो हजरते इकबाल के साथ हम भी कहते हैं—

रम्जे हयात जोई जुजदर तपिश नयाबी,

दरकुलजुम आरमीदन नगस्त आबे जूरा।

व आशियों न नशीनम जे लज्जते परवाज,  
गहे बशाखे गुलम गहे बरलबे जृयम ।

[ अर्थात्, अगर तुझे जीवन के रहस्य की स्वोज है, तो वह तुझे सर्वर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का—सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनन्द पाने के लिए मैं घोसले में कभी बैठता नहीं,—कभी फूलों की टहनियों पर, तो कभी नदी तट पर होता हूँ । ]

अत हमारे पथ में अहवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है, जो हमे जडता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति रूप में उपयोगी है और न समुदाय रूप में ।

मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ । निस्सन्देह कला का उद्देश्य सौन्दर्य वृत्ति की पुष्टि बरना है और वह हमारे आव्यात्मिक आनन्द की कुज्जी है, पर ऐसा काई रचनिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनन्द नहीं, जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो । आनन्द स्वत एक उपयोगिता-युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमे सुख भी होता है, और दुख भी । आसमान पर छायी लालिमा निस्सन्देह बड़ा सुन्दर दृश्य है, परन्तु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाय, तो वह हमे प्रसन्नता देनेवाली नहीं हो सकती । उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएँ देखकर ही आनन्दित होते हैं । फूलों को देखकर हमे इसलिए आनन्द होता है कि उनसे फलों की आशा होती है । प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमे इसीलिए आव्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है । प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है, और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमे आनन्द मिलता है,

वे इमी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सोन्दर्य की सुष्ठिट करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है।

परन्तु सोन्दर्य भी और पदाथो की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। एक रईस ग्रपने मुरभित सुरभ्य उद्यान में बैठकर जब चिडियों का कल गान मुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु एक दूसरा सजान मनुष्य वेम्ब की इस सामग्री को वृशिंतम वस्तु समझता है।

बन्धुत्व और समता, सम्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरम्भ से ही, आदर्शवादियों का सुनहला स्पन्न रहे हैं। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आत्मात्मिक बन्धनों से इस स्पन्न को सचाई बनाने का सतत किन्तु निष्फल यत्न किया है। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद आदि सभी पैगम्बरों और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाही, पर किसी को सफलता न मिली और छाटे बड़े का भेद जिस निष्टुर रूप में आज प्रकट हो रहा है, शायद कभी न हुआ था।

‘आजमाये को आजमाना मूर्खता है’, इस कहावत के अनुसार यदि हम अब भी धर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊँचे लक्ष्य पर पहुँचना चाहे, तो विफलता ही मिलेगी। क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क की सुष्ठिट समझकर भूल जायें? तब तो मनुष्य की उन्नति और पूर्णता के लिए कोई आदर्श ही बाकी न रह जायगा। इससे कहीं अच्छा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाय। जिस आदर्श को हमने सम्यता के आरम्भ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने, ईश्वर जाने कितनी कुरानियों को है, जिसकी परिणामि के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सचाई समझकर, हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नये सघटन को

सर्वाङ्गपूर्ण बनाना है, जहों समानता केवल नैतिक बन्धनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है।

हमे सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पछ्चा पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अचल-मित था और उन्हीं के सुख-दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अन्त पुर और वैगलों की ओर उठती थी। भोपडे और खड़हर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हे वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था, तो इनका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहाती वेश भूषा और तौर-तरीके पर हँसने के लिए। उसका शीन काफ दुर्घट न होना या मुहाविरों का गलत उपयोग उसके व्यग्र-विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी छूट दूर है, और उसमें भी आकाद्माएँ हैं,—यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी।

कला नाम था और अब भी है, सकृचित रूप-पूजा का, शब्द योजना का, भाव-निवन्धन का। उसके लिए कोई आदर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं है,—भक्ति, वैराग्य, अव्यात्म और दुनिया से किनारा-कशी उसकी सबसे ऊँची कल्पनाएँ हैं। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन सभ्राम में सौदर्य का परमोत्कर्ष देखे। उपवास और नश्ता में भी सौदर्य का अस्तित्व सम्भव है, इसे कदाचित् वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौन्दर्य सुन्दर स्त्री में है—उस बच्चोवाली गरीब रूप-रहित स्त्री में नहीं, जो बच्चे को खेत की मेड पर सुलाये पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रँगे होठों, कपोलों और भौंहों में निस्सन्देह

मुन्द्रता का वास है,—उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियों पडे हुए होठों और कुम्हलाये हुए गालों में सौन्दर्य का प्रवेश कहों?

पर यह सफीरण दृष्टि का दोष है। अगर उसकी सौन्दर्य देखने-बाली दृष्टि में विस्तृति आ जाय तो वह देखेगा कि रँगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप गर्व और निष्ठुरता छिपी है, तो इन सुर-भाये हुए होठों और कुम्हलाये हुए गालों के आँसुओं में त्याग, श्रद्धा और रुष्ट सहिष्णुता है। हों, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, मुकुमारता नहीं।

हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और यह नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप-गर्व और चोंचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म त्याग का। उसे तो इकबाल के साथ कहना होगा—

अज दस्ते जुनूने मन जित्रील जबूँ सैदे,  
यजदौँ बकमन्द आवर ऐ हिम्मते मरदाना।

[ अर्थात् मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जित्रील एक घटिया शिकार है। ऐ हिम्मते मरदाना, क्यों न अपनी कमन्द में तू खुदा को ही फॉस लाये । ]

#### अथवा

चूँ मौज साजे बजूदम जे सैल बेपरवास्त,  
गुमा मवर कि दरीं बहर साहिले जोयम।

[ अर्थात् नरग की भाँति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर से बेपरवाह है, यह न सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूँढ रहा हूँ। ]

ओर यह अवस्था उस समय पैदा हागी, जब हमारा सौदर्य व्यापक हो जायगा, जब सारी सुष्टि उसकी परिधि में आ जायगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित न हागा, उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चहारदीवारी न होगी, किन्तु वह बायु-मण्डल होगा जो सारे भूमडल को

धेरे हुए है। तब कुरुचि हमारे लिए सह्य न होगी, तब हम उसकी जड़ खाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जायेंगे। हम जब ऐसो व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करे, तभा हम केवल कागज के पृष्ठों पर सुषिट करके हो सन्तुष्ट न हो जायेंग, बाल्क उस विधान की स्थाप्त करेंगे, जो सौन्दर्य, सुखचि, आत्म-सम्मान आर मनुष्यता का विरोधा न हा।

(साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरञ्जन का सामान जुटाना नहीं है—उसका दरजा इतना न गिराइये। वह देश-भक्ति आर राजनीति के पीछे चलनवाली सचाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलनेवाला सचाई है।)

हमें अकसर यह शिकायत होता है कि साहित्यकारों के लिए समाज मे काई स्थान नहीं,—अथोत् भारत के साहित्यकारों के लिए। सभ्य देशा मे तो साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य है, और बड़े-बड़े अमीर और मन्त्रि मडल के सदस्य उससे मिलने मे अपना गारब सम झते है, परन्तु हिन्दुस्तान तो अभी मन्य-युग की अवस्था मे पड़ा हुआ है। यदि साहित्य ने अमीरों का याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया हो, और उन आनंदोलनों, हलचलों और क्रान्तियो से बेखबर हो जो समाज मे हो रही है—अपनी ही दुनिया बनाकर उसमे रोता और हँसता हो, तो इस दुनिया मे उसके लिए जगह न होने मे कोई अन्याय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कैद नहीं रही, जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, आन्यात्मिक उच्चता ही काफी है, तो महात्मा लोग दरदर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखो निकल आये।

इसमे शक नहीं कि साहित्यकार पैदा हाता है, बनाया नहीं जाता, पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके, तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। अरस्तू ने और दूसरे विद्वानों ने भी साहित्यकार बननेवालों के लिए कही शर्तें लगायी

हैं और उनकी मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भावगत सम्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धान्त और विवियों निश्चित कर दी है, मगर आज तो हिन्दी में साहित्यकार के लिए प्रवृत्तिमात्र अलम् समझी जाती है, और किसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं। वह राजनीति, समाज-शास्त्र या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित हो, किर भी वह साहित्यकार है।

साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है, उसके अनुसार ये सभी विद्याएँ उसका विशेष अग बन गयी हैं और साहित्य की प्रवृत्ति अहवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि वह मनो-वैज्ञानिक और सामाजिक होता जाता है। अब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किन्तु उसे समाज के एक अग रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुक्मत करे, उसे अपने स्वार्थ-साधन का औजार बनाये, माना उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है।

हममें से जिन्हे सबोत्तम शिक्षा और सबोत्तम मानसिक शक्तियों मिली है, उन पर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी भी है। हम उस मानसिक पूँजीपति को पूजा के योग्य समझेंगे, जा समाज के पैसे से ऊँची शिक्षा प्राप्त कर उसे स्वार्थ साधन में लगाता है १ समाज से निजी लाभ उठाना ऐसा काम है, जिसे कोई साहित्यकार कभी पसन्द न करेगा। उस मानसिक पूँजीपति का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ को अपने निजी लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे—अपनी विद्या और योग्यता से समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करे। वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों न करे, उसे उस विभाग से विशेषत और सब विभागों से सामान्यत परिचय हो।

अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़े, तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक

प्रश्न नहीं है, जिस पर उसमे विचार विनिमय न होता हो। इसके विरुद्ध, हम अपनी ज्ञानसीमा को देखते हैं तो हमें अपने अज्ञान पर लंजा आती है। हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आशुबुद्धि और तेज कलम काफी है। पर यही विचार हमारी साहित्यिक अवनति का कारण है। हमें अपने साहित्य का मान-दरड ऊँचा करना होगा जिसमे वह समाज की अधिक मूल्यवान् सेवा कर सके, जिसमे समाज मे उसे वह पद मिले जिसका वह अधिकारी है, जिसमे वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना-विवेचना कर सके और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का जूठा खाकर ही सन्तोष न करे, किन्तु खुद भी उस पूँजी को बढ़ाये।

हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय चुन लेने चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। हम जिस आर्थिक अवस्था मे जिन्दगी बिता रहे हैं, उसमे यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊँचा रहना चाहिए। हम पहाड़ की चोटी तक न पहुँच सकेंगे, तो कमर तक तो पहुँच ही जायेंगे, जो जमीन पर पड़े रहने से कही अच्छा है। अगर हमारा अन्तर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं। जेस पर हम विजय न प्राप्त कर सके।

जिन्हे धन वैभव प्यारा है, साहित्य मन्दिर मे उनके लिए स्थान नहीं है। यहों तो उन उपासकों की अवश्यकता है, जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल मे दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का जाश हा। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पौंछ चूमेंगी। फिर मान-प्रतिष्ठा की चिन्ता हमे क्यों सताये? और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हो? सेवा मे जो आध्यात्मिक आनन्द है, वही हमारा पुरस्कार है—हमे समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रोब जमाने की हवस क्यों हो? दूसरों से ज्यादा आराम

के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताये ? हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराये ? हम तो समाज के झरणा लेकर चलनेवाले सिपाही हैं और सादी जिन्दगी के साथ ऊँचों निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मनस्तुष्टि के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं—उससे तो उसे बृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहता है—

मर्दुम आजादम आगूना रायूरम कि मरा,  
मीतवा कुश्तव येक जामे जुलाले दीगरा ।

[ अर्थात् मैं आजाद हूँ और इतना हथादार हूँ कि मुझे दूसरों के निश्चे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है। ]

हमारी परिषद् ने कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्तों के साथ कर्म देवता में प्रवेश किया है। साहित्य का शराब कबाब और राग रग का मुखामेंद्री बना रहना उसे पसन्द नहीं। वह उसे उत्थोग और कर्म का सन्देश-वाहक बनाने का दावेदार है। उसे भाषा से बहस नहीं। आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने-आप सरल हो जाती है। भाव सौन्दर्य बनाव-सिंगार से बेपरवाही ही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का सुह जोहनेवाला है, वह इसी रचना शैली स्वीकार करता है, जो जन-साधारण का है वह जन-साधारण की भाषा में लिखता है। हमारा उद्देश्य देश में ऐसा वायु मण्डल उत्पन्न कर देना है, जिसमें अभीष्ट प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। हम चाहते हैं कि साहित्य केन्द्रों में हमारी परिषद् स्थापित हो और वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम-पूर्वक चर्चा हो, निवध पढ़े जायें, वहस हो, आलोचना-प्रत्यालोचना हो। तभी वह वायु-मण्डल तैयार होगा। तभी साहित्य में नये युग का आविर्भाव होगा।

हम हर एक सूबे में, हर एक जबान में, ऐसी परिषद् स्थापित कराना चाहते हैं, जिसमें हर एक भाषा में हम अपना सन्देश पहुँचा सके। यह

समझना भूल होगी कि यह हमारी कोई नयी कल्पना है। नहीं, देश के साहित्य-सेवियों के हृदयों में सामुदायिक भावनाएँ विद्यमान हैं। भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं, जगह-जगह उसके अँकुए भी निकलने लगे हैं। उसको सींचना एवं उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है।

हम साहित्यकारों में कर्मशक्ति का आभाव है। यह एक कड़वी सचाई है, पर हम उसकी ओर से अँखें नहीं बन्द कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श अपने सामने रखा था, उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी, कर्मभाव ही उसका गुण था क्योंकि अक्सर कर्म अपने साथ पक्षपात और सकीर्णता को भी लाता है। अगर कोई आदमी धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे, तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक न होकर 'खाओ पियो माज करो', का कायल हो। ऐसा स्वच्छन्दचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है, पर धार्मिकता का अभिमान रखने वाले के लिए इसकी सभावना नहीं।

जो हाँ, जब तक साहित्य का काम केवल मनवहलाव का सामान जुटाना, केवल लौरियों गा गाकर सुलाना, केवल औसू बहाफ़र जी हलका फरना था, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे। मगर हम साहित्य को केवल मनोरजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो—जो हममें गति, सघर्ष और बैचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं क्योंकि अब और ज्यादा साना मृत्यु का लक्षण है।†

१६३६ ]

---

†लखनऊ में होने वाले प्रगतिशील लेखक सघ के पहले अधिवेशन में सभापति आसन से दिया गया भाषण।

## जीवन में साहित्य का स्थान

साहित्य का आधार जीवन है। इसी नीव पर साहित्य की दीवाग खड़ी होती है, उसकी अटारियों, मीनार और गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनन्त है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमे मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनन्द है। मनुष्य जीवनपर्यन्त आनन्द ही की खोज में पड़ा रहता है। किसी को वह रक्त द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लम्बे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनन्द, इस आनन्द से जँचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुन्दर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनन्द सुन्दर और सत्य से मिलता है। उसी आनन्द को दर्साना, वही आनन्द उत्पन्न करना, साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनन्द में गलानि छिपी होती है। उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चात्ताप भी हो सकता है, पर सुन्दर से जो आनन्द प्राप्त होता है, वह अखड़ है, अमर है।

साहित्य के नौ रस कहे गये हैं। प्रश्न होगा, वीभत्स में भी कोई आनन्द है? अगर ऐसा न होता, तो वह रसों में गिना ही क्यों जाता।

हों, है। वीभत्स मे सुन्दर और सत्य मौजूद है। भारतेन्दु ने शमशान का जो वर्णन किया है, वह कितना वीभत्स है। प्रेतो और पिशाचों का अधजले मास के लोथडे नोचना, हड्डियों को चटर-चटर चबाना, वीभत्स की पराकाष्ठा है; लेकिन वह वीभत्स होते हुए भी सुन्दर है, क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आनेवाले स्वर्गीय दृश्य के आनन्द को तीव्र करने के लिए ही हुई है। साहित्य तो हर एक रस मे सुन्दर खोजता है—राजा के महल मे, रक्त की झोपड़ी मे, पहाड़ के शिखर पर, गदे नालों के अदर, उषा की लाली मे, साबन-भादो की औंधेरी रात मे। और यह आश्चर्य की बात है कि रक्त की झोपड़ी मे जितनी आसानी से सुन्दर मूर्तिमान दिखाई देता है उतना महलों मे नहीं। महलों मे तो वह खोजने से मुश्किलों से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, वर्थार्थ अकृत्रिम रूप मे है, वही आनन्द है। आनन्द कृत्रिमता और आडम्बर से कोसो भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या सम्बन्ध। अतएव हमारा विचार है कि साहित्य मे केवल एक रस है और वह शृङ्खार है। कोई रस साहित्यिक-दृष्टि से रस नहीं रहता और न उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है जो शृङ्खार विहीन और असुन्दर हो। जो रचना केवल वासना-प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल वाह्य जगत् से सम्बन्ध रखे, वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है, लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे, जब उसमे सुन्दर का समावेश हो, खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों का फैलना, न्याय-मर्यादा की रक्षा करना, ये भाव रहे, जो इस अद्भुत रस की रचना को सुन्दर बना देते हैं।

✓सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का है। एक जिज्ञासा का सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है और तीसरा आनन्द का। जिज्ञासा का सम्बन्ध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का सम्बन्ध विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केवल आनन्द का सम्बन्ध है। सत्य

- यहों आनन्द का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है । जिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, प्रयोजन का सम्बन्ध स्वार्थ बुद्धि से । आनन्द का सम्बन्ध मनोभावों से है । साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है । एक दृश्य या घटना या काढ़ को हम तीनों ही भिन्न-भिन्न नजरों से देख सकते हैं । हिम से ढंके हुए पर्वत पर ऊधा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसन्धान की, और साहित्यिक के लिए विह्वलता की । विह्वलता एक प्रकार का आत्म समर्पण है । यहों हम पृथक्ता का अनुभव नहीं करते । यहों ऊँच नीच, भले बुरे का भेद नहीं रह जाता । श्रीरामचन्द्र शवरी के जूँडे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं, कृष्ण भगवान विदुर के शाक को क्यों नाना व्यञ्जनों से रुचिकर समझते हैं ? इसीलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है । उनकी आत्मा विशाल है । उसमें समस्त जगत् के लिए स्थान है । आत्मा आत्मा से मिल गयी है । जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है, वह उतना ही महान् पुरुष है । यहों तक कि ऐसे महान् पुरुष भी हो गये हैं, जो जड़ जगत् से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके हैं ।

आइये देखें, जीवन क्या है ? जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है । यह तो पशुओं का जीवन है । सानव जीवन में भी यह सभी प्रवृत्तियों होती हैं, क्योंकि वह भी तो पशु है । पर इनके उपरान्त कुछ और भी होता है । उनमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियों होती हैं, जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं, कुछ ऐसी होती है, जो इस मेल में सहायक बन जाती है । जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामजस्य बढ़ता है, वह बाल्नीय होती है, जिनसे सामजस्य में बाधा उत्पन्न होती है, वे दूषित हैं । अहङ्कार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों हैं । यदि हम इनको बेरोक टोक चलने दें, तो निस्सदेह वह हमें नाश और पतन की ओर ले जायेगी, इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर सयम रखना पड़ता है, जिसमें वे अपनी

सीमा से बाहर न जा सके । हम उन पर जितना कठोर सत्यम रख सकते हैं, उतना ही मगलमय हमारा जीवन हो जाता है ।

किन्तु नटखट लड़को से डॉटकर कहना—तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेगे—अक्सर व्यर्थ ही होता है, बल्कि उस प्रवृत्ति को और हठ की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता है । जरूरत यह होती है, कि बालक मे जो सद्वृत्तियों है उन्हे ऐसा उत्तेजित किया जाय, कि दूषित वृत्तियों स्वाभाविक रूप से शान्त हो जायें । इसी प्रकार मनुष्य को भी आत्मविकास के लिए सत्यम की आवश्यकता होती है । साहित्य ही मनोविकारो के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है । सत्य को रसोंद्वारा हम जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते, उसी भौति जैसे दुलार-चुमकारकर बच्चो को जितनी सफलता से बश मे किया जा सकता है, डॉट-फटकार से सम्भव नहीं । कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर-से-कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता है । साहित्य मस्तिष्क की बस्तु नहीं, हृदय की बस्तु है । जहों ज्ञान और उपदेश असफल होता है, वहों साहित्य बाजी ले जाता है । यही कारण है, कि हम उपनिषदों और अन्य वर्म-ग्रथो को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं । हमारे धर्माचार्यो ने देखा कि मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव मानव-जीवन के दुख-सुख के बर्णन से ही हो सकता है और उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएँ रचीं, जो आज भी हमारे आनंद की बस्तु है । बौद्धो की जातक-कथाएँ, तौरेह, कुरान, इज़्लिल ये सभी मानवी कथाओ के संग्रहमात्र हैं । उन्हींकथाओ पर हमारे बड़े बड़े वर्म स्थिर हैं । वही कथाएँ धर्मों की आत्मा हैं । उन कथाओ को निकाल दीजिए, तो उस धर्म का अस्तित्व मिट जायगा । क्या उन धर्म-प्रवर्त्तको ने अकारण ही मानवी जीवन की कथाओ का आश्रय लिया ? नहीं, उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता की आत्मा तक अपना सन्देशा पहुँचाया जा सकता है । वे स्वयं विशाल हृदय के मनुष्य थे । उन्होंने मानव जीवन

से अपनी आत्मा का मेल कर लिया था। समस्त मानवजाति से उनके जीवन का सामङ्गल्य था, फिर वे मानव-चरित्र की उपेक्षा कैसे करते?

आदि काल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुःख, हँसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक-जीवन से नितनी रुचि है, उतनी अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य-जगत् में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट् होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन ममी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर मान्माज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचन्द्र राजा थे, पर आज रक भी उनके दुख से उतना ही प्रभावित होता है, जितना कोई राजा हो सकता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है, जो पशुओं में, ईट-पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव द्वदय का जगत्, इस प्रत्यक्ष जगत् जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत् के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं, उनके सुख दुःख, हृषि और विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। हम अपने निकटम बन्धु-बाधों से अपने को इतना निकट नहीं पाते, इसलिए कि हम उनके एक एक विचार, एक-एक उद्गार को जानते हैं, उनका मन हमारी नजरों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। जीवन में ऐसे प्राणी हमे कहाँ मिलते हैं, जिनके अन्त फरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचर सके। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसने विश्व की आत्मा से ऐसी Harmony प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो।

साहित्यकार बहुता अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असभव हो जाता है और उसकी विशाल आत्मा अपने देश-बन्धुओं के

कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है, पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। 'टाम काका की कुटिया' गुलामी की प्रथा से अथित हृदय की रचना है, पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग भी उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं।

{ सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। वह सदा नया बना रहता है। }  
 { दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदले रहते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तबदीलियों नहीं होती। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्रेष, आशा और भय, आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत है, जैसे आदिकवि वालमीकि के समय में थे और कदाचित् अनन्त तक रहेंगे। रामायण के समय का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर ये ग्रन्थ अभी तक नये हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है, वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयों ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अङ्गों की प्रगति का नाम है, और जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिविम्ब होता है। }

जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी-कभी सन्देह किया जाता है। कहा जाता है, जो स्वभाव से अच्छे है, वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। जो स्वभाव के बुरे है, वह बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल लेना होगा। जो सुन्दर है, उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जायें पर असुन्दर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें पर यह असम्भव है कि कशण और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर न हो। नादिरशाह से ज्यादा निर्दयी मनुष्य और

कौन हो सकता है—हमारा आशय दिल्ली मे कतलाम करानेवाले नादिरशाह से है। अगर दिल्ली का कतलाम सत्य घटना है, तो नादिरशाह के निर्दय हाने मे काई सन्देह नहीं रहता। उस समय आपको मालूम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने कतलाम को बन्द करने का हुक्म दिया था ? दिल्ली के बादशाह का बजीर एक रसिक मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिरशाह का क्रोध किसी तरह नहीं शान्त होता और दिल्लीवालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिरशाह के मँहलगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेलियों पर जान रखकर नादिरशाह क पास पहुँचा और यह शेर पढ़ा—

‘कसे न मॉद कि दीगर व तेगे नाज कुशी ।

मगर कि जिन्दा कुनी खल्क रा व बाज कुशी ।’

इसका अर्थ यह है कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिन्दा न छोड़ा। अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि दूसुदो को फिर जिला दे और फिर उन्हे मारना शुरू करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का शृङ्खार विषयक शेर है, पर इसे सुनकर कातिल के दिल मे मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और कतलाम तुरन्त बन्द करा दिया गया। नेपोलियन के जीवन की यह घटना भी प्रसिद्ध है, जब उसने एक ब्रैंग्रेज मल्लाह को भाऊ की नाव पर कैले का समुद्र पार करते देखा। जब फ्रासीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर, नेपोलियन के सामने लाये और उससे पूछा—तू इस भगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कहा—इसलिए कि मेरी बृद्धा माता घर पर अकेली है मै उसे एक बार देखना चाहता था। नेपोलियन की ओरेंवो मे औसू छलछला आये। मनुष्य का कोमल भाग स्पन्दित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रासीसी नौका पर इगलैड मेज दिया। मनुष्य स्वभाव से देव तुल्य है। जमाने के छल प्रपञ्च और परिस्थितियों के बशीभूत

होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने 'स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है—उपदेशों से नहीं, नसी-हतों से नहीं, भावों को स्पन्दित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर, प्रकृति से सामजिक उत्पन्न करके। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ है, साहित्य के ही बनाये हैं। विश्व की आत्मा के अन्तर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है—साहित्य। योरप का साहित्य उठा लीजिए। आप वहाँ सधर्ष पायेंगे। कहीं खूनी काड़ों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल का। जैसे सारी सकृति उन्मत्त होकर मरु में जल खोज रही है। उस साहित्य का परिणाम यही है कि वैयक्तिक स्वार्थ परायणता दिन दिन बढ़ती जाती है, अर्थ-लोलुपता की कहीं सीमा नहीं, नित्य दगे, नित्य लड़ाइयँ। प्रत्येक वस्तु स्वार्थ के कोंटे पर तौली जा रही है। यहाँ तक कि अब किसी युरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भी सन्देह होता है कि इसके परदे में स्वार्थ न हो। साहित्य सामाजिक आदशों का सष्टा है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गये, तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। नयी सभ्यता का जीवन ढैढ़ सौ साल से अधिक नहीं। पर अभी से सासार उससे तग आ गया है। पर इसके बदले मैं उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है, जिसे वहाँ स्थापित कर सके। उसकी दशा उस मनुष्य की-सी है, जो यह तो समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है, वह ठीक रास्ता नहीं है, पर वह इतनी दूर आ चुका है, कि अब लौटने की उसमे सामर्थ्य नहीं है। वह आगे ही जायगा। चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों न लहरे मार रहा हो। उसमे नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। योरप का कोई व्यक्ति लखपती होकर, जायदाद खरीदकर, कम्पनियों मे हिस्से लेकर, और ऊँची सोसायटी मे मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। भारत अपने को उस समय कृतकार्य समझता है, जब वह इस माया बन्धन से मुक्त हो जाता है,

जब उसमें भोग और अविकार का मोह नहीं रहता। किसी राष्ट्र की सबमें मूल्यवान् सम्पत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदशों की सृष्टि की वह आज भी भारत का सिर ऊँचा किये हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सौंचे में न ढलते, तो राम न रहते। सीता भी उसी सौंचे में ढलकर सीता हुई। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर एक धन्वन्तरि के होने पर भी ससार में वैद्यों की आवश्यकता रही है और रहेगी।

ऐसा महान् दायित्व जिस बस्तु पर है, उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारणत युवावस्था में हमारी निगाह पहले विव्वस करने की ओर उठ जाती है। हम सुधार करने की दुन में अधाधुघ शर चलाना शुरू करते हैं। खुदाई फौजदार बन जाते हैं। तुरन्त आखेर काले धब्बों की ओर पहुँच जाती है। यथार्थवाद के प्रवाह में बहने लगते हैं। बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में कला की कृतकार्यता समझते हैं। यह सत्य है कि कोई मकान गिराफ़र ही उसकी जगह नया मकान बनाया जाता है। पुराने ढकोसलों और बन्धनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य तो वही है, जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मजेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का एक अग है, पर साहित्य विव्वस नहीं करता, निर्माण करता है। वह मानव चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएँ दिखाता है। मकान गिरानेवाला इन्जीनियर नहीं कहलाता। इन्जीनियर तो निर्माण ही करता है। हममें जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्म संयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने

को एक महान् पद के लिए तैयार कर रहा है, जो अदालतों मे बहस करने या कुरसी पर बैठकर मुकदमे का फैसला करने से कही ऊँचा है। उसके लिये केवल डिग्रियाँ और ऊँची शिक्षा काफी नहीं। चित्त की साधना, सयम, सौन्दर्य, तत्व का ज्ञान, इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही बाल्यनीय है जब तक हमारे साहित्य-सेवी इस आदर्श तक न पहुँचेंगे तब तक हमारे साहित्य से मगल की आशा नहीं की जा सकती। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। बाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे। कबीर भी तपस्वी ही थे। हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता तो इसका कारण यह है कि हमने साहित्य रचना के लिये कोई तैयारी नहीं की। दो-चार नुस्खे याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हमसे सच्चे साहित्य सेवी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी।

## साहित्य का आधार

साहित्य का सम्बन्ध बुद्धि से उतना नहीं जितना भावों से है। बुद्धि के लिए दर्शन है, विज्ञान है, नीति है। भावों के लिए कविता है, उपन्यास है, ग्रन्थकाव्य है।

आलाचना भी साहित्य का एक अग मानी जाती है, इसीलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अन्दर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है, जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वही साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई वेसुरी व्यंगि उसे दूषित कर देती है। बुद्धि और मनोभाव का भेद काल्पनिक ही समझना चाहिए। आत्मा में विचार, तुलना, निर्णय का अश, बुद्धि और प्रेम, भक्ति, आनन्द, कृतज्ञता आदि का अश भाव हैं। ईर्ष्या, दम्भ, द्रेप, मत्सर आदि मनोविकार हैं। साहित्य का इनसे इतना ही प्रयोजन है कि वह भावों को तीव्र और आनन्दवर्द्धक बनाने के लिए इनकी सहायता लेता है, उसी तरह, जैसे कोई कारीगर श्वेत को और श्वन बनाने के लिए श्याम की सहायता लेता है। हमारे सत्य भावों का प्रकाश ही आनन्द है। असत्य भावों में तो दुःख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भावों में भी आनन्द का अनुभव हो। हिंसा करके, या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वाथ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनन्द प्राप्त होता है, लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर की प्रकाश से अंधेरा कही अधिक प्रिय है। इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में कार्बन बाधा नहीं पड़ती। हमारा जैसा मानसिक सगठन है,

उसमें असत्य भावों के प्रति वृणामय दया ही का उदय होता है। जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरों में मिला सकते हैं, वही सत्य भाव है, प्रेम हमें अन्य वस्तुओं से मिलाता है, अहङ्कार पृथक् करता है। जिसमें अहङ्कार की मात्रा अधिक है वह दूसरों से कैसे मिलेगा? अतएव प्रेम सत्य भाव है, अहङ्कार असत्य भाव है। प्रकृति से मेल रखने में ही जीवन है। जिसके प्रेम की परिधि जितनी ही विस्तृत है, उसका जीवन उतना ही महान है।

जब साहित्य की सृष्टि भावोत्कर्ष द्वारा होती है, तो यह अनिवार्य है कि उसका कोई आधार हो। हमारे अन्त करण का सामज्ञस्य जब तक बाहर के पदार्थों या वस्तुओं या प्राणियों से न होगा, जागृति हो ही नहीं सकती। भक्ति करने के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए। दया करने के लिए भी किसी पात्र की आवश्यकता है। धैर्य और साहस के लिए भी किसी सहारे की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि हमारे भावों को जगाने के लिए उनका बाहर की वस्तुओं से सामज्ञस्य होना चाहिए। अगर बाह्य प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े, अगर हम किसी को पुत्र शोक में बिलाप करते देखकर आँखों की चार बूँदें नहीं गिरा सकते, अगर हम किसी आनन्दोत्सव में मिलकर आनन्दित नहीं हो सकते, तो यह समझना चाहिए कि हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। उस दशा के लिए साहित्य का कोई मूल्य नहीं। सूहित्यकार तो बही हो सकता है जो दुनिया के सुख-दुख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरों में सुख या दुख पैदा कर सके। स्वयं दुख अनुभव कर लेना काफी नहीं है। कलाकार में उसे प्रकट करने का सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियों मनुष्य को भिन्न दिशाओं में डालती है। मनुष्य मात्र में भावों की समानता होते हुए भी परिस्थितियों में भेद होता ही है। हमें तो मिठास से काम है, चाहे वह ऊख में मिले या खजूर में या चुकन्दर में। अगर हम किसानों में रहते हैं या हमें उनके साथ रहने के अवसर मिले

है, तो स्वभावत हम उनके सुख-दुख को अपना सुख दुख समझने लगते हैं और उससे उसी मात्रा में प्रभावित होते हैं जितनी हमारे भावों में गहराई है। इसी तरह अन्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाय कि अमुक प्राणी किसानों का, या मजदूरों का या किसी आन्दोलन का प्रोपागेडा करता है तो यह अन्याय है। साहित्य और प्रोपागेडा में क्या अन्तर है, इसे यहाँ प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है। प्रोपागेडे में अगर आत्म विज्ञापन न भी हो तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने की वह उत्सुकता होती है जो साधनों की परवा नहीं करती। साहित्य शीतल, मन्द समीर है, जो सभी को शीतल और आनंदित करती है। प्रोपागेडा आँधी है, जो आँखों में धूल भोकती है, हरे भरे बृक्षों को उखाङ्ग उखाङ्ग फेकती है, और झोपडे तथा महल दोनों को ही हिला देती है। वह रस-विहीन होने के कारण आनन्द की वस्तु नहीं। लेकिन यदि कोई चतुर कलाकार उसमें सौन्दर्य और रस भर सके, तो वह प्रोपागेडा की चीज न होकर सद्साहित्य की वस्तु बन जाती है। ‘अकिल टॉम्स केबिन’ दास प्रथा के विश्वद प्रोपागेडा है, लेकिन कैसा प्रोपागेडा है? जिसके एक एक शब्द में रस भरा हुआ है। इसलिए वह प्रोपागेडा की चीज नहीं रहा। बर्नार्ड शा के ड्रामे, वेल्स के उपन्यास, गाल्सवर्दी के ड्रामे और उपन्यास, डिकेन्स, मेरी कारेली, रोमा रोला, टाल्स्टाय, चेस्टरटन, डाल्स्टावेस्की, मैक्सिम गोर्की, सिंक्लेयर, कहाँ तक गिनाये। इन सभी की रचनाओं में प्रोपागेडा और साहित्य का सम्बन्ध है। जितना शुष्क विषय प्रतिपादन है वह प्रोपागेडा है, जितनी सौन्दर्य की अनुभूति है, वह सच्चा साहित्य है। हम इसलिए किसी कलाकार से जबाब तलब नहीं कर सकते कि वह अमुक प्रसग से ही क्यों अनुराग रखता है। यह उसकी रुचि या परिस्थितियों से पैदा हुई परवशता है। हमारे लिए तो उसकी परीक्षा की एक ही कसौटी है। वह हमें सत्य और सुन्दर के समीप ले जाता है या नहीं? यदि ले जाता है तो वह साहित्य है, नहीं ले जाता तो प्रोपागेडा या उससे भी निकृष्ट है।

हम अकसर किसी लेखक की आलोचना करते समय अपनी रुचि से परामूर्त हो जाते हैं। ओह, इस लेखक की रचनाये कौड़ी काम की नहीं, यह तो प्रोपागेन्डिस्ट है, यह जो कुछ लिखता है, किसी उद्देश्य से लिखता है, इसके यहाँ विचारों का दारिद्र्य है। इसकी रचनाओं में स्वानुभूत दर्शन नहीं, दृत्यादि। हमें किसी लेखक के विषय में अपनी राय रखने का अधिकार है, इसी तरह औरों को भी है, लेकिन सद्साहित्य की परख वही है जिसका हम उल्लेख कर आये हैं। उसके सिवा कोई दूसरी कसौटी हो ही नहीं सकती। लेखक का एक एक शब्द दर्शन में छूबा हो, एक एक वाक्य में विचार भरे हो, लेकिन उसे हम उस वक्त तक सद्साहित्य नहीं कह सकते, जब तक उसमें रस का स्रोत न बहता हो, उसमें भावों का उत्कर्ष न हो, वह हमें सत्य की ओर न ले जाता हो, अर्थात् बाह्य प्रकृति से हमारा मेल न कराता हो। केवल विचार और दर्शन का आधार लेकर वह दर्शन का शुष्क ग्रन्थ हो सकता है, सरस साहित्य नहीं हो सकता। जिस तरह किसी आनंदोलन या किसी सामाजिक अत्याचार के पक्ष या विपक्ष में लिखा गया रसहीन साहित्य प्रोपागेडा है, उसी तरह किसी तात्त्विक विचार या अनुभूत दर्शन से भरी हुई रचना भी प्रोपागेडा है। साहित्य जहाँ रसों से पृथक् हुआ, वही वह साहित्य के पद से गिर जाता है और प्रोपागेडा के क्षेत्र से जा पहुँचता है। आस्कर बाइल्ड या शा आदि की रचनायें जहाँ तक विचार प्रधान हों, वहाँ तक रसहीन हैं। हम रामायण को इसलिए सद्साहित्य नहीं समझते कि उसमें विचार या दर्शन भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसका एक एक अक्षर सौन्दर्य के रस में छूबा हुआ है, इसलिए कि उसमें त्याग और प्रेम और बन्धुत्व और मैत्री और साहस आदि मनोभावों की पूर्णता का रूप दिखाने वाले चरित्र हैं। हमारी आत्मा अपने अन्दर जिस अपूर्णता का अनुभव करती है, उसकी पूर्णता को पाकर वह मानो अपने को पा जाती है और यही उसके आनन्द की चरम सीमा है।

इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि बहुधा एक लेखक की कलम से जो चीज़ प्रोपागेडा होकर निफलती है, वही दूसरे लेखक की कलम से सद्माहित्य वन जाती है। बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर मुनहसर है। हम जो कुछ लिखते हैं, यदि उसमे रहते भी है, तो हमारा शुष्क विचार भी अपने अन्दर आत्म प्रकाश का सन्देश रखता है और पाठक को उसमे आनन्द की प्राप्ति होती है। वह श्रद्धा जो हममे है, मानो अपना कुछ अश हमारे लेखो मे भी डाल देती है। एक एसा लेखक जो विश्व बन्धुत्व की दुहाई देता हो, पर तुच्छ स्वार्थ के लिये लड़ने पर कमर कस लेता हो, कभी अपने ऊँचे आदर्श की सत्यता से हमे प्रभावित नहीं फर सकता। उसकी रचना मे तो विश्व बन्धुत्व की गन्व आते ही हम ऊपर जाते हैं, हमे उसमे कृत्रिमता की गन्व आती है। और पाठक सब कुछ क्षमा कर सकता है, लेखक मे बनावट या दिखावा या प्रशसा की लालसा को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे लेखक मे कुछ श्रद्धा है, तो वह उसके दर्शन, विचार, उपदेश, शिक्षा, सभी असाहित्यिक प्रमगो मे सौन्दर्य का आभास पाता है। अतएव बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर है। लेकिन हम लेखक से परिचित हो या न हो, अगर वह सौन्दर्य की सुष्टि कर सकता है, तो हम उसकी रचना मे आनन्द प्राप्त फरने से अपने को रोक नहीं सकते। साहित्य का आधार भावों का सौन्दर्य है, इससे परे जो कुछ है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता।

## कहानी-कला : १

गल्य, आख्यायिका या छोटी कहानी लिखने की प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। धर्म ग्रन्थों में जो दृष्टान्त भरे पड़े हैं, वे छोटी कहानियाँ ही हैं, पर कितनी उच्च-कोटि की। महाभारत, उपनिषद्, बुद्ध जातक, बाइबिल, सभी सद्ग्रथों में जन-शिक्षा का यही साधन उपयुक्त समझा गया है। ज्ञान और तत्व की बातें इतनी सरल रीति से और क्योंकर समझायी जाती हैं किन्तु प्राचीन श्रुति इन दृष्टान्तों द्वारा केवल आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों का निरूपण करते थे। उनका अभिप्राय केवल मनोरञ्जन न होता था। सद्ग्रथों के रूपको और बाइबिल के Parables देखकर तो यही कहना पड़ता है कि अगले जो कुछ कर गये, वह हमारी शक्ति से बाहर है, कितनी विशुद्ध कल्पना, कितना मौलिक निरूपण, कितनी ओजस्विनी रचना शैली है कि उसे देखकर वर्तमान साहित्यिक की बुद्धि चक्रा जाती है। आजकल आख्यायिका का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। उसमें प्रेम की कहानियाँ, जासूसी किस्से, भ्रमण वृत्तान्त, अद्भुत घटना, विज्ञान की बातें, यहाँ तक कि मित्रों की गप शप भी शामिल कर दी जाती है। एक अँगरेजी समालोचक के मतानुसार तो कोई रचना, जो पन्द्रह मिनट में पढ़ा जा सके, गल्य कही जा सकती है। और तो और, उसका यथाथ उद्देश्य इतना अनिश्चित हो गया है कि उसमें किसी प्रकार का उपदेश हाना दूषण समझा जाने लगा है। वह कहानी सबसे नाकिस समझा जाता है, जिसमें उपदेश की छाया भी पड़ जाय।

आख्यायिका द्वारा नैतिक उपदेश देने की प्रथा धर्मग्रन्थों ही में नहीं, साहित्य-ग्रन्थों में भी प्रचलित थी। कथा सरित्सागर इसका उदाहरण

है। इसके पश्चात् बहुत-सी आख्यायिकाओं को एक शृङ्खला में बॉधने की प्रथा चली। वैताल पचीसी और सिंहासन वत्तीसी इसी श्रेणी की पुस्तकें हैं। उनमें कितनी नैतिक और धार्मिक समस्याएँ हल की गयी हैं, यह उन लोगों से छिपा नहीं है, जिन्हाने उनका अन्वयन किया है। अरबी में सहस्र रजनी-चरित्र इसी भौति का अद्भुत संग्रह है, किन्तु उसमें किसी प्रकार का उपदेश देने की चेष्टा नहीं की गयी है। उसमें सभी रसों का समावेश है, पर अद्भुत रस ही की प्रवानता है, और अद्भुत रस में उपदेश की गुजाइश नहीं रहती। कदाचित् उसी आदर्श को लेकर इस देश में शुक्र बहत्तरी के ढङ्ग की कथाएँ रची गयीं, जिनमें छिंगों की बैवफाई का राग अलापा गया है। यूनान में हकीम ईसप ने एक नवा ही ढङ्ग निकाला। उन्होंने पशुपक्षियों की कहानियों द्वारा उपदेश देने का आविष्कार किया।

मध्यकाल काव्य और नाटक रचना का काल था, आख्यायिकाओं की ओर बहुत कम व्यान दिया गया। उस समय कहीं तो भक्ति-काव्य की प्रवानता रही, कहीं राजाओं के कीर्तिगान की। हाँ, शेखसादी ने फारसी में गुलिस्तौ-बोन्तौ की रचना करके आख्यायिकाओं की मर्यादा रखी। यह उपदेश कुमुम इतना मनोहर और सुन्दर है कि चिरकाल तक प्रेमियों के हृदय इसके सुगन्ध से रखित होते रहेंगे। उन्हीनवंशी शताब्दी में फिर आख्यायिकाओं की ओर साहित्यकारों की प्रवृत्ति हुई, और तभी से सभ्य-साहित्य में इनका विशेष महत्व है। योरप की सभी भाषाओं में गल्पों का यथेष्ट प्रचार है, पर मेरे विचार में फ्रान्स और रूस के साहित्य में जितनी उच्च-कोटि की गल्पे पायी जाती है, उतनी अन्य योरपीय भाषाओं में नहीं। अँगरेजी में भी डिकेंस, वेल्स, हार्डी, किलिङ्ग, शार्लट ब्राटी आदि ने कहानियों लिखी है, लेकिन इनकी रचनाएँ गी द मोपासों, बालजक या पियेर लोती के टक्कर की नहीं। फ्रान्सीसी कहानियों में सरसता की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त

मोपासों और वालजक ने आख्यायिका के आदर्श को हाथ से नहीं जाने दिया है। उनमें आध्यात्मिक या सामाजिक गुणियों अवश्य सुलभायी गयी है। रूस में सबसे उत्तम कहानियों काउट टालस्टाय की है। इनमें कई तो ऐसी हैं, जो प्राचीन काल के दृष्टान्तों की कोटि रुपी हैं। चेकाफ ने बहुत रुहानियों लिखी है, और योरप में उनका प्रचार भी बहुत है, किन्तु उनमें रूस के विलाम प्रिय समाज के जीवन चित्रों के सिवा और कोई विशेषता नहीं। डास्टावेस्की ने भी उपन्यासों के अतिरिक्त कहानियों लिखी है, पर उनमें मनोभावों की दुर्बलता दिखाने ही की चेष्टा की गयी है। भारत में विकिमचन्द्र और डाक्टर रवीन्द्रनाथ ने कहानियों लिखी हैं, और उनमें से कितनी ही बहुत उच्च कोटि की है।

प्रश्न यह हो सकता है कि आख्यायिका और उपन्यास में आकार के अतिरिक्त और भी कोई अन्तर है? हों, है और बहुत बड़ा अन्तर है। उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है, आख्यायिका केवल एक घटना है—अन्य बातें सब उसी घटना के अन्तर्गत होती हैं। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामा से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लायें, चाहे जितने दृश्य दिखायें, चाहे जितने चरित्र खीचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएँ और चरित्र एक ही केन्द्र पर मिल जायें। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर आख्यायिका में इस बाहुल्य की गुज़ाइश नहीं, बल्कि कई सुविज्ञ जनों की सम्मति तो यह है कि उसमें केवल एक ही घटना या चरित्र का उल्लेख होना चाहिए। उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो उतना जोर दिखाइये, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में दस बीस पृष्ठ लिख डालिये, (भाषा सरस होनी चाहिए) ये कोई दूषण नहीं। आख्यायिका में आप महफिल के सामने से चले जायेंगे, और बहुत उत्सुक होने पर भी आप उसकी ओर निगाह नहीं उठा सकते। वहाँ तो एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा न होना चाहिए, जो गल्प के उद्देश्य को

स्पष्ट न करता हो। इसके सिवा, कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुवाध हानी चाहिए। उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं, जिनके पाख रुपया हैं; और समझ भी उन्होंके पास रहता है, जिनके पास वन होता है। आख्यायिका सावारण जनता के लिए लिखी जाती है, जिनके पास न धन है, न समय। वहों तो सरलता पैदा कीजिए, यही कमाल है। कहानी वह त्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता।

हम जब किसी अपरिचित प्राणी से मिलते हैं, तो स्वभावत यह जानना चाहते हैं कि यह कौन है। पहले उससे परिचय करना आवश्यक समझते हैं। पर आजकल कथा भिन्न-भिन्न रूप से आरम्भ की जाती है। कहीं दो मित्रों की बातचीत से कथा आरम्भ हो जाती है, कहीं पुलिस-कोर्ट के एक दृश्य से। परिचय पीछे आता है। यह अँग्रेजी आख्यायिका ओं की नकल है। इनसे कहानी अनायास ही जटिल और दुबोध हो जाती है। योरपवालों की देखा देखी यन्त्रों द्वारा, डायरी या टिप्पणियों-द्वारा भी कहानियों लिखी जाती हैं। मैंने स्वयं इन सभी प्रथाओं पर रचना की है, पर वास्तव में इससे कहानी की सरलता में बाबा पड़ती है। योरप के विज्ञ समालोचक कहानियों के लिए किसी अन्त की भी जरूरत नहीं समझते। इसका कारण यही है कि वे लोग कहानियों केवल मनोरजन के लिए पढ़ते हैं। आपको एक लेडी लन्दन के किसी होटल में मिल जाती है। उसके साथ उसकी बृद्धा माता भी है। माता कन्या से किसी विशेष पुरुष से विवाह करने के लिए आग्रह करती है। लड़की ने अपना दूसरा वर ठीक कर रखा है। मैं विगड़कर कहती है, मैं तुम्हें अपना धन न दूँगी। कन्या कहती है, मुझे इसकी परवा नहीं। अन्त में माता अपनी लड़की से रुठकर चली जाती है। लड़की निराशा की दशा में बैठी है कि उसका अपना पसन्द किया युवक आता है। दोनों में बातचीत होती है। युवक का प्रेम सच्चा है। वह बिना धन के ही

विवाह करने पर राजी हो जाता है। विवाह होता है। कुछ दिनों तक खी पुरुष सुख-पूर्वक रहते हैं। इसके बाद पुरुष धनाभाव से किसी दूसरी धनवान् खी की टोह लेने लगता है। उसकी खी को इसकी खबर हो जाती है, और वह एक दिन घर से निकल जाती है। बस, कहानी समाप्त कर दी जाती है। क्योंकि realists अर्थात् यथार्थवादियों का कथन है कि ससार में नेकी बदी का फल कहीं मिलता नजर नहीं आता, बल्कि बहुवा बुराई का परिणाम अच्छा और भलाई का बुरा होता है। आदर्शवादी कहता है, यथार्थ का यथार्थ रूप दिखाने से फायदा ही क्या, वह तो अपनी ओँखों से देखते ही है। कुछ देर के लिए तो हमें इन कुत्सित व्यवहारों से अलग रहना चाहिए, नहीं तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य ही गायब हो जाता है। वह साहित्य को समाज का दर्पण मात्र नहीं मानता, बल्कि दीपक मानता है, जिसका काम प्रकाश फैलाना है। भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद ही का समर्थक है। हमें भी आदर्श ही की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हों, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए कि सत्य से दूर न जाना पड़े।

---

## कहाने-कला : २

एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है, और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है।

इस कथन का ग्राशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि इतिहास आदि से अन्त तक हत्या, सग्राम और धोखे का ही प्रदर्शन है, जो असुन्दर है, इसलिए असत्य है। लोभ की क्रूर से क्रूर, अहङ्कार की नीच से नीच, ईर्ष्या की अधम से अधम घटनाएँ आपको वहाँ मिलेगी, और आप सोचने लगेगे, ‘मनुष्य इतना अमानुष है ! थोड़े-से स्वार्थ के लिए भाई भाई की हत्या कर डालता है, बेटा बाप की हत्या कर डालता है और राजा असत्य प्रजा की हत्या कर डालता है !’ उसे पढ़कर मन मे ग्लानि होती है, आनन्द नहीं। और जो वस्तु आनन्द नहीं प्रदान कर सकती वह सुन्दर नहीं हो सकती, और जो सुन्दर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती। जहाँ आनन्द है, वही सत्य है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है, पर उसका प्रधान गुण है आनन्द प्रदान करना, और इसीलिए वह सत्य है।

मनुष्य ने जगत् मे जो कुछ सत्य और सुन्दर पाया है और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं, और कहानी भी साहित्य का एक भाग है।

मनुष्य-जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहली है। वह खुद अपनी समझ मे नहीं आता। किसी-न किसी रूप मे वह अपनी ही आलो-

चना किया करता है—अपने ही मनोरहस्य खोला करता है। मानव-संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। अध्यात्म और दर्शन की भाँति साहित्य भी इसी सत्य की खोज में लगा हुआ है—अन्तर इतना ही है कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनन्दप्रद बना देता है, इसीलिए अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, साहित्य मनुष्य-मात्र के लिए।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कहानी या आख्यायिका साहित्य का एक प्रधान अग्र है, आज से नहीं, आदि काल से ही। हॉ, आजकल की आख्यायिका और प्राचीन काल की आख्यायिका में समय की गति और सूचि के परिवर्तन से, बहुत-कुछ अन्तर हो गया है। प्राचीन आख्यायिका कुतूहल प्रवान होती थी या अध्यात्म-विषयक। उपनिषद् और महाभारत में आव्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए आख्यायिकाओं का आश्रय लिया गया है। बौद्ध-जातक भी आख्यायिका को सिवा और क्या हैं ? बाइबिल में भी दृष्टान्तों और आख्यायिकाओं के द्वारा ही धर्म के तत्त्व समझाये गये हैं। सत्य इस रूप में आकर साकार हो जाता है और तभी जनता उसे समझती है और उसका व्यवहार करती है।

वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना न्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम और अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है। इतना ही नहीं बल्कि अनुभूतियों ही रचनाशील भावना से अनुरक्षित होकर कहानी बन जाती है।

मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ नित्र है। यथार्थ जीवन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है, मगर कहानी के पात्रों के सुख-दुःख से हम जितना प्रभावित होते हैं, उतना यथार्थ जीवन से नहीं होते—जब तक वह निजत्व की परिधि में न आ जाय। कहानियों में पात्रों से हमें एक ही दो मिनट के परिचय में निजत्व हो

जाता है और हम उनके साथ हँसने और रोने लगते हैं। उनका हर्ष और विषाद हमारा अपना हर्ष और विषाद हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कहानी पढ़कर वे लोग भी रोते या हँसते देखे जाते हैं, जिन पर साधारणत सुख दुःख का कोई असर नहीं पड़ता। जिनकी आँखें शमशान में या कविस्तान में भी सजल नहीं होतीं, वे लोग भी उपन्यास के मर्म-स्पर्शी स्थलों पर पहुँचकर रोने लगते हैं।

शायद इसका यह भी कारण हो कि स्थूल प्राणी सूक्ष्म मन के उतने समीप नहीं पहुँच सकते, जितने कि कथा के सूक्ष्म चरित्र के। कथा के चरित्रों आर मन के बीच से जड़ता का वह पर्दा नहीं होता, जो एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य के हृदय से दूर रखता है और अगर हम यथार्थ को हूबहू खींचकर रख दें, तो उसमें कला कहाँ है? कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है।

कला दीखती तो यथार्थ है, पर यथार्थ होती नहीं। उसकी खूबी यही है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। उसका माप-दण्ड भी जीवन के माप-दण्ड से अलग है। जीवन में बहुधा हमारा अन्त उस समय हो जाता है जब यह बाल्नीय नहीं हाता। जीवन किसी का दायी नहीं है, उसके सुख दुःख, हानि लाभ, जीवन मरण में कोई क्रम, कोई सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता—कम से कम मनुष्य के लिए वह अर्जेय है। लेकिन कथा-साहित्य मनुष्य का रचा हुआ जगत् है और परिमित होने के कारण सम्पूर्णत हमारे सामने आ जाता है, और जहाँ वह हमारी मानवी न्याय बुद्धि या अनुभूति का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है, हम उसे दण्ड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा में अगर किसी को सुख प्राप्त होता है तो इसका कारण बताना होगा, दुख भी मिलता है तो उसका कारण बताना होगा। यहाँ कोई चरित्र मर नहीं सकता, जब तक कि मानव-न्यायबुद्धि उसकी मौत न मोंगे। स्वर्णा को जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जबाब

देना पड़ेगा। कला का रहस्य भ्रान्ति है, जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो।

हमें यह स्वीकार कर लेने में सक्रोच न होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह आखणिका की कला भी हमने पञ्चम से ली है—कम से कम इसका आज का विकसित रूप तो पञ्चम का है ही। अनेक कारणों से जीवन की अन्य धाराओं की तरह ही साहित्य में भी हमारी प्रगति रुक गयी और हमने प्राचीन से जौ भर भ्री-इधर-उधर हटना निषिद्ध समझ लिया। साहित्य के लिए प्राचीनों ने जो मर्यादाएँ बैंध दी थी, उनका उल्लंघन करना वर्जित था। अतएव, काव्य, नाटक, कथा, किसी में भी हम आगे कदम न बढ़ा सके। कोई वस्तु बहुत सुन्दर होने पर भी अरुचिकर हो जाती है, जब तक उसमें कुछ नवीनता न लायी जाय। एक ही तरह के नाटक, एक ही तरह के काव्य पढ़ते पढ़ते आदमी ऊब जाता है और वह कोई नयी चीज़ चाहता है—चाहे वह उतनी सुन्दर और उत्कृष्ट न हो। हमारे यहाँ या तो यह इच्छा उठी ही नहीं, या हमने उसे इतना कुचला कि वह जड़ीभूत हो गयी। पश्चिम प्रगति करता रहा—उसे नवीनता की भूत थी, मर्यादाओं की बेड़ियों से चिठ्ठ। जीवन के हर एक विभाग में उसकी इस अस्थिरता तथा असन्तोष की बेड़ियों से मुक्त हो जाने की छाप लगी हुई है। साहित्य में भी उसने क्रान्ति मचा दी।

शेक्सपियर के नाटक अनुपम है, पर आज उन नाटकों का जनता के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं। आज के नाटक का उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और है, विषय कुछ और है, शैली कुछ और है। कथा-साहित्य में भी विकास हुआ और उसके विषय में चाहे उतना बड़ा परिवर्तन न हुआ हो, पर शैली तो विलकुल ही बदल गयी। अलिफलैला उस वक्त का आदर्श था—उसमें बहुरूपता थी, वैचित्र्य था, कुतूहल था, रोमान्स था—पर उसमें जीवन की समस्याएँ न थी, मनोविज्ञान के रहस्य न थे, अनुभूतियों की इतनी प्रचुरता न थी, जीवन अपने सत्य-

रूप म इतना स्पष्ट न था। उसका रूपान्तर हुआ और उपन्यास का उदय हुआ, जो कथा और नाटक के बीच की वस्तु है। पुराने दृष्टान्त भी रूपान्तरित होकर कहानी बन गये।

मगर सौ बरस पहले यूरोप भी इस कला से अनभिज्ञ था। बड़े-बड़े उच्च कोटि के दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन छोटी छोटी कहानियों की ओर किसी का व्यान न जाता था। यहाँ, परिया और भूतों की कहानियों लिखी जाती थीं। किन्तु इसी एक शताब्दी के अन्दर, या उससे भी कम मे समझिए, छोटी कहानियों ने साहित्य के ओर सभी अङ्गों पर विजय प्राप्त कर ली है, और यह कहना गलत न होगा कि जैसे किसी जमाने मे काव्य ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का व्यापक रूप था, वैसे ही आज कहानी है। और उसे यह गौरव प्राप्त हुआ है यूरोप के कितने ही महान् कलाकारों की प्रतिभा से, जिनमे बाल-जक, मोपासौ, चेखाफ, टॉल्स्ट्याय, मैक्सिम गोर्की आदि मुख्य है। हिन्दी मे पचास तीस साल पहले तक कहानी का जन्म न हुआ था। परन्तु आज तो कोई ऐसी पत्रिका नहीं जिसमे दो-चार कहानियों न हो—यहाँ तक कि कई पत्रिकाओं मे केवल कहानियों ही दी जाती है।

कहानिया के इस प्रावल्य का मुख्य कारण आजकल का जीवन-संग्राम और समयाभाव है। अब वह जमाना नहीं रहा कि हम 'बोस्टने खयाल' लेकर बैठ जायें और सारे दिन उसी की कुजों मे बिचरते रहे। अब तो हम जीवन-संग्राम मे इतने तन्मय हो गये हैं कि हमे मनोरञ्जन के लिए समय ही नहीं मिलता, अगर कुछ मनोरञ्जन स्वास्थ्याके लिए अनिवार्य न होता, और हम विक्षित हुए बिना नित्य अठारह घटे काम कर सकते, तो शायद हम मनोरञ्जन का नाम भी न लेते। लेकिन प्रकृति ने हमे विवश कर दिया है। हम चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े समय मे अधिक मनोरञ्जन हो चाय—इसीलिए सिनेमा यहों की सख्त्या दिन दिन बढ़ती जाती है। जिस उपन्यास के पढ़ने मे महीनों लगते, उसका आनंद हम दो घटों मे उठा लेते हैं। कहानी के लिए पन्द्रह बीस मिनट ही काफी

है। अतएव हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े से थोड़े शब्दों में कही जाय, उसमें एक वाक्य, एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाये, उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अन्त तक उसे मुख किये रहे, और उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ ताजगी हो, कुछ विकास हो, और इसके साथ ही कुछ तत्व भी हो। तबहीन कहानी से चाहे मनोरञ्जन भले ही ही जाय, मानसिक तृतीय नहीं होती। यह सच है कि हम कहानियों में उन्देश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुन्दर भावों को जाग्रत करने के लिए, कुछ-न-कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है, जिसमें इन दोनों में से—मनोरञ्जन और मानसिक तृतीय में से—एक अवश्य उपलब्ध हो।

सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। सातुं पिता का अपने कुव्वसनी पुत्र की दशा में दुखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस आवेग में पिता के मनोवैज्ञानिक चिह्नित करना और तदनुकूल उसके व्यवहारों को प्रदर्शित करना कहानी को आकर्षक बना सकता है। बुरा आदमी भी बिलकुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है—यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल आख्यायिका लेखक का काम है। विपत्ति पर विपत्ति पड़ने से मनुष्य कितना दिलेर हो जाता है—यहाँ तक कि वह बड़े से बड़े सकट का सामना करने के लिए ताल ठोककर तैयार हो जाता है, उसकी दुर्वासना भाग जाती है, उसके हृदय के किसी गुत स्थान में छिपे हुए जोहर निकल आते हैं और हमें चकित कर देते हैं—यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित करती है—हम कहानी में इसको सफलता के साथ दिखा सकें, तो कहानी अवश्य आकर्षक होगी। किसी समस्या का समावेश कहानी को आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। जीवन में ऐसी समस्याएँ नित्य ही उपस्थित होती रहती हैं और उनसे पैदा होनेवाला दृन्द्र आख्यायिका को चमका

देता है। सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसके पुत्र ने हत्या की है। वह उसे न्याय की वेदी पर वलिदान कर दे, या अपने जीवन-सिद्धान्तों की हत्या कर डाले। कितना भीषण दुन्दू है! पश्चात्ताप ऐसे दुन्दूओं का अखण्ड स्रात है। एक भाई ने अपने दूसरे भाई की सम्पत्ति छल कपट से अपहरण कर ली है, उसे भिक्षा माँगते देखकर क्या छली भाई को जरा भी पश्चात्ताप न होगा? अगर ऐसा न हो, तो वह मनुष्य नहीं है।

उपन्यासों की भौति कहानियों भी कुछ घटना-प्रधान होती है, कुछ चरित्र-प्रधान। चरित्र-प्रधान कहानी का पद ऊँचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुजारीश नहीं होती। यहों हमारा उद्देश्य सम्पूर्ण<sup>१</sup> मनुष्य को चित्रित करना नहीं, बरन् उसके चरित्र का एक अग्र दिखाना है। यह परमावश्यक है कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्व निकले, वह सर्वमान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो। यह एक साधारण नियम है कि हमें उसी बात में आनन्द आता है जिससे हमारा कुछ सम्बन्ध हो। जूआ खेलनेवालों को जो उन्माद और उल्लास हाता है, वह दर्शक को कदापि नहीं हो सकता। जब हमारे चरित्र इतने सजीव और इतने आकर्षक होते हैं कि पाठक अपने को उनके स्थान पर समझ लेता है, तभी उस कहानी में आनन्द प्राप्त होता है। अगर लेखक ने अपने पात्रों के प्रति पाठक में यह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी, तो वह अपने उद्देश्य में असफल है।

पाठकों से यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन थोड़े ही दिनों में हिन्दी-कहानी-कला ने कितनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। पहले हमारे सामने केवल बँगला कहानियों का नमूना था। अब हम ससार के सभी प्रमुख कहानी-लेखकों की रचनाएँ पढ़ते हैं, उन पर विचार और बहस करते हैं, उनके गुण-दोष निकालते हैं और उनसे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते। अब हिन्दी कहानी-लेखकों में विषय, दृष्टिकोण और शैली का अलग अलग विकास होने लगा है—कहानी जीवन

से बहुत निरुट आ गई है। उसकी जमीन अब उतनी •लम्बी-चौड़ी नहीं है। उसमें कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। वह अब केवल एक प्रसग का, आत्मा की एक भलक का सजीव हृदय-स्पर्शी चित्रण है। इस एकत्रिता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अश कम, सबेदना का अश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रभावमयी हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है, वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा कर देता है। कभी-कभी तो सम्भाषणों में एक दो शब्दों से ही काम निकाल देता है। ऐसे कितने ही अवसर होते हैं, जब पात्र के मुँह से एक शब्द सुनकर हम उसके मनोभावों का पूरा अनुमान कर लेते हैं, पूरे वाक्य की जरूरत ही नहीं रहती। अब हम कहानी का मूल्य उसके घटना-विन्यास से नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि पात्रों की मनोगति स्वयं घटनाओं की सुषिठि करे। घटनाओं का स्पतन्त्र कोई महत्व ही नहीं रहा। उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है— उसी तरह, जैसे शालिग्राम स्वतन्त्र रूप से केवल पत्थर का एक गोल ढुकड़ा है, लेकिन उपासक की श्रद्धा से प्रतिष्ठित होकर देवता बन जाता है। खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटना नहीं, अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौन्दर्य नहीं है। वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है, जिसमें सौन्दर्य की भलक हो, और इसके द्वारा वह पाठक की सुन्दर भावनाओं को स्पर्श कर सके।

## कहानी-कला : ३

कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। हर एक बालक को अपने बचपन की वे कहानियाँ याद होती हैं, जो उसने अपनी माता पा वहन से सुनी थीं। कहानियाँ सुनने को वह कितना लालायित रहता था, कहानी शुरू होते ही वह किस तरह सब-कुछ भूलकर सुनने में तन्मय हो जाता था, कुत्ते और विलियों की कहानियाँ सुनकर वह कितना प्रसन्न होता था—इसे शायद वह कभी नहीं भूल सकता। बाल-जीवन की मधुर स्मृतियों में कहानी शायद सबसे मधुर है। वह खिलौने, मिठाइयों और तमाशे सब भूल गये, पर वे कहानियाँ अभी तक याद हैं और उन्हीं कहानियों को आज उसके मैंह से उसके बालक उसी हर्ष और उत्सुकता से सुनते होंगे। मनुष्य-जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाय और उसकी कीर्ति हर एक जवान पर हो।

कहानियों का जन्म तो उसी समय में हुआ, जब आदमी ने बोलना सीखा, लेकिन प्राचीन कथा-साहित्य का हमें जो कुछ ज्ञान है, वह ‘कथा-सरित्सागर,’ ‘ईसप की कहानियाँ’ और ‘अलिफ-लैला’ आदि पुस्तकों से हुआ है। ये सब उस समय के साहित्य के उज्ज्वल रक्त हैं। उनका मुख्य लक्षण उनका कथा-वैचित्र्य था। मानव-दृढ़य को वैचित्र्य से सदैव प्रेम रहा है। अनोखी घटनाओं और प्रसगों को सुनकर हम, अपने बाप-दादा की भौंति ही, आज भी प्रसन्न होते हैं। हमारा ख्याल है कि जन-स्त्री जितनी आसानी से अलिफ-लैला की कथाओं का आनन्द उठाती

है, उननी आसानी से नवीन उपन्यासों का आनन्द नहीं उठा सकती। और अगर इउट टॉल्सटॉय के कथनानुसार जनप्रियता ही कला का आदर्श मान लिया जाय, तो अलिफ-लैला के सामने स्वयं टॉल्सटॉय के 'वार ऐड पोम' और ब्यूगा के 'ले मिनरेबुल' की कोई गिनती नहीं। इस सिद्धान्त के अनुसार हमारी राग रागिनियों, हमारी सुन्दर विचारियों और कला के अनेक रूप जिन पर मानव जाति को गर्व है, कला के क्षेत्र से बाहर हो जायेंगे। जन-सचि परज और विहाग की अपेक्षा विरहे और दादरे को ज्यादा पसन्द करनी है। विरहे और ग्रामगीतों में बहुधा बड़े ऊँचे दरजे की कृतियां होती हैं, किर भी यह कहना असत्य नहीं है कि विद्वाना और आचार्यों ने कला के विकास के लिए जो मर्यादाएँ बना दी हैं, उनसे कला का रूप अधिक सुन्दर और अधिक सयत हो गया है। प्रकृति में जो कला है, वह प्रकृति की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य को तो वही कला मोहित करती है, जिस पर मनुष्य की आत्मा की छाप हो, जो गीली मिट्ठी की भौंति मानव हृदय के सौंचे में पड़कर सस्कृत हो गयी हो। प्रकृति का सौन्दर्य हमें अपने विस्तार और वैभव से परामूर्त कर देता है। उससे हमें आध्यारितिक उल्लास मिलता है, पर वही दृश्य जब मनुष्य की तूलिना एवं रगों और मनाभावों से रजित होकर हमारे सामने आता है, तो वह जैसे हमारा अपना हो जाता है। उसमें हमें आत्मीयता का सन्देश मिलता है।

लेकिन भाजन जहों थाडे से मसाले से अधिक रुचिकर हो जाता है, वहों यह भी आवश्यक है कि मसाले मात्रा से बढ़ने न पाये। जिस तरह मसालों के बाहुल्य से भोजन का स्वाद और उपयागिता कम हा जाती है, उसी भौंति साहित्य भी अलकारों के दुरुपयोग से विकृत हो जाता है। जो कुछ स्वाभाविक है, वही सत्य है और स्वाभाविक से दूर होकर। कला अपना आनन्द खो देती है और उसे समझनेवाले थोड़े से कलाविद् ही रह जाते हैं, उसमें जनता के मर्म को स्पर्श करने की शक्ति नहीं रह जाती।

पुरानी कथा कहानियों अपने घटना-वैचित्र्य के कारण मनोरञ्जक तो हैं पर उनमें उस रस की कमी है जो शिक्षित रुचि साहित्य में खोजती है। अब हमारी साहित्यिक रुचि कुछ परिष्कृत हो गयी है। हम हर एक विषय का भौति साहित्य में भी बौद्धिस्ता की तलाश नहीं रखते हैं। अब हम किसी राजा की अलौकिक वीरता या रानी के हवा में उड़कर राजा के पास पहुँचने, या भूत प्रेतों के काल्पनिक चरित्रों को देखकर प्रश्न नहीं हाते। हम उन्हें यथार्थ कर्ता पर तौलते हैं और जौ भर भी इधर उधर नहीं देखना चाहते। आजकल के उपन्यासों और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक वातों के लिए गुजाइश नहीं है। उसमें हम अपने जीवन का ही प्रतिविम्ब देखना चाहते हैं। उसके एक एक वाक्य को, एक-एक पात्र का यथार्थ के रूप में देखना चाहते हैं। उनमें जा कुछ भी हो, वह इस तरह लिखा जाय कि साधारण बुद्धि उसे यथार्थ समझे। घटना वर्तमान कहानी या उपन्यास का मुख्य अग नहीं है। उपन्यासों में पात्रों का केवल बाह्य रूप देखकर हम सन्तुष्ट नहीं होते। हम उनके मनोगत भावों तक पहुँचना चाहते हैं और जा लेखक मानवी हृदय के रहस्यों को खोलने में सफल होता है, उसी की रचना सफल समझी जाती है। हम केवल इतने ही से सन्तुष्ट नहीं होते कि असुर व्यक्ति ने असुर काम किया। हम देखना चाहते हैं कि किन मनोभावों से प्रेरित होकर उसने यह काम किया, अतएव मानसिक द्रन्द्र वर्तमान उपन्यास या गल्प का खास अङ्ग है।

प्राचीन कलाओं में लेखक विलकुल नेपथ्य में छिपा रहता था। हम उसके विषय में उतना ही जानते थे, जितना वह अपने को अपने पात्रों के मुख से व्यक्त करता था। जीवन पर उसके क्या विचार है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उसके मनोभावों में क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हमें कुछ पता न चलता था, लेकिन आजकल उपन्यासों में हमें लेखक के दृष्टिकोण का भी स्थल स्थल पर परिचय मिलता रहता है। हम उसके मनोगत विचारों और भावों द्वारा उसका रूप देखते रहते हैं और ये

भाव जितने व्यापक और गहरे तथा अनुभव-पूर्ण होते हैं, उतनी ही लेखक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यो कहना चाहिए कि वर्तमान आख्यायिका या उपन्यास का आधार ही मनोवैज्ञान है। घटनाएँ और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर, करने के निमित्त ही लाये जाते हैं। उनका स्थान बिलकुल गौण है। उदाहरणत मेरी ‘मुजान भगत,’ ‘मुक्तिमार्ग,’ ‘पञ्च परमेश्वर,’ ‘शतरज के खिलाड़ी’ और ‘महातीर्थ’ नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलने की चेष्टा की गयी है।

यह तो सभी मानते हैं कि आख्यायिका का प्रवान धर्म मनोरञ्जन है, पर साहित्यिक मनोरञ्जन वह है, जिससे हमारी कोमल और पवित्र भाव-नाश्रों को प्रोत्साहन मिले—हममें सत्य, नि स्वार्थ सेवा, न्याय आदि देवत्व के जो ग्रश हैं, वे जागृत हो। वास्तव में मानवीय आत्मा की यह वह चेष्टा है, जो उसके मन में अपने-आपको पूर्णरूप में देखने की होती है। अभिव्यक्ति मानव दृढ़य का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, उसमें मिलकर रहता है, जिन मनोभावों से वह अपने मेल के क्षेत्र का बढ़ा सकता है, अर्थात् जीवन के श्रनन्त प्रवाह में समिलित हा सकता है, वही सत्य है। जो वस्तुएँ भावनाओं के इस प्रवाह में बाधक होती हैं, वे सर्वथा अस्वाभाविक हैं, परन्तु यदि स्वार्थ, अहङ्कार और ईर्षा की ये बाधाएँ न हाती, तो हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहों से मिलती। शक्ति तो मधर्ष में है। हमारा मन इन बावाओं का परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म का प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी सधर्ष से साहित्य की उत्पत्ति होती है। यहां साहित्य की उपयागिता भी है। साहित्य में कहानी का स्थान इसलिए ऊँचा है कि वह एक क्षण में ही, बिना किसी बुमाव फिराव के, आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती है। आर चाहे थाङ्गी ही मात्रा में क्या न हो, वह हमारे परिचय का, दूसरों में अपने का देखने का, दूसरों के हर्ष या शाक को अपना बना लेने का क्षेत्र बढ़ा देती है।

हिन्दी में इस नवीन शैली की कहानियों का प्रचार अभी थोड़े ही दिनों से हुआ है, पर इन थोड़े ही दिनों में इसने साहित्य के अन्य सभी अङ्गों पर अपना सिक्का जमा लिया है। किसी पत्र को उठा लीजिए, उसमें कहानियों ही की प्रवानता होगी। हाँ जो पत्र किसी विशेष नीति या उद्देश्य से निपाले जाते हैं उनमें कहानियों का स्थान नहीं रहता। जब डाकिया कोई पत्रिका लाता है, तो हम सबसे पहले उसकी कहानियों पढ़ना शुरू करते हैं। उनसे हमारी वह जुधा तो नहीं मिटती, जो इच्छा-पूर्ण भोजन चाहती है पर फलों और मिठाइयों की जो जुधा हमें सदैव बनी रहती है, वह अवश्य कहानियों से तृप्त हो जाती है। हमारा खयाल है कि कहानियों ने अपने सार्वभौम आकर्पण के कारण, ससार के प्राणियों को एक दूसरे से जितना निकट कर दिया है, उनमें जो एकात्मभाव उत्पन्न कर दिया है, उतना और किसी चीज़ ने नहीं किया। हम आस्ट्रेलिया का गेहूँ खाकर, चीन की चाय पीकर, अमेरिका की मोठरा पर बैठकर भी उनको उत्पन्न करनेवाले प्राणियों से बिलकुल अपरिचित रहते हैं, लेकिन मोपासों, अनातोल फ्रान्स, चेखोव और टॉलस्टोय की कहानियों पढ़कर हमने फ्रान्स और रूस से आत्मिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों का लॉधता हुआ फ्रान्स और रूस तक विस्तृत हो गया है। हम वहाँ भी अपनी ही आत्मा का प्रकाश देखने लगते हैं। वहाँ के किसान और मजदूर एवं विद्यार्थी हमें ऐसे लगते हैं, मानो उनसे हमारा घनिष्ठ परिचय हो।

हिन्दी में बीस पचीस साल पहले कहानियों की कोई चर्चा न थी। कभी-कभी वैगला या अँगरेजी कहानियों के अनुवाद छप जाते थे। परन्तु आज कोई ऐसा पत्र नहीं, जिसमें दो चार कहानियों प्रतिमास न छपती हा। कहानियों के अच्छे-अच्छे संग्रह निकलते जा रहे हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए कि कहानियों का पढ़ना समय का दुरुपयोग समझा जाता था। बचपन में हम कभी कोई किस्सा पढ़ते पकड़ लिये जाते थे,

तो कड़ी डॉट पड़ती थी। यह खाल किया जाता था कि किसो से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। और उन 'किसाना अजायब' और 'शुक्रबहतरा' और 'ताता मैना' के दिनों में ऐसा खाल हाना स्वभाविक ही था। उन वक्त कहानियाँ रही स्कूल कैरिकुलम में रख दो जाती, तो शायद पिताआ का एक डेण्टुरेशन इसके विरोध में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष का सेवा में पहुँचता। आज छाटे बड़े सभा क्लासों में कहानियाँ बढ़ायी जाती हैं और परीक्षाओं में उन पर प्रश्न फिर्ये जाते हैं। यह मान लिया गया है कि सास्कृतिक विकास के लिए सरस साहित्य से उत्तम काइ साधन नहीं है। अब लाग यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि कहानी कोरी गप नहीं है, और उसे मिथ्या समझना भूल है। आज से दो हजार वरस पहले यूनान के विख्यात फिलासफर अफलातू ने कहा था कि हर एक काल्पनिक रचना में मौलिक सत्य मौजूद रहता है। रामायण, महाभारत आज भी उतने ही सत्य हैं, जितने आज से पौच हजार साल पहले थे, हालांकि इतिहास, विज्ञान और दर्शन में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। कितने ही सिद्धान्त, जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गये हैं, पर कथाएँ आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध मनोभावों से है और मनोभावों में कभी परिवर्तन नहीं होता। किसी ने बहुत ठीक कहा है, कि कहानों में नाम और सन् के सिवा और सब कुछ सत्य है, और इतिहास में नाम और सन् के सिवा कुछ भी सत्य नहीं। गल्पकार अपनी रचनाओं का जिस सौचे में चाहे ढाल सकता है, पर किसी दशा में भी वह उस महान् सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता, जो जीवन सत्य कहलाता है।

## उपन्यास

उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है, लेकिन यह कायदा है कि जो चीज जितनी ही सरल होती है, उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है। कविता की परिभाषा आज तक नहीं हो सकी। जितने विद्वान् हैं उतनी ही परिभाषाएँ हैं। किन्हीं दो विद्वानों की रायें नहीं मिलती। उपन्यास के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हों।

‘ मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।

किन्हीं भी दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलती, उसी भौति आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। जैसे सब आदमियों के हाथ, पौँछ, ओंखे, कान, नाक, मुँह होते हैं पर उतनी समानता पर भी जिस तरह उनमें विभिन्नता मौजूद रहती है, उसी भौति सब आदमियों के चरित्र में भी बहुत कुछ समानता होते हुए कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। यही चरित्र सम्बन्धी समानता और विभिन्नता, अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व, दिखाना उपन्यास का मुख्य कत्तव्य है।

सन्तान प्रेम मानव-चरित्र का एक व्यापक गुण है। ऐसा कौन प्राणी होगा, जिसे अपनी सन्तान प्यारी न हो ? लेकिन इस सन्तान प्रेम की मात्राएँ है, उसके भेद है। कोई तो सन्तान के लिए मर मिट्टा

है, उसके लिए कुछ छोड़ जाने के लिए आप नाना प्रकार के कष्ट सेलता है, लेकिन धर्म-भीरुता के कारण अनुचित रीति से धन सचय नहीं करता है। उसे शका होती है कि कही इसका परिणाम हमारी सन्तान के लिए बुरा न हो। कोई ऐसा होता है कि औचित्य का लेश मात्र भी विचार नहीं करता—जिस तरह भी हो कुछ धन-सचय कर जाना अपना ध्येय समझता है, चाहे इसके लिए उसे दूसरों का गला ही क्यों न काटना पड़े। वह सन्तान-प्रेम पर अपनी आत्मा को भी बलिदान कर देता है। एक तीसरा सन्तान प्रेम वह है, जहों सन्तान का चरित्र प्रधान कारण होता है, जब कि पिता सन्तान का कुचरित्र देखकर उससे उदासीन हो जाता है—उसके लिए कुछ छोड़ जाना व्यर्थ समझता है। अगर आप विचार करेगे तो इसी सन्तान-प्रेम के अगणित भेद आपको मिलेंगे। इसी भौति अन्य मानव-गुणों की भी मात्राएँ और भेद हैं। हमारा चरित्राध्ययन जितना ही सूक्ष्म, जितना ही विस्तृत होगा, उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर सकेंगे। सन्तान प्रेम की एक दशा यह भी है, जब पुत्र को कुमार्ग पर चलते देखकर पिता उसका धातुक शत्रु हो जाता है। वह भी सन्तान-प्रेम ही है, जब पिता के लिए पुत्र धी का लड्डू होता है जिसका टेढापन उसके स्वाद में बाधक नहीं होता। वह सन्तान-प्रेम भी देखने में आता है जहों शराबी, जुआरी पिता पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर ये सारी बुरी आदतें छोड़ देता है।

अब यहों प्रश्न होता है, उपन्यासकार को इन चरित्रों का अध्ययन करके उनको पाठक के सामने रख देना चाहिए, उसमें अपनी तरफ से काट छोट कमी वेशी कुछ न करनी चाहिये, या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवर्तन भी कर देना चाहिए? १

यही से उपन्यासों के दो गिराह हो गये हैं। एक आदर्शवादी, दूसरा यथार्थवादी।

यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम

बुरा होता है या कुचरित्रिता का परिणाम अच्छा—उसके चरित्र अपनी कमजौरियाँ या खूबियाँ दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। ससार में सदैव नेकी का फल नेक आर वदी का फल बद नहीं होता, वल्कि इसके विपरीत हुआ करता है, नेक आदमी धक्के खाते हैं, यातनाएँ सहते हैं, मुसीवतें खेलते हैं, अपमानित होते हैं, उनको नेकी का फल उलटा मिलता है, और बुरे आदमी चैन करते हैं, नामवर होते हैं, यशस्वी बनते हैं, उनको बदी का फल उलटा मिलता है। (प्रकृति का नियम विचित्र है!) यथार्थवादी अनुभव की बेड़ियों में जकड़ा होता है और चैकि ससार में बुरे चरित्रों की ही प्रधानता है—यहाँ तक कि उज्ज्वल से उज्ज्वल चरित्र में भी कुछ न कुछ दाग धब्बे रहते हैं, इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्वलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव-चरित्र पर से हमारा-विश्वास उठ जाता है, हमको अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है।

इसमें सन्देह नहीं कि समाज की कुप्रथा की ओर उसका ध्यान दिलाने के लिए यथार्थवाद अत्यन्त उपयुक्त है, क्योंकि इसके बिना बहुत सम्भव है, हम उस बुराई को दिखाने में अत्युक्ति से काम ले और चित्र को उससे कहीं काला दिखाये जितना वह वास्तव में है। लेकिन जब वह दुर्वलताओं का चित्रण करने में शिष्टता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्तिजनक हो जाता है। फिर मानव स्वभाव की विशेषता यह भी है कि वह जिस छल, छुट्रता और कपट से घिरा हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे ससार में उड़कर पहुँच जाना चाहता है, जहाँ उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से नजात मिले—वह भूल जाय कि मैं चिन्ताओं के बन्धन में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ उसे सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हो, जहाँ छल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राप्तान्य न हो। उसके दिल में ख्याल होता है कि जब हमे

किसे-कहानियों में भी उन्हीं लोगों से साबका है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है, तो फिर ऐसी पुस्तक पढ़े ही क्यों ?

अँधेरी गर्म कोठरी में काम करते-करते जब हम थक जाते हैं तब इच्छा हाती है कि किसी बाग में निकल-मर निर्मल स्वच्छ वायु का आनंद उठायें। इसी कमी को आदर्शवाद पूरा करता है। वह हमे ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है, जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से रहित होते हैं, जो साधु प्रकृति के होते हैं। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहार कुशल नहीं होते, उनकी सरलता उन्हे सासारिक विषयों में वाखा देती है, लेकिन कॉइएपन से ऊबे हुए प्राणियों को ऐसे सरल, ऐसे व्यावहारिक ज्ञान विहीन चरित्रों के दर्शन से एक विशेष आनन्द होता है।

यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खाल देता है, तो आदर्शवाद हमे उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है, वहाँ इस बात की भी शका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धातों की मूर्तिमात्र हो—जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है।

‘इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समक्षे जाते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया हा। उसे आप ‘आदशोन्मुख यथार्थवाद’ कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यहीं विशेषता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सुषिट्ठि है, जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के चरित्रों में यह गुण नहीं है, वह दो कौड़ी का है।

चरित्र को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह निदौष हो—महान् से महान् पुरुषों में भी कुछ न कुछ कमजोरियों होती है। चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन-

राकने से कोई हानि नहीं नेती। बल्कि यही कमज़ोरियों उम चरित्र को मनुष्य बना देतो है। निदोष चरित्र तो देवता हो जायगा और हम उसे समझ ही न सकेंगे। ऐसे चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारे प्राचीन माहित्य पर आदर्श की छाप लगी हुई है। वह केवल मनोरञ्जन के लिए न था। उसका मुख्य उद्देश्य मनोरञ्जन के साथ आत्मपरिष्कार भी था। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बदलाना नहीं है। यह तो भाटो और मदारियों, बिदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कही ऊँचा है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमसे सद्भावों का सचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। इस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जरूरत है कि उसके चरित्र Positive हो, जो प्रलोभनों के आगे सिर न झुकाये बल्कि उनको परास्त करे, जो वास्थनाओं के पजे में न फैसें बल्कि उनका दमन करे, जो किसी विजयी सेनापति की भौंति शत्रुओं का सहार करके विजय नाद करते हुए निकले। ऐसे ही चरित्रों का हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

साहित्य का सबसे ऊँचा आदर्श यह है कि उसकी रचना केवल कला की पूर्ति के लिए की जाय। ‘कला के लिए कला’ के सिद्धान्त पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलम्बित हो, ईर्षा और प्रेम, कोध और लोभ, भक्ति और विराग, दुःख और लज्जा—ये सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियों हैं, इन्हीं की छुटा दियाना माहित्य का परम उद्देश्य है और विना उद्देश्य के तो कोई रचना हो ही नहीं सकती।

जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है, तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है—इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन आज-कल परिस्थितियों इतनी तीव्र गति से बदल रही है, इतने नये नये विचार पैदा हो रहे हैं, कि कदाचित्

अब काई लेखक साहित्य के आदर्श को व्यान मे रख ही नहीं सकता। यह बहुत सुश्कल है कि लेखक पर इन परिस्थितियों का असर न पड़े, वह उनसे आनंदोलित न हो। यही कारण है कि आज-कल भारतवर्ष के ही नहीं, यूरोप के बड़े बड़े विद्वान् भी अपनी रचना द्वारा किसी 'वाद' का प्रचार कर रहे हैं। वे इसकी परवा नहीं करते कि इससे हमारी रचना जीवित रहेगी या नहीं, अनेमत की पुष्टि करना ही उनका ध्येय है, इसके सिवाय उन्हे कोई इच्छा नहीं। मगर यह क्योंकर मान लिया जाय कि जो उपन्यास किसी विचार के प्रचार के लिए लिखा जाता है, उसका महत्व क्षणिक होता है? विक्टर ह्यूगो का 'ले मिजरेबुल', टालस्टाय के अनेक-ग्रन्थ, डिकेन्स की कितनी ही रचनाएँ विचार प्रधान होते हुए उच्च कोटि की साहित्यिक कृतियों हैं और अब तक उनका आकर्षण कम नहीं हुआ। आज भी शो, वेल्स आदि बड़े बड़े लेखकों के ग्रन्थ प्रचार ही के उद्देश्य से लिखे जा रहे हैं।

(हमारा ख्याल है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार प्रधान रचना भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों वा सधर्प मनिभता रहे? 'कला के लिए कला' का समय वह होता है जब देश सम्पन्न और सुखी हो। जब हम देखते हैं कि हम भौति-भौति के राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों मे जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है दुख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखायी देते हैं, विपत्ति वा करुण क्रदन सुनायी देता है, तो कैसे सभव है कि किसी विचार शील प्राणी का हृदय न दहल उठे? हों, उपन्यासकार को इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि उसके विचार परोक्त रूप से व्यक्त हो, उपन्यास की स्वाभाविकता मे उस विचार के समावेश से कोई विद्यन न पड़ने पाये, अन्यथा उपन्यास नीरस हो जायगा।)

डिकेस इगलैड का बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हो चुका है। 'पिक-विक पेपर्स' उसकी एक अमर हास्य रस प्रधान रचना है। 'पिकविक' का नाम एक शिकरम गाड़ी के मुसाफिरों की जबान से डिकेस के कान मे

आया। वस, नाम के अनुरूप ही चरित्र, आकार, वेश—सबकी रचना हो गयी। ‘साइलस मार्नर’ भी अँगरेजी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जार्ज इलियट ने, जो इसकी लेखिका है, लिखा है कि अपने बचपन में उन्होंने एक फेरी लगानेवाले जुलाहे को पीठ पर कपड़े के थान लादे हुए फ़इ बार देखा था। वह तसवीर उनके हृदय पट पर अकित हो गयी थी और समय पर इस उपन्यास के रूप में प्रकट हुई। ‘स्टारलेट लेटर’ भी हँथर्न की बहुत ही सुन्दर, मर्मस्पर्शिनी रचना है। इस पुस्तक का बीजाकुर उन्हें एक पुराने मुकदमे की मिसिल से मिला। भारतवर्ष में अभी उपन्यासकारों के जीवन-चरित्र लिखे नहीं गये, इसलिए भारतीय उपन्यास-साहित्य से कोई उदाहरण देना कठिन है। ‘रङ्गभूमि’ का बीजा कुर हमें एक अधे भिखारी में मिला जो हमारे गाँव में रहता था। एक जरा सा इशारा, एक जरा सा बीज, लेखक के मस्तिष्क में पहुँचकर इतना विशाल बृक्ष बन जाता है कि लोग उस पर आश्चर्य करने लगते हैं। ‘एम० ऐड्रू ज हिम’ रडयार्ड किपलिंग को एक उत्कृष्ट काव्य रचना है। किपलिंग साहब ने अपने एक नोट में लिखा है कि एक दिन एक इड्डीनियर साहब ने रात को अपना जीवन-कथा सुनायी थी। वही उस काव्य का आधार थो। एक और प्रसिद्ध उपन्यासकार का कथन है कि उसे अपने उपन्यासों के चरित्र अपने पड़ासियों में मिले। वह घटकों अपनी चिड़िकी के सामने बैठे लोगों का आते जाते सूदम द्वितीय से देखा करते आर उनकी बातों को व्यान से सुना करते थे। ‘जेन आयर’ भी उपन्यास के प्रेमियों ने अवश्य पढ़ी होगी। दो लेसिकाओं में इस विषय पर बहस हा रही थी कि उपन्यास की नायिका रूपवती हानी चाहिये या नहीं। ‘जेन आयर’ की लेखिका ने कहा, ‘मैं ऐसा उपन्यास लिखूँगी जिसकी नायिका रूपवती न होते हुए भी आकृषक होगी।’ इसका फल यह ‘जेन आयर’।

बहुवा लेखकों को पुस्तकों से अपनी रचनाओं के लिए अकुर मिल जाते हैं। हाल केन का नाम पाठकों ने सुना है। आपकी एक उत्तम

रचना का हिन्दी अनुवाद हाल ही मे 'अमरपुरी' के नाम से हुआ है। आप लिखते हैं कि मुझे बाइबिल से प्लाट मिलते हैं। मेटरलिंग वेलजियम के जगद्विख्यात नाटककार है। उन्हे वेलाजयम का शेक्सपियर कहते हैं। उनका 'मोमावान' नामक ड्रामा ब्राउनिंग की एक कथिता से प्रेरित हुआ था और 'मेरी मैगडलीन' एक जर्मन ड्रामा से। शेक्सपियर के नाटकों का मूल स्थान खोज खोजकर कितने ही विद्वानों ने 'डाक्टर' की उपाधि प्राप्त कर ली है। कितने वर्तमान औपन्यासिको और नाटककारों ने शेक्सपियर से सहायता ली है, इसकी खोज करके भी कितने ही लोग 'डाक्टर' बन सकते हैं। 'तिलिस्म होशरुबा' फारसी का एक वृहत् पोथा है जिसके रचयिता अकुबर के दरबारवाले फैजी कहे जाते हैं, हालोंकि हमें यह मानने मे सन्देह है। इस पोथे का उद्दौ मे भी अनुवाद हो गया है। कम से कम २०,००० पृष्ठों की पुस्तक होगी। स्व० बाबू देवकीनन्दन खत्री ने 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता सतति' का बीजाकुर 'तिलिस्म होशरुबा' से ही लिया होगा, ऐसा अनुमान होता है।

सासार साहित्य मे कुछ ऐसी कथाएँ हैं, जिन पर हजारो बरसो से लेखकगण आख्यायिकाएँ लिखते आये हैं और शायद हजारो वर्षो तक लिखते जायेंगे। हमारी पौराणिक कथाओं पर न-जाने कितने नाटक और कितनी कथाएँ रची गयी हैं। यूरोप मे भी यूनान की पौराणिक गाथा कवि-कल्पना के लिए अशेष आधार है। 'दो भाइयों की कथा', जिसका पता पहले मिस्र देश के तीन हजार वर्ष पुराने लेखों से मिला था, फ्रान्स से भारतवर्ष तक की एक दर्जन से अधिक प्रसिद्ध भाषाओं के साहित्य मे समाविष्ट हो गयी है। यहाँ तक कि बाइबिल मे उस कथा की एक घटना ज्यों की त्यो मिलती है।

किन्तु यह समझना भूल होगी कि लेखकगण आलस्य या कल्पना-शक्ति के अभाव के कारण प्राचीन कथाओं का उपयोग करते हैं। बात यह है कि नये कथानक मे वह रस, वह आकर्षण नहीं होता जो पुराने कथानको मे पाया जाता है। हाँ, उनका कलेवर नवीन होना चाहिए।

‘शकुन्तला’ पर यदि कोई उभ्यास लिखा जाय, तो वह कितना मर्म-स्पशी होगा, यह प्रताने की जल्लत नहीं।

रचना-शक्ति थाई-बहुत सभी प्राणियों में रहती है। जो उसमें अभ्यस्त हा चुके हैं, उन्हें तो फिर भिन्नक नहीं रहती—कलम उठाया और लिखने लगे। लेकिन नये लेखकों को पहले कुछ लिखते समय ऐसी भिन्नक होता है मानो वे दरिया में कूदने जा रहे हो। बहुधा एक तुच्छ सी घटना उनके मस्तिष्क पर प्रेरक का काम कर जाती है। किसी का नाम सुनकर, काई स्वान देखकर, कोई चित्र देखकर, उनकी कल्पना जाग उठती है। किसी व्यक्ति पर किस प्रेरणा का सब से अधिक प्रभाव पड़ता है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर है। किसी की कल्पना दृश्य विषयों से उभरती है, फिसी की गन्ध से, किसी की श्रवण से। किसी का नये, सुरभ्य स्थान की सैर से इस विषय में यथेष्ट सहायता मिलती है। नदी के तट पर ओफेले भ्रमण फरने से बहुधा नयी नयी कल्पनाएँ जाग्रत होती हैं।

इंश्वरदत्त शक्ति मुख्य वस्तु है। जब तक यह शक्ति न होगी उप-देश, शिक्षा, अभ्यास सभी निष्फल जायगा। मगर यह प्रकट कैसे हो कि किसमे यह शक्ति है, किसमे नहीं? कभी इसका सबूत मिलने मे वरसो गुजर जाते हैं और बहुत परिश्रम नष्ट हो जाता है। अमेरिका के एक पत्र सपादक ने इसकी परीक्षा करने का नया ढग निकाला है। दल के दल युवकों मे से कोन रत्न है और कौन पाषाण? वह एक कागज के टुकड़े पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिख देता है और उम्मेदवार को वह टुकड़ा देकर उस नाम के सम्बन्ध मे तावड़तोड़ प्रश्न करना शुरू करता है—उसके बालों का रग क्या है? उसके कपड़े कैसे हैं? कहाँ रहती है? उसका बाप क्या काम करता है? जीवन मे उसकी मुख्य अभिलाषा क्या है? आदि। यदि युवक महोदय ने इन प्रश्नों के सताषजनक उत्तर न दिय, ता उन्हे अयोग्य समझकर बिदा कर देता है। जिसकी निरोक्षण शक्ति इतनो शिथिल हो, वह

उसके विचार में उपन्यास लेखक नहीं बन सकता। इस परीक्षा विभाग में नवीनता तो अवश्य है पर भ्रामकता की मात्रा भी कम नहीं है।

लेखकों के लिए एक नोटबुक का रहना आवश्यक है। यद्यपि इन पक्षियों के लेखक ने कभी नोटबुक नहीं रखी, पर इसकी ज़रूरत को बह स्वीकार करता है। काई नयी चीज़, काई अनोखी सूरत, काई सुरम्य दृश्य देखने नाट बुक में ठर्ज़ कर लेने से बड़ा काम निकलता है। यूरोप में लेखकों के पास उस वक्त तक नोटबुक अवश्य रहती है जब तक उनमा मस्तिष्क इस योग्य नहीं बनता कि हर प्रकार की चीज़ा को वे अलग अलग खानों में संग्रहीत कर ले। बरसों के अभ्यास के बाद यह योग्यता प्राप्त हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं, लेकिन आरम्भकाल में तो नोटबुक का रखना परमावश्यक है। यदि लेखक चाहता है कि उसके दृश्य सर्जिव हो, उसके वर्णन स्वाभाविक हो, तो उसे अनिवार्यत इससे काम लेना पड़ेगा। देखिये, एक उपन्यासकार की नोटबुक का नमूना—

‘अगस्त २१, १२ बजे दिन, एक नौका पर एक आदमी, श्याम वर्ण, सुरेन्द्र वाल, और्खे तिरछी, पलके भारी, आठ ऊपर का उठे हुए आर माटे, मूँछे ऐठी हुई।

‘सितम्बर १, समुद्र का दृश्य, बादल श्याम और श्वेत, पानी में सूर्य का प्रतिबिम्ब काला, हरा, चमकीला, लहरे फेनदार, उनका ऊरी भाग उजला। लहरों का शोर, लहरों के छीटे से भाग उड़ती हुई।’

उन्होंने महाशय से जब पूछा गया कि आपको कहानियों के प्लाट कहों मिलते हैं? तो आपने कहा, ‘चारों तरफ। अगर लेखक अपनी और खुली रखे, तो उसे हवा में से भी कहानियाँ मिल सकती हैं। रेलगाड़ी में, नौकाओं पर, समाचार पत्रों में, मनुष्य के बार्तालाप में और हजारों जगहों से सुन्दर कहानियाँ बनायी जा सकती हैं। कई सालों के अभ्यास के बाद देख-भाल स्वाभाविक हो जाती है, निगाह आप ही आप अपने मनलब की बात छोट लेती है। दो साल हुए, मैं एक मित्र के साथ

सैर फरने गया। वातो ही वातो में यह चर्चा छिड़ गयी कि यदि दो के सिवा ससार के और सब मनुष्य मार डाले जायें तो क्या हा? इस अकुर से मैंने कई सुन्दर कहानियाँ सोच निकालीं।

इस विषय में तो उपन्यास कला के सभी विशारद सहमत हैं कि उपन्यास के लिए पुस्तकों से मसाला न लेकर जीवन ही से लेना चाहिये। बालटर बेसेट अपनी 'उपन्यास कला' नामक पुस्तक में लिखते हैं —

'उपन्यासकार को अपनी सामग्री, आते पर रखो हुई पुस्तकों से नहीं, उन मनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिए जो उसे नित्य ही चारों तरफ मिलते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकाश लोग अपनी आँखों से काम नहीं लेते। कुछ लोगों को यह शका भी होती है कि मनुष्यों में जितने अच्छे नमूने थे, वे तो पूर्वकालीन लेखकों ने लिख डाले, अब हमारे लिए क्या वाकी रहा? यह सत्य है। लेकिन अगर पहले किसी ने बूढ़े, कजूस, उडाऊ युवक, बुआरी, शराबी, रगीन युवती आदि का चित्रण किया है, तो क्या अब उसी वर्ग के दूसरे चरित्र नहीं मिल सकते? पुस्तकों में नये चरित्र न मिले पर जीवन में नवीनता का अभाव कभी नहीं रहा।'

हेनरी जेम्स ने इस विषय में जो विचार प्रकट किये हैं, वह भी देखिये —

'अगर किसी लेखक की बुद्धि कल्पना कुशल है, तो वह सूक्ष्मतम्-भावों से जीवन को व्यक्त कर देती है, वह वायु के स्पन्दन को भी जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन कल्पना के लिए कुछ आधार अवश्य चाहिए। जिस तरणी लेखिका ने कभी सैनिक छावनियों नहीं देखीं, उससे यह कहने में कुछ भी अनौचित्य नहीं है कि आप सैनिक जीवन में हाथ न डाले। मैं एक ऑफ्रेज उपन्यासकार को जानता हूँ, जिसने अपनी एक कहानी में फ्रान्स के प्रोटेस्टेंट युवकों के जीवन का अच्छा चित्र खींचा था। उस पर साहित्यिक ससार में बड़ी चर्चा रही। उससे लोगों ने पूछा — आपको इस समाज के निरीक्षण करने का ऐसा अवसर कहों

मिला । ( फ्रान्स रोमन कैथालिक देश है और प्राटेस्टेंट वहाँ साधारणतः नहीं दिखायी पड़ते । ) मालूम हुआ कि उसने एक बार, केवल एक बार, कई प्रोटेस्टेंट युवकों को बैठे और बाते करते देखा था । बस, एक का देखना उसके लिए पारस हा गया । उसे वह आधार मिल गया जिसपर कल्पना अपना विशाल भवन निर्माण करती है । उसमे वह ईश्वरदत्त शक्ति मौजूद थी जो एक इच्छा से एक योजन की खबर लाती है और जो शिल्पी के लिए बड़े महत्व की बत्तु है ।'

मिस्टर जी० के० चेस्टररन जासूसी कहानियों लिखने मे बड़े प्रवीण है । आपने ऐसी कहानियों लिखने का जो नियम बताया है, वह बहुत शिक्षाप्रद है । हम उसका आशय लिखते है—

‘कहानी मे जो रहस्य हो उसे कई भागों मे बॉटना चाहिए । पहले छोटी-सी बात खुले, फिर उससे कुछ बड़ी और अन्त मे रहस्य खुल जाय । लेकिन हरएक भाग मे कुछ न कुछ रहस्योदयाटन अवश्य होना चाहिए जिसमे पाठक की इच्छा सब कुछ जानने के लिए बलवती होती चली जाय । इस प्रकार की कहानियो मे इस बात का व्यान रखना परमावश्यक है कि कहानी के अन्त मे रहस्य खालने के लिए कोई नया चरित्र न लाया जाय । जासूसी कहानियो मे यही सबसे बड़ा दोष है । रहस्य के खुलने मे तभी मजा है जबकि वह चरित्र अपराधी सिद्ध हो, जिस पर कोई भूलकर भी सन्देह न कर सकता था ।’

उपन्यास कला मे यह बात भी बड़े महत्व की है कि लेखक क्या लिखे आर क्या छाड़ दे । पाठक कल्पनाशील होता है, इसलिए वह ऐसा बाते पढ़ना पसन्द नहीं करता जिनकी वह आसानो से कल्पना कर सकता है । वह यह नहीं चाहता कि लेखक सब कुछ खुद कह डाले और पाठक की कल्पना के लिए कुछ भी बाकी न छोड़े । वह कहानी का खाका मात्र चाहता है, रग वह अपनी अभिश्चिंति के अनुसार भर लेता है । कुशल लेखक वही है जो यह अनुमान कर ले कि कौन सी बात पाठक स्वयं सोच लेगा और कौन-सी बात उसे लिखकर स्पष्ट कर देनी

चाहिए। कहानी या उत्तर्न्यास में पाठक की कल्पना के लिए जितनी अधिक समग्री हो उतनी ही वह रुहानी रोचक होगी। यदि लेखक आवश्यकता से कम वतलाता है तो रुहानी आशयहोन हो जाती है, ज्यादा वतलाता है तो कहानी में मजा नहीं आता। किसी चरित्र की रूप रेखा या किसी दृश्य का वित्रित करते समय हुलिया नवीसी करने की जरूरत नहीं। दो चार वच्चों में मुख्य मुख्य वाते कह देनी चाहिए। किसी दृश्य को तुरत देखकर उसका वर्णन फरने से बहुत सी अनावश्यक वातों के आ जाने की सम्भावना रहती है। कुछ दिनों के बाद अना वश्यक वातें आप ही आप मस्तिष्क से निकल जाती हैं, केवल मुख्य वाते स्मृति पर अङ्कित रह जाती हैं। तब उस दृश्य के वर्णन करने में अनावश्यक वाते न रहेगी। आवश्यक और अनावश्यक कथन का एक उदाहरण देकर हम अपना आशय आर स्पष्ट करना चाहते हैं—

दो मित्र सन्ध्या समय मिलते हैं। सुविधा के लिए हम उन्हें राम और ज्याम कहेंगे।

राम—गुड ईवनिंग श्याम, रुहो आनन्द तो है?

श्याम—हलो राम, तुम आज किवर भूल पडे?

राम—कहो क्या रङ्ग ढङ्ग है? तुम तो भले ईद के चॉद हो गये।

श्याम—मैं तो ईद का चॉद न था, हाँ, आप गूलर के फूल भले ही हो गये।

राम—चलते हो सगीतालय की तरफ?

श्याम—हाँ, चलो।

लेखक यदि ऐसे बच्चों के लिए कहानी नहीं लिख रहा है, जिन्हे अभिवादन की माटी मोटी वाते वताना ही उसका व्येय है, तो वह केवल इतना ही लिख देरा—

‘अभिवादन के पश्चात् दोनों मित्रों ने सगीतालय की राह ली।’

## उपन्यास का विषय

उपन्यास का केन्द्र, अपने विषय के लिहाज में, दूसरी ललित कलाओं से रुहीं ज्यादा विस्तृत है। बाल्टर बेसेट ने इस विषय पर इन शब्दों में विचार प्रकट किये हैं—

उपन्यास के विषय का विस्तार मानव चरित्र से किसी कदर कम नहीं है। उसका सम्बन्ध अपने चरित्रों के कर्म और विचार, उनका देवत्व और पशुत्व, उनके उत्कर्ष और अपकर्ष से है। मनाभाव के विभिन्न रूप और भिन्न भिन्न दशाओं में उनका विकास उपन्यास के मुख्य विषय है।<sup>1</sup>

इसी विषय विस्तार ने उपन्यास को ससार-साहित्य का प्रवान अग्र वना दिया है। अगर आपको इतिहास से प्रेम है, तो आप अपने उपन्यास में गहरे से गहरे ऐतिहासिक तत्वों का निरूपण कर सकते हैं। अगर आपका दर्शन से रुचि है, तो आप उपन्यास में महान् दर्शनिक तत्वों का विवेचन कर सकते हैं। अगर आप में कवित्व शक्ति है तो उपन्यास में उसके लिए भी काफी गुजाइश है। समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व आदि सभी विषयों के लिए उपन्यास में स्थान है। यहाँ लेखक का अपनी कलम का जोहर दिखाने का जितना अवसर मिल सकता है, उतना साहित्य के और किसी अग्र में नहीं मिल सकता। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि उपन्यासकार के लिए कोई बन्धन ही नहीं है। उपन्यास का विषय विस्तार ही उपन्यासकार को बेड़ियों में जकड़ देता है। तग सड़फो पर चलनेवालों के लिए अपने लक्ष्य पर पहुँचना उतना कठिन

नहीं है, जितना एक लम्बे चौड़े मार्गहीन मैदान में चलनेवालों के लिए।

उपन्यासकार का प्रधान गुण उसकी सृजन शक्ति है। अगर उसमें इसका अभाव है, तो वह अपने काम में कभी सफल नहीं हो सकता। उसमें और चाहे जितने अभाव हो पर कल्पना शक्ति की प्रख्वरता अनिवार्य है। अगर उसमें यह शक्ति मौजूद है तो वह ऐसे कितने ही दृश्यों, दशाओं और मनोभावों का चित्रण कर सकता है, जिनका उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अगर इस शक्ति की कमी है, तो चाहे उसने कितना ही देशगटन क्यों न किया हो, वह कितना ही विद्वान् क्यों न हो, उसके अनुभव का क्षेत्र कितना ही विस्तृत क्यों न हो, उसकी रचना में सरसता नहीं आ सकती। ऐसे कितने ही लेखक हैं जिनमें मानव-चरित्र के रहस्यों का बहुत मनोरजक, सूहम और प्रभाव डालनेवाली शैली में बयान करने की शक्ति मौजूद है लेकिन कल्पना की कमी के कारण वे अपने चरित्रों में जीवन का सञ्चार नहीं कर सकते, जाती जागती तसवीरें नहीं खीच सकते। उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें यह स्थाल नहीं होता कि हम कोई सच्ची घटना देख रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास की रचना-शैली सजीव और प्रभावों त्यादरु होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शब्दों का गोरखधन्धा रचकर पाठक को इस भ्रम में डाल दे कि इसमें जरूर कोई न कोई गूढ़ आशय है। जिस तरह किसी आदमी का ठाट-बाट देखकर हम उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में गलत राय कायम कर लिया करते हैं, उसी तरह उपन्यासों के शाब्दिक आडम्बर देखकर भी हम स्थाल ऊरने लगते हैं कि कोई महत्त्व की बात छिपी हुई है। सम्भव है, ऐसे लखक का थाङ्गी देर के लिए यश मिल जाय, किन्तु जनता उन्हीं उपन्यासों को आदर का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं, उनकी सरलता होती है।

उपन्यासकार को इसका अधिकार है कि वह अपनी कथा को घटना-

वैचित्र्य से रोचक बनाये, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक घटना असली ढाँचे से निकट सम्बन्ध रखती हो। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें इस तरह शुल मिल गई हो कि कथा का आवश्यक अग्र बन जाय, अन्यथा उपन्यास की दशा उस घर की-सी हो। जायगी जिसके हर एक हिस्से अलग-अलग हो। जब लेखक अपने मुख्य विषय से हटकर किसी दूसरे प्रश्न पर बहस करने लगता है, तो वह पाठक के उस आनन्द में बाबक हो जाता है जो उसे कथा में आ रहा था। उपन्यास में वही घटनाएँ, वही विचार लाना चाहिए जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ जाय, जो प्लाट के विकास में सहायक हो अथवा चरित्रों के गुप्त मनोभावों का प्रदर्शन करते हो। पुरानी कथाओं में लेखक का उद्देश्य घटना-वैचित्र्य दिखाना होता था, इसलिए वह एक कथा में कई उपकथाएँ मिलाकर अपना उद्देश्य पूरा करता था। सम्प्रतिकालीन उपन्यासों में लेखक का उद्देश्य मनोभावों और चरित्र के रहस्यों का खोलना होता है, अतएव यह आवश्यक है कि वह अपने चरित्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखे, उसके चरित्रों का कोई भाग उसकी निगाह से न बचने पाये। ऐसे उपन्यास में उपकथाओं की गुजाइश नहीं होती।

यह सच है कि सासार की प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय बन सकती है। प्रकृति का प्रत्येक रहस्य, मानव-जीवन का हर एक पहलू जब किसी सुयोग्य लेखक की कलम से निकलता है तो वह साहित्य का रत्न बन जाता है, लेकिन इसके साथ ही विषय का महत्त्व और उसकी गहराई भी उपन्यास के सफल होने में बहुत सहायक होती है। यह जरूरी नहीं कि हमारे चरित्रनायक ऊँची श्रेणी के ही मनुष्य हो। हर्ष और शोक, प्रेम और अनुराग, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य मात्र में व्यापक है। हमें केवल हृदय के उन तारों पर चोट लगानी चाहिए जिनकी भकार से पाठकों के हृदय पर भी वैसा ही प्रभाव हो। सफल उपन्यास कार का सबमें बड़ा लक्षण है कि वह अपने पाठकों के हृदय में उन्हीं भावों को जागरित कर दे जो उसके पात्रों में हो। पाठक भूल जाय कि

वह कोई उपन्यास पढ़ रहा है—उसके और पात्रों के बीच में आत्मीयता का भाग उत्पन्न हो जाय।

मनुष्य की सहानुभूति साधारण मिथिति में तब तक जागरित नहीं होती जब तक कि उसके लिए उस पर विशेष रूप से आवश्यक न किया जाय। हमारे हृदय के अन्तरिम भाव साधारण दशाओं में आनंदोलित नहीं होते। इसके लिए ऐसी घटनाओं की कल्पना करनी होती है जो हमारा दिल हिला दे, जो हमारे भावों की गहराई तक पहुँच जायें। अगर किसी अवलोकन को पराधीन दशा का अनुभव कराना हो तो इस घटना से ज्यादा प्रभाव डालनेवाली और कौन घटना हो सकता है कि शकुन्तला राजा दुष्यन्त के दरबार में आकर राझी होती है और राजा उसे न पहचान कर उसकी उपेक्षा करता है? खेद है कि आजकल के उपन्यासों में गहरे भावों को स्पर्श करने का बहुत कम मसाला रहता है। अधिकांश उपन्यास गहरे और प्रचंड भावों का प्रदर्शन नहीं करते। हम ग्राम्ये दिन की साधारण बातों ही में उलझकर रह जाते हैं।

इस विषय में अभी तक मतभेद है कि उपन्यास में मानवीय दृष्टिलाताओं और कुवासनाआ का, कमजोरियों और अपकीर्तियों का, विशद वर्णन बाल्यनाय है या नहीं, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो लेखक अपने को इन्हीं विषयों में वैध लेता है, वह कभी उस कलाविद की महानता को नहीं पा सकता जो जीवन संग्राम में एक मनुष्य की आनंदरिक दशा को, सत् और असत् के सघर्ष और अन्त में सत्य की विजय को मार्मिक ढग से दर्शाता है। यथार्थवाद का यह आशय नहीं है कि हम अपनी दृष्टि को अन्धकार की ओर ही केन्द्रित कर दें। अन्धकार में मनुष्य को अन्धकार के सवार और सूझ ही क्या सकता है? बेशक, चुटकियों लेना, यहों तक कि नश्तर लगाना भी कभी-कभी आवश्यक होता है। तो किन दैत्यिक व्यथा चाहे नश्तर से दूर हो जाय मानसिक व्यथा सहानुभूति और उदारता से ही शान्त हो सकती है। किसी का नीच समझकर हम उसे ऊँचा नहीं बना सकते बल्कि उसे

‘और नीचे गिरा देगे। कायर यह कहने से बहादुर न हो जायगा कि ‘तुम कायर हा।’ हमे यह दिखाना पड़ेगा कि उसमे साहस, बल और धैर्य— सब कुछ है, केवल उसे जगाने की जरूरत है। साहित्य का सम्बन्ध सत्य और सुन्दर से है, यह हमे न भूलना चाहिए।

मगर आजकल कुर्कम, हत्या, चोरी, डाके से भरे हुए उपन्यासों की जैसे बाढ़ सी आ गयी है। साहित्य के इतिहास मे ऐसा कोई समय न था जब एसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। जासूसी उपन्यासों म क्यों इतना आनन्द आता है? क्या इसका कारण यह है कि पहले से अब लाग ज्यादा पारासक्त हो गये हैं? जिस समय लोगों को यह दावा है कि मानव समाज नैतिक और वौद्धिक उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ है, यह कौन स्वीकार करेगा कि हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है? शायद, इसका यह कारण हो कि इस व्यावसायिक शान्ति के युग मे ऐसी घटनाओं का अभाव हो गया है जो मनुष्य के कुतूहल-प्रेम को सन्तुष्ट कर सके—जो उसमे सनसनी पैदा कर दे। या इसका यह कारण हा सकता है कि मनुष्य की धन लिंगा उपन्यास के चरित्रों को धन के लोभ से कुर्कम करते देख कर प्रसन्न होती है। ऐसे उपन्यासों मे यहीं तो हाता है कि काई आदमी लोभ-वश किसी धनाढ़िय पुरुष की हत्या कर डालता है, या उसे किसी सकट मे फँसाकर उससे मनमानी रकम ऐठ लेता है। किर जासूस आते है, बकील आते है और मुजरिम गिरफ्तार होता है, उसे सजा मिलती है। ऐसी रुचि को प्रेम, अनुराग या उत्सर्ग की कथाओं मे आनन्द नहीं आ सकता। भारत मे वह व्यावसायिक वृद्धि तो नहीं हुई लेकिन ऐसे उपन्यासों की भरमार शुरू हो गयी। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ऐसे उपन्यासों की खपत इस देश मे भी अधिक होती है। इस कुरुचि का परिणाम इसी उपन्यास लेखक मैक्सिम गोर्की के शब्दों मे ऐसे बातावरण का पैदा होना है, जो कुर्कम की प्रवृत्ति को दढ़ करता है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य मे

पशु वृत्तियों इतनी प्रवल होती जा रही हैं कि अब उसके हृदय में कोमल भावों के लिए स्थान ही नहीं रहा ।

उपन्यास के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहरा और विकासपूर्ण होगा उतना ही पढ़नेवालों पर उसका असर पड़ेगा, और यह लेखक की रचना शक्ति पर निर्भर है। जिस तरह किसी मनुष्य को देखते ही हम उसके मनोभावों से परिचित नहीं हो जाते, ज्यो-ज्यों हमारी व्यनिष्ठता उसमें बढ़ती है, त्योंत्या उसके मनोरहस्य खुलते हैं, उसी तरह उपन्यास के चरित्र भी लेखक की कल्पना में पूर्ण रूप से नहीं आ जाते बल्कि उनमें कमशा विकास होता जाता है। यह विकास इतने गुप्त, अस्पष्ट रूप से होता है कि पढ़नेवाले को किसी तबदीली का ज्ञान भी नहीं होता। अगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाय तो उसे उपन्यास से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय है। अगर उसमें विकास दोष है, तो वह उपन्यास कमज़ोर हो जायगा। कोई चरित्र अन्त में भी वैसा ही रहे जैसा वह पहले था—उसके बल-बुद्धि और भावों का विकास न हो, तो वह असफल चरित्र है।

इस दृष्टि से जब हम हिन्दी के वर्तमान उपन्यासों को देखते हैं तो निराशा होती है। ग्रंथिकाश चरित्र ऐसे ही मिलेगे जो काम तो बहुतेरे करते हैं, लेकिन जैसे जो काम वे आदि में करते, उसी तरह वही अन्त में भी करते हैं।

कोई उपन्यास शुरू करने के लिए यदि हम उन चरित्रों का एक मानसिक चित्र बना लिया करें तो फिर उनका विकास दिखाने में हमें सरलता होगी। यह कहने की भी जरूरत नहीं है, विकास परिस्थिति के अनुमार स्वाभाविक हो, अर्थात्—पाठक और लेखक दोनों इस विषय में सहमत हों। अगर पाठक का यह भाव हो कि इस दशा में ऐसा नहीं होना चाहिए था तो इसका यह आशय हो सकता है कि लेखक अपने चरित्र के अङ्गित करने में असफल रहा। चरित्रों में कुछ न कुछ विशेषता भी रहनी चाहिए। जिस तरह ससार में कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते,

उसी भौति उपन्यास मे भी न होना चाहिए। कुछ लोग तो बातचीत या शक्ति सूत से विशेषता उत्तम रुर देते हैं, लेकिन असनी अन्तर तो वह है, जो चरित्रो मे हो ।

उपन्यास मे वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही कम लेखा जाय, उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा। वार्तालाप के बीच रस्मी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वास्तव को—जो किमी चरित्र के मुँह से निकले—उसके मनोभावो और चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियो के अनुकूल, सरल और सूदृढ़ होना जरूरी है। हमारे उपन्यासो मे अक्सर बातचीत भी उसी शैली मे करायी जाती है मानो लेखक खुद लिख रहा है। शिक्षित-समाज की भाषा तो सर्वत्र एक है, हाँ, भिन्न भिन्न जातियो की जबान पर उसका रूप कुछ न कुछ बदल जाता है। बगाली, मारवाड़ी और ऐलो इण्डियन भी रुमी-कभी बहुत शुद्ध हिन्दी बोलते पाये जाते हैं। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। पर ग्रामीण बातचीत हमे दुविधा मे डाल देती है। विहार की ग्रामीण भाषा शायद दिल्ली के आस पास का आदमी समझ ही न सकेगा।

‘वास्तव मे कोई रचना रचनीता के मनोभाव का, उसके चरित्र का, उसके जीवनादर्श का, उसके दर्शन का आईना होती है। जिसके हृदय मे देश की लगन है उसके चरित्र, घटनावली और परिस्थितियो सभी उसी रंग मे रंगी हुई नजर आयेगी। लहरी आनन्दी लेखको के चरित्रो मे भी अधिकाश चरित्र ऐसे ही होगे जिन्हे जगत् गति नहीं व्यापतो। वे जासूसी, तिलिस्मी चीजे लिखा करते हैं। अगर लेखक आशावादी है तो उसकी रचना मे आशावादिता छलकती रहेगी, अगर वह शोकवादी है तो वहुत प्रयत्न करने पर भी, वह अपने चरित्रो को जिनदादिल न बना सकेगा। ‘आजाद-कथा’ को उठा लीजिये, तुरन्त मालूम हो जायगा कि लेखक हँसने हँसानेवाला जीव है जो जीवन को गम्भीर विचार के

योग्य नहीं समझता। जहाँ उसने समाज के प्रश्नों को उठाया है, वहाँ शैली शिथिल हो गयी है।

जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अन्दर उत्कर्प का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है। जिसके भाव गहरे हैं, प्रखर हैं—जो जीवन में लद्दू बनकर नहीं, बल्कि सबार बनकर चलता है, जो उद्योग करता है और विफल होता है, उठने की कोशिश करता है और गिरता है, जो वास्तविक जीवन की गहराइयों में डूबा है, जिसने जिन्दगी के ऊँच नीच देखे हैं, सम्पत्ति और विपत्ति का सामना किया है, जिसकी जिन्दगी मखमली गद्दों पर ही नहीं गुजरती, वही लेखक ऐसे उपन्यास रच सकता है जिनमें प्रकाश, जीवन और आनन्द प्रदान की सामर्थ्य होगी।

उपन्यास के पाठक की रुचि भी अब बदलती जा रही है। अब उन्हे केवल लेखक की कल्पनाओं से सन्ताष्ट नहीं होता। कल्पना कुछ भी हो, कल्पना ही है। वह यथार्थ का स्थान नहीं ले सकती। भविष्य उन्हीं उपन्यासों का है, जो अनुभूति पर खड़े हों।

इसका आशय यह है कि भविष्य में उपन्यास में कल्पना कम, सत्य अधिक होगा। हमारे चरित्र कल्पित न होंगे, बल्कि व्यक्तियों के जीवन पर आवारित होंगे। किसी हद तक तो अब भी ऐसा होता है, पर वहुधा हम परिस्थितियों का ऐसा क्रम बोधते हैं कि अन्त स्वाभाविक होने पर भी वह होता है जो हम चाहने हैं। हम स्वाभाविकता का स्वर्ग जितनी खूबसूरती से भर सकें, उतने ही सफल होते हैं, लेकिन भविष्य में पाठक इस स्वर्ग से सन्तुष्ट न होगा।

यो कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसकी छुटाई बड़ाई का कैसला उन कठिनाइयों से फिरा जायगा कि जिन पर उसने विजय पायी है। हाँ, वह चरित्र इस ढग से लिखा जायगा कि उपन्यास मालूम हो।

अभी हम भूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, भविष्य में सच को भूठ बनाकर दिखाना होगा । किसी किसान का चरित्र हो, या किसी देश-भक्त का, या किसी बड़े आदमी का, पर उसका आधार यथार्थ पर होगा । तब यह काम उससे कठिन होगा जितना अब है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिन्हें बहुत से मनुष्यों को भीतर से जानने का गौरव प्राप्त हो ।

---

## साहित्य में बुद्धिवाद

साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषिद्धि में श्री लद्मीनारायण मिश्र ने इस विषय पर एक सारगर्भित भाषण दिया, जिसमें विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है। उसमें अधिकांश जो कुछ कहा गया है, उससे तो किसी को इनकार न होगा। जब हमें कदम कदम पर बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और बुद्धि को ताक पर रखकर हम एक फ़दम भी आगे नहीं रख सकते, तो साहित्य क्योंकर इसकी उपेक्षा कर सकता है। लेकिन जीवन के हरेक व्यापार को अगर बुद्धिवाद की ऐनक लगाकर ही देखें, तो शायद जीवन दूभर हो जाय। भावुकता को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बुद्धि की नितान्त आवश्यकता है, नहीं तो आदमी सकटों में पड़ जाय, इसी तरह बुद्धि पर भी मनोभावों का नियन्त्रण रहना जरूरी है, नहीं तो आदमी जानकर हो जाय, बल्कि राक्षस हो जाय। बुद्धिवाद हरेक चीज को उपयोगिता की कसौटी पर कसता है। बहुत ठीक। अगर साहित्य का जीवन में कोई उपयोग न हो तो वह व्यर्थ की चीज है। वह उपयोग इसके सिवा क्या हो सकता है, कि वह जीवन को ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल बनाए, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद दे। या जैनेन्द्र जी के शब्दों में प्रकृति और जीवन में सामन्जस्य उत्पन्न करे। कोरी भावुकता यह सामन्जस्य नहीं पैदा कर सकती, तो शायद कोरा बुद्धिवाद भी नहीं कर सकता। दानों का समन्वय होने से ही वह एकता पैदा हो सकती है। सच पूछिएं, तो कला और साहित्य बुद्धिवाद के लिए उपयुक्त ही नहीं। साहित्य तो भावुकता की वस्तु है, बुद्धिवाद की यहाँ

इतनी ही जरूरत है कि भावुकता बेलगाम होकर दौड़ने न पाये। वैराग्यवाद और दुखवाद और निराशावाद, ये सब जीवन-बल को कम करने वाली चीजें हैं और साहित्य पर इनका आधिपत्य हो जाना जीवन को दुर्बल कर देगा। लेकिन उसी तरह बुद्धिवाद और तर्कवाद और उपयोगितावाद भी जीवन को दुर्बल कर देगा, अगर उसे बेलगाम दौड़ने दिया गया। विजली की हमें इतनी ही जरूरत है कि मशीन चलती रहे, अगर करेट ज्यादा तेज हो गया तो धातक हो जायेगा। दाल में धी जरूरी चीज है। एक चम्मच और पड़ जाय तो और भी अच्छा लेकिन धी पीकर तो हम नहीं रह सकते। मथुरा में कुछ ऐसे जन्तु पाये जाते हैं जो धी के लोदे खा जाते हैं, लेकिन उसमें भी वे खूब शक्कर मिला लेते हैं वरना उनकी भस्मक जठराग्नि भी जबाब दे जाय। बुद्धिवाद का आचार्य वर्णार्द शा भी तो अपने नाटकों में हास्य और व्यग्य और चुटकियों की चाशानी मिलाता है। वह जबान से चाहे कितना ही बुद्धिवाद की हारु लगाये, मगर भावुकता उसके पोर पोर में भरी हुई है। वर्ना वह क्यों रोल्स राइस कार पर सवार होता ? क्या मामूली बेबी आस्टिन से उसका काम नहीं चल सकता था ? उसके बुद्धिवाद पर मिसेज शा की भावुकता का नियन्त्रण न होता तो शायद आज वह पागलखाने की हवा खाता होता। मनुष्य में न केवल बुद्धि है, न केवल भावुकता। वह इन दोनों का सम्मिश्रण है, इसलिए आपके साहित्य में भी इन दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। बुद्धिवाद तो कहेगा कि रस एक व्यर्य की चीज है। प्रैम और वियोग, क्रोध और मोह, दया और शील यह सब उसकी नजर में हैं। वह तो केवल न्याय और विचार को ही जीवन का सर्वस्व समझता है। उसका मन्त्र लेकर हमारी मानवता इतनी क्षीण हो जायेगी कि हवा से उड़ जाय। एक उदाहरण लीजिए।

एक मुसाफिर को डाकूओं ने धेर लिया है। अगर ससार में समष्टिवाद का राज हो गया है, तो निश्चय रूप से डाकू न होगे।

तो एक दूसरा उदाहरण लीजिए। एक स्त्री को कुछ लम्पटो ने घेर लिया है—समुष्टिग्राद भी लम्पटा! का अन्त नहीं कर सकता—उसी वक्त एक सुपाफिर उपर से आ निकलता है। भावुकता कहती है—भगा दो इन बदमाशों का ग्राह इस देवी का उद्धार करो। बुद्धिवाद रहेगा, मैं ग्रेनेला इन पॉच आदमियों का क्या सामना करूँगा। व्यर्थ में मेरी जान भी जायेगी। लम्पट लाग स्त्री की हत्या न करेगे लेकिन मेरा तो खून ही पी जायेग। यहाँ भावुकता ही मानवता है। बुद्धिवाद कायरता है, दुर्वलता है। प्रेम के आडम्परों को निकाल दीजिए, तो वह केवल सन्तानोत्पत्ति की इच्छा है। मगर शायद वावा आदम ने भी बीबी हौवा से सीधे सीधे यह न कहा हागा—मैं तुमसे सन्तानोत्पत्ति करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ। उन्हे भी कुछ न कुछ नाजवरदारी करनी पड़ी हागी। अगर ब्रन्धनापा वाला का रति वर्णन घृणास्पद है, तो बुद्धिवाद का यह लक्कड़तोड़ अनुरोध भी नगी वर्वरता है। फिर उस बुद्धिवाद को लिखकर ही क्या कीजिए जब कोई उसे पढ़े ही नहीं। अभी किसी बुद्धिवादी साहित्यिक डिक्टेटर का राज तो है नहीं, कि वह छायावाद को दफा १२४ के अन्दर ले ले। आप जनता तक नभी पहुँच सकते हैं, जब आप उनके मनोभावों को स्पर्श कर सके। आपके नाटक या रुदानी में अगर भावुकता के लिए रस नहीं है, केवल मस्तिष्क के लिए सूखा बुद्धिवाद है, तो नाटककार ग्रोर नटों के सिवा हँसा मे कोई दर्शक न होगा। हँसना और रोना भी तो भावुकता ही है। बुद्धि क्यों रोए? रोने से मुर्दा जी न उठेगा। और हसे भी क्यों? जो चीज हाथ आ गई है वह हँसने से ज्यादा फ़ीमती न हा जायगो। ऐसा सूखा माहित्य अगर अमृत भी हो तो पड़ा पड़ा भाप बनकर उड़ जायेगा। साहित्य में जीपन बल देने की क्षमता होनी चाहिये। यहाँ तक तो हम आपके साथ है, लेकिन बुद्धिवाद ही यह जीवन बल दे सकता है, मनोभाव द्वारा यह शक्ति मिल ही नहीं सकती, यह हम नहीं मानते। आदर्श साहित्य वही है जिसमें बुद्धि और मनोभाव दोनों का कलात्मक

सम्मिश्रण हो। बुद्धि के लिए दर्शन है, शास्त्र है, विज्ञान है, और अनन्त ज्ञान क्षेत्र है। क्या वह साहित्य और कला में भी मनोभावों-मनोवेगों को नहीं रहने देना चाहता ? ।

---

## जड़वाद और आत्मवाद

विद्वानों की दुनिया में आजकल आस्तिक और नास्तिक का पुराना भगड़ा फिर उठ खड़ा हुआ है। यह भगड़ा कभी शान्ति होने वाला तो है नहीं, हों, उसके रूप बदलते रहते हैं। आज के पचास साल पहले, जब विज्ञान ने इतनी उन्नति न की थी, और ससार में विजली और भाप और भाति भाति के यन्त्रों की सृष्टि होने लगी, तो स्वभावत-मनुष्य को अपने बल और बुद्धि पर गर्व होने लगा, और अनन्त से जो अनीश्वरवाद या जड़वाद चला आ रहा है, उसे बहुत कुछ पुष्टि मिली। विद्वानों ने हमेशा ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह किया है। जब प्रकृति का कोई रहस्य उनकी छोटी सी अकल के सुलभाये नहीं सुलभता तो उन्हें ईश्वर की याद आती और ज्यो ही विज्ञान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उस रहस्य को सुलभा दिया, तो विद्वानों का अभिमानी मन तुरन्त ईश्वर से बगावत कर बैठता है, या उनकी वह पुरानी बगावत फिर ताजी हो जाती है। जब भाप और विजली जैसी चीजें आदमी ने बना डालीं, तो वह यह क्यों न समझ ले कि यह छोटी सी पृथक्षी और सूर्य आदि भी इतने महान् विषय नहीं है, जिनके लिए ईश्वर की जरूरत माननी पड़े। जड़वाद ने तुरन्त दिमाग लड़ाया और सृष्टि की समस्य हल कर डाली। परमाणुवाद का झड़ा लहराने लगा। प्राय सभी विद्वानों ने उस झड़े के सामने सिर झुका दिया।

लेकिन इधर विज्ञान ने जो अकल को चौधिया देने वाली उन्नति की है, और मनुष्य को मालूम हुआ है कि यह नए ईश्वर के करिश्मे

सृष्टि की महानता के सामने कोई चीज़ नहीं है, और इस गहराई में जितना ही उतरते हैं, उतनी ही उसकी अनन्तता और विशालता भी गहरी हो जाती है। तब से विद्वानों का अभिमान कुछ ठड़ा पड़ने लगा है। उन्हे स्पष्ट नजर आने लगा है कि जड़वाद से सृष्टि की सारी गुणियों नहीं सुलझतीं, बल्कि जितनी सुलझाना चाहो, उतनी ही और उतनी जाती है। तो कम से कम कुछ दिनों के लिए तो जड़वाद का झड़ा नीचा हा ही गया। जब आइस्टीन से कोई बड़ा विद्वान् आकर आइस्टीन के सिद्धान्त को मिथ्या मिद्द कर देगा, तो सम्भव है, जड़वाद किर ताल ठोकने लगे। और यह भगड़ा हमेशा चलता रहेगा। जिन्हे इन भगड़ों में पड़े रहने से सारी दैहिक और परिवारिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मशागला है। हमारे लिए ईश्वर का अस्तित्व मनवाने को अकेली यह पृथ्वी काफी थी। आजकल का खगोल जब तीन करोड़ ऐसे ही विशाल सौर परिवारों का पता लगा चुका और बीस लाख सूर्य तो दूरबीनों से नजर आने लगे हैं और यह अनन्त पहले से कई लाख या करोड़ गुना अनन्त हो गया है, और एलेक्ट्रान और तरहं तरह की अद्भुत किरणें हमारे सामने आ गई हैं, तो हमारी अक्स का घनचक्कर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है। जो लोग इस पुरानी सृष्टि को समीप समझकर ईश्वर को जरा अपने से बड़ा मस्तिष्क समझ रहे थे, उनके लिए नये नये पिंड समूहों का निकलना और नये नये रहस्यों का प्रगट होना जरूर खतरे की बात है, और दस पाच साल तक उन्हे खामोशी से महान् आत्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए।

हमारे जैसे साधारण कोटि के मनुष्यों के लिए तो ईश्वर का अस्तित्व कभी विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। विवाद का विषय केवल यह है कि वह दुनियाबी मामलों में कुछ दिलचस्पी लेता है या नहीं। एक दल तो कहता है, और इस दल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कि बिना उसकी मर्जी के पत्ती भी नहीं हिलती और वह सुख-दुख, जीवन मरण, स्वर्ग नरक की व्यवस्था करता रहता है, और एक अनुत्तर-

दावी राजा की भोंति ससार पर शासन करता है। क्या मजाल कि कोई किसी भाद्र को या जीव को काट देकर बच जाय। उसे दड़ मिलेगा और अवश्य मिलेगा। इस जन्म में न मिला न सही, अगले जन्म में वाई पाई चुका ली जायगी। दूसरा दल कहता है कि नहीं, ईश्वर ने खंसार को बनाकर उसे पूर्ण स्वराज्य दे दिया है। डोमिनियन स्टेट्स का वह कायल नहीं। उसने तो पूर्ण से भी कहीं पूर्ण स्वराज्य दे दिया है। मनुष्य जो चाहे करे, उसे मतलब नहीं। उसने जो नियम बना दिया है, उनकी पकड़ में आ जायगा तो तत्काल मजा चखना पडेगा और कायदे के अन्दर चले जाओ, तो उसकी फौज और उसके मन्त्री और कर्मचारी सौंस भी न लेंगे। एक दल दूसरे दल पर अमानुषिक अत्याचार करे, ईश्वर से कोई मतलब नहीं। उसने कानून बना दिया है कि जो शक्ति संग्रह करेगा वह बलवान होगा और बलवान हमेशा निर्वलो पर शासन करता है। शक्ति कैसे संग्रह की जाती है, इसके साधन मनुष्य ने अनुभव में प्राप्त किये हैं, कुछ शास्त्र और विज्ञान से सीखा है। जो बुरुषार्थी और कर्मस्य हैं, उनकी विजय है, और जो दुर्बल है, उनकी हार है। ईश्वर को इसमें कोई दखल नहीं। मनुष्य लाख प्रार्थना करे, लाख स्तुति गाये, लाख जप तप करे, कोई फायदा नहीं। यहाँ एक राष्ट्र और एक समाज दूसरे राष्ट्र या समाज को पीसकर पी जाय, ईश्वर भी बला से। और यह नृसिंह और प्रभु 'अब काहे नाही सुनत हमारी देर' वाली वार्ते केवल अपनी नपुसकता की दलीलो है। हमने तो मोटी सी वात समझ ली है कि ईश्वर रोम-रोम में, अणु अणु में व्याप्त है। मगर उसी तरह जैसे हमारी देह में प्राण है। उसका काम केवल शक्ति और जीवन दे देना है। उस शक्ति से हम जो काम चाहे, लें, यह हमारी इच्छा पर है। यह मनुष्य की हिमाकत या अभिमान है कि वह अपने को अन्य जीवों से ऊँचा समझता है। वृक्ष और खटमल भी जीव हैं। वृक्ष को हम लगाते हैं, लग जाता है, काटते हैं, कट जाता है। खटमल हमें काटता है, हम उसे मारते हैं, हमें न काटे, तो

हमें उससे कोई मतलब नहीं, अपने पड़ा रहे। ईश्वर को जिस तरह पौधा और खटमलों के मरने जीने से कोई मतलब नहीं, उसी तरह मनुष्य रूपी कीटों से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं। आपस में कठो-मरो, समष्टि की उपासना करो चाहे व्यष्टि को, गऊ की पूजा करो या गऊ की हत्या करो, ईश्वर को इससे कोई प्रयोजन नहीं। मनुष्य की भलाई या बुराई की परख उसकी सामाजिक या असामाजिक कृतयों में है। जिस काम से मनुष्य समाज को क्षति पहुँचती है, वह पाप है। जिससे उसका उपकार होता है, वह पुण्य है। सामाजिक उपकार या अपकार से परे हमारे किसी कार्य का कई महत्व नहीं है और मानव जीवन का इतिहास आदि से इसी सामाजिक उपकार की मर्यादा बोधता चला आया है। भिन्न भिन्न समाजों और श्रेणियों में यह मर्यादा भी भिन्न है। एक समाज पराई चीज की तरफ और उठाना भी बुरा समझता है, दूसरा समाज कोई चीज दाम देकर खरीदना पाप ल्याल करता है। एक समाज खटमल के पीछे मनुष्य को कत्ल करने पर तैयार है, दूसरा समाज पशुओं के शिफार को मनारजन की बस्तु समझता है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे और आज भी ससार के बाजे हिस्से में धर्म केवल गुटबन्दी भा नाम है जिससे मनुष्यों का एक समूह लोक और परलोक की सारी अच्छी चीजें अपने ही लिए रिजर्व कर लेता है और किसी दूसरे समूह का उसमें उस वक्त तक दिस्ता नहीं देता जब तक वह अपना दल छाड़कर उसके दल में न आ मिले। धर्म के पीछे क्या क्या ग्रत्याचार हुए हैं, कौन नहीं जानता। आजकल धर्म का वह महत्त्व नहीं है। वह पद अब व्यापार को मिल गया है। और इस ब्यापार के लिए आज राष्ट्रों और जातियां में कैसा संघर्ष हो रहा है, वह हम देख ही रहे हैं। ईश्वर को इन सारे टटों से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई राम को बीसों कला का अवतार माने या गान्धी को, ईश्वर को परवाह नहीं। उपासना और भिन्न यह सब अपनी मनोवृत्तियों की चीजें हैं, ईश्वर को हमारी भक्ति और उपासना से कोई मतलब नहीं। हम ब्रत

रखते हैं तो इससे हमारी पाचन शक्ति ठीक हो सकती है, और हम समाज के लिए ज्वादा उपयोगी हो सकते हैं, इस अर्थ में तो जरूर ब्रत पुण्य है, लेकिन भगवान् जी उससे प्रसन्न होकर, या लाख बार राम राम की रट लगाने से, हमारा सफल हर लेगे, यह विल्कुल गलत बात है। हम सासार की एक प्रधान जाति है, लेकिन अकर्मण्य और इसलिए पराधीन। अगर ईश्वर अपने भक्तों की हिमायत करता, तो आज मनिदरो, देवालयों और मस्जिदों की यह तपोभूमि क्यों इस दशा में होती ?

लेकिन नहीं, हम शायद भूल कर रहे हैं। भगवान् अपने भक्तों को दुखी देखकर ही प्रसन्न होता है क्योंकि उसका स्वार्थ हमारे दुखी रहने में है। सुखी होकर कौन भगवान् की याद करता है...दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय।

---

## संग्राम में साहित्य

घोर सकट मे पड़ने पर ही आदमी की ऊँची से ऊँची, कठोर से कठोर और पवित्र से पवित्र मनोवृत्तियों का विकास होता है। साधारण दशा मे मनुष्य का जीवन भी साधारण होता है। वह भोजन करता है, सोता है, हँसता है, बिनोद का आनन्द उठाता है। असाधारण दशा मे उसका जीवन भी असाधारण हो जाता है और परिस्थितियों पर विजय पाने, या विरोधी कारणों से अपनी आत्म-रक्षा करने के लिये उसे अपने छिपे हुए मनोउत्क्रांतों को बाहर निकालना पड़ता है। आत्म-त्याग और चलिदान के, धैर्य और साहस के, उदारता और विशालता के जौहर उसी वक्त खुलते हैं, जब हम बाधाओं से घिर जाते हैं। जब देश मे कोई विष्वलय या संग्राम होता है, तो जहाँ वह चारों तरफ हाहाकार मचा देता है, वहाँ हममे देव दुर्लभ गुणों का सस्कार भी कर देता है। और साहित्य क्या है? हमारी अन्तर्तम मनोवृत्तियों के विकास का इतिहास। इसलिये यह कहना अनुचित नहीं है, कि साहित्य का विकास संग्राम ही मे होता है। ससार साहित्य के उज्ज्वल से उज्ज्वल रखो को ले लो, उनको सुष्ठि या तो किसी संग्रामकाल मे हुई है, या किसी संग्राम से सम्बन्ध रखती है।

रूम और जापान के युद्ध मे आत्म-चलिदान के जैसे उदाहरण मिलते हैं, वह और कहों मिलेगे? यूरोपियन युद्ध मे भी साधारण मनुष्यों ने ऐसे ऐसे विलक्षण काम कर दिखाए, जिन पर हम आज दौतो उँगली दबाते हैं। हमारा स्वाधीनता-संग्राम भी ऐसे उदाहरणों से खाली नहीं

है। यत्थि हमारे समाचार पत्रों की जगताने बन्द हैं और देश में जो कुछ हो रहा है हमें उसकी खबर नहीं होने पाती, फिर भी कभी-कभी ल्याग और सेवा, शौर्य और विनय के ऐसे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिन पर हम चकित हो जाते हैं। ऐसी ही दो एक घटनाएँ हम आज अपने शाठकों में सुनाते हैं।

एक नगर में कुछ रमणियों कपडे की दूकानों पर पहरा लगाये खड़ी थीं। विदेशी कपड़ों के प्रेमी दूकानों पर आते थे। पर उन रमणियों को देखकर हट जाते थे। शाम का वक्त था। कुछ अँधेरा हो चला था। उसी वक्त एक आदमी एक दूकान के सामने आकर कपड़े खरीदने के लिये आग्रह करने लगा। एक रमणी ने जाफ़र उससे कहा—महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कि आप विलायती कपड़ा न खरीदें।

ग्राहक ने उस रमणी का रसिक नेत्रों से देखकर कहा—अगर तुम मेरी एक बात स्वीकार कर लो, तो मैं ऊसम खाता हूँ, कभी विलायती कपड़ा न खरीदूँगा।

रमणी ने कुछ सशक होकर उसकी ओर देखा और बोली—क्या आज्ञा है?

ग्राहक लम्पट था। मुस्कराकर बोला—बस, मुझे एक बोसा दे दो।

रमणी का मुख अस्त्रवर्ण हो गया, लज्जा से नहीं, क्रोध से। दूसरी दूकानों पर और कितने ही वालटियर खड़े थे। अगर वह जरा-सा इशारा कर देती, तो उस लम्पट की धजियों उड़ जातीं। पर रमणी विनय का अपाग शक्ति से परिचित थी। उसने सजल नेत्रों से कहा—अगर आपकी यही डच्छा है, तो ले लीजिए, मगर विदेशी कपड़ा न खरीदिये। ग्राहक परास्त हो गया। वह उसी वक्त उस रमणी के चरणों पर गिर पड़ा और उसने प्रण किया कि कभी विलायती वस्त्र न लूँगा, क्षमा-प्रार्थना की और लज्जित तथा सस्कृत होकर चला गया।

एक दूसरे नगर की एक और घटना सुनिए। यह भी कपड़े की

दूकान और पिकेटिंग ही की घटना है। एक दुराग्रही मुसलमान की दूकान पर जारी फा पिकेटिंग हो रहा था। सहमा एक मुसलमान सज्जन अपने कुमार पुत्र के साथ कपड़ा खरीदने आये। सत्याग्रहियों ने हाथ जोड़े, पैरों पड़े दूकान के सामने लेट गये, पर खरीदार पर कोई असर न हुआ। वह लेटे हुए स्वयसेवकों को रौदता हुआ दूकान मे चला गया। जब कर्डे लेफ्ट निकला, तो फिर बालाटियरों को रास्ते मे लेटे पाया। उसने क्रांध मे आकर एक स्वयसेवक के एक ठोकर लगाइ। स्वयसेवक के सिर से खून निकल आया। फिर भी वह अपनी जगह से न हिला। कुमार पुत्र दूकान के जीने पर खड़ा यह तमाशा देख रहा था। उसका बाल छूट्य यह अमानुषीय व्यवहार सहन न कर सका। उसने पिता से कहा—बाबा, आप कपड़े लौटा दीजिए।

बाप ने कहा—लौटा दूँ। मैं इन सबों की छाती पर से निकल जाऊँगा।

‘नहीं, आप लौटा दीजिए।’

‘तुम्हे क्या हो गया है? मला लिये हुए कपड़े लौटा दूँ।’

‘जी हूँ।’

‘यह कभी नहीं हो सकता।’

‘तो फिर मेरी छाती पर पैर रखकर जाइए।’

यह कहता हुआ वह बालक अपने पिता के सामने लेट गया। पिता ने तुरन्त बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और कपड़े लौटाकर घर चला गया।

तीसरी घटना कानपुर नगर की है। एक महाशय अपने पुत्र को स्वयसेवक न बनने देते थे। पुत्र के मन मे देश सेवा का असीम उत्साह था, पर माता-पिता की अवज्ञा न कर सकता था। एक और देश प्रेम था, दूसरी और माता-पिता की भक्ति। यह अतद्वन्द्व उसके लिए एक दिन असह्य हो उठा। उसने घर बालों से कुछ न कहा। जाकर रेल की

पटरी पर लेट गया। जरा देर मे एक गाड़ी आई और उसकी हड्डियों तक को चूर चूर कर गई।

चौथी घटना एक दूसरे नगर की है। मन्दिरों पर स्वयसेवकों का प्रहरा था। स्वयसेवक जिसे विलायती कपड़े पहने देखते थे उसे मन्दिर मे न जाने देते थे। उसके सामने लेट जाते थे। कहीं कहीं छियों भी पहरा दे रही थीं। सहसा एक खी खदर की साड़ी पहने आकर मन्दिर के द्वार पर खड़ी हो गई। वह कॉग्रेस की स्वयसेविका न थी, न उसके अचल मे सत्याग्रह का बिल्ला ही था। वह मन्दिर के द्वार के सभी पखड़ी तमाशा देख रही थी और स्वयसेविकाएँ विदेशी वस्त्र धारियों से अनुनय विनय करती थीं, सत्याग्रह करती थीं। पर वह खी सबसे अलग चुपचाप खड़ी थी। उसे आये कोई घटा भर हुआ होगा, कि सड़क पर एक फिटन आकर खड़ी हुई और उसमे से एक महाशय सुन्दर महीन रेशमी पाड़ी की धोती पहने निकले। यह थे रायवहादुर हीरामल, शहर के सबसे बड़े रईस, आनन्दरी मैजिस्ट्रेट, सरकार के परम भक्त और शहर की अमन सभा के प्रधान। नगर मे उनसे बढ़कर कॉग्रेस का विरोधी न था। पुजारीजी ने नॅलपक्कर उनका स्वागत किया और उन्हे गाड़ी मे उतारा। स्वयसेविकाओं की हिम्मत न पड़ी, कि उन्हे रोक ले। वह उनके बीच मे होते हुए द्वार पर आये और अन्दर जाना ही चाहते थे, कि वही खदरधारी रमणी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और गम्भीर स्वर मे बोली—आप यह कपड़े पहनकर अन्दर नहीं जा सकते।

हीरामलजी ने देखा, तो सामने उनकी पत्ती खड़ी है। कलेजे मे बरछी-सी चुम गई। बोले—तुम यहाँ क्यों आईं?

रमणी ने दृढ़ता से उत्तर दिया—इसका जवाब फिर दूँगी। आप यह कपड़े पहने हुए मन्दिर मे नहीं जा सकते।

‘तुम मुझे नहीं रोक सकतीं।’

‘तो मेरी छाती पर पौंछ रखकर जाइएगा।’

‘यह कहती हुई वह मन्दिर के द्वार पर बैठ गई।

‘तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ।’

‘नहीं, मैं आपके मुह का कलक मिटाना चाहती हूँ ।’

‘मैं कहता हूँ, हठ जाओ । पति का विरोध करना स्त्रियों का धर्म नहीं है । तुम क्या अनर्थ कर रही हो, यह तुम नहीं समझ सकतीं ।’

‘मैं यहाँ आपकी पब्ली नहीं हूँ । देश की सेविका हूँ । यहाँ मेरा कर्तव्य यही है, जो मैं कर रही हूँ । घर में मेरा धर्म आपकी आजाओं को मानना था । यहाँ मेरा धर्म देश की आज्ञा को मानना है ।’

हीरामलजी ने धर्मकी भी दी, मिन्हते भो कीं पर रमणी द्वार से न हटी । आखिर पति को लिंजित होकर लौटना पड़ा । उसी दिन उनका स्वदेशी सत्स्वार हुआ ।

पॉच्ची घटना उन गढ़वाली वीरों की है, जिन्होने पेशावर के सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया । शायद हमारी सरकार को पहली बार राष्ट्रीय आनंदोलन की महत्ता का बोध हुआ । वह गोरखे जिन्हे हम लोग पशु समझते थे, जिनकी राज-भक्ति पर सरकार को अटल विश्वास था, जिनमे राष्ट्रीय भावों की जाग्रत्ति की कोई कल्पना भी न कर सकता था, उन्हीं गोरखे योद्धाओं ने नि शब्द सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया । उन्हे खूब मालूम था, कि इसका नतीजा कॉर्टमार्शल होगा, हमे काले पानी भेजा जायगा, फासियों दी जायेगी, शायद गोली मार दी जाय, पर यह जानते हुए भी उन्होने गोली चलाने से इनकार किया । कितना आसान था गोली चला देना । राइफल के धोड़े को दबाने की देर थी । पर धर्म ने उनकी उंगलियों को बोध दिया था । धर्म की वेदी पर इतने बड़े बलिदान का उदाहरण ससार के इतिहास में बहुत कम मिलेगा ।

## साहित्य में समालोचना

साहित्य में समालोचना का जो महत्व है उसको बयान करने की चर्चा नहीं। सदृश साहित्य का निर्माण बहुत गम्भीर समालोचना पर ही मुनहसर है। योरप में इस युग को समालोचना का युग कहते हैं। वहाँ ब्रिटिश-वर्ष सैकड़ों पुस्तकों केवल समालोचना के विषय की निकलती रहती हैं, यहाँ तक कि ऐसे ग्रन्थों का प्रचार, प्रभाव, और स्थान क्रियात्मक रचनाओं से किसी प्रकार घटकर नहीं है। फितने ही पत्रों और पत्रिकाओं में स्थायी रूप से आलोचनायें निकलती रहती हैं, लेकिन हिन्दी में या तो समालोचना होती ही नहीं या होती है तो द्वेष या भूठी प्रशसा से भरी हुई अथवा ऊपरी, उथली और बहिर्मुखी। ऐसे समालोचक बहुत कम हैं जो किसी रचना की तह में द्वबकर उसका तात्त्विक, मनोवैज्ञानिक विवेचन कर सकें। हाँ कभी कभी प्राचीन ग्रन्थों की आलोचना नजर आ जाती है जिसे सही मानो में समालोचना कह सकते हैं, मगर हम तो इसे साहित्यिक मुर्दापरस्ती ही कहेगे। प्राचीन कवियों और साहित्याचार्यों का यशोगान हमारा धर्म है, लेकिन जो प्राणी केवल अतीत में रहे, पुरानी सम्पदा का ही स्वप्न देखता रहे और अपने सामने आनेवाली बातों की तरफ से अरोखे बन्द कर ले, वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, इसमें हमें सन्देह है। पुरानों ने जो कुछ लिखा, सोचा और किया, वह पुरानी दशाओं और परिस्थितियों के अधीन किया। नए जो कुछ लिखते, सोचते, या करते हैं, वह वर्तमान परिस्थितियों के अधीन करते हैं। इनकी रचनाओं में वही भावनाये और

आकाङ्क्षायें होती है जिनसे वर्तमान युग आनंदोलित हो रहा है। यदि हम पुराने विशाल खण्डहरों ही को प्रतिमा की भौति पूजते रहे और अपनी नई भोपड़ी की विलक्षण चिन्ता न करे तो हमारी क्या दशा होगी, इसका हम अनुमान कर सकते हैं।

आइए देखें इस अभाव का कारण क्या है। हिन्दी साहित्य में ऐसे लेखकों की ईश्वर की दया से कमा नहीं है जो सासार साहित्य से परिचित है, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, साहित्य के तत्त्वों को समझते हैं। साहित्य का पथ प्रदर्शन उन्हीं का कर्तव्य है। लेकिन या तो वह हिन्दी पुस्तकों का आलोचना करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं या उन्हें हिन्दी-साहित्य में कोई चीज आलोचना के योग्य मिलती ही नहीं या फिर हिन्दी भाषा उन्हे अपने गहरे विचारों को प्रकट करने के लिए काफी नहीं मालूम होती। इन तीनों ही कारणों से कुछ न कुछ तत्व हैं, मगर इसका इलाज क्या हिन्दी-साहित्य से मुह मोड़ लेना है? क्या आख्ये बन्द करके बैठ जाने से ही सारी विपक्षि-बाधाये टल जाती हैं? हमें साहित्य का निर्माण करना है, हमें हिन्दी को भारत की प्रधान भाषा बनाना है, हमें हिन्दी द्वारा राष्ट्रीय एकता की जड़ जमाना है। क्या इस तरह उदासीन हो जाने से ये उद्देश्य पूरे होगे? योरोपीय भाषाओं की इसलिए उन्नति हो रही है कि वहाँ दिमाग और दिल रखने वाले व्यक्ति उससे दिलचस्पी रखते हैं, वडे वडे पदाधिकारी, लीडर, प्रोफेसर और धर्म के आचार्य साहित्य को प्रगति से परिचित रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। यही नहीं बल्कि अपने साहित्य से ब्रेम उनके जीवन का एक अग है, उसी तरह जैसे अपने देश के नगरों और दृश्यों की सैर। लेकिन हमारे यहाँ चोटी के लोग देशी साहित्य की तरफ ताकना भी हैय समझते हैं। कितने ही तो बड़े रोब से कहते हैं, हिन्दी में रखा ही क्या है। अगर कुछ गिने-गिनाये लोग हैं भी तो वह समझते हैं इस चेत्र में आकर हमने ऐहसान किया है। वह यह आशा रखते हैं कि हिन्दी सासार उनकी हर एक बात को आखे बन्द करके स्वीकार

करे, उनके कलम से जो कुछ निकले, ब्रह्मवाक्य समझा जाय। वह शायद समझते हैं, मौलिकता उपाधियों से आती है। वह यह भूल जाते हैं कि विरला ही कोई उपाधिधारी मौलिक होता है। उपाधियों जानी हुई और पढ़ी हुई वातों के प्रदर्शन या परिवर्तन से मिलती हैं। मौलिकता इसके सिवा और कुछ भी है। अगर कोई 'डाक्टर' या 'प्रोफेसर' लिखे तो शायद उन्हें मस्तिष्क वालों की यह विरादरी उसका स्वागत करे। लेकिन दुर्भाग्य-वश हिन्दी के अधिकाश लेखक न डाक्टर हैं, न फिलासफर, फिर उनकी रचनायें कैसे सम्मान पायें और कैसे आलोचना के योग्य समझी जायें। किसी वस्तु की प्रशसा तो और वात है, निन्दा भी कुछ न कुछ उसका महत्व बढ़ाती है। वह निन्दा के योग्य तो समझी गई। हमारी यह दिमागवालों की विरादरी किसी रचना की प्रशसा तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे उसकी हेठी होती है, दुनिया कहेगी, यह तो शा और शोली और शिलर की बातें किया करते थे, उस आकाश से इनने नीचे कैसे गिर गये। हिन्दी में भी कोई ऐसी चीज हो सकती है, जिसकी ओर वह आँखें उठा सके, यह उनकी शिक्षा और गौरव के लिये लज्जास्पद है। बेचारे ने तीन वर्ष पेरिस और लन्दन की खाक छानी, इसीलिये कि हिन्दी लेखकों की आलोचना करे। फारसी पढ़कर भी तेल बेचे। हम ऐसे कितने ही सज्जनों को जानते हैं जो डाक्टर या डी० लिट० हाने के पहले हिन्दी में लिखते थे, लेकिन जब से डाक्टरेट की उपाधि मिली, वह पतग की भौंति आकाश में उड़ने लगे। आलोचना साहित्य की उनके द्वारा पूर्ण हो सकती थी, क्योंकि रचना के लिये चाहे विशेष शिक्षा की जरूरत न हो, आलोचना के लिये सासार साहित्य से परिचित होने की जरूरत है। हमारे पास कितने ही युवक लेखकों की रचनायें, प्रकाशित होने के पहले, सम्मति के लिये आती रहती हैं। लेखक के हृदय में भाव है, मस्तिष्क में विचार हैं, कुछ प्रतिभा है, कुछ लगन, कुछ स्पष्टार, उसे केवल एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। इनना सहारा पाकर वह कुछ से कुछ हो जा सकता है, लेकिन यह सहारा उसे

नहीं मिलता। न कोई ऐसे व्यक्ति है, न सामर्ति, न मड़ल। केवल पुस्तक-प्रकाशकों की पसन्द का भरोसा है। उसने रचना स्वीकार कर ली, तो खैर, नहीं सारी की-कराई मेहनत पर पानी फिर गया। प्रेरक शक्तियों में यशोलिप्सा शायद सबसे बलवान है। जब वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता, ता लेखक कधा डाल देता है और इस भाँति न जाने कितने गुदड़ी के रख छिपे रह जाते हैं। या फिर वह प्रकाशक महोदय के आदेशानुसार लिखना शुरू करता है और इस तरह कोई नियन्त्रण न होने के कारण, साहित्य में कुशचि बढ़ती जाती है। इस तरफ जैनेन्द्रकुमारजी की 'परख', प्रसादजी का 'काल', प्रतापनारायणजी की 'विदा', निरलाजी की 'अप्सरा', बृन्दावनलालजी का 'गढ़कुण्डार' आदि कई सुन्दर रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। मगर इनमें से एक की भी गहरी, व्यापक, तात्त्विक आलोचना नहीं निकली। जिन महानुभावों में ऐसी आलोचना की सामर्थ्य थी, उन्हे शायद इन पुस्तकों की खबर भी नहीं हुई। इनसे कहीं घटिया किताबें अंग्रेजी में निकलती रहती हैं और उन्हे ऊँची विरादरीवाले सजन शौक से पढ़ते और सग्रह करते हैं, पर इन रत्नों की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हुआ। प्रशंसा न करते, दोष तो दिखा देते, ताकि इनके लेखक आगे के लिये सचेत हो जाते, पर शायद इसे भी वे अपने लिये जलील समझते हैं। इडलैण्ड का रामजे मैकेडानेल्ड या नैनर ला अंग्रेजी साहित्य पर प्रकाश डालनेवाला व्याख्यान दे सकता है, पर हमारे नेता खद्दर पहनकर अंग्रेजी लिखने और बोलने में अपना गौरव समझते हुए, हिन्दी-साहित्य का अलिफ वे भी नहीं जानते। यह इसी उदासीनता का नतीजा है, कि 'विजयी। विश्व तिरगा प्यार' जैसा भावशूल्य गीत हमारे राष्ट्रीय जीवन में इतना प्रचार पा रहा है। 'बन्देमातरम्' को यदि 'विजयी विश्व' के मुकाबले में रखकर देखिए, तो आपको विदित होगा कि आपकी लापरवाही ने हिन्दी साहित्य को आदर्श से कितना नीचे गिरा दिया है। जहाँ अच्छी चीज की कद्र करने वाले और परखने वाले नहीं हैं वहाँ नकली, घटिया, जटियल चीजें ही बाजार में आवे, तो कोई

आश्चर्य की वात नहीं। वास्तव में हमारे वहाँ साहित्यिक जीवन का पता ही नहीं। नीचे से ऊपर तक मुरदनी मी छाई हुई है। यही मुख्य कारण है कि हिन्दी लेखकों में बहुत से ऐसे लाग आ गये हैं, जिनका स्थान नहीं आरंथित था। और, जब तक शिक्षित समुदाय अपने साहित्यिक कलब्ध की या अवहेलना करता रहेगा, यही दशा बनी रहेगी। जहाँ साहित्य सम्मेलन जैसी सार्वजनिक संस्था के सदस्यों की कुल सख्ती दो सौ से अधिक नहीं, वहाँ का साहित्य बनने में अभी बहुत दिन लगेगे।

---

## हिन्दी-गल्प-कला का विकास

अगर आप से पचीस तीस साल पहले की किसी पत्रिका को उठाकर आज की किसी पत्रिका से मिलाइए, तो आप को मालूम होगा कि हिन्दी गल्प-कला ने कितनी उन्नति की है। उस वक्त शायद ही कोई रुहानी छपती थी, या छपती भी थी, तो किसी अन्य भाषा से अनूदित। मौलिक कहानी तो खोजने से भी न मिलती थी। अगर कभी कोई मौलिक चीज निकल जाती थी, तो हमको दुरन्त सन्देह होने लगता था, कि यह अनुवादित तो नहीं है। अनुवादित न हुई तो लाया तो अवश्य ही होगी। हमें अपनी रचना शक्ति पर इतना अविश्वास हो गया था। मगर आज किसी पत्रिका को उठा लीजिए, उसमें अगर ज्यादा नहीं, तो एक तिहाई अशा कहानियों से अलगृहत रहता ही है। और कहानियों भी अनूदित नहीं, मौलिक। इस तेज चाल से दौड़ने वाले युग में किसी को किसी से बात करने की मुहलत नहीं है, मनुष्य को अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए, कहानी ही एक ऐसा साधन है, जिससे वह जरा सी देर में—जितनी देर में वह चाय का एक प्याला पीता या फोन पर किसी से बाते करता है—प्रकृति के समीप जा पहुँचता है। साहित्य उस उत्थोग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उस मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है, जो इस जाहिरी भेद की तह में, पृथक्की के उदर में व्याकुल ज्वाला की भाति, छिपा हुआ है। जब हम मिथ्या विचारों और भावनाओं में पड़कर अस-लियत से दूर जा पड़ते हैं, तो साहित्य हमें उस सोते तक प हूँचाता है,

जहाँ Reality अपने सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही है। और यह काम अब गल्प के सिर आ पड़ा है। कवि का रहस्य मय सकेत समझने के लिए ग्रवकाश और शाति चाहिए। निवन्धो के गूढ़ तत्व तक पहुँचने के लिए मनोयाग चाहिये। उभन्यास का आकार ही हम भयभीत कर देता है, और ड्रामे तो पढ़ने की नहीं बल्कि देखने की वस्तु है। इसलिए, गल्प ही आज साहित्य की प्रातनिनिधि है, और कला उसे सजाने और सेवा करने के ओर अपनी इस भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के योग्य बनाने में दिलोजान से लगी हुई है। कहानी का आदश ऊँचा होता जा रहा है, और जैसी कहानियाँ लिख कर दीस-पच्चीस साल पहले लोग ख्याति पा जाते थे, आज उनसे सुन्दर कहानियाँ भी मामूली समझी जाती है। हमे हर्ष है कि हिन्दी ने भी इस विकास में अपने मर्यादा की रक्षा की है और आज हिन्दी में ऐसे ऐसे गल्पकार आ गये हैं, जो किसी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हैं। सदियों की गुलामी ने हमारे आत्म-विश्वास को लुप्त कर दिया है, विचारों की आजादी नाम को भी नहीं रही। अपनी कोई चीज उस वक्त तक हमे नहीं जँचती, जब तक यूरप के आलोचक उसकी प्रशंसा न करें। इसलिए हिन्दी के आने वाले गल्प कारों को चाहे कभी वह स्थान न मिले, जिसके बे अधिकारी है, और इस कसमपुरसी के कारण उनका हतोत्साह हो जाना भी स्वाभाविक है लेकिन हमे तो उनकी रचनाओं में जो आनन्द मिला है, वह पश्चिम से आई कहानियों में बहुतों में नहीं मिला। सासार की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का एक पोथा अभी हाल में ही हमने पढ़ा है, जिसमें यूरप की हरेक जाति अमेरिका, ब्राजील, मिस्र आदि सभी की चुनी हुई कहानियों दी गई है, मगर उनमें आधी दरजन से ज्यादा ऐसी कहानियाँ नहीं मिलीं, जिनका हमारे ऊपर रोब जारी हो जाता। इस संग्रह में भारत के किसी गल्पकार की कोई रचना नहीं है, यहाँ तक कि डॉ० रवीन्द्रनाथ की किसी रचना को भी स्थान नहीं दिया गया। इससे संग्रहकर्ता की नीयत साफ जाहिर हो जाती है। जब तक हम पराधीन हैं, हमारा साहित्य भी पराधीन

है, और ग्रगर किसी भारतीय साहित्यकार को कुछ आदर मिला है तो उसमें भी पश्चिमवालों की श्रेष्ठता का भाव छिपा हुआ है, मानो उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हे यूरप की अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं और अपनी दुरी बात भी अच्छी। अगर हम में आत्म विश्वास की कमी अपना आदर नहीं करने देती, तो जातीय अभिमान की अधिकता भी हमें असलियत तक नहीं पहुँचने देती। कम से कम साहित्य के विषय में तो हमें निष्पक्ष दौकर खोटे खरों को परखना चाहिए। यूरप और अमेरिका में ऐसे ऐसे साहित्यकार और कवि हो गुजरे हैं और आज भी हैं, जिनके सामने हमारा मस्तक आप से आप झुक जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वहाँ सब कुछ सोना ही सोना है, पीतल ही ही नहीं। कहानियों में तो हिन्दी उनसे बहुत पीछे हर्गिज नहीं है, चाहे वे इसे मानें या न मानें। प्रसाद, कौशिक या जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीजे किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। हम आज उन गल्पकारों का कुछ जिक्र करना चाहते हैं, जो हिन्दी-गल्प कला के विकास में श्रेय के साथ अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, यद्यपि साहित्य समाज में उनका उतना आदर नहीं है, जितना होना चाहिए।

इन गल्पकारों में पहला नाम जो हमारे सामने आता है वह है—भारतीय एम० ए०। इनकी अभी तक पौंच छु कहानियाँ पढ़ने का ही हमें अवसर मिला है और इनमें हमने भावों की वह प्रौढता, निगाह की वह गहराई, मनाविज्ञान की वह बारीकी और भाषा की वह सरलता पाई है कि हम मुश्वर हो गये हैं। ‘हस’ की पिछलों सख्त्या में ‘मुनमुन’ नाम की उनकी कहानी अद्भुत है और हम उसे ‘मास्टरपीस’ कह सकते हैं। वह नवीनता और ताजेपन के पीछे नहीं दौड़ते, कहीं चमकने की सचेत चेष्टा नहीं करते, ऊचे उड़ जाने की हवस उन्हे नहीं है। वह उसी दायरे में रहते हैं, जिसका उन्होंने कलाकार की ओरोंसे से अनुभव किया है,

और उनके हृदय की सरमता उन सावरण दृश्यों में कुछ ऐसी सजीवता, कुछ ऐसा रस भर देती है कि पाठक पढ़ने के बक्त आँखे बन्द करके उसका आनन्द उठाता है, और उसका मन कहता है कि इन दस मिनटों का इससे अच्छा इस्तेमाल वह न कर सकता था। भारतीय महोदय विद्वान् है हिन्दी के एम० ए० पुराने कवियों को उन्होंने खूब पढ़ा है। और उनकी रचनाओं की टीकाएँ भी लिखी हैं। मौलिक सृष्टि की ओर उनका ध्यान हाल में आया है, और हमारे खगाल में यह अच्छा ही हुआ। कच्ची लेखनी इस क्षेत्र में जो ठोकरें खाया करती है, वह उन्हे नहीं खानी पड़ी।

भारतीयनी की कहानियों को अगर किसी पुराने स्कूल की कुल वधू की उपमा दे, जिसकी जीवन धारा सेवा और त्याग के बीच में शाति के साथ बहती है, तो श्री विश्वरसिंह की कहानियों में नये स्कूल की युगती का लोच और सिंगार है, जिसके लिए सासार केवल मर्यादाओं का क्षेत्र नहीं, आनन्द और विनोद का क्षेत्र भी है। इनकी कहानियों में कुछ ऐसी शोखी, कुछ ऐसी सजावट, कुछ ऐसा बाकपन होता है कि युवक फङ्क जाते हैं, और युवतियों आँखें झुका लेती हैं। मगर, इनका दायरा अभी फैलने नहीं पाया है। हमने इनकी जितनी कहानियों पढ़ी हैं, अतीत जीवन के दो एक रसीले अनुभवों की झलक मिली है, मगर उनमें यह कुछ ऐसा जादू सा भर देते हैं कि एक एक वाक्य को बार बार पढ़ने को जी चाहता है। वात में वात पैदा करने में इन्हे कमाल है और मामूली सी बात को यह ऐसे सुन्दर, चुलबुले शब्दों में कह जाते हैं कि सामने फूल सा खिल जाता है। जैसे जैसे अनुभवों की सीमा फैलेगी, इनकी रचनाओं में प्रौढ़ता और गहराई आयगी, मगर हमें आशा है, इनका चुलबुलपन बना रहेगा और इस आँखें रङ्ग की रक्षा करता रहेगा।

उसो उपमा की रक्षा करते हुए, हम श्री भुवनेश्वर प्रसाद 'भुवन' की रचनाओं में उस विधवा का तेज और कसक और विद्रोह पाते हैं,

जिसे समाज और सासार कुचल डालना चाहता हो । पर वह अकेली सारी दुनिया को चुनौती देने खड़ी हो । भुवनजी से हमारा परिचय विचित्र परिस्थिति मे हुआ और हमने उनके रोम-रोम मे वह असतोष, वह गहरी सूफ़, और मनोभावों को व्यक्त करने की वह शक्ति पाई, जो अगर सथम से काम लिया गया, और परिस्थितियाँ ने प्रतिभा को कुचल न दिया, तो एक दिन हिन्दी का उन पर गर्व होगा । उनके मिजाज मे एक सैलानोपन है और उन्हे अपने-आप मे इबे रहने और अपनी कदुकाओ से सरल जीवन का कदु बनाने का वह मरज है, जो अगर एक और साहित्य की जान है, तो दूसरी और उसकी मौत भी है । वह ड्रामे भी लिखते हैं और इनके कई एकाकी ड्रामे रस मे निरुल चुके हैं । जिन्होने वह ड्रामे पढ़े हैं, उनको मालूम हुआ होगा कि उनमे कितनी चाट, कितना दर्द और कितना विद्रोह है । भुवनजी उदू भी अच्छी जानते हैं, उदू और हिन्दी दोनो ही भाषाओ में शायरी करते हैं, और साहित्य के मरमज है । उन पर आस्कर वाइल्ड का गहरा रङ्ग चढ़ा हुआ है, जो अद्भुत प्रतिभाशाली होने पर भी कला की पवित्रता को निभा न सका ।

इन तोना स्थाओ से कुछ अलग श्री 'अज्ञेश' का रङ्ग है । उनकी रचनाओ मे यद्यपि 'आमद' नही 'आबुर्द' है, पर उसके साथ ही गद्य-काव्य का रस है । वह भावना प्रधान होती है, गरिमा से भरी हुई, अतस्तल की अनुभूतियो से रञ्जित एक नये वातावरण मे ले जानेवाली, जिन्हे पढ़ कर, कुछ ऐसा आभास होता है कि हम ऊचे उठ रहे हैं । लेकिन उनका आनन्द उठाने के लिए उन्हे व्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वे जितना कहती है, उससे कहीं ज्यादा बे कहे छोड़ देती हैं । काशु, अज्ञेयजी कल्पना लोक से उत्तर कर यथार्थ के सासार मे आते ।

इन्ही होनहार युवकों मे श्री जनार्दनराय नागर है । हमारे युवकों मे ऐसे सरल, ऐसे शीलवान, ऐसे सथमशील युवक कम होगे । उनके साथ बैठना और उनकी आत्मा से निकले हुए निष्कपट उद्गारो को सुनना

अनुपम आनन्द है। कहीं बनावट नहीं, जरा भी तकल्लुफ नहीं। पक्षा ब्रह्मचारी, जिसे आजकल का फैशन छू तक नहीं गया। मिजाज में इन्तहा की सादगी, इन्तहा की खाकसारी, जो दुनिया के बन्दो को भी मानों अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर देती है। वह युनिवर्सिटी का छात्र होकर भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का सा आचरण रखता है। और उसे खुद खबर ही नहीं कि वह अपने अन्दर कितनी साधना रखता है। इनकी कई रचनाएँ हमने पढ़ी हैं और प्रकाशित की हैं। इनके यहाँ ओज नहीं है, चुलबुलापन नहीं है, पर जीवन की सच्ची भलक है, सच्चा दर्द है और कलाकार की सच्ची अनुभूति है। इन्होंने एक बड़ा उपन्यास भी लिखा है, जिसमें इनकी कला पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है, और उसे पढ़कर यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि इसका लेखक एक बाइस-तेंडर वर्ष का युवक है।

इन्हीं रखो मे हम प्रयाग के श्री त्रिलोकीनाथ मिच्चू का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं। इन्होंने दो साल पहले 'दो मित्र' नाम की एक मनोहर पशु-जीवन की कहानी लिखी थी। वह हमें इतनी भायी कि हमने उसे तुरन्त 'जागरण' मे प्रकाशित किया। उसके बाद आपकी एक कहानी 'पहाड़ी' नाम से 'माया' मे निकली। वह है तो छोटी-सी मगर बड़ी ही मर्मस्पर्शा। इस अक मे आपकी जो 'आशा' नामक कहानी छपी है, वह उनकी कला का अच्छा नमूना है। आपकी रचनाओं मे स्वस्थ यथार्थता और सहानुभूतिपूर्णता की अनुपम छटा होती है और यद्यपि आप बहुत कम लिखते हैं पर जो कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। आपकी इस कहानी मे सयत प्रणय का इतना सुन्दर चक्र है कि विषय मे कोई नवीनता न होने पर भी कहानी यथार्थ बन गई है। हमारे पास ६० फीसदी कहानियों प्रणय-विषयक ही आती है, पर प्रणय का इतना वीभत्स रूप दिखाया जाता है, या इतना अस्वाभाविक—और बिहार के युवक लेखकों ने मानो इस ढग की कहानियों लखने का ठीका-सा ले लिया है—कि हमे उनको छापते सकोच-

होता है और इस बात का खेद होता है कि इन भले आदमियों के हृदय में प्रेम की कितनी गलत धारणा जमी हुई है। यह विषय जितना ही व्यापक है, उतना ही उसे निभाना मुश्किल है। छिँछोरी लालसा को प्रेम जैसी पवित्र साधना से वही सम्बन्ध है, जो दूध को शराब से है। प्रेम का आदर्श रूप कुछ वही है, जो मिच्चू ने अपनी कहानी में चित्रित किया है।

यह सूची गैर सुकम्भल रह जायगी अगर हम राची के श्री राधा-कृष्णजी का उल्लेख न करें। आपकी कई रचनाएँ ‘हस’ और ‘जागरण’ में निकल चुकी हैं और रचने के साथ पढ़ी गई हैं। आपकी शैली हास्य-प्रधान है और बड़ी ही सजीव। प्रतिकूल दशाओं में रहकर भी आपकी तबीयत में मजाक का रङ्ग फीका नहीं होने पाया।

हमारी गल्प कला के विकास में युवकों ने ही नहीं कदम आगे बढ़ाया है। युवतियों भी उनके साथ कधा मिलाए चल रही हैं। साहित्य और समाज में बड़ा नजदीकी सम्बन्ध होने के कारण अगर पुरुषों के हाथ में ही कलम रहे, तो साहित्य के एकतरफा हो जाने का भय है। ऐसे पुरुष किसी साहित्य में भी ज्यादा नहीं हो सकते, जो रमणी हृदय की समस्याओं और भावों का सफल रूप दिखा सके। एक ही स्थिति को स्त्री और पुरुष दोनों अलग-अलग और दोनों से देख सकते हैं और देखते हैं। पुरुष का क्षेत्र अब तक अधिकतर घर के बाहर रहा है, और आगे भी रहेगा। स्त्री का क्षेत्र घर के अन्दर है, और इसलिए उसे मनोरहस्या की तह तक पहुँचने के जितने अवसर मिलते हैं, उतने पुरुषों को नहीं मिलते। उनकी निगाहों में ज्यादा बारीकी, ज्यादा कोमलता, ज्यादा दर्द होता है। साहित्य को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए महिलाओं का सहयोग लाजिमी है, और मिल रहा है। इधर कई बहनों ने इस मैदान में कदम रखा है, जिनमे उषा, कमला और सुशीला, ये तीन नाम खास तौर पर सामने आते हैं। श्रीमती उषा मित्रा बगाली देवी हैं, और शायद उनकी पहली रचना डेढ़-दो साल पहले ‘हस’ में

प्रकाशित हुई थी। तब से वह बराबर सभी पत्रिकाओं में लिख रही हैं। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्यों के साथ मानव-जीवन का ऐसा मनोहर सामजस्य होता है कि एक एक रचना में सगीत की माधुरी का आनन्द आता है। साधारण प्रसगों में रोमास का रग भर देने में उन्हें कमाल है। इधर उन्होंने एक उपन्यास-भी लिखा है, जिसमें उन्होंने वर्तमान समाज की एक बहुत ही जटिल समस्या को हल करने का सफल उद्योग किया है और जीवन का ऐसा आदर्श हमारे सामने पेश किया है जिसमें भारतीय मर्यादा अपने कल्याणमयरूप की छुटा दिखाती है। हमें ग्राशा है, हम जल्द ही आपका उपन्यास प्रकाशित कर सकेंगे।

श्रीमती कमला चौधरी ने भी लगभग दो साल से इस चेत्र में पदार्पण किया है, और उनकी रचनाएँ नियमित रूप से 'विशाल भारत' में निकल रही हैं। नारी हृदय का ऐसा सुन्दर चित्रण हिन्दी में शायद ही और कहीं मिल सके। आप की हरेक रचना में अनुभूति की-सी यथार्थता होती है। 'साधना का उन्माद', 'मधुरिमा' और 'भिलमगे की बेटी' आदि उनकी वह कहानियाँ हैं, जो नारी हृदय की साधना, स्नेह और त्याग का रूप दिखाकर हमें मुर्गध कर देती है। आप कभी-कभी ग्रामीण बोली का प्रयाग करके अपने चरित्रों में जान सी डाल देती हैं। आपकी गल्पों का एक संग्रह 'साधना का उन्माद' नाम से हाल में ही प्रकाशित हुआ है।

कुमारी सुशीला आगा की केवल दो कहानियाँ हमने पढ़ी हैं; लेकिन वह दोनों कहानियाँ पढ़कर हमने दिल थाम लिया। 'अतीत के चित्र' में उन्होंने नादिरा की सष्टि करके सिढ़ कर दिया है कि उनकी रचना-भूमि जरखेज है और उसमें मनोहर गुल बूटे खिलाने की दैवी शक्ति है। कह नहीं सकते, वह इस शक्ति से काम लेकर साहित्य के उद्यान की शोभा बढ़ायेंगी, या उसे शिथिल हो जाने देंगी। अगर ऐसा हुआ, तो साहित्य-प्रेमियों को दुख होगा।

## साहित्य और मनोविज्ञान

साहित्य का वर्तमान युग मनोविज्ञान का युग कहा जा सकता है। साहित्य अब केवल मनोरजन की वस्तु नहीं है। मनोरंजन के सिवा उसका कुछ और भी उद्देश्य है। वह अब केवल विरह और मिलन के राग नहीं अलापता। वह जीवन की समस्याओं पर विचार करता है, उनकी आलोचना करता है और उनको मुलझाने की चेष्टा करता है।

नीति शास्त्र और साहित्य का कार्य क्षेत्र एक है, केवल उनके रचना विधान में अन्तर है। नीति शास्त्र भी जीवन का विकास और परिष्कार चाहता है, साहित्य भी। नीतिशास्त्र का माध्यम तर्क और उपदेश है। वह युक्तियों और प्रमाणों से बुद्धि और विचार को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। साहित्य ने अपने लिए मनो-भावनाओं का क्षेत्र चुन लिया है। वह उन्हीं तत्वों को रागात्मक व्यजना के द्वारा हमारे अत्यस्तल तक पहुँचाता है। उसका काम हमारी सुन्दर भावनाओं को जगाकर उनमें क्रियात्मक शक्ति की प्रेरणा करना है। नीतिशास्त्री बहुत से प्रमाण देकर हमसे कहता है, ऐसा करो, नहीं तुम्हे पछताना पड़ेगा। कलाकार उसी प्रसंग को इस तरह हमारे सामने उपस्थित करता है कि उससे हमारा निजत्व हो जाता है, और वह हमारे आनन्द का विषय बन जाता है।

साहित्य की बहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं लेकिन मेरे विचार में उसकी सबसे सुन्दर परिभाषा जीवन का आलोचना है। हम जिस रोमा-

नियत के युग से गुजरे हैं, उसे जीवन से कोई सम्बन्ध न था। साहित्य कारों में एक दल तो वैराग्य की दुहाई देता था, दूसरा शुगार में छब्बा हुआ था। पतन काल में प्राय सभी साहित्यों का यही हाल होता है। विचारों की शिथिलता ही पतन का सबसे मनहूस लक्षण है। जब समाज का मस्तिष्क अर्थात् पढ़ा लिखा शासक भाग, विषय-भोग में लिपि हो जाता है, तो विचारों की प्रगति रुक जाती है और अकर्मण्यता का अड्डा जमने लगता है। यो तो इतिहास के उज्ज्वल युगो में भी भोग-वृत्ति की कमी कभी नहीं रही, मगर फर्क इतना ही है कि एक दशा में तो भोग हमें कर्म के लिए उत्तेजित करता है, दूसरी दशा में वह हमें पस्तहिम्मत और विचारशून्य बना डालता है। समाज इन्द्रियसुख में इतना छब्बा जाता है कि उसे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती। उसकी दशा उस शाराबी-सी हो जाती है, जिसमें केवल शाराब पीने की चेतना रह जाती है। उसकी आत्मा इतनी दुर्बल हो जाती है कि शाराब का आनन्द भी नहीं उठा सकती। वह पीता है केवल पीने के लिए, आनन्द के लिए नहीं। जब शिक्षित समाज इस दशा में आ जाता है तो साहित्य पर उसका असर कैसे न पड़े। जब कुछ लोग भोग में छब्बेंगे, तो कुछ लोग वैराग्य में भी छब्बेंगे ही। किया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। चकले और मठ एक दूसरे के जवाब हैं। ये मठ न होते तो चकले भी न होते। ऐसे युग में रोमान ही साहित्यकला का आधार था लेकिन अब हालते बड़ो तेजी से बदलती जा रही हैं। आज का साहित्य-कार जीवन के प्रश्नों से भाग नहीं सकता। अगर सामाजिक समस्याओं से वह प्रभावित नहीं होता, अगर वह हमारे सौन्दर्य वोध को जगा नहीं सकता, अगर वह हममें भावों और विचारों की स्फूर्ति नहीं डाल सकता, तो वह इस ऊँचे पद के योग्य नहीं समझा जाता। पुराने जमाने में पथों के हाथ में समाज की बागडोर थी। हमारा मानसिक और नैतिक सस्कार धर्म के आदेशों का अनुगामी था। अब यह भार साहित्य ने अपने ऊपर ले लिया है। धर्म भव वा लोभ

से काम लेता था। स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, उसके यन्त्र थे। साहित्य हमारी सौदर्य-भावना को सजग करने की चेष्टा करता है। मनुष्य-मात्र में यह भावना होती है। जिसमें यह भावना प्रवल होती है, और उसके साथ ही उसे प्रकट करने का सामर्थ्य भी होता है, वह साहित्य का उपासक बन जाता है। यह भावना उसमें इतनी तीव्र हो जाती है कि मनुष्य में, समाज में, प्रकृति में, जो कुछ असुन्दर, असौम्य, असत्य है, वह उसके लिए असह्य हो जाता है, और वह अपनी सौदर्यभावना से व्यक्ति और समाज में सुखचिप्पूर्ण जागृति डाल देने के लिए व्याकुल हो जाता है। यो कहिए कि वह मानवता का, प्रगति का, शराफत का बकील है। जो दलित है, मर्दित हैं, जख्मी है, चाहे वे व्यक्ति हों या समाज उनकी हिमायत और बकालत उसकी धर्म है। उसकी अदालत समाज है। इसी अदालत के सामने वह अपना इस्त-शासा पेश करता है और अदालत की सत्य और न्याय बुद्धि और उसकी सौन्दर्य भावना को प्रभावित करके ही वह सन्तोष प्राप्त करता है। पर साधारण बकीलों की तरह वह अपने मुवक्किल की तरफ से जा और बेजा दावे नहीं पेश करता, कुछ बढ़ाता नहीं, कुछ घटाता नहीं, न गवाहों को सिखाता पढ़ाता है। वह जानता है, इन हथकरणों से वह समाज की अदालत में विजय नहीं पा सकता। इस अदालत में तो तभी सुन-वाई होगी, जब आप सत्य से जौ-भर भी न हटें, नहीं अदालत उसके खिलाफ फैसला कर देंगी और इस अदालत के सामने वह मुवक्किल का सच्चा रूप तभी दिखा सकता है, जब वह मनोविज्ञान की सहायता ले। अगर वह खुद उसी दलित समाज का एक अग है, तब तो उसका काम कुछ आसान हो जाता है क्योंकि वह अपने मनोभावों का विश्लेषण करके अपने समाज की बकालत कर सकता है। लेकिन अधिकतर वह अपने मुवक्किल की आन्तरिक प्रेरणाओं से, उसके मनोगत भावों से अपरिचित होता है। ऐसी दशा में उसका पथ-प्रदर्शक मनोविज्ञान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए साहित्य के वर्तमान युग को

हमने मनोविज्ञान का युग रहा है। मानव बुद्धि की विभिन्नताओं को मानते हुए भी हमारी भावनाएँ सामान्यत एक रूप होती हैं। अन्तर केवल उनके विकास में होता है। कुछ लोगों में उनका विकास इतना प्रश्वर होता है कि वह क्रिया के रूप में प्रकट होता है वर्णा ग्राधिकतर सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। साहित्य इन भावनाओं को सुषुप्तावस्था से जाग्रतावस्था में लाने की चेष्टा करता है। पर इस सत्य को वह कभी नहीं भूल सकता कि मनुष्य में जो मानवता और सौदर्य भावना छिपी हुई रहती है, वहीं उसका निशाना पड़ना चाहिए। उपदेश और शिक्षा का द्वार उसके लिए बन्द है। हों उसका उद्देश्य अगर सच्चे भावावेश में डूबे हुए शब्दों से पूरा होता है, तो वह उनका व्यवहार कर सकता है।

---

## फिल्म और साहित्य

हमने गत मास के 'लेखक' में 'सिनेमा और साहित्य' शीर्षक से एक छोटा सा लेख लिखा था, जिसे पढ़कर हमारे मित्र श्री नरोत्तम प्रसाद जी नागर, सपादक 'रगभूमि' ने एक प्रतिवाद लिख भेजने की कृपा की है। हम अपने लेखकों 'लेखक' से यहाँ नक्ल कर रहे हैं, ताकि पाठकों को मालूम हो जाय कि हमारे और नरोत्तमप्रसाद जी के विचारों में क्या अतर पाठक स्वयं अपना निर्णय कर लेंगे। नागर जो का मैं कृतज्ञ हूँ, कि है। उन्होंने उस लेखकों पढ़ा और उसपर कुछ लिखनेकी जरूरत समझी। वह खुद सिनेमा में सुधार के समर्थक है और बरसों से यह आनंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इस विषय पर उन्हे सम्मति देने का पूरा अधिकार है। हम उनके प्रतिवाद को भी ज्यों छापते हैं।

### 'लेखक' में प्रकाशित हमारा लेख

अक्सर लोगों का ख्याल है कि जब से सिनेमा 'सवाक्' हो गया है, वह साहित्य का अग हो गया, और साहित्य सेवियों के लिए कार्य का एक नया द्वेष खुल गया है। साहित्य भावों को जगाता है, सिनेमा भी भावों को जगाता है, इसलिए वह भी साहित्य है। लेकिन प्रश्न यह होता है—कैसे भावों को <sup>१</sup> साहित्य वह है जो ऊचे और पवित्र भावों को जगाये, जो सुन्दरम् को हमारे सामने लाये। अगर कोई पुस्तक हमारी पशु भावनाओं को प्रबल करती है, तो हम उसे साहित्य में स्थान न देंगे। पारसी स्टेज के ड्रामों को हमने साहित्य का गौरव नहीं दिया। इसीलिए कि सुन्दरम् का जो साहित्यिक आदर्श अव्यक्त

रूप से हमारे मन मे है, उसका वहाँ कहीं पता न था। होली और कजली और बारहमासे की हजारों पुस्तके आये दिन छुपा करती हैं, हम उन्हे साहित्य नहीं कहते। वह विकती बहुत है, मनोरजन भी करती है, पर साहित्य नहीं है। साहित्य मे भावों की जो उच्चता, भाषा की जो प्रौढ़ता और स्पष्टता, सुन्दरता की जो साधना होती है, वह हमे वहाँ नहीं मिलती। हमारा ख्याल है कि हमारे चित्रपटों मे भी वह वात नहीं मिलती। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। सुरुचि या सुन्दरता से उन्हे कोई प्रयोजन नहीं। वह तो जनता को वही चीज देंगे जो वह मोर्गती है। व्यापार, व्यापार है। वहाँ अपने नफे के सिवा और किसी बात का ध्यान करना ही वर्जित है। व्यापार मे भावुकता आई और व्यापार नष्ट हुआ। वहाँ तो जनता की रुचि पर निगाह रखनी पड़ती है और चाहे ससार का सचालन देवताओं ही के हाथों मे क्यों न हो, मनुष्य पर निम्न मनो बृत्तियों का राज्य होता है। अगर आप एक साथ दो तमाशों की व्यवस्था करें—एक तो किसी महात्मा का व्याख्यान हो, दूसरा किसी वेश्या का नग्न नृत्य, तो आप देखेंगे कि महात्मा जी तो खाली कुरसियों को अपना भाषण सुना रहे हैं और वेश्या के पण्डाल मे तिल रखने को जगह नहीं। मुँह पर राम-राम मन मे छुरी बाली कहावत जितनी ही लोकप्रिय है, उतनी ही सत्य भी है। वही भोला भाला ईमानदार गवाला जो अभी ठाकुरद्वारे से चरणामृत लेकर आया है, बिना किसी फिरक के दूध मे पानी मिला देता है। वही बाबूजी, जो अभी किसी कवि की एक सूक्ति पर सिर धुन रहे थे, अवसर पाते ही एक विधवा से रिश्वत के दो रूपये बिना किसी फिरक के लेकर जेव मे दाखिल कर लेते हैं। उपन्यासों मे भी ज्यादा प्रचार डाके और हत्या से भरी हुई पुस्तकों का होता है। अगर पुस्तकों मे कोई ऐसा स्थल है जहाँ लेखक ने सयम की लगाम ढीली कर दी हो तो उस स्थल को लोग बड़े शाक से पढ़ेंगे, उस पर लाल निशान बनायेंगे, उस पर मित्रों से मुवाहसे करेंगे। सिनेमा मे भी वही तमाशे खूब चलते हैं, जिनसे निम्न-भावनाओं की

विशेष त्रुटि हो। वही सञ्जन, जो सिनेमा की कुरुचि की शिकायत करते फिरते हैं, ऐसे तमाशो में सबसे पहले बैठे नजर आते हैं। साधु तो गली गली भीख मॉगते हैं पर वेश्याओं को भीख मॉगते किसी ने न देखा होगा। इसका आशय यह नहीं कि ये भिखरिये साधु वेश्याओं से ऊँचे हैं—लेकिन जनता की इष्टि में वे श्रद्धा के पात्र हैं। इसीलिये हर एक सिनेमा प्रोड्यूसर, चारे वह समाज का फितना बड़ा हितैषी क्यों न हो, तमाशों में नीची मनोवृत्तियों के लिए काफी मसाला रखता है नहीं तो उसका तमाशा ही न चले। बम्बई के एक प्रोड्यूसर ने ऊँचे भावों से भरा हुआ एक खेल तैयार किया, मगर बहुत हाय हाय करने पर भी जनता उसकी ओर आकर्षित न हुई। ‘पास’ के अन्याधुन्व वितरण से रुपये तो नहीं मिलते। आमन्त्रित सज्जनों और देवियों ने तमाशा देखकर मानो प्रोड्यूसर पर एहसान किया और बखान करके मानो उसे मोल ले लिया। उसने दूसरा तमाशा जो तैयार किया, वह वही बाजारू ढग का था और वह खबूल चला। पहले तमाशे से जो घाटा हुआ था, वह इस दूसरे तमाशे से पूरा हो गया। जिस शौक से लोग शराब और ताड़ी पीते हैं, उसके आधे शौक से दूध नहीं पीते। ‘साहित्य’ दूध होने का दावेदार है, सिनेमा, ताड़ी या शराब की भूख को शान्त करता है। जब तक साहित्य अपने स्थान से उतर कर और अपना चोला बदलकर शराब न बन जाय, उसका वहाँ निर्वाह नहीं। साहित्य के सामने आदर्श है, सथम है, मर्यादा है। सिनेमा के लिये इसमें से किसी वस्तु की जरूरत नहीं। सेसर बोर्ड के नियन्त्रण के सिवा उस पर कोई नियन्त्रण नहीं। जिसे साहित्य की ‘सनक’ है वह कभी कुरुचि की ओर जाना स्वीकार न करेगा। मर्यादा की भावना उसका हाथ पकड़े रहती है, इसलिए हमारे साहित्यकार के लिये, जो सिनेमा में है, वर्तों के बल इतना ही काम है कि वे डाइरेक्टर साहब के लिखे हुए गुजराती, मराठी या अंग्रेजी कथोपकथन को हिन्दी में लिख दे। डाइरेक्टर जानता है कि सिनेमा के लिए जिस ‘रचना कला’ की जरूरत

है वह लेखकों में मुण्डिल से मिलेगी, इसलिए वह लेखकों से केवल उतना ही काम लेता है जितना वह बिना किसी हानि के ले सकता है, अमेरिका और अन्य देशों में भी साहित्य और सिनेमा में सामन्जस्य नहीं हो सका और न शायद ही हो सकता है। साहित्य जन-रुचि का पथ प्रदर्शक होता है, उसका अनुगामी नहीं। सिनेमा जन रुचि के पीछे चलता है, जनता जो कुछ माँगे वही देता है। साहित्य हमारी सुन्दर भावना को स्पर्श करके हमे आनन्द प्रदान करता है। सिनेमा हमारी कुत्सित भावनाओं को स्पर्श करके हमे मतवाला बनाता है और इसकी दबा प्राङ्गयूसर के पास नहीं। जब तक एक चीज का मौग है, वह बाजार मे आएगी। कोई उसे रोक नहीं सकता। अभी वह जमाना बहुत दूर है जब सिनेमा और साहित्य का एक रूप होगा। लोक-रुचि जब इतनी परिष्कृत हो जायगी कि वह नीचे ले आने वाली चीजों से बुराणा करेगी, तभी सिनेमा मे साहित्य की सुरुचि दिखाई पड़ सकती है।

हिन्दी के कई साहित्यकारों ने सिनेमा पर निशाने लगाये लेकिन शायद ही किसी ने मछली बेघ पाई हो। फिर गले मे जयमाल कैसे पड़ता? आज भी पडित नारायण प्रसाद बेताब, मुन्शी गौरीश कर लाल अखतर, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, मि० जमना प्रसाद काश्यप, मि० चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, डाक्टर धनीराम प्रेम, सेठ गोविन्ददास, पडित द्वारका प्रसाद जी मिश्र आदि सिनेमा की उपासना करने मे लगे हुए है। देखा चाहिए सिनेमा इन्हे बदल देता है या ये सिनेमा की काया पलट कर देते हैं?

**श्री नरोत्तम प्रसाद जी की चिट्ठी**  
अद्वेय प्रेमचन्द्र जी,

‘लेखक’ मे आपका लेख ‘फिल्म और साहित्य’ पढा। इस चीज को लेकर रगभूमि मे अच्छी खासी कन्ट्रोवर्सी चल चुकी है। रगभूमि के वे

अक आपको भेजे भी गए थे। पता नहीं आपने उन्हे देखा कि नहीं।  
अस्तु।

आपने सिनेमा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह ठीक है। साहित्य को जो स्थान दिया है, उससे भी किसी का मतभेद नहीं हो सकता। निश्चय ही सिनेमा ताड़ी और साहित्य दूध है, पर इस चीज को जेनेरलाइज करना ठोक न होगा। सिनेमा के लिए भी और साहित्य के लिए भी। साहित्य भी इसी ताड़ीपन से अछूता नहीं है। सिनेमा को मात बरने वाले उदाहरण भी उसमे मिल जायेगे—एक नहीं अनेक। और ऐसे व्यक्तियों के जिनको कि साहित्यिक समार ने रिक्गनाइज किया है। और तो और, पाढ़कोर्स तक मेर्जिनफ़िल पुस्तके हैं। आपने समर्थन में महात्मा गान्धी के वे वाक्य उद्धृत करने होगे क्या, जो कि उन्होंने इन्दौर साहित्य सम्मेलन के सभापति की हैसियत से कहे हैं? लेकिन प्रत्यक्ष किम् प्रमाणम्। यही बात सिनेमा के साथ है। सिनेमा का साथ तो एक और भी गडवड है। वह यह कि बदनाम है। आपके ही शब्दों मे भिलमगे साधु वेश्याओं से अच्छे न होते हुए भी श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा के पात्र है, इसलिए टालरेंबुल है या उतने विरोध के पात्र नहीं हैं, जितने कि वेश्याएँ। इसी तर्क शैली को लेकर आप सिद्ध करते हैं कि सिनेमा ताड़ी है और साहित्य दूध। ताड़ी ताड़ी है और दूध दूध। आपने इन दोनों के दर्भियान एक बेल मार्कड एन्ड बेल डिफाइन्ड लाइन आफ डिफरेन्स खीच दी है।

मेरा आपसे यहाँ सैद्धान्तिक मतभेद है। मेरा स्थाल है कि यह विचारधारा ही गलत है, जो इस तरह की तर्क शैली को लेकर चलती है। कभी जमाना था, जब इस तर्क शैली का जोर था, सराहना थी वर अब नहीं है। इस चीज को हमें उखाड़ फेंकना ही होगा।

एक जगह आप कहते हैं कि साहित्य का काम जनता के नीछे चलना नहीं, उसका पथ-प्रदर्शक बनना है। आगे चलकर आप साधु और वेश्याओं की मिसाल देते हैं। साधु वेश्याओं से अच्छे न होते हुए

भी जनता की श्रद्धा के पात्र हैं। यहा आप जनता की इस श्रद्धा को अपने समर्थन में आगे बढ़ो रखते हैं।

आपने जो साहित्य के उद्देश्य गिनाये हैं, उन्हे पूरा करने में सिनेमा साहित्य से कही आगे जाने की क्षमता रखता है। यूटिलिटी के वृष्टिकोण से सिनेमा साहित्य से कहीं अधिक ग्राह्य है, लेकिन यह सब होते हुए भी सिनेमा की उपयोगिता कुपात्रों के हाथों में पड़कर दुरुपयोगिता में परिणत हो रही है। इसमें दोष सिनेमा का नहीं, उनका है जिनके हाथ में इसकी बागडोर है। इनसे भी अधिक उनका है जो इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करना भी बुरा नहीं होता, यदि इसके साथ मजबूरी की शर्त न लगी होती।

गले में जयमाल पड़ने वाली बात भी बड़े मजे की है—‘कितने ही साहित्यिकों ने निशाने लगाये पर शायद ही कोई मछली बेघ पाया हो। जयमाल गले में कैसे पड़ती?’ बहुत खूब। जिस चीज के लिए साहित्यिकों ने सिनेमा पर निशाने लगाये, वह चीज क्या उन्हे नहीं मिली—अपवाद को छोड़कर! आप या कोई और साहित्यिक यह बताने की कृपा करेंगे कि सिनेमा में प्रवेश करने वाले साहित्यिकों में से ऐसा कौन है, जिसके सिनेमा प्रवेश का मुख्य उद्देश्य सिनेमा को अपने रंग में रगना रहा हो? क्या किसी भी साहित्यिक ने सिन्सीयरली इस ओर कुछ काम किया है? फिर जयमाल गले में कैसे पड़ता? माना कि साहित्य ससार में जयमाल और सन्नाट की उपाधियों टके सेर बिकती हैं, लेकिन सभी जगह तो इन चीजों का यही भाव नहीं है। पहले सिनेमा-जगत को कुछ दीजिए, या यो ही गले में जयमाल पड़ जाये? या सिर्फ साहित्यिक होना ही गले में जयमाल पड़ने का क्वालिफिकेशन है?

आप बम्बई में रह चुके हैं। सिनेमा-जगत की आपने भाकी भी ली है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साहित्यिक भी, अपनी फ़िल्मों में निर्दिष्ट रुचि का समावेश करने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। या कहे कि आगे ही बढ़ गये हैं। औरों को छोड़ दीजिए, वे

साहित्यिक भी जो कि एक तरह से कम्पनी के सर्वेसर्वा है, अपने फिल्म में दो सौ लड़कियों का नाम रखने से बाज न आये, जो कि बजिद थे, कि तालाब से पानी भरने वाले सीन में हीरोइन अण्डरवियर न पहने, हीरो आये, उससे छेड़खानी करे और उसका घडा छीनकर उस पर ढाल दे। बदन पर अण्डरवियर नहीं, वस्त्र भीगे, बदन से चिपके, और नगनता का प्रदर्शन हो। यह सूझ उन्हीं साहित्यिकों में से एक की है, जिनके कि आपने नाम गिनाये हैं। • लेकिन मुझे कहना चाहिए कि इसमें साहित्यिक का दोष जरा भी नहीं है। और ऐसी ब्लैक-शीप मेन्टैलिटी साहित्यिक क्या और सिनेमा क्या, सभी जगह मिल जायेगी।

आपने अपने लेख में होली, कजली और बारहमासे की पुस्तकों का जिक्र किया है। इन चीजों को साहित्य नहीं कहा जाता या साहित्यिक इन्टेरिग्नाइज नहीं करते, यह ठीक है। लेकिन उनका अस्तित्व है और जिस प्रेरणा या उमग को लेकर अन्य कलाओं का सुजन होता है उन्हीं को लेकर यह होली, कजली और बारहमासे भी आये हैं। लेकिन आपका उन्हे अपने से अलग रखना भी स्वाभाविक है। यूटिलिटी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। इसी तरह क्या आपने कभी यह जानने का कष्ट किया है कि सिनेमा-जगत में क्लासेज एड मासेज—दोनों की ही ओर से कौन-कौन सी कम्पनियों, कौन कौन से डाइरेक्टरों और कौन-कौन से फिल्मों को रिक्ग्नाइज किया जाता है? भारत की मानी हुई या सर्वश्रेष्ठ कम्पनियों कौन सी है, यह पूछने पर आपको उत्तर मिलेगा—प्रभात, न्यू थियेटर्स और रणजीत। डाइरेक्टरों की गणना में शान्तराम, देवकी बोस और चन्दू-लाल शाह के नाम सुनाई देंगे। तब फिर आपका, या किसी भी व्यक्ति का, जो भी फिल्म या कम्पनी सामने आ जाये उसी से सिनेमा पर एक स्लैशिंगफतवा देना कहों तक सगत है, यह आपही सोचे। यह तो वहाँ बात हुई कि कोई आदमी किसी लाइब्रेरी में जाता है। जिस पुस्तक पर हाथ पड़ता है, उसे उठा लेता है। और फिर उसी के आधार

पर फतवा दे देता है कि हिन्दी में कुछ नहीं है, निरा कूड़ा भरा है। क्या आप इस चीज़ को ठीक समझते हैं ?

अब दो एक शब्द आपके मादक या मतवालावाद पर भी। पहली बात तो यह कि केवल यूटिलिटरियन एन्डस की दृष्टि से लिखा गया साहित्य ही साहित्य है, ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसी रचना करने के लिए साहित्यिक से अधिक प्रोपेगेइडस्ट होने की जरूरत है। इतना ही नहीं। इन एन्डस को पूरा करने के लिए अन्य सावन मौजूद है, जो साहित्य से कही अधिक प्रभावशाली है। तब फिर, साहित्य के स्थान पर उन साधनों को प्रफेरेन्स क्यों न दिया जाये ? इसे भी छोड़ें। यूटिलिटरियन एन्डस को अपनाने में काई हर्ज़ नहीं। उन्हे अपनाना चाहिए ही। लेकिन क्या सचमुच मे सेक्स अपील उतना बड़ा हौवा है, जितना कि उसे बना दिया गया है ? क्या सेक्स अपील से अपने आपको, अपनी रचनाओं को, पाक रखा जा सकता है ? पाक रखना क्या स्वामानिक और सजीव होगा ? अपवाद के लिए गुजाइश छोड़कर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसी भी ऐसी रचना का नाम बताएँ, जिसमे सेक्स अपील न हो। सेक्स अपील बुरी चीज़ नहीं है। वह तो होनी ही चाहिए। लोहा तो हमे उस मनोवृत्ति से लेना है, जो सेक्स अपील और सेक्स परवर्शन मे कोई भेद नहीं समझती।

अब सिनेमा-मुधार की समस्या पर भी। यह समझना कि जिनके हाथ मे सिनेमा की बागडोर है, वे इनिशिएटिव ले—भारी भूल होगी। यह काम प्रेस और प्लेटफार्म का है, इससे भी बढ़कर उन नवयुवकों का है, जो सिनेमा मे दिलचस्पी रखते हैं। चूंकि मैं प्रेस से सम्बन्धित हूँ और फिलहाल एक सिनेमा पत्रिका का सम्पादन कर रहा हूँ इसलिए मैंने इस दिशा मे कदम उठाने का प्रयत्न किया। लेखकों तथा अन्य साहित्यिकों को अप्रोच किया। कुछ ने कहा कि सिनेमा सुधार की जिम्मेदारी लेखकों पर नहीं। अपने लेख पर दिये गये 'लेखक' के सम्पादक का नोट ही देखिए। कुछ ने इसे असम्भव-सा बताकर छोड़ दिया। सिनेमा मुधार

की आवश्यकता को तो सब महसूस करते हैं, सिनेमा का विरोध भी जी खाल कर करने हैं, पर कियात्मक सहयोग का नाम सुनते ही अलग हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि सिनेमा बदनाम है और यह चीज हमारे रोम राम मे धसी हुई है, कि बद अच्छा बदनाम बुरा। क्या यह विड-म्बना नहीं है? इस चीज को दूर करने मे क्या आप हमारी सहायता न करेंगे?

यह सब होते हुए हम सिनेमा सुधार के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवयुवक लेखकों के सिनेमा ग्रूप की योजना के लिए जमीन तैयार हा चुकी है, हम विश्वतृत योजना भी शीघ्र प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए जरूरत होगी एक निष्पक्ष सिनेमा पत्र की। जब तक नहीं निकलता तब तक काफी दूर तक 'रगभूमि' हमारा साथ दे सकती है। मेरा तो यह निश्चित मत है और मै सर्वो कह सकता हूँ कि इस लिहाज से 'रगभूमि' भारतीय सिनेमा पत्रों मे सबसे आगे है। मै आपसे अनुरोध करू गा कि आप 'रगभूमि' की आलोचनाएँ जरूर पढ़ा करे। पढ़ने पर आपका भी मेरे जैसा मत स्थिर करने मे जरा भी देर न लगेगा। इसका मुझे पूर्ण निश्चय है।

आशा है कि आप भी सिनेमा-ग्रूप को अपना आवश्यक सहयोग देकर कृतार्थ करेंगे।

### आपका

नरोत्तम प्रसाद नागर

नागर० जी ने हमारे सिनेमा-सम्बन्धी विचारों को ठीक मना है, केवल हमारा जेनरेलाइज करना अर्थात् सभी को एक लाठी से हाकना उन्हे अनुचित जान पड़ता है। क्या वेश्याओं मे शरीफ ओरते नहीं हैं? लेकिन इससे वेश्यावृत्ति पर जो दाग है वह नहीं मिटता। ऐसी वेश्याएँ अपवाद हैं, नियम नहीं।

साधुओं और वेश्याओं मे मौलिक अन्तर है। साधु कोई इसलिए नहीं हाता कि वह मौज उड़ाएगा और व्यभिचार करेगा, हालाकि ऐसे

साधु निकल ही आते हैं, जो परले सिरे के लुच्चे कहे जा सकते हैं। साधु हम ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष या जन-सेवा के ही विचार से होते हैं। इस गई गुजरी दशा में भी ऐसे साधु मौजूद हैं, जिन्हे इम महात्मा कह सकते हैं। वेश्याओं के मूल में दुवोसना, अर्थ लोलुजता, कामुकता और कपट होता है। इससे शायद नागर जी को भी इन्कार न हो।

सिनेमा की क्षमता से मुझे इनकार नहीं। अच्छे विचारों और आदर्शों के प्रचार में सिनेमा से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, मगर जैसा नागर जी खुद स्वीकार करते हैं, वह कुपात्रों के हाथ में है और वह लोग भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते, जो उसे बर्दाश्त करते हैं, अर्थात् जनता। मुझे इसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। यहीं तो मैं कहना चाहता हूँ। सिनेमा जिनके हाथ में है, उन्हे आप कुपात्र कहे, मैं तो उन्हे उसी तरह व्यापारी समझता हूँ, जैसे कोई दूसरा व्यापारी। और व्यापारी का काम जन-रुचि का पथ-प्रदर्शन करना नहीं, धन कमाना है। वह वही चीज जनता के सामने रखता है, जिसमें उसे अधिक से अधिक धन मिले। एक फिल्म बनाने में पचास हजार से एक लाख तक बत्तिक इससे भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। व्यापारी इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। गरीब का दीवाला निकल जाय, साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य धन नहीं होता, नाम चाहे हो। हमारे खयाल में साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन को बल और स्वास्थ्य प्रदान करना है। अन्य सभी उद्देश्य इसके नीचे आ जाते हैं। हजारों साहित्यकार के बल इसी भावना से अपना जीवन तक साहित्य पर कुर्बान कर देते हैं। उन्हे धेला भी इससे नहीं मिलता। मगर ऐसा शायद ही काहे प्रोड्यूसर अवतरित हुआ हो, और शायद ही हो, जिसने इस ऊँची भावना से फिल्म बनाया हो।

आप फरमाते हैं, सिनेमा में जाने वाले साहित्यको में ऐसा कौन था, जिसका मुख्य उद्देश्य सिनेमा को अपने रग में रगना रहा हो? हम औरों से कह सकते हैं, काहे भी नहीं। वहों का जलवायु ही ऐसा है कि बड़ा आदर्शवादी भी जाय, तो नमक की खान में नमक बन कर रहा

जायगा। वही लोग, जो साहित्य में आदर्श की सुषिट करते हैं सिनेमा में दो दो सौ वेश्याओं का नगा नाच करवाते हैं। क्यों? इसीलिए कि वे ऐसे धन्वे में पड़ गये हैं, जहों बिना नगा नाच नचाये धन से भेट नहीं होती। मैं आदर्शों को लेकर गया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि सिनेमा वालों के पास बने बनाये नुस्खे हैं, और आप उस नुस्खे के बाहर नहीं जा सकते। वहों प्रोड्यूसर यह देखता है कि जनता किस बात पर तालियाँ बजाती है। वही बात वह अपने फिल्म में लायेगा। अन्य विचार उसके लिए ढकोसले हैं, जिन्हे वह सिनेमा के दायरे के बाहर समझता है। और फिर सारा भेद तो एसेसिएशन का है। वेश्या के मुख से वैराग्य या निर्गुण सुनकर कोई तर नहीं जाता। रही उपाधियों के टके सेर की बात। हमारे खयाल में सिनेमा में वह इससे कहीं सस्ती है जहों अच्छे वेतन पर लोग इसीलिए नौकर रखे जाते हैं, जो अपने ऐक्टरों और ऐक्ट्रेसों की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिलायें।

मैं यह नहीं कहता कि होली या कजली त्याज्य हैं और जो लोग होली या कजली गाते हैं वहाँनीच हैं और जिन भावों से प्रेरित होकर होली और कजली का सुजन हाता है वह मूल रूप में साहित्य की प्रेरक भावनाओं से अलग है। किर भी वे साहित्य नहीं हैं। पत्र-पत्रिकाओं को भी साहित्य नहीं कहा जाता। कभी कभी उनमें ऐसी चीजें निकल जाती हैं, जिन्हे हम साहित्य कह सकते हैं। इसी तरह होली और कजली में भी कभी-कभी अच्छी चीजें निकल जाती हैं, और वह साहित्य का अग बन जाती हैं। मगर आम तौर पर ये चीजें अस्थायी होती हैं और साहित्य में जिस परिष्कार, मौलिकता, शैली, प्रतिभा, विचार गम्भीरता की जल्दत होती है, वह उनमें नहीं पाई जाती। देहातों में दीवारों पर औरते जो चित्र बनाती हैं, अगर उसे चित्रकला कहा जाय तो शायद ससार में एक भी ऐसा प्राणी न निकले जो चित्रकार न हो। साहित्य भी एक कला है और उसकी मर्यादाएँ हैं। यह मानते हुए भी कि श्रेष्ठ कला वही है जो

आसानी से समझी और चरी जा सके, जो सुवोध और जनप्रिय हो, उसमे ऊपर लिखे हुए गुणों का होना लाजमी है। आपने सिनमा-जगत मैं जिन अपवादो के नाम लिये हैं, उनकी मैं भी इज्जत करता हूँ और उन्हें बहुत गरीबत समझता हूँ, मगर वे अपवाद हैं, जो नियम को सिद्ध करते हैं। और हम तो कहते हैं इन अपवादो को भी व्यापारिकता के सामने सिर झुकाना पड़ा है। सिनेमा मे एटरटेनमेन्ट वैलू साहित्य के इसी अग से विलकुल अलग है। साहित्य मे यह काम शब्दो, सूक्ष्मियों या विनोदों से लिया जाता है। सिनेमा मे वही काम, मारपीट, घर पकड़, मुह चिढ़ाने और जिस्म को मटकाने से लिया जाता है।

रही उपयोगिता की बात। इस विषय मे मेरा पक्ष मत है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सभी कला उपयोगिता के सामने छुटना टेकती है। प्रोपेगेन्डा बदनाम शब्द है, लेकिन आज का विचारोत्पादक, बलदायक, स्वास्थ्यवर्धक साहित्य प्रोपेगेन्डा के सिवा न कुछ है, न हो सकता है, न होना चाहिए, और इस तरह के प्रोपेगेन्डे के लिए साहित्य से प्रभावशाली कोई साधन ब्रह्मा ने नहीं रचा वर्ना उपनिषद् और बाइबिल द्वष्टान्तो से न भरे होते।

सेक्स अपील को हम हौवा नहीं समझते, दुनिया उसी धुरी पर कायम लेकिन शराबखाने मे बैठ कर तो कोई दूध नहीं पीता। सेक्स अपील की निन्दा तब होती है, जब वह विकृत रूप धारण कर लेती है। सुई कपडे मे चुभती है, तो हमारा तन ढकती है, लेकिन देह मे चुभे तो उसे जख्मी कर देगी। साहित्य मे भी जब यह अपील सीमा से आगे बढ़ जाती है, तो उसे दूषित कर देती है। इसी कारण हिन्दी प्राचीन कविता का बहुत बड़ा भाग साहित्य का कलक बन गया है। सिनेमा मे वह अपील और भयकर हो गई है, जो सथम और निग्रह का उपहास है। हमे विश्वास नहीं आता कि आप आजकल के मुक्त प्रेम के अनुयायी हैं। उसे प्रेम कहना तो प्रेम शब्द को कल्कित करना है। उसे तो छिक्कोरापन ही कहना चाहिए।

अन्त में हमारा यहीं निवेदन है कि हम भी सिनेमा को इसके परिष्कृत रूप में देखने के इच्छुक हैं, और आप इस विषय में जो सराहनीय उद्योग कर रहे हैं, उसको गनीमत समझते हैं। मगर शराब की तरह यह भी यूरोप का प्रसाद है और हजार कोशिश करने पर भी भारत जैसे सूखे देश में उसका व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि शायद कुछ दिनों में वह यूरोप की तरह हमारे भोजन में शामिल हो जाय। इसका सुधार तभी होगा जब हमारे हाथ में अधिकार होगा, और सिनेमा जैसी प्रभावशाली, सद् विचार और सद्व्यवहार की मशीन कला मर्मज्ञों के हाथ में होगी, धन कमाने के लिए नहीं, जनता को आदमी बनाने के लिए, जैसा योरप में हो रहा है। तब तक तो यह नाच तमाशे की श्रेणी से ऊपर न उठ सकेगा।

---

## सिनेमा और जीवन

सिनेमा का प्रचार दिन दिन बढ़ रहा है। केवल इंग्लैण्ड में दो करोड़ दर्शक प्रति सप्ताह सिनेमा देखने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र का फर्ज हो गया है कि वह सिनेमा की प्रगति पर कड़ी निगाह रखे और इसे केवल धन लुटेरों के ही हाथ में न छोड़ दे। व्यवसाय का नियम है कि जनता में जो माल ज्यादा खपे, उसकी तैयारी में लगे। अगर जनता को ताड़ी शराब से रुचि है, तो वह ताड़ी शराब की दुकानें खोलेगा और खूब धन कमाएगा। उसे इससे प्रयोजन नहीं कि ताड़ी शराब से जनता, को कितनी दैहिक, आत्मिक, चारित्रिक, आर्थिक और पारिवारिक हानि पहुँचती है। उसके जीवन का उद्देश्य तो धन है और धन कमाने का कोई भी साधन वह नहीं छोड़ सकता। यह काम उपदेशकों और सन्तों का है कि वे जनता में सयम और निषेध का प्रचार करें। व्यवसाय तो व्यवसाय है। 'विजनेस इंज विजनेस' यह वाक्य सभी की जानान पर रहता है। इसका अर्थ यही है कि कारोबार में धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित का विचार नहीं किया जा सकता। बल्कि उसका विचार करना बेवकूफी है।

इसमें विद्वानों को मतभेद हो सकता है कि आदमी का पूर्व पुरुष बन्दर है या भालू, लेकिन इसमें तो सभी सहमत होंगे कि आदमी में दैविकता भी है और पाशिविकता भी। अगर आदमी एक वक्त में किसी की हत्या कर सकता है, तो दूसरे अवसर पर किसी की रक्षा में अपने प्राणों का होम भी कर सकता है और आदि से साहित्य और काव्य और

कलाओं का यही व्येय रहा है कि आदमी में जो पशुत्व है उसका दमन, करके, उसमें जा देवत्व है, उसको जगाया जाय। उसमें जो निम्न भावनाएँ हैं उनको दबाकर या मिटाकर कोमल और सुन्दर वृत्तियों को सचेत किया जाय। साहित्य और काव्य में भी ऐसे समय आये हैं, और आते रहते हैं, जब सुन्दर का पक्ष निर्वल हो जाता है और वह असुन्दर, वीभत्स और दुर्वासना का राग अलापने लगता है। लेकिन जब ऐसा समय आता है तो हम उसे पतन का युग कहते हैं। इसी उद्देश्य से साहित्य और कला में केवल मानव जीवन की नक्ल करने को बहुत कॅचा स्थान नहीं दिया जाता और आदशों की रचना करनी पड़ती है। आदर्शवाद का घ्येय यही है कि वह सुन्दर और पवित्र की रचना करके मनुष्य में जो कोमल और ऊँची भावनाएँ हैं, उन्हे पुष्ट करे और जीवन के सस्कारों से मन और हृदय में जो गर्द और मैल जम रहा हो उसे साफ कर दे। किसी साहित्य की महत्ता की जाच यही है कि उसमें आदर्श चरित्रों की सुष्ठि हो। हम सब निर्वल जीव हैं, छोटे-छोटे प्रलोभनों में पड़कर हम विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे सकटों के सामने हम सिर मुक्का देते हैं। और जब हमें अपने साहित्य में ऐसे चरित्र मिल जाते हैं, जो प्रलोभनों को पैरों तले रैदेते और कठिनाइयों को धकियाते हुए निकल जाते हैं, तो हमें उनसे प्रेम हो जाता है, हमसे साहस का जागरण होता है और हमें अपने जीवन का मार्ग मिल जाता है।

अगर सिनेमा इसी आदर्श को सामने रखकर अपने चित्रों की सुष्ठि करता, तो वह आज ससार की सबसे बलवान सचालक शक्ति होता, मगर खेद है कि इसे कोरा व्यवसाय बनाकर हमने उसे कला के ऊँचे आसन से खोचकर ताड़ी या शराब की दूकान की सतह तक पहुँचा दिया है, और यही कारण है कि अब सर्वत्र यह आनंदोलन होने लगा है कि सिनेमा पर नियन्त्रण रखा जाय और उसे मनुष्य की पशुताओं को उत्तेजन देने की कुप्रवृत्ति से रोका जाय।

जिस जमाने में बम्बई में काग्रेस का जलसा था, सिनेमा हाल

अधिकाश मे खाली रहते थे, और उन दिनों जो चित्र दिखाये गये, उनमे घाटा ही रहा। इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि जनता के विषय मे जो खयाल है कि वह मारकाट और सनसनी पैदा करने वाला और शोर गुल से भरी हुई तस्वीरों को ही पसन्द करती है, वह भ्रम है। जनता प्रेम और त्याग और मेन्ट्रता और कशण से भरी हुई तस्वीरा को और भी रुचि से देखना चाहती है, मगर हमारे सिनेमा वालों ने पुलिसवालों की मनोवृत्ति से काम लेकर यह समझ लिया है कि केवल भद्रे मसखरेपन और मैडैटी और बलात्कार और सौ फीट की ऊँचाई से कूदने, झूठमूढ़ टीन की तलवार चलाने मे ही जनता को आनन्द आता है और कुछ थोड़ा सा आलिंगन और चुम्बन तो मानो सिनेमा के लिए उतना ही जरूरी है जितना देह के लिए अर्थहै। बेशक जनता वीरता देखना चाहती है। प्रेम के दृश्यो से भी जनता को रुचि है, लेकिन यह स्याल करना कि आलिंगन और चुम्बन के बिना प्रेम का प्रदर्शन हो ही नहीं सकता, और केवल नकली तलवार चलाना ही जबोर्डी है, और बिना जरूरत गीतों का लाना सुरुचि है, और मन और कर्म की हिंसा मे ही जनता को आनन्द आता है, मनोविज्ञान का विलकुल गलत अनुमान है। कहा जाता है कि, शेक्सपियर के शब्दों मे, जनता अबोध बालक है। और वह जिन बातों पर एकान्त मे बैठकर धूणा करती है, या जिन घटनाओं को अनहोनी समझती है, उन्हीं पर सिनेमा हाल मे बैठकर उल्लास से तालियों बजाती है। इस कथन मे सत्य है। सामूहिक मनोविज्ञान की यह विशेषता अवश्य है। लेकिन अबोध बालक को क्या मौं की गोद पसन्द नहीं ? जनता नगनता और फकड़ता और भड़ती ही पसन्द करती है, उसे चूमा-चाटी और बलात्कार मे ही मजा आता है, तो क्या उसकी इन्हीं आवश्यकताओं को मजबूत बनाना हमारा काम है ? व्यवसाय को भी देश और समाज के कल्याण के सामने झुकना पड़ता है। स्वदेशी आनंदोलन के समय मे किसकी हिम्मत थी जो बिजनेस इंज बिजनेस की दुहाई देता ? बिजनेस

से अगर समाज का हित होता है, तो ठीक है, वर्ना ऐसे विजनेस में आग लगा देनी चाहिए। सिनेमा अगर हमारे जीवन को स्वस्थ आनन्द दे सके, तो उसे जिन्दा रहने का हक है। अगर वह हमारे कुद्र मनोवेगों को उकसाता है, हमसे निर्लज्जता और धूर्तता और कुश्चिंचि को बढ़ाता है, और हमें पशुता की ओर ले जाता है, तो जितनी जल्द उसका निशान मिट जाय, उतना ही अच्छा।

और अब यह बात धीरे-धीरे समझ में आने लगी है कि अर्धनगन तस्वीरे दिखाकर और नगे नाचों का प्रदर्शन करके जनता को लूटना इतना आसान नहीं रहा। ऐसी तस्वीरें अब आम तौर पर नापसन्द की जाती हैं, और यद्यपि अभी कुछ दिनों जनता की बिगड़ी हुई रचि आदर्श चित्रों को सफल न होने देगी लेकिन प्रतिक्रिया बहुत जल्द होने वाली है और जनमत अब सिनेमा में सच्चे और सस्कृत जीवन का प्रतिबिम्ब देखना चाहता है, राजाओं के विलासमय जीवन और उनकी ऐयाशियों और लड़ाइयों से किसी को प्रेम नहीं रहा।

---

## साहित्य की नई प्रवृत्ति

जिस तरह स्कृति के और सभी अगों में यूरोप हमारा पथ प्रदर्शक है, उसी तरह साहित्य में भी हम उसी के पद चिन्हों पर चलने के आदी हो गये है। यूरोप आजकल नगनता की ओर जा रहा है। वही नगनता जो उसके पहनावे में, उसके मनोरजनों में, उसके रूप प्रदर्शन में नजर आती है, उसके साहित्य में भी व्याप्त हो रही है। वह भूला जा रहा है कि कला सयम और सकेत में है। वही बात जो सकेतों और रहस्यों में आकर कविता बन जाती है, अपने स्पष्ट या नग्न रूप में वीभत्स हो जाती है। वह नगे चित्र और मूर्ति बनाना कला का चमत्कार समझता है। वह भूल जाता है कि वही काजल जो ओरोंकों को शोभा प्रदान करता है, अगर मुँह पर पोत दिया जाय तो रूप को विकृत कर देता है। मिठाई उसी वक्त तक अच्छी लगती है, जब तक वह मुह मीठा करने के लिए खाई जाय। अगर वह मुह में ठूस दी जाय, तो हमें उससे अरुचि हो जायगी। ऊषा की लाली में जो सुहानापन है, वह सूरज के सम्पूर्ण प्रकाश में हरणिज नहीं। मगर वर्तमान साहित्य उसी खुलेपन की ओर चला जा रहा है। जिन प्रसगों में जीवन का माधुर्य है, उन्हे स्पष्ट और नग्न रूप में दिखाकर वह उस माधुर्य को नष्ट कर रहा है। वही प्रवृत्ति जो आज युवतियों को रेल और ट्राम में बार बार आईना देखकर ओठों और गालों के धूमिल होते हुए रग को फिर से चमका देने पर प्रेरित करती है, हमारे साहित्य में भी उन विषयों और भावों को खोलकर

रख देने की गुदगुदी पैदा करती है, जिनके गुप्त और अस्पष्ट रहने में ही कला का आनन्द है।

और यह प्रवृत्ति और कुछ नहीं, केवल समाज की वर्तमान व्यवस्था का रूप मात्र है। जब नारी को इसका निराशाजनक आभास होता है कि उसके पास रूप के आकरण के सिवा और कुछ नहीं रहा, तो वह नाना प्रकार से उसी रूप का सवार कर नेत्रों को आकर्षित करना चाहती है। उसमें वह सौन्दर्य नहीं रहा, जो काजल और पाउडर की परवाह न करके, केवल आखों को खुश करने में ही अपना सार न समझकर अन्तस्तल की गहराइयों से अपना प्रकाश फैलाता है। वही व्यापार बुद्धि जो आज गली गली, कोने कोने में अपना जौहर दिखारा रही है, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य जमा रही है। आप जिधर जाइए आपको दीवारों पर, तख्तियों पर व्यापारियों के बड़े-बड़े भड़कीले पास्टर नजर आयेंगे। समाचार-पत्रों में भी तीन चौथाई स्थान केवल विज्ञापनों से भरा रहता है। स्वामी को अच्छी सामग्री देने की उतनी चिन्ता नहीं रहती, जितनी नफा देने वाले विज्ञापन हासिल करने की। उसके कनेक्टर लेखकों के पास लेख के लिए नहीं जाते। इसके लिए तो एक कार्ड काफी है। मगर विज्ञापन दाताओं की सेवा में वे बराबर अपने कनेक्टर भेजता है, उनकी खुशामद करता है, और उसी देवता को प्रसन्न करने में अपना उद्धार पाता है। कितने ही अच्छे अच्छे पत्र तो केवल विज्ञापन के लिए ही निकलते हैं, लेख तो केवल गौण रूप से इसलिए दे दिये जाते हैं कि साहित्य के रसिकों को उन विज्ञापनों को पढ़ने के लिए प्रलोभन दे सके, व्यापार ने कला को एक तरह से खरीद लिया है। व्यापार के युग में जिस चौंक का सबसे ज्यादा महत्व होता है, वह धन है। जिसके अन्दर जो शक्ति है, चाहे वह देह की हो या मन की, या रूप की या बुद्धि की, वह उसे धन-देवता के चरणों पर ही चढ़ा देता है। हमारा साहित्य भी, जो कला का ही एक अग्र है उसी व्यापार-बुद्धि का शिकार हो गया है। हम

किसी चीज की रचना इसलिए नहीं करते कि हमे कुछ कहना है, कोई सन्देश देना है, जीवन के किसी नये दृष्टिकोण को दिखाना है, समाज और व्यक्ति मे ज़ब्ते भावों को जगाना है अथवा हमने अपने जीवन मे जो कुछ अनुभव किया है, उसे जनता को देना है, बल्कि केवल इसलिए कि हमे धन कमाना है और हम बाजार मे ऐसी चाज रखना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बिक सके। जब एक बार यह ख्याल दिल मे जम गया, तो फिर हम विचार-स्वातन्त्र्य और भाव-स्वातन्त्र्य के नाम से ऐसी चीजे लिखते हैं, जिनके विषय मे जनता को सदैव कुतूहल रहा है और सदैव रहेगा। ड्रामेटिस्ट और उपन्यासकार और कवि सभी नग्न लालसा और चूमाचारी से भरी हुई रचनाएँ करने के लिए मैदान मे उत्तर आते हैं, और आपस मे होड़-सी होने लगती है कि कोन नई से नई चौकाने वाली बातें कह सुनाये, ऐसे-ऐसे प्रसग उपस्थित करे कि कामुकता के छिपे हुए अड्डों मे जो व्यापार होते हैं वह प्रत्येक रुग्न पुरुष के सामने आ जायें। कोई आजाद प्रेम के नाम से, कोई पतितों के उद्धार के नाम से, कामोदीपन की चेष्टा करता है, और सयम और निग्रह को दकियानूसी कटकर मुक्त विलास का उपदेश देता है। सत्य और असत्य की उसे परवाह नहीं होती। वह तो चौकाने वाली और कान खड़े करने वाली बातें कहना चाहता है, ताकि जनता उसकी कृतियों पर दूट पढ़े और उसकी पुस्तके हाथों हाथ बिक जायें। उसे गुप्त प्रसगों के चित्रण मे जरा भी सकाच या झिखक नहीं होती। इन्हीं रहस्यों को खोलने मे ही शायद उसके विचार मे समाज का बेङ्गा पार होगा। ब्रत और त्याग जैसी चीज की उसकी निगाह मे कुछ भी महिमा नहीं है। नहीं, बल्कि वह ब्रत, त्याग और सतीत्व को ससार के लिए धातक समझता है। उसने वासनाओं का बेलगाम छोड़ देने मे ही मानवी जीवन का सार समझा है। हक्सले और डी० एच० लारेन्स और डिकोवरा आदि, आज अग्रेजी साहित्य के चमकते हुए रज समझे जाते हैं, लेकिन इनकी रचनाएँ क्या हैं? केवल उपन्यास रूपी कामशास्त्र। जब

एक लेखक देखता है कि अमुक की रचना नग्नता और निर्लज्जता के कारण धड़ा पड़ विक गही है, तो वह कलम हाथ में लेकर बैठता है और उससे भी दस कदम आगे जा पहुंचता है। और इन पुस्तकों की समाज में खूब आलोचनाएँ होती हैं, उनकी निर्भीक सत्यवादिता के खूब ढोल पीटे जाते हैं। इस प्रवृत्ति को यथार्थवाद का नाम दे दिया जाता है, और यथार्थवाद की आङ्ग में आप व्यभिचार की, निर्लज्जता की, चाहे जितनी मीमांसा कीजिए, कोई नहीं बोल सकता। एक महिला कलम लेकर बैठता है और अपने कुस्तित प्रेम रहस्यों का कच्चा चिट्ठा लिख जाती हैं। समाज में उनकी रचना की धूम मच जाती है, दूसरे महोदय अपनी ऐगाशियों की भूठी सच्ची कहानी लिखकर समाज में हलचल पैदा कर देते हैं। पुस्तकों को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाने के लिए, सम्भव है, अपनी आत्म-चर्चा को खूब बढ़ा-बढ़ा कर बयान किया जाता हो। कामुकता का ऐसा नगा नाच शायद किसी युग में न हुआ हो। दुकानों पर रूपवती युवतियों बैठाई जाती है। इसलिए कि ग्राहकों की कामुकता को उत्तेजित करके एक पैसे की चीज के दो पैसे बम्ल कर लिये जायें। ये युवतियों मानो वह चारा है, जिसे काटे में लगाकर मछलियों को फसाया जाता है। जब सारे कुएँ में ही भग पड़ गई हैं तो कला और साहित्य क्यों अच्छूते बच जाते ? मगर यह सब उस सामाजिक व्यवस्था का प्रसाद है, जो इस बक्क सासार में फैली है। और वह अवस्था है—‘धन का कहीं जरूरत से ज्यादा और कहीं जरूरत से कम होना। जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, वह मानो समाज के देवता हैं और जिनके पास जरूरत से कम है, वह हर मुमकिन तरीकों से धनवानों को खुश करना’ चाहते हैं। और धन की बुद्धि सदैव विषय विलास की ओर जाता है। इसीलिए रूप के बाजार सजाए जाते हैं, इसीलिए नग्न चित्र बनाए जाते हैं इसीलिए साहित्य कामुकता-प्रधान हो जाता है। साहित्य के इस नए पतन का एक कारण यह भी हो सकता है कि आज कल गश्चमी समाज में फैशन की गुलामी और भोग लालसा के

कारण कितने ही लोग विवाह से कौपते हैं, और उनकी रसिकता और कोई मार्ग न पाकर कामोदीपक साहित्य पढ़कर ही अपने दिल को तसल्ली दे लेती है। रूसी समाज को जिन लोगों ने देखा है, वे कहते हैं कि वहाँ की लियों रग और पाउडर पर जान नहीं देती और न रेशम और लेस के लिए मरती है। उनके सिनेमा घरों के दरवाजों पर अर्ध नगन पोस्टरों का वह प्रदर्शन नहीं होता, जो अन्य देशों में नजर आता है। इसका कारण यह है कि वहाँ धन की प्रभुता किसी हद तक जरूर नष्ट हो गई है, और उनकी कला अब धन की गुलामी न करके समाज के परिष्कार में लगी हुई है। हम ऊपर कह आये हैं कि आज यथार्थवाद के पदों में बेशर्मी का नगा नाच हो रहा है। यथार्थवाद के माने ही यह हो गए है कि वह समाज और व्यक्ति के नीच से नीच अधम से अधम और पतित से पतित व्यवहारों का पर्दा खोले, मगर क्या यथार्थता अपने नेत्र में समाज और व्यक्ति की पवित्र साधनाओं को नहीं ले सकती? एक विधवा के पतित जीवन की अपेक्षा क्या उसके सेवामय, तपमय जीवन का चित्रण ज्यादा मगलकारी नहीं है? क्या साधु प्रकृति मनुष्य का यथार्थ जीवन हमारे दिलों पर कोई असर नहीं करता? साहित्य में असुन्दर का प्रवेश केवल इसलिए हाना चाहिए कि सुन्दर को और भी सुन्दर बनाया जा सके। अन्वकार की अपेक्षा प्रकाश ही सार के लिए ज्यादा कल्याण-कारी सिद्ध हुआ है।

## दन्तकथाओं का महत्व

गत ७ अगस्त को मास्को में सोवियत के सभी साहित्यिकों की एक विराट् सभा हुई थी जिसके सभापति सचार प्रसिद्ध मैक्सिम गोर्की थे। इस अवसर पर मैक्सिम गोर्की ने जो भाषण दिया, वह विषय और उसके निरूपण और मौलिक विचारों के लिहाज से बड़े महत्व का था। आपने दन्तकथाओं और ग्राम्य गीतों को बिलकुल एक नए दृष्टिकोण से देखा जिसने इन ऋथाओं और गातों का महत्व सैकड़ों गुना बढ़ा दिया है। ग्राम्य साहित्य और पौराणिक कथाओं में बहुवा मानव जीवन के आदिकाल की कठिनाइयों घटनाओं और प्राकृतिक रहस्यों का वर्णन है। कम से कम हमने अब तक ग्राम्य साहित्य को इसी दृष्टि से देखा है। मैक्सिम गोर्की साहब और गहराई में जाते हैं और यह नतीजा निकालते हैं कि 'यह उस उद्योग का प्रमाण है, जो पुराने जमाने के मजदूरों को अपनी मेहनत की थकावट का बोझा हल्का करने, थोड़े समय में ज्यादा काम करने, अपने को दो या चार टॉनों वाले शत्रुओं से बचाने और मन्त्रों द्वारा दैवी वावाओं को दूर करने के लिए करना पड़ा।'

पुराणों और दन्तकथाओं में जो देवी देवता आते हैं, वह सभी स्मभाव में मनुष्यों के से ही होते हैं। उनमें भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, प्रेम और अनुराग आदि मनोभाव पाये जाते हैं जो सामान्य मनुष्यों में हैं। इस दलील से यह बात गलत हो जाती है कि ये देवी-देवता केवल ईश्वर के भिन्न रूप हैं, अथवा मनुष्य ने जल, अग्नि, मेघ आदि से बचने के लिए उन्हें देवता का रूप देकर पूजना शुरू किया। मैक्सिम

गोर्कीं साहब की राय मे इसकी उत्तरति सामाजिक व्यवस्था से हुई। समाज मे जो विशिष्ट लोग थे, वही देवताओं के नमूने बन गये। आदिम मनुष्यों को कल्पना मे देवता काई निराकार वस्तु या कोई अजूवा चीज न था, वल्कि वह मजदूर था, जिसके अस्त्रों मे हसिया या वसुला या काई दूसरा और जार होता था। वह किसी न किसी उत्योग का जान कार होता था और मजदूरों की ही भाँति मेहनत करता था। आप आगे कहते हैं

‘ईश्वर केवल उनकी कलात्मक रचना था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने उत्योग की सफलताओं और विजयों का प्रदर्शन किया। दन्त-कथाओं मे मानव शक्तियों और उसके भावी विकास को देवत्व तक पहुँचा दिया गया है, पर असल मे वास्तविक जीवन ही उनका स्रोत है और उनकी उक्तियों से यह पता लगाना कठिन नहीं है कि उनकी प्रेरणा परिश्रम की व्यथा को नम करने के लिए हुई है।’

तो मैंकिसम गोर्कीं के कथनानुसार मजदूरों ने ईश्वर को एक साधारण, सहृदय मजदूर के रूप मे देखा, लेकिन धीरे धीरे जब शक्तिवान् व्यक्तियों ने खुद ही मजदूरी छोड़कर मजदूरों से मालिक का दर्जा पा लिया तो यहीं ईश्वर मजदूरों से कठिन से कठिन काम लेने के लिए उपयुक्त होने लगा।

इसके बाद जब ईश्वर और देवताओं की सृष्टि का गौरव मजदूर मेवकों के हाथ से निकलकर धनी स्वामियों के हाथ मे आ गया, तो ईश्वर और देवता भी मजदूरों भी श्रेणी से निकलकर महाजनों और राजाओं की श्रेणी मे जा पहुँचे, जिनका काम आसराओं के साथ विहार करना, स्वर्ग के सुख लूटना, और दुखियों पर दया करना था। भारत मे तो मजदूर देवताओं का कहीं पता नहीं है। यहों के देवता तो शख्स, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। काई फरसा लिये पापियों का कल्प आम करता फिरता है, कोई बैल पर चढ़ा भग चढ़ाये, भभूत रमाये, ऊल जलूल बकता नजर आता है। जाहिर है कि ऐसे ऐशपसन्द-

या सैलानी देवताओं की सुषिटि करने वाले मजदूर नहीं हो सकते। ये देवता तो उस बक्त बने हैं, जब मजदूरों पर धन का प्रभुत्व हो चुका था और जमीन पर कुछ लोग अधिकार जमाकर राजा बन बेठे थे। यहाँ तो सभी पुराण आत्मवाद और आदर्शवाद से भरे हुए हैं। लेकिन, मैंकिसम गोकी ने दिखाया है कि ईसा के पूर्व जो प्रतिमावादी थे, उनमें आत्मवाद का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। आत्मवाद, जिसका सबसे पहले योरप में प्लेटो ने प्रचार किया, वास्तव में मजदूर समाज की देव कथाओं का ही एक परिवर्तित रूप था और जब ईसा ने अपने धर्म का प्रचार किया, तो उनके अनुयायियों ने प्राचीन यथार्थवाद के बचे-खुचे चिन्हों को भी मिटा डाला और उसकी जगह भक्ति और प्रार्थना और रहस्यवाद की स्थापना की, जिसने आज तक जनता को सम्मोहित कर रखा है, और मानव जाति की विचार शक्ति का बहुत बड़ा भाग मुक्ति और पुनर्जन्म और विधि के मामलों में पड़ा हुआ है, जिससे न व्यक्ति का कोई उपकार होता है, न समाज का।

---

## ग्राम्य गीतों में समाज का विचार

प्रत्येक समाज में धर्म और आचरण की रक्षा जितनी ग्राम्य-साहित्य और ग्राम्य गीतों द्वारा होती है, उतनी कदाचित् और किसी सावन से नहीं होती। हमारी पुरानी कहावतें और लोकोक्तियों आज भी हमसे से ६६ फीसदी मनुष्यों के लिए जीवन मार्ग के दीपक के समान हैं। अपने व्यवहारों में हम उन्हीं आदर्शों से प्रकाश लेते हैं। अगर हमारे ग्राम्य गीत, ग्राम्य-कथाएँ और लोकोक्तियों हमें स्वार्थ, अनुदारता और निर्ममता का उपदेश देती है तो उनका हमारे जीवन व्यवहारों पर वैसा हा असर पड़ना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से जब हम अपने ग्राम्य-गीतों की परीक्षा करते हैं, तो हमें यह देखकर खेद होता है कि उनमें प्राय वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष और प्रपञ्च ही की शिक्षा दी गई है। सास जहों आती है, वर्हों उसे पिशाचिनी के रूप में ही देखते हैं, जो बातचीत में वहूं का ताने देती है, गालियों सुनाती है, यर्हों तक कि वहूं को निस्सतानरह ने पर उसे बाभिन कहफर उसका तिरस्कार करती है। ननद का रूप तो और भी कठोर है। शायद ही कोई ऐसा ग्राम्य गीत हो, जिससे ननद और भावज में प्रेम और सौहार्द का पता चलता हो। ननद को भावज से 'न जाने क्यों जानी दुश्मनी रहती है। वह भावज का खाना पहनना, हँसना-बोलना कुछ नहीं देख सकती और हमेशा ओढ़डे खाज-खोजकर उसे जलाती रहती है। देवरानियों, जेठानियों और गोतिनों ने तो मानो उसका अनिष्ट करने के लिए कसम खा रखी है। वे उसके पुनर्वती होने पर जलती हैं, और उसे भी पुत्र जन्म का या अपनी सुदशा का

केवल इसीलिए आनन्द होता है कि इससे देवरानियों, जेठानियों और गोनियों का घमण्ड ढूटेगा। उसका पति भी उसमें प्रेप तो करता है, मगर जब सन्तान होने में देर होती है, तो कोसने लगता है। जो गीत जन्म, मुण्डन विवाह सभी उत्सवों में गाये जाते हैं, और प्रत्येक छोटे बड़े घर में गाये जाते हैं, उनमें अक्षर समाज और घर के यही चित्र दिखाये जाते हैं, और इसका हमारे घर और जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ना स्वाभाविक है। जब लड़की में बात समझने की शक्ति आ जाती है, तभी से उसे ननद के नाम से धृणा होने लगती है। ननद से उसे किसी तरह की सहानुभूति, सहायता या सहयोग की आशा नहीं होती। वह मन में ईश्वर से मनाती है कि उसका साविका किसी ननद से न पड़े। ससुराल जाते समय उसे सबसे बड़ी चिन्ता यही होती है कि वहाँ दुष्ट ननद के दर्शन होंगे, जो उसके लिए छुरी तेज किये बैठी है। जब मन में ऐसी भावनाएँ भरी हुई हैं, तो ननद की ओर से कोई छाटी-सी शिकायत हो जाने पर भी भावज उसे अपनी बैरिन समझ लेती है और दोनों में वह जलन शुरू हो जाती है, जो कभी शान्त नहीं होती। आज हमारे घरों में ऐसी बहुत कम मिसाले मिलेगी, जहाँ ननद भावज में प्रेम हो। सास और बहू में जो मन मुटाव प्राय देखने में आता है, उसका सूत्र भी इन्हीं गीतों में मिलता है, और यह भाव उस बक्त दिल में जम जाते हैं, जब हृदय कोमल और ग्रहणशील होता है और इन पत्थर की लकीरों को मिटाना कठिन होता है। इस तरह के गीत एक तरह से दिलों में कटुता और जलन की बारूद जमा कर देते हैं, जो केवल एक चिनगारी के पड़ जाने से भइक उठनी है। युवती बधू को ससुराल में चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं, जो मानो अपने अपने हथियार तेज किये उस पर धात लगाये बैठे हैं। किर क्यों न हमारे घरों में अशान्ति और कलह हो। बहू सुख नीद सोईं हुई है। सास और ननद दोनों तड़प तड़पकर बोलती हैं—बहू तुम्हें क्या गुमान हो गया है, जो सुख-नीद सो

रही है। भौजी 'हमेशा 'बोलइ विष बोल करेजवा मे साल यानी ऐसे तीखे बचन बोलती है जो हृदय मे शूल पैदा कर देते हैं। 'ननदिया' हमेशा 'विष बोलै। एक गीत मे सीता और उसकी ननद पानी भरने के लिए जानी हैं। ननद भावज से कहती है—रावन की तस्वीर खीचकर दिखा दे। भावज कहती है—राम सुन पायेगे, तो मेरे प्राण ही ले लेगे। ननद कसम खाती है कि वह भैया से यह बात न कहेगी। भावज चकमे मे आ जाती है और रावन की तस्वीर खीचती है। चित्र आधा ही बन पाया है कि राम आ जाते हैं। सीता चित्र को अचल से छिपा लेती है। इस पर ननद अपने बचन का जरा भी लिहाज नहीं करती और भाई मे कह देती है कि यह तो 'रवना उरे हैं।' जो रावन तुम्हारा बैरी है, उसी की यहा तस्वीर बनाई जाती है। ऐसी औरत क्या घर मे रखने योग्य है। राम तरह तरह के हीले करते हैं, पर ननद राम के पीछे थड़ जाती है। आखिर हार कर राम सीता को घर से निकाल देते हैं। ननद का ऐसा अभिनय देखकर फिस भावज को उससे धृणा न हो जायगी।

मगर इसके साथ ही ग्राम्य गीतो मे स्त्री पुरुषो के प्रेम, सास ससुर के आदर, पति पत्नी के ब्रत और त्याग के भी ऐसे मनोहर चित्रण मिलते हैं कि चित्र मुझ्म हो जाता है। अगर कोई ऐसी युक्ति होती, जिससे विष और सुधा को अलग अलग किया जा सकता और हम विष को अग्नि की भेट करके सुधा का पान करते तो समाज का कितना कल्याण होता।

---

## समकालीन अंग्रेजी ड्रामा

बीसवीं सदी के अंग्रेजी ड्रामा के विषय में ग्रंथर यह कहा जाय कि वह मौजूदा साहित्य का सबसे प्रभावशाली आग है, तो बेजा न होगा। एलिजावीथन युग का ड्रामा अधिकतर अमीरों और रईसों के मनोरजन के लिए ही लिखा जाता था। शेक्सपियर, बेन जानसन और कई ग्रन्थगुमनाम नाटककार उस युग को अमर फर गये हैं। यद्यपि उनके ड्रामे में भी गौण घप से समाज का चित्र खीचा गया है, और भाव, भाषा तथा विचार की दृष्टि से वे बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन यह निर्धारण है कि उनका लक्ष्य समाज का परिष्कार नहीं, वरन् ऊँची सोसाइटी का दिल बहलाव था। उनके कथानक अधिकतर प्राचीन काल के महान पुरुषों का जीवन या प्राचीन इतिहास की घटनाओं अथवा रोम और यूनान की पौराणिक गाथाओं से लिये जाते थे। शेक्सपियर आदि के नाटकों में मिन्न मनावृत्तियों के पात्रों का अत्यन्त सजीव चित्रण और बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण अवश्य है। और उनके कितने ही चरित्र तो साहित्य में ही नहीं साधारण जीवन में भी अपना अमर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन यथार्थ जीवन की आलोचना उनमें नहीं की गई है। उस समय ड्रामा का यह उद्देश्य नहीं समझा जाता था। तीन सदियों तक अंग्रेजी ड्रामा इसी लीक पर चलता रहा। बीच में शेरिडन ही एक ऐसा नाटककार पैदा हुआ, जिसके ड्रामे अधिकतर व्यग्रात्मक हैं, अन्यथा साहित्य का यह विभाग कुछ आगे न बढ़ सका। यकायक उन्नीसवीं सदी की पिछली शताब्दी में रग बदला और विज्ञान तथा

व्यवसाय ने समाज में क्रान्ति पैदा कर दी उसका प्रतिविम्ब एक मौलिक प्रभाश के साथ साहित्य में उदय हो गया और नवीन निर्णयात्मक विचारों से भरे हुए नाटकारों का एक नक्त्र समूह साहित्य के आकाश में चमक उठा जिसकी दीपि आज भी अग्रेजी साहित्य को प्रकाशमान कर रही है। नए ड्रामा का व्येय अब विलकुल बदल गया है। वह केवल मनोरजन की वस्तु नहीं है, वह केवल घड़ी दो घड़ी हसाना नहीं चाहता, वह समाज का परिष्कार करना चाहता है, उसकी रूढियों के बन्धनों को ढीला करना चाहता है और उसके प्रमाद या भ्रान्ति को दूर करने का इच्छुक है। समाज की किसी न किसी समस्या पर निष्पक्ष रूप से प्रकाश डालना ही उसका मुख्य काम है और वह इस दुस्तर कार्य को इस खूबी से पूरा कर रहा है कि नाटक की मनोरजकता में कोई बाधा न पड़े, फिर भी वह जीवन की सच्ची आलोचना पेश कर सके।

लेन्निन विचित्र बात यह है कि नवीन ड्रामा के प्रवर्तकों में एक भी अग्रेज नहीं है। इबसेन, माटरलिंक, और स्ट्रिडवर्ग, स्वेडेन, बेल जियम और जर्मनी के निवासी हैं, पर अग्रेजी ड्रामा ने इन्हे इतना अपनाया है कि आज ये तीनों महान पुरुष अग्रेजी साहित्य के उपास्य बने हुए हैं। इबसेन को तो नए ड्रामा का जन्मदाता ही कहना चाहिए। वह पहला व्यक्ति था जिसने ड्रामा को समाज की आलोचना का साधन बनाया। नए समाज में स्थियों का स्थान ऊँचा करने से उसने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह अन्य किसी साहित्यकार को नहीं मिल सकी। और माटरलिंक अपने ड्रामों में उन स्थियों का पर्दा खोलने की चेष्टा करता है, जो वर्तमान जड़वाद की व्यापकता के कारण विस्मृत से हो गये हैं। उसने शत्रु हाड़ मास के मनुष्य नहीं, मनोभावों या आव्यात्मिक अनुभूतियों ही के नाम होते हैं। अग्रेज नाटककारों में बर्नार्ड शा का नाम सब से मशहूर है, यहों तक कि अग्रेजी साहित्य में उसी का डका बज रहा है। वह आयरलैंड का निवासी है, और व्यग परिहास और चुटकियों लेने की जों प्रतिभा आयरिश बुद्धि की विशेषता है, वह उसमें कूट कूट कर

भरी हुई है। अंग्रेजी समाज की कमजोरियों और कृतिमताओं का उसने ऐसा पर्दा फाश किया है कि अंग्रेजों जैसा स्वार्थान्वय राष्ट्र भी कुनमुना उठा है। सदियों की प्रभुता ने अंग्रेज जाति में जो अहमन्यता, जो बनावटी शिष्टता, जो मक़फारी और ऐशरी, जो नीच स्वार्थपरता ठूँस दी है, वही शा के ड्रामों के विषय है। उसकी अमीरजादियों को देखिए, या धर्माचार्यों को, या राष्ट्र के उच्च पदाधिकारियों को, सब नकली जीवन का स्वाग भरे नजर आएँगे। उनका बहुरूप उतार कर उनको नग्न रूप में खड़ा कर देना शा का काम है। समाज का कोई अग उसके कलम कुठार से नहीं बचा। वह आत्मा की तह में प्रतिष्ठित रुद्धियों की भी परवाह नहीं करता। वह सत्य का उपासक है और असत्य को किसी भी रूप में नहीं देख सकता।

गाल्जवर्दी<sup>1</sup> भी उपन्यासकार और कवि होते हुए भी नाटककार के रूप में अधिक सफल हुआ है। उसके ड्रामों में समाजवाद के सिद्धान्तों का ऐसा कलापूर्ण उपयोग किया गया है कि सामाजिक विषमता का चित्र और खो के सामने आ जाता है, और पाठक उनसे बिन-असर लिये नहीं रह सकता। उसके तीन नाटकों के अनुवाद हिन्दी में हैं चुके हैं, जिन्हे प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकाडेमी ने प्रकाशित किया है। ‘चादी की डिविया’ में दिखाया गया है कि धन के बल पर न्याय की कितनी हत्या हा सकती है। ‘न्याय’ में उसने एक ऐसे चरित्र की रचना की है, जो सहानुभूति और उदारता के भावों से प्रेरित होकर गवन करता है और अपना कर्मफल भोगने के बाद जब वह जेल से निकलता है, तब समाज उसे ठोकरे मारता है और अन्त में वह विवश होकर आत्म-हत्या कर लेता है। ‘हड्डताल’ में उसने मालिकों और मजदूरों की मना-वृत्तियों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्र स्वीकारा है। उसने और भी कई ड्रामे लिखे हैं, पर ये तीनों रचनाएँ उसकी कीर्ति को अमर बनाने के लिए काफी हैं। मेसफील्ड, वार्फर, सिज, सर जेम्स वैरी, पेटर आदि भी सफल नाटककार हैं। और सब के रंग अपनी अपनी विशेषताएँ लिये

हुए है। मेसफीर्ड ने मानव जीवन के काले दागोपर प्रकाश डालने में खूब रत्नाति पाई है। वह घोर वास्तविकतावादी है और मानव जीवन में जो ज़ुद्रता धूर्तता, और लम्पटता व्याप्त हो रही है, इसकी ओर से वह आँखें नहीं बन्द कर सकता। मनुष्य में स्वभावत कितना पशुता है, इसका उसने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है। पेटर के ड्रामो में धर्म और नीति की प्रधानता है। वह नए युग की अश्रद्धा से दुखी है और ससार का फल्याण, वर्म और विश्वास के पुनर्जीवन में ही समझता है। उसका अपना एक स्कूल है, जो ड्रामा में काव्यमय प्रसरणों से लाना आवश्यक समझता है जिससे मनुष्य कुछ देर के लिए तो इस छल कपट से भरे हुए ससार के जलवायु से निकलकर कविता के स्वच्छन्द लोक में विचर मिले। ड्रिकवाटर, सिंज, आदि ड्रामेटिस्टों का भी यही रग है।

सबसे बड़ी नवीनता जो वर्तमान ड्रामा में नजर आती है, वह उसका प्रेम चित्रण है। नवीन ड्रामा में प्रेम का वह रूप बिलकुल बदल गया है, जब कि वह भीषण मानसिक रोग में कम न था और नाटककार की सारी चतुराई प्रेमी और प्रेमिका के सयोग में ही खर्च हो जाती थी। प्रेमिका किसी न किसी कारण से प्रेमी के हाथ नहीं आ रही है, और प्रेमी है कि प्रेमिका से मिलने के लिए जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाये डालता है। प्रेमिका की सहेलियों नाना विधि से उसकी विरहागिन को शान्त करने का प्रयत्न कर रही है और प्रेमी के मित्र वृन्द इस दुर्गम समस्या को हल करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सारे ड्रामे में मिलन चेष्टा और उसके मार्ग में आने वाली वाधाओं के सिवा और कुछ न होता था। नवीन ड्रामे ने प्रेम को व्यावहारिकता के पिंजड़े में बन्द कर दिया है। रोमास के लिए जीवन में गुज़ारश नहीं रही और न साहित्य में ही है। प्राचीन ड्रामा जीवन अनुभूतियों के अभाव को रोमास से पूरा किया करता था। नया ड्रामा अनुभूतियों से मालामाल है। फिर वह क्यों रोमास का आश्रय ले। मनुष्य को जिस वस्तु में सबसे ज्यादा अनुराग है वह मनुष्य है, और खयाली, आकाश-

गामी मनुष्य नहीं, बल्कि अपना ही जैसा, साधारण बल और बुद्धि वाला मनुष्य। नवीन ड्रामा ने इस सत्य को समझा है और सफल हुआ है। आज के नायक और नायिकाओं में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। नवीन ड्रामा का नायक बीरता और शिष्टता का पुतला नहीं होता और न नायिका लज्जा और नम्रता और पवित्रता की देवी है। ड्रामेटिस्ट उसी चरित्र के नायक और नायिका की सुष्ठित करता है, जिससे वह अपने विषय को स्वाभाविक और सजीव बनाने में कामयाव हो सके। नवीन ड्रामा के पात्र केवल व्यक्ति नहीं होते, वरन् अपने समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं और उस समुदाय की सारी भलाइया और बुराइया उनमें कुछ उग्र रूप में प्रकट होती है। शा की नायिकाएँ आम तौर पर स्वच्छन्द और तेजमयी होती हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ती। प्रेम अपने व्यावहारिक रूप में बहुधा कामुकता का रूप धारण कर लेता है। नये ड्रामे में प्रेम का यही रूप दर्शाया गया है। सारांश यह कि आज का नायक कोई आदर्श चरित्र नहीं है और न नायिका ही। नायक केवल वह चरित्र है जिस पर ड्रामा का आधार हो।

नई ट्रेजेडी का रूप भी बहुत कुछ बदल गया है। अब वही ड्रामा ट्रेजेडी नहीं समझा जाता, जो दुखान्त हो। सुखान्त ड्रामा भी ट्रेजेडी हो सकता है, अगर उसमें ट्रेजेडी का भाव मौजूद हो अर्थात्—समाज के विभिन्न अंगों का संघर्ष दिखाया गया हो। कितनी ही बाते जो दुख-जनक समझी जाती थीं, इस समय साधारण समझी जाती है, यहों तक कि कभी कभी तो स्वाभाविक तक समझी जाने लगी है। फिर नाटककार ट्रेजेडी कहों से उत्पन्न करे। पुरुष का पत्नी त्याग ट्रेजेडी का एक अच्छा विषय था, लेकिन आज की हीरोइन, जाते समय पति के मुह पर थूककर हसती हुई चली जायगी और पतिदेव भी मुह पोछ पालकर अपनी नई प्रेमिका के तलवे सहलाते नजर आयेंगे। काम प्रसगों का ऐसा बीभत्स चित्रण भी किसी के कान नहीं खड़े करता, जिस पर पहले लोग आखें बन्द कर लेते थे। तीन अक के ड्रामों का भी धीरे धीरे बहिष्कार हो

रहा है। आज ड्रामे तो एक ही अक के होते हैं। उपन्यास की मूरत उसके लघुरूप कहानी से कुछ मिलती है। ड्रामे भी अब एक ऐक्ट के हाने लगे हैं, जांदो दाइं घण्टो मे समाप्त हो जाते हैं।

---

## रोमें रोलॉं की कला

रोमें रोलॉं प्राप्ति के उन साहित्य संषाधनों में है, जिन्होने साहित्य के प्राय सभी अङ्गों को अपनी रचनाओं से अलकृत किया है और उपन्यास-साहित्य में तो वह विक्टर छ्यूगो और टाल्सटाय के ही समकक्ष है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'जान किस्टोफर' के विषय में तो हम कह सकते हैं कि एक कलाकार की आत्मा का इससे सुन्दर चित्र उपन्यास-साहित्य में नहीं है। रोमें रोलॉं आत्मा और दृदय के रहस्यों को व्यक्त करने में सिद्धहस्त है। उनके यद्यौं विचित्र घटनाएँ नहीं होतीं, असाधारण और आदर्श चरित्र नहीं होते। उनके उपन्यास जीवन कथा मात्र हाते हैं, जिनमें हम नायक को भिन्न पर रोज आने वाली परिस्थितियों में सुख और दुःख, मैत्री और द्वेष, निन्दा और प्रशसा, त्याग और स्वार्थ के बीच से गुजरते हुए देखते हैं—उसी तरह मानो हम स्वयं उन्हीं दशाओं में गुजर रहे हो। एक ही चरित्र नई नई दशाओं में पड़कर इस तरह स्वाभाविक रूप में हमारे सामने आता है, कि हमको उसमें लेश-मात्र भी असंगति नहीं मालूम होती। इसमें सन्देह नहीं कि Interpretation की कला में उनका कोई सानी नहीं है। इस उपन्यास में दो हजार से ऊपर पृष्ठ है। इसमें सैकड़ों ही गौण पात्र आये हैं, पर हरेक अपना अलग व्यक्तित्व रखते हैं। लेखक उनकी मनोवृत्तियों और मनोभावों की तह में जाकर ऐसे-ऐसे चमकते रत्न निकाल लाता है, कि हम मुख्य भी हों जाते हैं और चकित भी। आपने क्रिस्टोफर के मुख से एक जगह साहित्य के विषय में ये विचार प्रकट किये हैं—

‘आजकल के लेखक अनोखे चरित्रों के वर्णन में अपनी शक्ति नष्ट भरते हैं। उन्होंने स्पष्ट अपने को जीवन से पृथक् कर लिया है। उनका छाड़ा और वहों जाओ जहों स्त्री और पुरुष रहते हैं। रोज का जीवन रोज मिलने वाले मनुष्यों को दिखाओ। वह जीवन गहरे समुद्र से भी गहरा और प्रशस्त है। हममें जो सबसे तुच्छ है, उसकी आत्मा भी अनन्त है। यह अनन्त प्रत्येक मनुष्य में है, जो अपने को सीधा सादा मनुष्य समझता है। प्रेमी मे, मित्र मे, उस नारी मे जो शिशु-जन्म के उच्चवत गोरव का मूल्य प्रसव वेदना से चुकाती है—हरेक स्त्री और हरेक पुरुष में जो ग्रन्थात बलिदानों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही जीवन की धारा है, जो प्राणों में प्रवाहित होती है, घृमती है, चक्रर त्वगती है। इन्हीं सीधे सादे मनुष्यों की सीधी सादी कथा लिखो, उनके आनेवाले दिनों और रातों के सुखद काव्य की रचना करो। जीवन का विकास जैसा सरल होता है, वैसी ही सरल तुम्हारी कथा होनी चाहिए। शब्दों और अक्षरों और सूक्ष्म व्याख्यानों पर समय मत नष्ट करो, जो वर्त मान कलाकारों की शक्ति ना दुरुपयोग कर रही है। तुम सर्वसाधारण के लिए लिखते हो, सर्वसावारण की भाषा में लिखो। शब्दों में अच्छे चुरे, शिट और वाजारी का भेद नहीं है, न शैली में सौभ्य और असौभ्य ना भेद है। हों, ऐसे शब्द और ऐसी शैलियों अवश्य हैं, जो उन भावों का नहीं खोलतीं, जो वह खालना चाहती हैं। जो कुछ लिखो एकचित्त हका लिखो, वही लिखो जो तुम सोचते हो। वही कहो, जो तुम्हारे मन का लगता है। अपने हृदय के सामजस्य को अपना रचनाओं में दर्�サओ। शैली ही आत्मा है।’

इन थाङे से शब्दों में रामें रोलों ने अपनी कला का सारा रहस्य भर दिया है। उसकी रचनाओं को पढ़िए। कहीं वह उछल कूद, वह तोड़ मराड़, नवीनता वैदा करने का वह सचेष्ट प्रयत्न नहीं है, जो अक्सर कलाकार किया भरते हैं। विद्वानों ने साहित्य कला के जो सिद्धान्त बना रखे हैं, यहों उनकी कहीं गन्ध भी नहीं। वह इसलिए नहीं

लिम्बता कि उससे पाठक का भनोरजन हो। उसकी कला का उद्देश्य केवल मनागहस्य को समझाना है। जिस तरह वह स्वय मनुष्यों में देखता है, मनुष्यों का समझाता है। वह आशावादी है, मनुष्य के भविष्य में उसे अटल विश्वास है। सचार की सारी विपत्तियों का मूल यह है कि मनुष्य मनुष्य को समझता नहीं, या समझने की चेष्टा नहीं करता। इसीलिए द्रेष, विरोध और वैमनस्य है। वह यथार्थवादी अवश्य है, लेकिन उसका यथार्थवाद गन्दी नालियों में नहीं रहता। उसकी उदार आत्मा किसी वस्तु को उसके क्लुप्तित रूप में नहीं देखती। वह किसी का उपहास नहीं रखता। किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी को हेय नहीं समझता। मानव हृदय उसके लिए समझने की वस्तु है। यह बात नहीं है कि उसे अन्याय देखकर क्रोध नहीं आता। उसने एक जगह लिखा है—मानव समाज की बुराइयों को दूर करने की चेष्टा प्राणीमात्र का कर्तव्य है। जिसे अन्याय को देखकर क्रोध नहीं आता, वह यही नहीं कि क्लासर नहीं है वल्कि वह मनुष्य भी नहीं है।

लेकिन अन्याय से सम्राम करने की उसकी नीति कुछ और है। वह मनुष्य को समझने की चेष्टा करता है, उस अन्याय भावना के उद्गम तक पहुँचना चाहता है, और इस तरह मानव-आत्मा में प्रवाह लेकर उसकी सकीर्ताआ को दूर करके समन्वय करना ही उसकी कला है।

स्वात सुखाय वाली मनोवृत्ति कला के विकास के लिए उत्तम समझी जाती है। हम प्राय कहा करते हैं, कि अमुक व्यक्ति जो कुछ लिखता है, शोकिया लिखता है। वह अपनी कला पर अपनी जाविका का भार नहीं डालता। जिस कला पर जाविका का भार हो, वह इसलिए दूषित समझी जाती है कि कलाकार को जन रुचि के पीछे चलना पड़ता है। मन और मस्तिष्क पर जोर डालकर कुछ लिखा तो क्या लिखा। कला तो वही है, जो स्वच्छन्द हो। रोमे रोलों का मत इसके विरुद्ध है। वह रहता है, जिस कला पर जाविका का भार नहीं, वह केवल

शौक है, केवल व्यसन, जो मनुष्य अपनी बेकारी का समय काटने के लिए किया करता है। यह केवल मनोरजन है, दिमाग की थकन मिटाने के लिए। जीवन की मुख्य वस्तु कुछ और है, मगर सच्चे कलाकार की कला ही उसका जीवन है। इसी में वह अपनी सम्पूर्ण आत्मा से मरता है, लिपटता है। अभाग श्री उत्तेजना के बगैर कला में तीव्रता कहों से आयेगी। व्यसन खिलौने बना सकता है। मूर्तिया का निर्माण करना उसी कलाकार का काम है, जिसकी सम्पूर्ण आनंद उसके काम में हो।

साकेतिकता (Suggestiveness) कला की जान समझी जाती है और उसका सदुपयोग किया जाय, तो उससे कला अधिक सर्वग्राही हो जाती है। पाठक यह नहीं चाहता कि जो बातें वह खुद आसानी से कल्पना कर सकता है, वह उसे बताईं जायें, लेकिन रोमे रोलों की कला सब कुछ स्पष्ट करती चलती है। हों, उसका स्पष्टीकरण इस दरजे का होता है, कि पाठक को उसमें भी विचार और बुद्धि से काम लेने का काफी अवसर मिल जाता है। वह पाठकों के सामने पहेलियों नहीं रखना चाहता। उसकी कला का उद्देश्य मनोवृत्तियों का समर्फन है। जैसा उसने खुद समझा है, उसे वह पाठक के समुख रख देता है और पाठक को तुरन्त यह मालूम हो जाता है, कि लेखक ने उसका समय नष्ट नहीं किया।

और बीच-बीच में जीवन और समाज और कला और आत्मा और अनेक विषयों पर रोमे रोलों जो भावनाएँ प्रकट करता है, उन पर जो प्रकाश डालता है, वह तो अद्भुत है, अनुपम है। हम उन की सूक्तियों को पढ़ते हैं, तो विचारों में झब्ब जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। और यह साहित्य का सबसे बड़ा आनन्द है। अगर यह सूक्तियों जमा की जायें, तो अच्छी खासी किताब बन सकती है। उनमें अनुभव का ऐसा गहरा रहस्य भरा हुआ है कि हमें लेखक की गहरी सूझ और विशाल अनुभवशीलता पर आश्चर्य होता है। इन सूक्तियों का उद्देश्य केवल अपना रचना-कौशल दिखाना नहीं है। वे मनोरहस्यों की

‘कुजियों है, जो एक वाक्य में सारा अन्वकार सारी उलझन दूर कर देती है—

‘आनन्द से भी हमारा जी भर जाता है। जब स्वार्थमय आनन्द ही जीवन ना मुरथ उद्देश्य हो जाता है, तो जीवन निरुद्देश्य हो जाता है।’

‘सफलता में एक ही दैवी गुण है। वह मनुष्य में कुछ ऊरने की शक्ति पैदा कर देती है।’

‘सुशीला खिया में भी कभी कभी एक भावना होती है, जो उन्हे अपनी शक्ति की परीक्षा लेने और उसके आगे जाने की प्रेरणा करती है।

‘आत्मा का सब से मधुर सगीत सौजन्य है।’



P Chomed

# मराठीभाषा का ग्रन्थालय



## राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ

व्यारे मित्रों,

आपने मुझे जो यह सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपको सौ जबानों से वन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे वह चीज़ दी है, जिसके म बिलकुल अयोग्य हूँ। न मैंने हिन्दी साहित्य पढ़ा है, न उसका इतिहास पढ़ा है, न उसके विकासक्रम के बारे मे ही कुछ जानता हूँ। ऐसा आदमी इतना मान पाकर फूला न समाय, तो वह आदमी नहीं है। नेवता पाकर मैंने उसे तुरन्त स्वीकार किया। लोगों मे 'मन भाये और मुँड़िया हिलाये' की जो आदत होती है। वह खतरा मैं न लेना चाहता था। यह मेरी ढिठाई है कि मैं यहाँ वह काम फरने सज्जा हुआ हूँ, जिसकी मुझे मे लियाकत नहीं है, लेकिन इस तरह की गदुमनुमाई का मैं अकेला मुजरिम नहीं हूँ। मेरे भाई घर-घर मे, गली-गली मे मिलेंगे। आपको तो अपने नेवते की लाज रखनी है। मैं जो कुछ अनाप-शनाप वर्क, उसकी खूब तारीफ कीजिये, उसमे जो अर्थ न हो वह पैदा कीजिये, उसमे ग्रव्यात्म के और साहित्य के तत्त्व खोज निकालिए—जिन खोजा तिन पाठ्यों, गहरे पानी पैठ।

आपकी सभा ने पन्द्रह सोलह साल के मुख्तसर से समय मे जो काम कर दिया लाया है, उस पर मैं आपको बधाई देता हूँ, खासकर इसलिए कि आपने अपनी ही कोशिशों से यह नतीजा हासिल किया है। सरकारी इमदाद का मुँह नहीं ताका। यह आपके हौसलों की बुलन्दी की एक मिसाल है। अगर मे यह कहूँ कि आप भारत के दिमाग हैं, तो वह

मुवालगा न होगा। किसी अन्य प्रान्त मे इतना अच्छा सगठन हो सकता है और इतने अच्छे कार्यकर्ता मिल सकते हैं, इसमे मुझे सन्देह है। जिन दिमागों ने अँग्रेजी राज्य की जड़ जमाई, जिन्होने अँग्रेजी भाषा का सिक्का जमाया, जो अँग्रेजी आचार-विचार मे भारत मे अग्रगण्य थे और है, वे लोग राष्ट्र भाषा के उत्थान पर कमर बौध ले, तो क्या कुछ नहीं कर सकते? और यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन दिमागों ने एक दिन विदेशी भाषा मे निपुण होना अपना ध्येय बनाया था, वे आज राष्ट्र भाषा का उद्धार करने पर कमर कसे नजर आते हैं और जहाँ से मानसिक पराधीनता की लहर उठी थी, वहाँ से राष्ट्रीयता की तरंगे उठ रही है। जिन लोगों ने अँग्रेजी लिखने और बोलने मे अँग्रेजों को भी मात कर दिया, यहाँ तक कि आज जहाँ कही देखिये अँग्रेजी पत्रों के सम्मादक इसी प्रान्त के विद्वान् मिलेंगे, वे अगर चाहे तो हिन्दी बोलने और लिखने मे हिन्दी बालों को भी मात कर सकते हैं। और गत वर्ष यात्रीदल के नेताओं के भाषण सुनकर मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह किया शुरू हो गयी है। 'हिन्दी-प्रचारक' मे अधिकाश लेख आप लोगों ही के लिखे होते हैं और उनकी मैंजी हुई भाषा और सफाई और प्रवाह पर हमसे से बहुतों को रक्ष आता है। और यह तब है जब राष्ट्र-भाषा प्रेम अभी दिलों के ऊपरी भाग तक ही पहुँचा है, और आज भी यह प्रान्त अँग्रेजी भाषा के प्रभुत्व से मुक्त होना नहीं चाहता। जब यह प्रेम दिलों मे व्याप्त हो जायगा, उस वक्त उसकी गति कितनी तेज होगी, इसका कौन अनुमान कर सकता है? हमारी पराधीनता का सबसे अपमानजनक, सबसे व्यापक, सबसे कठोर अग अँग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। कहीं भी वह इतने नगे रूप मे नहीं नजर आती। सभ्य जीवन के हर एक विभाग मे अँग्रेजी भाषा ही मानो हमारी छाती पर मैंग दल रही है। अगर आज इस प्रभुत्व को हम तोड़ सकें, तो पराधीनता का आधा बोझ हमारी गर्दन से उतर जायगा। कैदी<sup>1</sup> को बेड़ी से जितनी तकलीफ होती है, उतनी और किसी बात से नहीं होती। कैदखाना शायद उसके

धर में ज्यादा हवादार, साफ-सुथरा होगा। भोजन भी वहाँ शायद धर के भोजन से अच्छा और स्वादिष्ट मिलता हो। बाल बच्चों से वह कभी-कभी स्वेच्छा से वरसों अलग रहता है। उसके दुरङ्ग की याद दिलाने-वाली चीज यही बेड़ी है, जो उठते बैठते, सोते जागते, हँसते बोलते, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, कभी उसे मिथ्या कल्पना भी करने नहीं देती, कि वह आजाद है। पैरों से कहीं ज्यादा उसका असर कैदी के दिल पर, होता है, जो कभी उभरने नहीं पाता, कभी मन की मिठाई भी नहीं खाने पाता। अँग्रेजी भाषा हमारी परावीनता की वही बेड़ी है, जिसने हमारे मन और बुद्धि को ऐसा जकड़ रखा है कि उनमें इच्छा भी नहीं रही। हमारा शिक्षित समाज इस बेड़ी को गले का हार समझने पर मजबूर है। यह उसकी रोटियों का सबाल है और अगर रोटियों के साथ कुछ सम्मान, कुछ गौरव, कुछ अधिकार भी मिल जाय, तो क्या कहना! प्रभुता की इच्छा तो प्राणी मात्र में होती है। अँग्रेजी भाषा ने इसका द्वार खाल दिया और हमारा शिक्षित समुदाय चिडियों के झुएँड की तरह उस द्वार के अन्दर बुसकर जमीन पर बिखरे हुए दाने चुगने लगा और अब नितना ही फङ्फङ्घाये, उसे गुलशन झी हवा नसीब नहीं। मजा यह है कि इस झुएँड की फङ्फङ्घाहट बाहर निकलने के लिए नहीं, केवल जरा मनोरजन के लिए है। उसके पर निजीब हो गये, और उनमें उड़ने की शक्ति नहीं रही, वह भगेसा भी नहीं रहा कि यह दाने बाहर मिलेंगे भी या नहें। अब तो वही कफस है, वही कुल्हिया है और वही सैयद।

लेकिन मित्रो, विदेशी भाषा मीखकर अपने गरीब भाइयों पर रोब जमाने के दिन बड़ों तेजी से विदा होते जा रहे हैं। प्रतिभा का और बुद्धिवल का जो दुरुपयोग हम सदियों से करत आये है, जिसके बल पर हमने अपनों एक अमीरशाही स्थापित कर ली है, और अपने को सावारण जनता से अलग कर लिया है, वह अबस्था अब बदलती जा रही है। बुद्धि बद्द ईश्वर की देन है, और उसका धर्म प्रजा पर धौस जमाना

नहीं, उसका खून चूसना नहीं, उसकी सेवा करना है। आज शिक्षित समुदाय पर से जनता का विश्वास उठ गया है। वह उसे उससे अविक विदेशी समझती है, जितना विदेशियों को। क्या कोई आश्चर्य है कि वह समुदाय आज दोना तरफ से ठोकरे खा रहा है? स्वामियों को और से इसलिये कि वह समझते हैं—मेरी चौखट के सिवा इनके लिए और कोई आश्रय नहीं, और जनता की ओर से इसलिए कि उनका इससे कोई ग्रात्मीय सम्बन्ध नहीं। उनका रहन-सहन, उनकी बोल-चाल, उनकी वेश-भूषा, उनके विचार और व्यवहार सब जनता से अलग है और यह केवल इसलिए कि हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गये। मानो परिस्थिति ऐसी है कि विना अंग्रेजी भाषा की उपासना किये काम नहीं चल सकता। लेकिन अब तो इतने दिनों के तजरबे के बाद मालूम हो जाना चाहिये कि इस नाव पर बैठकर हम पार नहीं लग सकते, फिर हम क्या आज भी उसी से चिमटे हुए हैं? अभी गत वर्ष एक इटर-युनिवर्सिटी कमीशन बैठा था कि शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर विचार करे। उसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की जगह पर मातृ भाषा का न रखी जाय। बहुमत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी माध्यम के बरैर अंग्रेजी में हमारे बच्चे कहे रह जायेंगे और अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने में समर्थ न होंगे। मगर इन ढेह सों वषों की ओर तपस्या के बाद आज तक भारत ने एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं लिना, जिसका इंग्लैण्ड में उतना भी मान होता, जितना एक तीसरे दर्जे के अंग्रेजी लेखक का होता है। याद नहीं, बिंदत मदनमोहन मालवीयजी ने कहा था, या सर तेजप्रहादुर मप्र ने, कि पचास साल तक अंग्रेजी से सिर मारने के बाद आज भी उन्हें अंग्रेजी में बोलने वक्त यह सशाज होता रहता है कि कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गयी! हम ऑखे फोड़ फोड़कर और कमर तोड़ तोड़कर और रक्त जला जलाकर अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं, उसके मुहावरे रटने हैं, लेकिन वडे से वडे भारती साधक की रचना विद्यार्थियों की स्कूली एक्स-

माइज से ज्यादा महत्त्व नहीं रखती। अभी दो तीन दिन हुए पजाब के ग्रेजुएटा की अग्रेजी योग्यता पर बहाँ के परीक्षा को ने यह आलोचना की है कि अविभाश छात्रों में अपने पिचारों के प्रकट फरने की शक्ति नहीं है, बहुत तो स्पेलिंग में गलतियाँ करते हैं। और यह नतीजा है कि से कम वारह साल तक अच्छे फोड़ने का। फिर भी हमारे लिए शिक्षा का अग्रेजो माध्यम जरूरी है, यह हमारे विद्वानों की राय है। जापान, चीन और ईरान में तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है। फिर भी वे सम्भवता की हरेक वात में हमसे फोनों आगे हैं, लेकिन अंग्रेजों माध्यम के प्रेरण हमारी नाव झटक जायगी। हमारे मरवाड़ी भाई हमारे बन्धवाद क पात्र है कि कम से कम जहाँ तक व्यापार में उनका सम्बन्ध है उन्होंने कौमियत की रक्षा की है।

मित्रों, शापद मैं अपने विपद से बहर गया हूँ, लेकिन मेरा आशय केवल यह है कि इसे मातृम हो जाय, हमारे सामने कितना महान् काम है। यह समझ लीजिये कि जिस दिन आप अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व ताड़ देंगे और अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे, उसी दिन आपको म्वराज्य के दर्शन हो जायेंगे। मुझे याद नहा आता कि फोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के बल पर स्वाधीनता प्राप्त कर सका हा। राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी, पहाड़ समुद्र और राष्ट्र नहीं बनाते। भाषा ही वह बन्धन है, जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सत्र में बॉबे रहती है, और उसका शीराजा विखरने नहीं देती। जिस बक्त अंग्रेज आये, भारत की राष्ट्र नावना लुत हो चुकी थी। यो कहिये कि उसम राजनीतिक चेतना की गध तक न रह गयी थी। अंग्रेजी राज ने आकर आपको एक राष्ट्र बना दिया। आज अंग्रेजी राज विदा हो जान—और एक न एक दिन तो यह होना ही है—तो फिर आपका यह गप्प कहाँ जायगा? क्या यह बहुत सम्भव नहीं है कि एक एक प्रान्त एक एक राज्य हो जाय और पिर वही विच्छेद शुरू हो जाय? वर्तमान दशा में तो हमारी कौमी चेतना को सजग और सजीव रखने के लिए अंग्रेजी राज को ग्राम

रहना चाहिए। अगर हम एक राष्ट्र बनकर अपने स्वराज्य के लिए उत्थोग करना चाहते हैं तो हमें राष्ट्र भाषा का आश्रय लेना होगा और उसी राष्ट्र भाषा के बदलार से हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। आप उसी राष्ट्र भाषा के भिन्न हैं, और इस नाते आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। सोचिये, आप कितना महान् काम करने जा रहे हैं। आप कानूनी बाल की खाल निशालनेवाले वकील नहीं बना रहे हैं, आप शासन मिल के मजदूर नहीं बना रहे हैं, आप एक बिखरी हुई कौम को मिला रहे हैं, आप हमारे बन्धुत्व की सीमाओं को फैला रहे हैं, भूले हुए भाइयों को गले मिला रहे हैं। इस काम की पवित्रता और गारब को देखते हुए, काँइ ऐसा कष्ट नहीं है, जिसका आप स्वागत न कर सके। यह धन का मार्ग नहीं है, सभव है कि कीर्ति का मार्ग भी न हो, लेकिन आपके आत्मिक सतोप के लिए इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। यही आपके बलिदान का मूल्य है। मुझे आशा है, यह आदर्श हमेशा आपके सामने रहेगा। आदर्श का महत्व आप खूब समझते हैं। वह हमारे रुक्ते हुए कदम को आगे बढ़ाता है, हमारे दिलों से सशय और सन्देह की छाया को मिटाता है और कठिनाइयों में हमें साहस देता है।

राष्ट्र-भाषा से हमारा क्या आशय है, इसके विषय में भी मैं आपसे दो शब्द कहूँगा। इसे हिन्दी कहिए, हिन्दुस्तानी कहिए, या उर्दू कहिए, चीज एक है। नाम से हमारी कोई व्रहस नहीं। ईश्वर भी वही है, जो खुदा है, और राष्ट्र भाषा में दोनों के लिए समान रूप से सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। अगर हमारे देश में ऐसे लोगों की काफी तादाद निकल आये, जो ईश्वर को 'गाड़' कहते हैं, तो राष्ट्र भाषा उनका भी स्वागत करेगी। जीवित भाषा तो जीवित देह की तरह बराबर बनती रहती है। शुद्ध हिन्दी तो निरर्थक शब्द है। जब भारत शुद्ध हिन्दू होता तो उसकी भाषा शुद्ध हिन्दी होती। जब तक यहाँ मुसलमान, ईसाई, पारसी, अकगानो सभी जातियों मौजूद हैं, हमारी भाषा भी

व्यापक रहेगी। अगर हिन्दी भाषा प्रान्तीय रहना चाहती है और केवल हिन्दुओं की भाषा रहना चाहती है, तब तो वह शुद्ध बनायी जा सकती है। उसका अङ्गभङ्ग करके उसका कायापलट करना होगा। प्रौढ़ से वह फिर शिशु बनेगी, यह असम्भव है, हास्यास्पद है। हमारे देखते देखते सैकड़ों विदेशी शब्द भाषा में आ चुसे, हम उन्हे रोक नहीं सकते। उनका आक्रमण रोकने की चेष्टा ही व्यर्थ है। वह भाषा के विकास में बाहर होगी। वृक्षों को सीधा और सुडौल बनाने के लिए पौधों को एक थूनी का सहारा दिया जाता है। आप विद्वानों का ऐसा नियन्त्रण रख सकते हैं कि अश्लील, कुरुचिपूर्ण, कर्णकटु, भद्रे शब्द व्यवहार में न आ सकें, पर यह नियन्त्रण केवल पुस्तकों पर हो सकता है। बोल-चाल पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना मुश्किल होगा। मगर विद्वानों का भी अजीब दिमाग है। प्रयाग में विद्वानों और परिणामों की सभा 'हिन्दुस्तानी एकेडमी' में तिमाही, सेहमाही और त्रैमासिक शब्दों पर बरसों से मुबाहसा हो रहा है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। उदूँ के हामी 'सेहमाही' की ओर है हिन्दी के हामी 'त्रैमासिक' की ओर, बेचारा 'तिमाही' जो सबसे सरल, आसानी से बोला और समझा जानेवाला शब्द है, उसका दोनों ही ओर से बहिष्कार हो रहा है। भाषा सुन्दरी को कोठरी में बन्द करके आप उसका सतीत्व तो बचा सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का मूल्य देकर। उसकी आत्मा स्वयं इतनी बलवान बनाइये, कि वह अपने सतीत्व और स्वास्थ्य दोनों ही भी रक्षा कर सके। बेशक हमें ऐसे ग्रामीण शब्दों को दूर रखना होगा, जो किसी खास इलाके में बोले जाते हैं। हमारा आदर्श तो यह होना चाहिए, कि हमारी भाषा अधिक से अधिक आदमी समझ सके। अगर इस आदर्श को हम अपने सामने रखें, तो लिखते समय भी हम शब्द चातुरी के मोह में न पड़ेंगे। यह गलत है, वक़्फारसी शब्दों से भाषा कठिन हो जाती है। शुद्ध हिन्दी के ऐसे पदों के उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनका अर्थ निकालना परिणामों के लिए भी लोहे

क चर्ने चावाना है। वही शब्द सरल है, जो व्यवहार में आ रहा है, उससे काई वहस नहीं कि वह तुर्का है, या अरवी, या पुर्तगाली। उद्भ्रोग हिन्दी में क्या इतना सौतिवा ठाह है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर एक समुदाय के लोगों को 'उर्दू' नाम प्रिय है तो उन्हें उसका इस्तेमाल उन्हें दोजिए। निन्हं 'हिन्दी' नाम से प्रेम है, वह हिन्दा ही कहे। इसमें लड़ाइ काहे की? एक चीज के दा नाम देकर स्थामग्राह आपस म लड़ना और उसे उतना भन्त्व दे देना कि वह राष्ट्र की एकता में नाधक हा जाय, यह मनोवृत्ति रोग और दुर्वल मन की है। मेरे अपने अनुभव से उतना अवश्य नहीं सकता है, कि उर्दू को राष्ट्र भाषा के स्टेंडर्ड पर लाने में हमारे मुसलमान भाई हिन्दुओं से कम इच्छुक नहीं है। मेरा मतलब उन हिन्दू मुसलमानों से है, जो कोमियत के मतवाले हैं। कझर पन्थिया से मेंग कोई प्रयोजन नहीं। उर्दू का अर्थ मुसलिम सद्गुरि का कैम आन अलीगढ़ है। वहाँ उर्दू और फारमा क प्राफसरा और अन्य विपरी के प्राफसरों से मेरी जो गातचात हुइ, उससे मुझे मालूम हुआ कि मौलिनियाऊ भाषा से वे लोग भी उतने ही बेजार हैं, जितने पर डताऊ भाषा से, और कौमा भाषा सघ आनंदोलन में शरीक होने के लिए दिल से तैयार हैं। मैं यह भी माने लेता हूँ कि मुसलमानों का एक गिरोह हिन्दुओं से ग्रलग रहने में ही अपना हित समझता है—हालांकि उस गिरोह का जोर और असर दिन-दिन कम हाता जा रहा है—और वह अपनी भाषा का अरवी से गले तक छुस देना चाहता है, तो हम उससे क्यों झगड़ा करे? क्या आप समझत हैं, ऐसी जटिल भाषा मुसलिम जनता में भी प्रिय हो सकती है? कभी नहीं। मुसलमानों में वही लेखक सबोपरि है, जो आमफहम भाषा लिखते हैं। मौलिनियाऊ भाषा लिखनेवाला के लिए वहाँ भी स्थान नहीं है। मुसलमान दास्तों से भी मुझे कुछ अर्ज करने का हक है क्योंकि मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करते गुज़ा है और भी मैं जितनी उर्दू लिखता हूँ, उतनी हिन्दी नहीं लिखता, और कायस्थ होने

और बचपन से फारसी का अ+यास करने के कारण उद्दू मेरे लिए जितनी स्वाभाविक है, उतनो हिन्दी नहीं है। मैं प्रश्नता हूँ, आप इसे हिन्दी की गर्दननदनी समझते हैं? क्या आपको मालूम है, और नहीं है तो हाना चाहिए, कि हिन्दी का सबसे पहला शायर, जिसने हिन्दी का साहित्यिक बीज बोया (व्यावहारिक बीज सदियों पहले पड़ चुका था) वह ग्रमीण खुसरो था? क्या आपको मालूम है, कम से कम पाँच सौ मुसलमान शायरों ने हिन्दी को अपनी कविता से बनी बनाया है, जिनमें कई तो चोटी के शायर हैं? क्या आपको मालूम है, अकबर, जहाँगीर और औरगजेब तक हिन्दी की कविता का जौक रखते थे और औरगजेब ने ही आमा का नाम 'रसना बिलास' और 'सुवा रस' रखा था? क्या आपको मालूम है, आज भी हमरत और हफीज जालन्धरी जैसे कवि कभी-कभी हिन्दी में तबाआजमाइ करते हैं? क्या आपको मालूम है हिन्दी में हजारों शब्द, हजारों कियाएँ अरबी और फारसी से आयी हैं और समुराल में आकर घर की देवी हो गयी हैं? अगर यह मालूम होने पर भी आप हिन्दी को उद्दू से अलग समझते हैं, तो आप देश के साथ और अपने साथ बेहृसाफो करते हैं। उद्दू शब्द नव और कहाँ उत्पन्न हुआ, इसकी काई तारीखों सनद नहीं मिलती। क्या आप समझते हैं वह 'बड़ा खराब आदमी है' और वह 'बड़ा दुर्जन मनुष्य है' दो अलग भाषाएँ हैं? हिन्दुओं को 'खराब' भी अच्छा लगता है और 'आदमी' तो अपना भाई हो है। फिर मुसलमान का 'दुर्जन' क्यों बुरा लगे, और 'मनुष्य' क्यों शत्रु सा दीखे? हमारी कौमों भाषा में दुर्जन और सज्जन, उमदा और खराब दोनों के लिये स्थान है, वहाँ तक जहाँ तक कि उसकी सुबोधता में बाता नहीं पड़ती। इसक आगे हम न उद्दू के दास्त हैं, न हिन्दी के। मजा यह कि 'हिन्दी' मुसलमानों का दिया हुआ नाम है और अभी पचास साल पहले तक जिसे आज उद्दू कहा जा रहा है, उसे मुसलमान भी हिन्दी कहते थे। और आज 'हिन्दी' मरदूद है। क्या आपको नजर नहीं आता, कि 'हिन्दी' एक स्वाभाविक नाम है? इगलैंडवाले

इगलिश बोलते हैं, फ्रान्सिले फ्रेंच, जर्मनीलाले जर्मन, फारसीले फारसी, तुकींवाले तुकीं, अरबवाले अरबी, फिर हिन्दवाले क्यों न हिन्दी बोले ? उर्दू तो न काफिये मे आती है न रदीफ मे, न बहर मे न बजन मे। हाँ, हिन्दुस्तान का नाम उर्दूस्तान रखा जाय, तो बेशक यहाँ की कौमी भाषा उर्दू होगी। कौमी भाषा के उपासक नामों से बहस नहीं करते, वह तो असलियत से बहस करते हैं। क्यों दोनों भाषाओं का कोष एक नहीं हो जाता ? हमें दोनों ही भाषाओं मे एक आम लुगत (कोष) की जरूरत है, जिसमे आमफहम शब्द जमा कर दिये जायें। हिन्दी मे तो मेरे मित्र परिणामनरेश त्रिपाठी ने किसी हद तक यह जरूरत पूरी कर दी है। इस तरह का एक लुगत उर्दू मे भी होना चाहिए। शायद वह काम कौमी-भाषा सघ बनने तक मुल्तबी रहेगा। मुझे अपने मुसलिम दोस्तों से यह शिकायत है कि वह हिन्दी के आमफहम शब्दों से भी परहेज करते हैं, हालोंकि हिन्दी मे आमफहम फारसी के शब्द आजादी से व्यवहार किये जाते हैं।

लेकिन प्रश्न उठता है कि राष्ट्र-भाषा कहाँ तक हमारी जरूरते पूरी कर सकती है ? उपन्यास, कहानियों, यात्रा-वृत्तान्त, समाचार-पत्रों के लेख, आलोचना अगर बहुत गूढ़ न हो, यह सब तो राष्ट्र-भाषा मे अभ्यास कर लेने से लिखे जा सकते हैं, लेकिन साहित्य मे केवल इतने ही विषय तो नहीं हैं। दर्शन और विज्ञान की अनन्त शाखाएँ भी तो हैं जिनको आप राष्ट्र-भाषा मे नहीं ला सकते। साधारण बातें तो साधारण और सरल शब्दों मे लिखी जा सकती हैं। विवेचनात्मक विषयों मे यहाँ तक कि उपन्यास मे भी जब वह मनोवैज्ञानिक हो जाता है, आपको मजबूर होकर स्फूर्त या अरबी फारसी शब्दों की शरण लेनी पड़ती है। अगर हमारी राष्ट्र-भाषा सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है, और उसमे आप हर एक विषय, हर एक भाव नहीं प्रकट कर सकते, तो उसमे यह बड़ा भारी दोष है, और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम राष्ट्र-भाषा को उसी तरह सर्वाङ्गपूर्ण बनावे, जैसी अन्य राष्ट्रों की सम्पन्न भाषाएँ हैं। यो तो अभी हिन्दी और उर्दू

अपने सार्थक रूप में भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या, अधूरी भी नहीं है। जो राष्ट्र-भाषा लिखने का अनुभव रखते हैं, उन्हे स्वीकार करना पड़ेगा कि एक-एक भाव के लिए उन्हे कितना सिर मगजन करना पड़ता है। सरल शब्द मिलते ही नहीं, मिलते हैं, तो भाषा में खपते नहीं, भाषा का रूप बिगाढ़ देते हैं, खीर में नमक के डले की भौंति आकर मजा किरकिरा कर देते हैं। इसका कारण तो स्पष्ट ही है कि हमारी जनता में भाषा का ज्ञान बहुत ही थोड़ा है और आमफहम शब्दों की सूख्या बहुत ही कम है। जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उनकी व्यवहारिक शब्दावली बढ़ नहीं जाती, हम उनके समझने के लायक भाषा में तात्परिक विवेचनाएँ नहीं कर सकते। हमारी हिन्दी भाषा ही अभी सौ बरस की नहीं हुई, राष्ट्र-भाषा तो अभी शैशवावस्था में है, और फिलहाल यदि हम उसमें सरल साहित्य ही लिख सकें, तो हमको संतुष्ट हना चाहिये। इसके साथ ही हमें राष्ट्र-भाषा का कोष बढ़ाते रहना चाहिये। वही संस्कृत और अरबी फारसी के शब्द, जिन्हे देखकर आज हम भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जायेंगे, तो उनका होआपन जाता रहेगा। इस भाषा-विस्तार की किया, धीरे-धीरे ही होगी। इसके साथ हमें विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे विद्वानों का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, जो राष्ट्र-भाषा की जरूरत के कायल है। उस बोर्ड में उदूर, हिन्दी, बँगला, मराठी, तामिल आदि सभी भाषाओं के प्रतिनिधि रखे जायें और इस क्रिया को सुव्यवस्थित करने और उसकी गति को तेज करने का काम उनको सौंपा जाय। अभी तक हमने अपने मनमाने ढग से इस आनंदोलन को चलाया है। औरों का सहयोग प्राप्त करने का यतन नहीं किया। आपका यात्री मडल भी हिन्दी के विद्वानों तक ही रह गया। मुसलिम केन्द्रों में जाकर मुसलिम विद्वानों की हमदर्दी हासिल करने की उसने कोशिश नहीं की? हमारे विद्वान् लोग तो अँगरेजी में मस्त हैं। जनता के पैसे से दर्शन और विज्ञान और सारी दुनिया वी विद्याएँ सीखकर भी वे जनता की तरफ से ओखे बन्द किये वैठे हैं।

उनकी दुनिया अलग है, उन्होंने उपजीवियों की मनोवृत्ति पैदा कर ली है। काश उनमें भी राष्ट्रीय चेतना हाती, काश वे भी जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य को महसूस करते, तो शायद हमारा काम सरल हा जाता। जिस देश में जन शिक्षा की सतह इतनी नीची हो, उसमें अगर कुछ लोग अँगरेज़ा में अपनी विद्वत्ता का सेहरा बैंध ही ले, तो क्या ? हम तो तब जाने, जब विद्वत्ता के साथ साथ दूसरों को भी ऊँची मतह पर उठाने का भाव मौजूद हो। भारत में क्वल अँग्रेज़ीदौं ही नहीं रहते। हजार में ६६६ आदमी अँग्रेज़ी का अक्षर भी नहीं जानते। जिस देश का दिमाग विदेशी भाषा में सोचे और लिखे, उस देश को अगर सासार राष्ट्र नहीं समझता तो क्या वह अन्याय करता है ? जब तक आपके पास राष्ट्र भाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं। दोनों में कारण और कार्य का सम्बन्ध है। राजनीति के माहिर अँग्रेज शासकों को आप राष्ट्र की हँक लगाकर धोखा नहीं दे सकते। वे आपकी पोल जानते हैं और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं।

अब हमें यह विचार करना है कि राष्ट्र भाषा का प्रचार कैसे बढ़े। 'अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेताओं ने इस तरफ मुजरिमाना गफलत दिखायी है। वे अभी तक इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि यह कोई बहुत छोटा-मोटा विषय है, जो छोटे मोटे आदमियों के करने का है, और उनके जैसे बड़े बड़े आदमियों को इतनी कहों फुरसत कि वह भक्ट में पड़े। उन्होंने अभी तक इस काम का महत्व नहीं समझा, नहीं तो शायद यह उनके प्रोग्राम की पहली पॉती में होता। मेरे विचार में जब तक राष्ट्र में इतना सगठन, इतना ऐक्य, इतना एकात्मपन न होगा कि वह एक भाषा में बात कर सके, तब तक उसमें यह शक्ति भी न होगी कि स्वराज्य प्राप्त कर सके। गैर-मुमकिन है। जो राष्ट्र के अगुआ हैं, जो एलेक्शनों में खड़े होते हैं और फतह पाते हैं, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि हजरत इस तरह के एक सौ एलेक्शन आयेंगे और निकल जायेंगे, आप कभी

हारेंगे, कभी जीतेंगे, लेकिन स्वराज्य आपसे उतनी ही दूर रहेगा, जितनी दूर स्वर्ग है। अँग्रेजी से आप अपने मस्तिष्क का गूदा निकालकर रख दें लेकिन आपकी आवाज में राष्ट्र का बल न होने के कारण कोई आपकी उतनी परवाह भी न करेगा जितनी बच्चों के रोने की करता है। बच्चों के राने पर खिलौने और मिठाइयों मिलती हैं। वह शायद आपको भी मिल जावे, जिसमें आपकी चिल्ल पो से माता-पिता के काम में विनाश न पड़े। इस काम को तुच्छ न समझिये। वही त्रुनियाद है, आपका अच्छे से अच्छा गारा, मसाला, सीमेट और बड़ी से बड़ी निर्माण यात्रा जब तक यहों खर्च न होगी, आपकी इमारत न बनेगी। घरौदा शायद बन जाय, जो एक हवा के झोके से उड़ जायगा। दरअसल अभी हमने जो कुछ किया है, वह नहीं के बराबर है। एक अच्छा-सा राष्ट्र-भाषा का विद्यालय तो हम खोल नहीं सके। हर साल सैकड़ों स्कूल खुलते हैं, जिनकी मुल्क को बिलकुल जल्लरत नहीं। 'उसमानिया विश्व विद्यालय' काम की चीज है, अगर वह उदूँ और हिन्दी के बीच की खाई को और चौड़ी न बना दे। फिर भी मैं उसे और विश्व-विद्यालयों पर तरजीह देता हूँ। कम से कम अँग्रेजी की गुलामी से तो उसने अपने को मुक्त कर लिया। और हमारे जितने विद्यालय हैं सभी गुलामी के कारखाने हैं जो लड़कों को स्वार्थ का, जल्लरतों का, नुमाइश का, अकर्मण्यता का गुलाम बनाकर छोड़ देते हैं और लुत्फ यह है, कि यह तालीम भी मोतियों के मोल बिक रही है। इस शिक्षा की बाजारी कीमत शून्य के बराबर है, फिर भी हम क्यों भेड़ों की तरह उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं? अँग्रेजी शिक्षा हम शिष्टता के लिए नहीं ग्रहण करते। इसका उद्देश्य उदर है। शिष्टता के लिए हमें अँग्रेजी के सामने हाथ फैलाने की जल्लरत नहीं। शिष्टता हमारी मीरास है, शिष्टता हमारी छुट्टी में पड़ी है। हम तो कहेंगे, हम जल्लरत से ज्यादा शिष्ट हैं। हमारी शिष्टता दुर्बलता की हद तक पहुँच गयी है। पश्चिमी शिष्टता में जो कुछ है, वह उद्योग और पुरुषार्थ है। हमने यह चीजें तो उसमें से छाँटी

नहीं। छोटा क्या, लोकरपन, अहकार, स्मार्थन्धता, वेशर्मी, शराब और दुर्व्वसन। एक मृख्य किसान के पास जाइये। कितना नम्र, कितना मेहमौनवाज, कितना ईमानदार, कितना विश्वासी। उसी का भाई टामी है, पश्चिमी शिष्टना का सच्चा नमूना, शराबी, लोकर, गुण्डा, अक्खड़, हया से खाला। शिष्टता सीखने वे लिए हमें अँग्रेजी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। हमारे पास ऐसे विद्यालय होने चाहिए नहॉं ऊँची से ऊँची शिक्षा राष्ट्र भाषा में सुगमता से मिल सके। इस बन्ध अगर ज्यादा नहीं तो एक ऐसा विद्यालय किसी केन्द्र स्थान में होना ही चाहिए। मगर हम आज भी वही भेड़चाल चले जा रहे हैं, वही स्कूल, वही पढ़ाई। कोई भला आदमी ऐसा पैदा नहीं होता, जो एक राष्ट्र भाषा का विद्यालय खोले। मेरे सामने दक्षिण से बीसा विद्यार्थी भाषा पढ़ने के लिए काशी गये, पर वहॉं कोई प्रवन्ध नहीं। वही हाल अन्य स्थानों में भी है। बेचारे इधर उधर ठोकरे खाकर लौट आये। अब कुछ विद्यार्थियों की शिक्षा भा प्रवन्ध हुआ है, मगर जो काम हमें करना है, उसके देखते नहीं रे बराबर हे। प्रचार के और तरीकों में अच्छे ड्रामों का खेलना अच्छे नतीजे पैदा कर सकता है। इस विषय में हमारा सिनेमा प्रशसनीय काम कर रहा है, हालांकि उसके द्वारा जो कुरुचि, जो गन्दापन, जो विलास प्रेम, जो कुवासना फैलायी जा रही है, वह इस काम के महत्व को मिट्टी में मिला देती है। अगर हम अच्छे भावपूर्ण ड्रामे स्टेज कर सकें, तो उससे अवश्य प्रचार बढ़ेगा। हमें सच्चे मिशनरियों की जरूरत है और आपके ऊपर इस मिशन का दायित्व है। बड़ी मुश्किल यह है कि जब तक किसी वस्तु की उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, काई उसके पीछे क्यों अपना समय नष्ट करे? अगर हमारे नेता और विद्वान् जो राष्ट्र-भाषा के महत्व से बेखबर नहीं हो सकते, राष्ट्र भाषा का व्यवहार कर सकते तो जनता में उस भाषा की ओर विशेष आकर्षण होता। मगर, यहॉं तो अँग्रेजियत का नशा सघार है। प्रचार का एक और साधन है कि भारत के अँग्रेजी और अन्य भाषाओं के पत्रों को हम

इस पर अमादा कर सके कि वे अपने पत्रों के एक दो कालम नियमित रूप से राष्ट्रभाषा के लिए दे सकें। अगर हमारी प्राथना वे मीरी कारों करे, तो उससे भी बहुत फायदा हो सकता है। हम तो उस दिन का स्वप्न देख रहे हैं, जब राष्ट्रभाषा पूर्ण रूप से अँग्रेजी का स्थान ले लेगी, जब हमारे विद्वान् राष्ट्रभाषा में अपनी रचनाएँ करेंगे, जब मद्रास और मैसूर, ढाका और पूना सभी स्थानों से राष्ट्रभाषा के उत्तम ग्रन्थ निकलेंगे, उत्तम पत्र प्रकाशित होंगे और भू-मरडल की भाषाओं और साहिलों की मञ्जलिस में हिन्दुस्तानी साहित्य और भाषा को भी गौरव स्थान मिलेगा, जब हम मगनी के सुन्दर कलेवर में नहीं, अपने फटे बख्तों में ही सही, ससार साहित्य में प्रवेश करेंगे। यह स्वानं पूरा होगा या अन्वकार में विलीन हो जायगा, इसका फैसला हमारी राष्ट्रभावना के हाथ है। अगर हमारे हृदय में वह बीज पड़ गया है, हमारी सम्पूर्ण प्राण शक्ति से फलें-फूलेगा। अगर केपल जिह्वा तक ही है, तो सूख जायगा।

हिन्दी और उर्दू-साहित्य की विवेचना का यह अवसर नहीं है, और करना भी चाहे, तो समय नहीं। हमारा नया साहित्य अन्य प्रान्तीय साहित्यों की भाँति ही अभी सम्भव नहीं है। अगर सभी प्रातों का साहित्य हिन्दी में आ सके, तो शायद वह सम्भव कहा जा सके। बैंगला साहित्य से तो हमने उसके प्राय सारे रक्त ले लिये हैं और गुजराती, मराठी साहित्य से भी थाङ्गी-बहुत सामग्री हमने ली है। तमिल, तेलंगु आदि भाषाओं से अभी हम कुछ नहीं ले सके, पर आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम इस खजाने पर हाथ बढ़ायेंगे, वर्षतेर्वें कि घर के भेदियों ने हमारी सहायता की। हमारा प्राचीन साहित्य सारे का सारा काव्यमय है, और यद्यपि उसमें शुद्धार और भक्ति की मात्रा ही अधिक है, फिर भी बहुत कुछ पढ़ने योग्य है। भक्त कवियों की रचनाएँ देखनी हैं, तो तुलसी, सूर और मीरा आदि का अध्ययन कीजिये, ज्ञान में कबीर अपना सानी नहीं रखता और शुद्धार तो इतना अधिक है कि उसने एक प्रकार से हमारी पुरानी कविता को कलंकित कर दिया है। मगर, वह उन कवियों का

दोष नहीं, परिस्थितियों का दोष है जिनके अन्दर उन कवियों को रहना पड़ा। उस जमाने में कला दरबारों के आश्रय से जीती थी और कलाविदों को अपने स्वामियों की रुचि का ही लिहाज करना पड़ता था। उर्दू कवियों का भी यही हाल है। यही उस जमाने का रग था। हमारे रईस लोग विलास में मग्न थे, और प्रेम, विरह और वियोग के खिलाफ उन्हें कुछ न सूझता था। अगर कहीं जीवन का नकशा है भी, तो यह कि सार चद रोजा है, अनित्य है, और यह दुनिया दुर या काम खड़ा है और इसे जितनी जल्दी छोड़ दो, उतना ही अच्छा। इस थोथे वैराग्य के सिवा और कुछ नहीं। हों, सूक्ष्मियों और सुभाषितों की दृष्टि से वह अमूल्य है। उर्दू की कविता आज भी उसी रग पर चली जा रही है, यद्यपि विषय में थोड़ी-सी गहराई आ गयी है। हिन्दी में नवीन ने प्राचीन से बिलकुल नाता तोड़ लिया है। और आज की हिन्दी कविता भावों की गहराई, आत्मव्यज्ञना और अनुभूतियों के एतबार से प्राचीन कविता से कहीं बढ़ी हुई है। समय के प्रभाव ने उस पर भी अपना रग जमाया है और वह प्राय निराशावाद का रुदन है। यद्यपि कवि उस रुदन से दुखी नहीं होता, बल्कि उसने अपने धैर्य और सतोष का दायरा इतना फैला दिया है कि वह बड़े से बड़े दुख और बाधा का स्वागत करता है। और चूंकि वह उन्हीं भावों को व्यक्त करता है, जो हम सभी के हृदयों में मौजूद हैं, उसकी कविता में मर्म को स्पर्श करने की अतुल शक्ति है। यह जाहिर है कि अनुभूतियों सबके पास नहीं होती और जहाँ थोड़े से कवि अपने दिल का दर्द कहते हैं, बहुत से केवल कल्पना के आधार पर चलते हैं।

अगर आप दुख का विकास चाहते हैं, तो महादेवी, 'प्रसाद', पत, सुभद्रा, 'लली', 'द्विज,' 'मिलिन्ड', 'नवीन', प० माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों की रचनाएँ पढ़िये। मैंने केवल उन कवियों के नाम दिये हैं, जो मुझे याद आये, नहीं तो और भी ऐसे कई कवि हैं, जिनकी रचनाएँ पढ़कर आप अपना दिल थाम लेंगे, दुख के स्वर्ग में पहुँच जायेंगे।

“काव्यों का आनन्द लेना चाहे तो मैथिलीशरण गुप्त और त्रिपाठीजी के काव्य पढ़िये। ग्राम्य साहित्य का दफनीना भी त्रिपाठीजी ने खाद कर आपके सामने रख दिया है। उसमें से जितने रत्न चाहे शाक से निकाल ले जाइये और देखिये उस देहाती गान में कवित्व की कितनी माझुरी और फितना अनूठापन है। ड्रामे का शाक है, तो लक्ष्मीनारायण मिश्र के सामाजिक और क्रातिकारी नाटक पढ़िये। ऐतिहासिक और भावमय नाटकों की रुचि है, तो ‘प्रसाद’ जी की लगायी हुई पुष्पबाटियों की सैर कीजिए। उर्दू में सबसे अच्छा नाटक जो मेरी नजर से गुजरा, वह ‘ताज’ का रचा हुआ ‘अनारकली’ है। हास्य-रस के पुजारी है, तो अन्नपूर्णानन्द की रचनाएँ पढ़िये। राष्ट्र-भाषा के सच्चे नमूने देखना चाहते हैं, तो जी० पी० श्रीवास्तव के हँसानेवाले नाटकों की सैर कीजिये। उर्दू में हास्य-रस के कई ऊँचे दरजे के लेखक हैं और पढ़ित रत्ननाथ दर तो इस रङ्ग में कमाल कर गये हैं। उमर खैयाम का मजा हिन्दी में लेना चाहे तो ‘बच्चन’ कवि की मधुशाला में जा बैठिये। उसकी महक से ही आपको सरूर आ जायगा। गत्य-साहित्य में ‘प्रसाद’, ‘कौशिक’, जैनेन्द्र, ‘भारतीय’, ‘अञ्जेय’, विशेश्वर आदि की रचनाओं में आप वास्तविक जीवन की झलक देख सकते हैं। उर्दू के उपन्यासकारों में शरर, मिर्जा रुसवा, सज्जाद हुसेन, नजीर अहमद आदि प्रसिद्ध हैं, और उर्दू में राष्ट्र-भाषा के सबसे अच्छे लेखक खाजा हसन निजामी है, जिनकी कलम में दिल को हिला देने की ताकत है। हिन्दी के उपन्यास-क्षेत्र में अभी अच्छी चीजें कम आयी हैं, मगर लक्षण कह रहे हैं कि नयी पौध इस क्षेत्र में नये उत्साह, नये दृष्टिकोण, नये सन्देश के साथ आ रही है। एक युग की इस तरक्की पर हमें लजिज्जत होने का कारण नहीं है।

मित्रो, मैं आपका बहुत सा समय ले चुका, लेकिन एक झगड़े की बात बाकी है, जिसे उठाते हुए मुझे डर लग रहा है। इतनी देर तक उसे टालता रहा पर अब उसका भी कुछ समाधान करना लाजिम है।

वह राष्ट्रलिपि का विषय है। बोलने की भाषा तो किसी तरह एक हो सकती है, लेकिन लिपि कैसे एक हो ? हिन्दी और उर्दू लिपियों में तो पूरप पञ्चम का अन्तर है। मुसलमानों को अपनी फारसी लिपि उतनी ही प्यारी है, जैननी हिन्दुओं को अपनी नागरी लिपि। वह मुसलमान भी जा तमिल, वैगला या गुजराती लिखते-पढ़ते हैं, उर्दू को धार्मिक अद्वा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अरबी और फारसी लिपि में वही अन्तर है, जो नागरी और वैगला में है, बल्कि उससे भी कम। इस फारसी लिपि में उनका प्राचीन गौरव, उनकी सम्कृति, उनका ऐतिहासिक महत्व सब कुछ भरा हुआ है। उसमें कुछ कचाइयाँ हैं, तो खूबियाँ भी हैं, जिनके बल पर वह अपनी हस्ती कायम रख सकी है। वह एक प्रकार का शार्टहैड है। हमें अपनी राष्ट्र-भाषा और राष्ट्रलिपि का प्रचार मित्र-भाव से करना है, इसका पहला कदम यह है कि हम नागरी लिपि का सराठन करें। वैगला, गुजराती, तमिल, आदि अगर नागरी लिपि स्वीकार कर ले, तो राष्ट्रीय लिपि का प्रश्न बहुत कुछ हल हो जायगा और कुछ नहीं तो केवल सख्त्या ही नागरी को प्रवानता दिला देगी। और हिन्दी लिपि का सीखना इतना आसान है और इस लिपि के द्वारा उनकी रचनाओं और पत्रों का प्रचार इतना ज्यादा हो सकता है कि मेरा अनुमान है, वे उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। हम उर्दू लिपि को मिटाने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमारी एक कोमी लिपि हो जाय। अगर सारा देश नागरी लिपि का हो जायगा, तो सम्भव है मुसलमान भी उस लिपि को कुबूल कर ले। राष्ट्रीय चेतना उन्हें बहुत दिन तक अलग न रहने देगी। क्या मुसलमानों में यह स्वाभाविक इच्छा नहीं होगी कि उनके पत्र और उनकी पुस्तके सारे भारतवर्ष में पढ़ी जायें ? हम तो किसी लिपि को भी मिटाना नहीं चाहते। हम तो इतना ही चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार नागरी में हो। मुसलमानों में राजनैतिक जागृति के साथ यह प्रश्न आप हल हो जायगा। यू० पी० में यह आनंदोलन

भी हो रहा है कि स्कूलों में उर्दू के छात्रों का हिन्दी और हिन्दी के छात्रों को उर्दू का इतना ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय कि वह मामूली पुस्तके पढ़ सके और खत लिख सके। अगर वह आनंदलुन सफल हुआ निम्नी आशा है, तो प्रत्येक वालक हिन्दी और उर्दू दोनों ही लिपियों से परिचित हो जायगा। और जब भाषा एक ही जागरी तो हिन्दी अपनी पूर्णता के कारण सर्वमान्य हो जायगी और राष्ट्रात् योजनाओं में उसका व्यवहार होने लगेगा। हमारा काम यही है कि जनता में राष्ट्रचेतना को इतना सन्तीव कर दे कि वह राष्ट्रहित के लिए छाटे छाटे स्वायों को बलिदान करना सख्त। आपने इस काम का बीड़ा उठाया है, और मैं जानता हूँ आपने क्षणिक आवश्य में आकर यह साहस नहीं हिला है बलिक प्रापका इस मिशन में पूरा प्रिश्वास है, और आप जानते हैं कि यह विश्वास कि हमारा पक्ष सत्य और न्याय का पक्ष है, आत्मा को कितना बलवान् बना देता है। समाज में हमेशा ऐसे लोगों की कसरत होती है जो खाने पीने, बन बटोरने और जिनदरी के अन्य घन्यों में लगे रहते हैं। यह समाज की देह है। उसके प्राण वह गिने गिनाये मनुष्य है, जो उसकी रक्षा के लिए सदैव लड़ते रहते हैं—कभी अन्विश्वास से, कभी मूर्खता से, कभी कुव्यवस्था से, कभी पराधीनता से। इन्हीं लड़न्तियों के साहस और बुद्धि पर समाज का आधार है। आप इहीं सिपाहियों में हैं। सियाही लड़ता है, हारने-जीतने की उसे परवाह नहीं होती। उसके जीवन का व्येत्र ही यह है कि वह बहुतों के लिए अपने को होम कर दे। आपको अपने सामने कठिनाइयों की फौजे खड़ी नजर आयेगी। बहुत सम्भव है, आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़े। लोग आपको सनकी और पागल भी कह सकते हैं। कहने दीजिए। अगर आपका सकल्प सत्य है, तो आप मैं से हरेक एक-एक सेना का नायक हो जायगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिये कि लोगों को आप मैं विश्वास और श्रद्धा हो। आप अपनी विजली से दूसरों में भी विजली भर दें, हर एक

पन्थ की विजय उसके प्रचारकों के आदर्श नीवन पर ही निर्भर होती है। अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में ऊँचे-से ऊँचा उद्देश्य भी निवार हो सकता है। मुझे विश्वास है, आप अपने को अयोग्य न बनने देगे।

---

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के चतुर्थ उपाधि-वितरणोत्सव के अवसर पर, २६ दिसम्बर, १९३४ ई० को दिया गया दीक्षान्त भाषण।

## कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार

बहनो और माइयो,

किसी कौम के जीवन और उसकी तरक्की में भाषा का ऐतना बड़ा हाथ है, इसे हम सब जानते हैं, और उसकी। तशरीह करना आप जैसे विद्वानों की तौहीन करना है। यह दो पैरोंवाला जीव उसी वक्त आदमी बना, जब उसने बोलना सीखा। यो नो सभी जीवधारियों की एक भाषा होती है। वह उसी भाषा में अपनी खुशी और रज, अपना क्रोध और भय, अपनी हँसी या नहीं बतला दिया करता है। कितने ही जीव तो केवल इशारों में ही अपने दिल का हाल और स्वभाव जाहिर करते हैं। यह दर्जा आदमी ही को हासिल है कि वह अपने मन के भाव और विचार सफाई और बारीकी से बयान करे। समाज की बुनियाद भाषा है। भाषा के बगैर किसी समाज का खलाल भी नहीं किया जा सकता। किसी स्थान की जलवाया, उसके नदी और पहाड़, उसकी सर्दी और गर्मी और अन्य मौसमी हालतों सब मिल-जुलकर वहाँ के जीवों में एक विशेष आत्मा का विकास करती है, जो प्राणियों की शक्ति सूरत, व्यवहार विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है और अपने को व्यक्त करने के लिए एक विशेष भाषा या बोली का निर्माण करती है। इस तरह हमारी भाषा का सीधा सम्बन्ध हमारी आत्मा से है। यों कह सकते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। वह हमारी शक्ति-सूरत, हमारे रग रूप ही की भौति हमारी आत्मा से निकलती है। उसके एक-एक अक्षर में हमारी आत्मा का प्रकाश है। ज्यों ज्यों हमारी आत्मा

का विमास होता है, हमारी भाषा भी प्रौढ़ और पुष्ट होती जाती है। आदि मे ना लोग उशारो मे बात मरने थे, फिर अक्षरो मे अपने भाव प्रकट मरने लगे, वही लोग किनासभी लिखने और शास्त्री करने हैं, और जब जमाना बदल जाता है ग्रंथ उम उस जगह मे निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सो मे आगाद हो जाते हैं, हमाग रङ्ग रूप भी बदल जाता है। किंव भी भाषा सदियो तक हमारा साथ देती रहती है और जितने लोग हमजवान हैं, उनमे एक अग्रनामन, एक आत्मीयता, एक निकटता रा भाव जगाती रहती है। मनुष्म मे मेल मिलाव हे जितने सावन है, उनमे सबसे मजबूत ग्रसर डालनेवाला रिश्ता भाषा का है। राजनीतिक, व्यापारिक या वार्मिं नाते जल्द या देर मे -मजोर पड़ सकते हैं ग्रंथ और अक्षर दृष्ट जाते हैं, लेकिन भाषा का रिश्ता समय की और दूसरी विखेगनेवाली शक्तियो की परवा नहीं करता, और एक तरह से अमर हो जाता है।

लेकिन आदि मे मनुष्यो के जैमे छोटे छोटे समूह होते हैं, वैसी ही छोटी छोटी भाषाएँ भी होती हैं। अगर गौर से देखिये, तो बीस पचीस कोस के अन्दर ही भाषाओ मे कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। कानपुर और झोसी की सरहदे मिली हुई है। केवल एक नदी का अन्तर है, लेकिन नदी की उनर तरफ कानपुर मे जा भाषा बोली जाती है उसमे और नदी की दक्षिण तरफ की भाषा मे साफ साफ फर्क नजर आता है। सिर्फ प्रयाग मे कम से-कम दस तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। लेदिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, यह स्थानीय भाषाएँ किसी सूचे की भाषा मे जा मिलती हैं और सूचे की भाषा एक सार्वदेशिक भाषा का अङ्ग बन जाती है। हिन्दी ही मे ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी, अवधी, मैथिल, भोजपुरी आदि भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी भाराओ के मिल जाने से एक बड़ा दरिया बन जाता है, जिसमे मिलकर नदियों अपने को खा देती हैं, उसी तरह ये सभी प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दी की मात-हत हो गयी हैं और आज उत्तर भारत का एक देहाती भी हिन्दी समझता

है और अवसर पड़ने पर बोलता है, । लेकिन हमारे मुल्की फैलाव के साथ हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ गयी है, जो सारे हिन्दुस्तान में समझी और बोली जाय, जिसे हम हिन्दी या गुजराती या मराठी या उर्दू न कहकर हिन्दुस्तानी भाषा कह सके, जिसे हिन्दुस्तान का पढ़ा बेपढ़ा आदमी उसी तरह समझे या बोल, जैसे हर एक अंग्रेज या जर्मन या फ्रांसीसी फ्रेंच या जर्मन या अंग्रेजी भाषा बोलता और समझता है । हम स्वयं की भाषाओं के विरोधी नहीं हैं । आप उनमें जितनी उन्नति कर सके, वरे । लेकिन एक कौमी भाषा का मरकजी सहारा लिये बगैर आपके राष्ट्र मी जड़ कभी मजबूत नहीं हो सकती । हमें रक्षा के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हमने कौमी भाषा की ओर जितना व्यान देना चाहिये, उनना नहीं दिया है । हमारे पूज्य नेता सब के सब ऐसी जवान की जरूरत वो मानते हैं, लेकिन अभी तक उनका व्यान खास तौर पर इस विषय की ओर नहीं आया । हम ऐसा राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद इस बक्त सिर्फ अंग्रेजी हुक्मत है । इस बालू की बुनियाद पर हमारी कौमियत का मीनार खड़ा किया जा रहा है । और अगर हमने कौमियत की सबसे बड़ी शर्त, यानी कौमी जवान की तरफ से लापरवाही की, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपकी कौम को जिन्दा रखने के लिए अंग्रेजी की मरकजी हुक्मत का कायम रहना लाजिम होगा वरना कोई मिलानेवाली ताकत न होने के कारण हम सब बिखर जायेंगे और प्रान्तीयता जोर पकड़कर राष्ट्र का गला घोट देगी, और जिस बिखरी हुई दशा में हम अंग्रेजों के आने के पहले थे, उसी में फिर लौट जायेंगे ।

इस लापरवाही का खास सबब है—अंग्रेजी जवान का बढ़ता हुआ प्रचार और हममें आत्म सम्मान की वह कमी, जो गुलामी की शर्म को नहीं महसूस करती । यह दुरुस्त है कि आज भारत की दफ्तरी जवान अंग्रेजी है और भारत की जनता पर शासन करने में अंग्रेजों का हाथ बटाने के लिए हमारा अंग्रेजी जानना जरूरी है । इलम और हुनर और

खयालात मे जो इनकलाब हाते रहते हैं, उनसे वाकिफ होने के लिए भी अँगरेजी जबान सीखना लाजिमी हो गया है। जाती शाहरत और तरक्की की सारी कुजियों अँगरेजी के हाथ मे है और कोई भी उस खजाने को नाचीज नहीं समझ सकता। दुनिया की तहजीबी या सास्कृतिक विरादी मे मिलने के लिए अङ्गरेजी ही हमारे लिए एक दरवाजा है और उसकी तरफ से हम आँख नहीं बन्द कर सकते। लेकिन हम दौलत और अख्तियार की दौड़ मे, और बेतहाशा दौड़ मे कोई भाषा की जरूरत विलकुल भूल गये और उस जरूरत की याद कौन दिलाता? आपस मे तो अँगरेजी भा व्यवहार था ही, जनता से ज्यादा सरोकार था ही नहों, और अपनी प्रान्तीय भाषा से सारी जरूरते पूरी हा जाती थी। कोई भाषा का स्थान अँगरेजी ने ले लिया और उसी स्थान पर विराजमान है। अँगरेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का, हमारे ऊपर जैसा आतङ्क है, उससे कहीं ज्यादा अँगरेजी भाषा का है। अँग्रेजी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो आप बगावत करते हैं, लेकिन अँग्रेजी भाषा को आप गुलामी के तौक की तरह गर्दन मे डाले हुए हैं। अँग्रेजी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं। उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं। लेकिन अँग्रेजी भाषा का सिक्का हमारे दिलो पर बैठ गया है। उसके बगैर हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जायगा। पुराने समय मे आर्य और अनार्य का भेद था, आज अँग्रेजीदों और गैर अँग्रेजीदों का भेद है। अँग्रेजीदों आर्य हैं। उसके हाथ मे, अपने स्वामिया की कृपा दृष्टि की बदौलत, कुछ अखतियार है, रोब है, सम्मान है। गैर-अँग्रेजीदों अनार्य हैं और उसका काम केवल आर्यों की सेवा टहल करना है और उनके भोग विलास और भोजन के लिए सामग्री जुटाना है। यह आर्यवाद बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, दिन दूना रात चागुना। अगर सो-दो-सो साल मे भी वह सारे भारत मे फैल जाता, "तो हम कहते बला से, विदेशी जबान है, हमारा काम तो चलता है, लेकिन इधर तो

हजार-दो हजार साल में भी उसके जनता में फैलने का दमकान नहीं। दूसरे वह पढ़े लिखो को जनता से अलग किये चली जा रही है। यहों तक कि इनमें एक दीवार खिच गयी है। साम्राज्यवादी जाति की भाषा में कुछ तो उसके घमरड और दबड़वे का असर-होना ही चाहिए। हम अँग्रेजी पढ़कर अगर अपने को महकूम जाति का अग भूलकर हाकिम जाति का अग समझने लगते हैं, कुछ वही गरूर, कुछ वही अहमन्यता, 'हम चुनी दीगरे नेतृत्व' वाला भाव, बहुतों में कसदन, और थोड़े आदमियों में बेजाने पैदा हो जाता है, तो कोई ताज्जुब नहीं। हिन्दुस्तानी साहबों की अपनी विरादरी हो गयी है, उनका रहन सहन, चाल-टाल, पहनावा, बर्ताव सब साधारण जनता से अलग है, साफ मालूम होता है कि यह कोई नयी उपज है। जो हमारा अँग्रेजी साहब करता है, वही हमारा हिन्दुस्तानी साहब करता है, करने पर मजबूर है। अँग्रेजियत ने उसे हिन्दूस्तानी दिया है, उसमें बेहद उदारता आ गयी है, छूतछात से सोलहों आना नफरत हो गयी है, वह अँग्रेजी साहब की मेज का जूठन भी खा लेगा और उसे गुरु का प्रसाद समझ लेगा, 'लेकिन जनता उसकी उदारता में स्थान नहीं पा सकती, उसे तो वह काला आदमी समझता है। हों, जब कभी अँग्रेजी साहबों से उसे ठोकर मिलती है, तो वह दौङा हुआ जनता के पास फरियाद करने जाता है, उसी जनता के पास, जिसे वह काला आदमी और अपना भोग्य समझता है। अगर अँग्रेजी स्वामी उसे नौकरियों देता जाय, उसे, उसके लड़कों, पोतों, सबको, तो उसे अपने हिन्दुस्तानी या गुलाम होने का कभी ख्याल भी न आयगा। मुश्किल तो यही है कि वहों भी गुजायश नहीं हैं। ठोकरों पर ठोकरो मिलती है, तब यह क्लास देश-भक्त बन जाता है और जनता का बकील और नेता बनकर उसका जोर लेकर अँग्रेज साहब का मुकाबिला करना चाहता है। तब उसे ऐसी भाषा की कभी महसूस होती है, जिसके द्वारा वह जनता तक पहुँच सके। कॉंग्रेस को जो थोड़ा-वहुत यश मिला, वह जनता को उसी भाषा में अपील करने

से मिला। हिन्दुस्तान मे इस वक्त कराव चौबीस पचीस कराड आदमी हिन्दुस्ताना भाषा समझ सकते हैं। यह क्या दुख को बात नहीं कि वे, जा भारतीय जनता की बकालत के दावेदार हैं, वह भाषा न बोल सके और न समझ सके, जो पचीस कराड का भाषा है, और जा थाङी सी काशिश से सारे भारतवर्ष की भाषा बन सकती है? लेकिं अँग्रेजों के चुने हुए शब्दों और मुहावरों आरं मैं ना हुई भाषा मे अपनी नियुणता और कुशलता दिखाने का रोग इतना बढ़ा हुआ है कि हमारी कौमी सभाग्रों म सारी कार्रवाई अँग्रेजों मे हाती है, अँग्रेजी मे भाषण दिये जाते हैं, प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, सारी लिखान-पढ़ो अँग्रेजी मे हाती हैं, उस स्थाने मे भी, जा अपने को जनता की मत्था कहती है। यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट भी, जो जनता के खासुलखास झड़े-वरदार हैं, सभी कार्रवाई अँग्रेजी मे ठरते हैं। जब हमारी कौमी स्थानों की यह हालत है, ता हम सरकारी महकमों और युनिवर्सिटिया से क्या शिकायत करे? मगर सा वर्ष तक अँग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के बाद भी एक हिन्दुस्तानी भी ऐसा नहीं निकला, जिसकी रचना का अँग्रेजी मे आदर हो। हम अँग्रेजी भाषा की खेरात खाने के इतने आदि हो गये हैं कि अब हमें हाथ पाँव हिलाते कष्ट होता है। हमारी मनावृत्ति कुछ बैमी हा हा गयी है, जैसी अक्सर मिखमगों की होती है जो इतने आरामतलब हो जाते हैं कि मजदूरी मिलने पर भी नहीं करते। यह ठीक है कि कुदरत अपना काम कर रही है और जनता कामी भाषा बनाने म लगी हुई है। उसका अँग्रेजी न जानना, कोम की भाषा के लिए अनुकूल जलवायु दे रहा है। इधर सिनेमा के प्रचार ने भी इस समस्या को हल करना शुरू कर दिया है और ज्यादातर फिल्मे हिन्दुस्तानी भाषा मे ही निकल रही हैं। सभी ऐसा भाषा मे बोलना चाहते हैं, जिसे ज्यादा से ज्यादा आदमी समझ सके, लेकिं जब जनता अपने रहनु मात्रों का अँग्रेजी मे बोलते आर लिखते देखती है, तो कामी भाषा

से उसे जा हमदर्दी है, उसमें जार का बक्का लगता है, उसे कुछ ऐसा खयाल हाने लगता है कि कोमा भाषा काई जरूरी चाज नहीं है। जब उसके नेता, जिनके कदमा क निशान पर वह चलता है, और जो जनता की रुचि बनाते हैं, कोमा भाषा को हक्कीर समझे—सियाय इसके कि रुमी-कर्मी श्रीमुख स उसकी तारीफ कर दिया फरे—ता जनता से यह उम्मीद करना कि वह कोमी भाषा के मुर्दे को पूजती जायगी, उसे बेबूफ समझना है। और जनता फो आप जो चाहे इल्जाम दे ले वह बेबूफ नहीं है। आगे समझदारी का जो तराजू अपने दिल में बना रखा है, उस पर वह चाहे पूरा न उतरे, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि कितना ही बातों में वह आपसे और हमसे नहीं ज्यादा समझदार है। कोमा भाषा के प्रचार का एक पड़ा जरिया हमार अखबार है, लेकिन अखबार की सारी शक्ति नेताओं रु भाषणों, व्याख्यानों और व्यानों के अनुवाद करने में ही रर्च हो जाती है, और चूँकि शिक्षित समाज ऐसे अखबार खरीदन और पढ़ने में अपनी हतक समझता है, इसलिए ऐसे पत्रों का प्रचार बढ़ने नहीं पाता और आमदनी कम होने के सबब वे पत्र का मनोरंजक नहीं बना सकते। वाइसराय या गवर्नर अंग्रेजी में बोले, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अपने ही भाइयों के खयालात तक पहुँचने के लिए हमें अंग्रेजी से अनुवाद करना पड़े, यह हालत भागत जैसे गुलाम दश क सिवा और कहीं ननर नहीं आ सकता। और नबान का गुलाम ही असली गुलाम है। ऐसे भी देश सासार में है, जिन्होंने हुक्मरां जाति की भाषा का अपना लिया। लेकिन उन जातियों के पास न अपनी तहजीब या सभ्यता थी, और न अपना कोई इतिहास था, न अपना कोई भाषा थी। वे उन बच्चों की तरह थे, जो थोड़े ही दिनों में शपर्नी सातुभाषा भूल जाते हैं और नयी भाषा में बालने लगते हैं। क्या हमारा शिक्षित भारत वैसा ही बालक है? ऐसा मानने की इच्छा नहीं हातों, हालोंकि लक्षण सब वही है।

सवाल यह होता है कि जिस कोमा भाषा पर इतना जोर दिया

जा रहा है, उसका रूप क्या है ? हमें खेद है कि अभी तक हम उसकी कोई खास सूरत नहीं बना सके हैं, इसलिए कि जो लोग उसका रूप बना सकते थे, वे अँग्रेजी के पुजारी थे और हैं, मगर उसकी कसौटी यही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा आदमी समझ सके। हमारी कोई सूबेवाली भाषा इस कसौटी पर पूरी नहीं उतरती। सिर्फ हिन्दुस्तानी करती है, क्योंकि मेरे ख्याल में हिन्दी और उर्दू दोनों एक जवान हैं। क्रिया और कर्त्ता, फेल और फाइल, जब एक है, तो उनके एक होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। उर्दू वह हिन्दुस्तानी जवान है, जिसमें फारसी अरबी के लफज ज्यादा हो, उसी तरह हिन्दी वह हिन्दुस्तानी है, जिसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा हो। लेकिन जिस तरह अँग्रेजी में चाहे लैटिन या ग्रीक शब्द अधिक हो या एग्लासेक्सन, दोनों ही अँग्रेजी हैं, उसी भौति हिन्दुस्तानी भी अन्य भाषाओं के शब्दों के मिल जाने से कोई भिन्न भाषा नहीं हो जाती। साधारण बातचीत में तो हम हिन्दुस्तानी का व्यवहार करते ही हैं। थोड़ी-सी काशिश से हम इसका व्यवहार उन सभी कामों में कर सकते हैं, जिनसे जनता का सम्बन्ध है। मैं यहाँ एक उर्दू पत्र से दो एक उदाहरण देकर अपना मतलब साफ कर देना चाहता हूँ—

‘एक जमाना था, जब देहातों में चरखा और चक्की के बगैर कोई घर खाली न था। चक्की चूल्हे से छुट्टी मिली, तो चरखे पर सूत कात लिया। औरतें चक्की पीसती थीं, इससे उनकी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छी रहती थी, उनके बच्चे मजबूत और जफाकश होते थे। मगर अब तो अँग्रेजी तहजीब और मुआशारत ने सिर्फ शहरों में ही नहीं देहातों में भी काया पलट दी है। हाथ की चक्की के बजाय अब मशीन का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल किया जाता है। गोवा में चक्की न रही, तो चक्की पर गीत कौन गाये ? जो बहुत गरीब है, वे अब भी घर की चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। चक्की पीसने का वक्त अमूमन रात का तीसरा पहर होता है। सरे शाम ही से पीसने के लिए

अनाज रख लिया जाता है और पिछ्ले पहर से उठकर औरतें चक्की पीसने बैठ जाती हैं।

इस पैराग्राफ को मे हिन्दुस्तानी का बहुत अच्छा नमना समझता हूँ, जिसे समझने मे किसी भी हिन्दी समझनेवाले आदमी जो जरा भी मुश्किल न पड़ेगी। अब मै उर्दू का एक दूसरा पैरा देता हूँ—

‘उमरी वफा का जजवा सिर्फ जिन्दा हमियो के लिए महदूद न था। वह ऐसा परवाना थी, कि न सिर्फ जलती हुई शमा पर निसार होती थी वल्कि बुझी हुई शमा पर भी खुद को कुरवान कर देती थी। अगर मौत का जालिम हाथ उसके रफ़ाक हयात को छीन लेता था तो वह बाझी जिन्दगी उसके नाम आर उसकी याद मे वसर कर देती थी। एक की कहलाने और एक की हो जाने के बाद फिर दूसरे किसी शख्स का खयाल भी उसके वफापरस्त दिल मे भूलकर भी न उठना था।’

अगर पहले जुमले को हम इस तरह लिखे—‘वह सिर्फ जिन्दा आदमियो के साथ वफा न करती थी’ और ‘वफापरस्त’ की जगह ‘प्रेमी’ ‘रफ़ीक हयात’ की जगह ‘जीवन साथी’ का व्यवहार करे, तो वह साफ हिन्दुस्तानी बन जायगी और फिर उसके समझने मे किसी को दिक्कत न होगी। अब मै एक हिन्दी पत्र से एक पैरा नकल करता हूँ—

‘मशीनो के प्रयोग से आदमियो का बेकार होना और नये नये आविष्कारो से बेकारी का बढ़ना, फिर बाजार की कमी, रही सही कमी को और भी पूरा कर देती है। बेकारी की समस्या को अधिक भयकर रूप देने के लिए यही काफी था, लेकिन इसके ऊपर ससार मे हर दसवें साल की जन गणना देखने से मालूम हो रहा है कि जन सख्ता बढ़ती ही जा रही है। पूँजीवाद कुछ लोगो को धनी बनाकर उसके लिए सुख और विलास की नयी नयी सामग्री जुटा सकता है।’

यह हिन्दी के एक मशहूर और माने हुए विद्वान् की शैली का नमूना है, इसमे ‘प्रयोग’ ‘आविष्कार’ ‘समस्या’ यहतीन शब्द ऐसे हैं, जो उर्दूदो लोगो को अपरिचित लगेगे। बाकी सभी भाषाओ के बोलनेवालो की

समझ में आ सकते हैं। इसमें साधित हो रहा है कि हिन्दी या उर्दू में कितने थोड़े रहोवदल से उसे हम कौमी भाषा बना सकते हैं। हमें सिर्फ अपने शब्दों का कोष बढ़ाना पड़ेगा और वह भी व्यादा नहीं। एक दूसरे लेख की शैली का नमूना और लीजिए—

‘अपने साथ रहनेवाले नागरिकों के साथ हमारा जो राज-राज का सम्बन्ध होता है, उसमें क्या आप समझते हैं कि वस्तुत न्यायकर्ता, जेल के अधिकारी और पुलिस के कारण ही समाज विरोधी कार्य बढ़ने नहीं पाते ? न्यायकर्ता तो सदा खँख्वार बना रहता है, क्योंकि वह कानून का पागल है। अभियोग लगानेवाला, पुलिस को खबर देनेवाला, पुलिस का गुत्चर, तथा इसी श्रेणी के ग्राम लोग जो अदालतों के इर्द-गिर्द मँडराया करते हैं और फिसी प्रकार अपना पेट पालते हैं, क्या यह लोग व्यापक रूप से समाज में दुर्नीति का प्रचार नहीं करते ? मामलों मुकदमों की रिपोर्ट पढ़िये, पर्दे के अन्दर नजर डालिये, अपनी विश्लेषक बुद्धि को अदालतों के बाहरी भाग तक ही परिमित न रखकर भीतर ले जाइये, तब आपको जो कुछ मालूम होगा, उससे आपका सिर बिलकुल भन्ना उठेगा।’

यहाँ अगर हम ‘समाज विरोधी’ की जगह ‘समाज को नुकसान पहुँचानेवाले’ ‘अभियोग’ की जगह ‘जुर्म’, ‘गुत्चर’ की जगह ‘मुखविर’, ‘श्रेणी’ की जगह ‘दर्जी’, ‘दुर्नीति’ की जगह ‘बुराई’, ‘विश्लेषक बुद्धि’ की जगह ‘परद’, ‘परिमित’ की जगह ‘बन्द’ लिखें, तो वह सरल और जुबाघ हो जाती है और हम उसे हिन्दुस्तानी कह सकते हैं।

इन उदाहरणों या मिसालों से जाहिर है कि हिन्दी कोष में उर्दू के और उर्दू कोष में हिन्दी के शब्द बढ़ाने से काम चल सकता है। यह भा निवेदन कर देना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले फारसी और उर्दू के दरवारी भाषा होने के सबव से फारसी के शब्द जितना रिवाज पा गये हैं उतना सस्कृत के शब्द नहीं। सस्कृत शब्दों के उच्चारण में जो कठिनाई होती है, इसको हिन्दी के विद्वानों ने पहले ही देख लिया

और उन्होंने हजारों सस्कृत शब्दों को इस तरह बदल दिया कि वह आसाना से बोले जा सके। ब्रजभाषा और अवधी में इसकी बहुत-सी मिसालें मिलती हैं, जिन्हे यहाँ लाफ़र मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता। इसलिए कौमी भाषा में उनका वही रूप रखना पड़ेगा, और सस्कृत शब्दों की जगह, जिन्हे सर्व-साधारण नहीं समझते ऐसे फारसी शब्द रखने पड़ेगे, जो विदेशी होकर भी इतने आम हो गये हैं कि उनको समझने में जनता को कोई दिक्कत नहीं होती। ‘अभियाग’ का अर्थ वही समझ सकता है, जिसने सस्कृत पढ़ी हो। जुर्म का मतलब बे-पढ़े भी समझते हैं। ‘गुसचर’ की जगह ‘मुखविर’, ‘दुर्नीति’, की जगह ‘बुराई’ ज्यादा सरल शब्द है। शुद्ध हिन्दी के भक्तों को मेरे इस व्यान से मत-भेद हा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसी कौमी ज्वान चाहत हैं, जिसे ज्यादा से ज्यादा आदमी समझ सकें, तो हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है, और यह कौन नहीं चाहता कि उसकी बात ज्यादा से-ज्यादा लोग समझें, ज्यादा से ज्यादा आदमिया के साथ उसका आत्मिक सम्बन्ध हो। हिन्दी में एक फरीक ऐसा है, जा यह कहता है कि चूंकि हिन्दुस्तान की सभा सूखेगाली भाषाएँ सस्कृत से निकली हैं और उनमें सस्कृत के शब्द अधिक हैं इसलिए हिन्दी में हमें अधिक से-अधिक सस्कृत के शब्द लाने चाहिये, ताकि अन्य प्रान्तों के लोग उसे आसाना से समझें। उर्दू की मिलावट करने से हिन्दा का काई फायदा नहीं। उन मित्रों का मैं यही ज्वाब देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से दूसरे मूलों के लोग चाहे आपकी भाषा समझ ले, लेकिन खुद हिन्दी बोलनेवाले न समझेंगे। क्योंकि, साधारण हिन्दी बोलनवाला आदमी शुद्ध सस्कृत शब्दों का जितना व्यवहार करता है, उसस कहीं ज्यादा फारसी शब्दों का। हम इस सत्य की ओर से आँखे नहीं बन्द कर सकते, और फिर इसकी जरूरत ही क्या है, कि हम भाषा को पावत्रा की धुन में तोड़ मरोड़ डालें। यह जरूर सत्र है कि बोलने की भाषा और लिखने की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर होता है, लेकिन लिखित भाषा सदैव बोल-चाल की भाषा से

मिलते जुलते रहने की कोशिश किया करती है। लिखित भाषा की खूबी यही है कि वह बाल चाल की भाषा से मिले। इस आदर्श से वह जितनी ही दूर जाती है, उननी ही ग्रस्ताभाषिक हो जाती है। बोल चाल की भाषा भी अवसर आर परिस्थिति के अनुसार बदलती रहता है। विद्वानों के समाज में जो भाषा बोली जाती है, वह बाजार की भाषा से अलग होती है। शिष्ट भाषा की कुछ न कुछ मर्यादा तो होनी हो चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उससे भाषा के प्रचार में बावा पड़े। फारसी शब्दों में शीन काफ की बड़ी कैड है, लेकिन कौमी भाषा में यह कैद ढीली करनी पड़ेगी। पञ्चाव के बड़े बड़े विद्वान भी 'क' की जगह 'क' ही का व्यवहार करते हैं। मेरे खयाल में तो भाषा के लिए सबसे महत्व की चीज है कि उसे ज्यादा-से ज्यादा आदमी, चाहे वे किसी प्रान्त के रहने वाले हों, समझें, बोलें, और लिखें। ऐसी भाषा न पड़िताऊ होगी और न मौलवियों की। उसका स्थान इन दोनों के बीच में है। यह जाहिर है कि अभी इस तरह की भाषा में इवारत की चुस्ती और शब्दों के विन्यास की बहुत थोड़ी गुजायश है। और जिसे हिन्दी या उदूर पर अधिकार है, उसके लिए चुस्त और सजीली भाषा लिखने का लालच बड़ा जोरदार होता है। लेखक केवल अपने मन का भाव नहीं प्रकट करना चाहता, बल्कि उसे बना सेवारकर रखना चाहता है। बल्कि यो कहना चाहिये कि वह लिखता है रसिकों के लिए, साधारण जनता के लिए नहीं। उसी तरह, जैसे कलावत राग रागिनियों गाते समय केवल सगीत के आचायों हो से दाद चाहता है, सुननेवालों में कितने अनाड़ी बैठे हैं, इसकी उसे कुछ भी परवाह नहीं होती। अगर हमे राष्ट्र भाषा का प्रचार करना है, तो हमे इस लालच को दबाना पड़ेगा। हमे इवारत की चुस्ती पर नहीं, अपनी भाषा को सलीस बनाने पर खास तौर से व्यान रखना होगा। इस वक्त ऐसी भाषा कानो और आँखों को खटकेगी जल्द, कहीं गगा मदार का जोड़ नजर आयेगा, कहीं एक उदूर शब्द हिन्दी के बीच में इस तरह डटा हुआ मालूम होगा, जैसे कौओं के बीच में हस आ

गया हो। कहीं उर्दू के बीच में हिन्दी शब्द हल्लुए में नमक के डले की तरह मना विगाड़ देंगे। पडितजी भी खिलखिलयेंगे और मौलवी माहबूब भी नाक भिकोड़ेंगे और चारों तरफ से शोर मचेगा कि हमारी भाषा का गला रेता जा रहा है, कुन्द छुरी से उसे जिवह किया जा रहा है। उर्दू को भिटाने के लिये यह माजिश की गयी है, हिन्दी को डुवाने के लिए यह माया रची गयी है। लेकिन हमें इन बातों को कलेजा मजबूत करके सहना पड़ेगा। राष्ट्र-भाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे किसानों और मजदूरों की भी बनना पड़ेगा। जैसे रईसों और अमीरों ही से राष्ट्र नहीं बनता, उसी तरह उनकी गोद में पली हुई भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती। यह मानते हुए कि सभा ओं में बैठकर हम राष्ट्र भाषा की तामीर नहीं कर सकते, राष्ट्र भाषा ता बाजारों में और गलियों में बनती है, लेकिन सभाओं में बैठकर हम उसकी चाल को तेज जरूर कर सकते हैं। इधर तो हम राष्ट्र राष्ट्र का गुल मचाते हैं, उधर अपनी-अपनी जवानों के दरवाजों पर सगीने लिये खडे रहते हैं कि कोई उसकी तरफ आँख न उठा सके। हिन्दी में हम उर्दू शब्दों को बिला तरफलुफ स्थान देते हैं, लेकिन उर्दू के लेखक सस्कृत के मामूली शब्दों को भी अन्दर नहीं आने देते। वह चुन-चुनकर हिन्दी की जगह फारसी और अरबी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जरा जरा से मुजक्कर और मुश्किल के भेद पर तूफान मच जाया करता है। उर्दू जवान सिरात का पुल बनकर रह गयी है, जिससे जरा इधर उधर हुए और जहन्नुम में पहुँचे। जहों राष्ट्र भाषा के प्रचार करने का प्रयत्न हो रहा है, वहों सब से बड़ों दिक्कत इसी लिङ्ग भेद के कारण पैदा हो रही है। हमें उर्दू के मौलियों और हिन्दी के परिणामों से उम्मीद नहीं कि वे इन फन्दों को कुछ नर्म करेंगे। यह काम हिन्दुस्तानी भाषा का होगा कि वह जहों तक हो सके, निरर्थक कैदों से आजाद हो। आँख क्यों खील जाएगी है और कान क्यों पुलिङ्ग है, इसका कोई सन्तोष के लायक जवाब नहीं दिया जा सकता।

मेरी समझ मे यह बात नहीं आती कि जो संस्था जनता की भाषा का बायकाट करता है, उस पर दूर ही से लाठी लेकर उठती है, वह राष्ट्रीय संस्था फिर लिहाज से है और जा लोग जनता की भाषा नहीं बोल सकते, वह जनता के बकील कैसे बन सकते हैं, फिर चाहे वे समाजवाद या समाजिवाद या किसी और बाद का लेबल लगाकर आये। सभव है, इस बक्त आपका राष्ट्र भाषा की जरूरत न मालूम होती हो और अँग्रेजी से आपका काम मजे से चल सकता हो, लेकिन अगर आगे चलकर हमे फिर हिन्दुस्तान को घेरलू लड़ाइयो से बचाना है, तो हमे उन सारे नातों को मजबूत बनाना पड़ेगा, जो राष्ट्र के अग्र है और जिनमे कौमी भाषा का स्थान सबसे ऊँचा नहीं, तो किसी से कम भी नहीं है। जब तक आप अँग्रेजी को अपनी कौमी भाषा बनाये हुए हैं, तब तक आपकी आजादी की धुन पर किसी को विश्वास नहीं आता। वह भीतर की आत्मा से निकली हुई तहरीक नहीं है, केवल आजादी के शहीद बन जाने की हविस है। यहाँ जय-न्जय के नारे और फूलों की वर्षा नहीं। लेकिन जो लोग हिन्दुस्तान को एक कौम देखना चाहते हैं—इसलिए नहीं कि वह कौम कमजोर कौमों को दबाकर, भौति-भौति के मायाजाल फैलाकर, रोशनी और ज्ञान फैलाने का ढोग रचकर, अपने अमीरों का व्यापार बढ़ाये और अपनी ताकत पर धमरड करे, बल्कि इसलिए कि वह आपस मे हमदर्दी, एकता और सद्ग्राव पैदा करे और हमे इस योग्य बनाये कि हम अपने भाषा का फैसला अपनी इच्छानुसार कर सकें—उनका यह फर्ज है कि कौमी भाषा के विकास और प्रचार मे वे हर तरह मदद करें। और यहाँ सब हमारे हाथ मे हैं। विद्यालयो मे हम कौमी भाषा के दर्जे खोल सकते हैं। हर एक ग्रेजुएट के लिए कौमी भाषा मे बोलना और लिखना लाजिमी बना सकते हैं। हम हरेक पत्र मे, चाहे वह मराठी हो या गुजराती या अँग्रेजी या बँगला, एक दो कालम कौमी भाषा के लिए अलग करा सकते हैं। अपने झेटफार्म पर कौमी भाषा का व्यवहार कर सकते हैं। आपस मे कौमी भाषा मे बातचीत कर

सकते हैं। जब तक मुल्की दिमाग अँग्रेजों की गुलामी में खुश होता रहेगा, उस वक्त तक भारत सच्चे मानी में राष्ट्र न बन सकेगा। यह भी जाहिर है कि एक प्रान्त या एक भाषा के बोलनेवाले कौमी भाषा नहीं बना सकते। कौमी भाषा तो तभी बनेगी, जब सभी प्रान्तों के दिमागदार लोग उसमें सहयोग देंगे। सम्भव है कि दस पॉन्च साल भाषा का कोई रूप स्थिर न हो, कोई प्रय जाय कोई पश्चिम, लेकिन कुछ दिनों के बाद तूफान शान्त हो जायगा और जहाँ केवल धूल और अन्धकार और गुवार था, वहाँ हरा-भरा साफ सुथरा मैदान निकल आयेगा। जिनके कलम में मुदों का जिलाने और सोतों को जगाने की ताकत है, वे सब वहाँ विचरते हुए नजर आयेगे। तब हमे टैगोर, मुशी, देसाई और जोशी की कृतियों से आनन्द और लाभ उठाने के लिए मराठी और बैगला या गुजराती न सीखनी पड़ेगी। कौमी भाषा के साथ कौमी साहित्य का उदय होगा और हिन्दुस्तानी भी दूसरी सम्पन्न और सरसब्ज भाषाओं की मजलिस में बैठेगी। हमारा साहित्य प्रान्तीय न होकर कौमी हो जायगा। इस अँग्रेजी प्रमुख की यह बरकत है कि आज एडगर वैलेस, गाई बूथवी जैसे लेखकों से हम जितने मानूस हैं, उसका शताश भी अपने शरत और मुन्शी और 'प्रसाद' की रचनाओं से नहीं। डॉक्टर टैगार भी अँग्रेजी में न लिखते, तो शायद बगाली दावरे के बाहर बहुत कम आदमी उनसे वाकिफ होते। मगर कितने खेद की बात है कि महात्मा गांधी के सिवा किसी भी दिमाग ने कौमी भाषा की जरूरत नहीं समझी और उस पर जोर नहीं दिया। यह काम कौमी सभाओं का है कि वह कौमी भाषा के प्रचार के लिए इनाम और तमगे दे, उसके लिए विद्यालय खोले, पत्र निकालें और जनता में प्रोपेंडा करें। राष्ट्र के रूप में संघटित हुए बगैर हमारा दुनिया में जिन्दा रहना मुश्किल है। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मजिल पर पहुँचने की शाही सङ्क कौन सी है। मगर दूसरी कौमों के साथ कौमी भाषा को देखकर सिद्ध होता है कि कौमियत के लिए लाजिमी चीजों में भाषा भी है और जिसे एक राष्ट्र बनाना है, उसे

एक कोमी भाषा भी बनानी पड़ेगी। इस हकीकत को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ खयाल में। उस पर अमल करने का हमसे साहस नहीं है। यह काम इतना बड़ा और मार्कें का है कि इसके लिए एक आँख इण्डिया सम्मुखी का होना जरूरी है, जो इसके महत्व को समझती हुई इसके प्रचार के उपाय सोचे और करे।

भाषा और लिपि का सम्बन्ध इतना करीबी है कि आप एक को लेकर दूसरे को छोड़ नहीं सकते। सस्कृत से निकली हुई जितनी भाषाएँ हैं, उनको एक लिपि में लिखने में कोई बाधा नहीं है, थोड़ा सा प्रातीय सकौच चाहे हो। पहले भी स्व० वाबू शारदाचरण मित्र ने एक लिपि-विस्तार परिपद् बनाई थी और कुछ दिनों तक एक पत्र निकालकर वह आनंदोलन चलाते रहे, लेकिन उससे कोई खास फायदा न हुआ। केवल लिपि एक हो जाने से भाषाओं का अन्तर कम नहीं होता और हिंदी लिपि में मराठी समझना उतना ही मुश्किल है, जितना मराठी लिपि में। प्रान्तीय भाषाओं को हम प्रान्तीय लिपियों में लिखते जायें, कोई एतराज नहीं, लेकिन हिन्दुस्तानी भाषा के लिए एक लिपि रखना ही सुविधा की बात है, इसलिए नहीं कि हमे हिन्दी लिपि से खास मोह है बल्कि इसलिए कि हिन्दी लिपि का प्रचार बहुत ज्यादा है और उसके सीखने में भी किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन उर्दू लिपि हिंदी से बिलकुल जुदा है और जो लोग उर्दू लिपि के आदी हैं, उन्हे हिंदी लिपि का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर जबान एक हो जाय, तो लिपि का भेद कोई महत्व नहीं रखता। अगर उर्दूदों ग्रामीं को मालूम हो जाय कि केवल हिंदी अच्छर सीखकर वह डा० टैगोर या महात्मा गांधी के चिचारों को पढ़ सकता है, तो वह हिंदी सीख लेगा। यू० पी०<sup>१</sup> के प्राइमरी स्कूलों में तो दोनों लिपियों की शिक्षा दी जाती है। हर एक बालक उर्दू और हिन्दी की वर्णमाला जानता है। जहा तक हिंदी लिपि पढ़ने की बात है, किसी उर्दूदों को एतराज न होगा। स्कूलों में हफ्ते में एक घण्टा दे देने से हिंदीवालों को उर्दू

## कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार

१८५

और उर्दूवालों को हिन्दी लिपि सिखाई जा सकती है। लिखने के विषय में वह प्रश्न इतना सरल नहीं है। उर्दू में स्वर आदि के ऐव होने परभी उसमें गति का एक ऐसा गुण है कि उर्दू जाननेवाले उसे नहीं छोड़ सकते और जिन लोगों का इतिहास और सम्झौता और गोरब उर्दू लिपि में सुरक्षित है, उनसे मौजूदा हालत में उसके छोड़ने की आशा भी नहीं की जा सकती। उर्दूदों लाग हिन्दी जितनी आसानी से सीख सकते हैं, इसका लाजिम नतीजा यह होगा कि ज्यादातर लोग लिपि सीख जायेंगे और राष्ट्रभाषा का प्रचार दिन दिन बढ़ता जायगा। लिपि का फैसला समय करेगा। जो ज्यादा जानदार है, वह आगे आयेगी। दूसरी पीछे रह जायेगी। लिपि के भेद का विषय छोड़ना घोड़े के आगे गाड़ी को रखना होगा। हमें इस शर्त को मानकर चलना है कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही राष्ट्र लिपियों हैं और हमें अखिलयार है, हम चाहे जिस लिपि में उसका व्यवहार करें। हमारी सुविधा, हमारी मनावृत्ति, और हमारे सस्कार इसका फैसला करेंगे।\*

— — — — —

---

\*वर्म्बर्इ के 'राष्ट्र-भाषा सम्मेलन' में स्वागताध्यक्ष की हेसियत से २७-१०-३४ को दिया गया भाषण।

## हिन्दी-उर्दू की एकता

सज्जनो, आर्य समाज ने इस सम्मेलन का नाम आर्य भाषा सम्मेलन शायद इसलिए रखा है कि यह समाज के अन्तर्गत उन भाषाओं का सम्मेलन है, जिनमें आर्यसमाज ने धर्म का प्रचार किया है। और उनमें उर्दू और हिन्दी दोनों का दर्जा बराबर है। मैं तो आर्यसमाज को जितनी धार्मिक संस्था समझता हूँ उतनी तहजीबी (सास्कृतिक) संस्था भी समझता हूँ। बल्कि आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि उसके तहजीबी कारनामे उसके वासिक कारनामों से ज्यादा प्रसिद्ध और रौशन हैं। आर्यसमाज ने साक्षित कर दिया है कि सेवा ही किसी धर्म के सजीव होने का लक्षण है। सेवा का ऐसा कौन सा नेत्र है जिसमें उसकी कीर्ति की वजा न उड़ रही हो। कौमी जिन्दगी की समस्याओं को हल करने में उसने जिस दूरदेशी का सबूत दिया है, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हरिजनों के उद्घार में सबसे पहले आर्यसमाज ने कदम उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को सबसे पहले उसने समझा। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सिर है। जाति भेद भाव और खान पान के छूट छात और चौके-चूल्हे की वाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। यह ठीक है कि ब्रह्मसमाज ने इस दिशा में पहले कदम रखा, पर वह थाड़े से अग्रेजी पढ़े लिखो तक ही रह गया। इन विचारों को जनता तक पहुँचाने का बीड़ा आर्यसमाज ने ही उठाया। अन्ध-विश्वास और धर्म के नाम पर किये जाने गाले हजारों अनाचारों की कब्र उसने लोदी, हालाँकि मुर्दे को उसमें दफन न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गन्ध उड़-उड़कर

समाज को दूषित कर रहा है। समाज के मानसिक और वौद्धिक धरातल (सतह) को आर्यसमाज ने जितना उठाया है, शायद ही भारत की किसी संस्था ने उठाया हो। उसके उपदेशकों ने वेदों और वेदाग्रों के गहन-विषयों को जन साधारण की सम्पत्ति बना दिया, जिन पर विद्वानों और आचार्यों के कई कई लीबरवाले ताले लगे हुए थे। आज आर्यसमाज के उत्सवों और गुरुकुलों के जलसों में हजारों मामूली लियारुत के स्त्री पुरुष सिर्फ विद्वानों के भाषण सुनने का आनन्द उठाने के लिए रिंचे चले जाते हैं। गुरुकुलाश्रम को नया जन्म देकर आर्यसमाज ने शिक्षा को सम्पूर्ण बनाने का महान् उन्नयन किया है। सम्पूर्ण से मेरा आशय उस शिक्षा का है जो सर्वाङ्गपूर्ण हो, जिसमें मन, बुद्धि, चरित्र और देह, सभी के विकास का अवसर मिले। शिक्षा का वर्तमान आदर्श यही है। मेरे ख्याल में वह चिरसत्य है। वह शिक्षा जो सिर्फ अकल तक ही रह जाय, अधूरी है। जिन संस्थाओं में युवकों में समाज में पृथक रहनेवाली मनोवृत्ति पैदा हो, जो अमीर और गरीब के भेद को न सिर्फ कायम रखे बल्कि और मजबूत करे, जहाँ पुरुषार्थ इतना कोमल बना दिया जाय कि उसमें मुश्किलों का सामना फरने की शक्ति न रह जाय, जहाँ कला और संयम में कोई मेल न हो, जहाँ की कला केवल केवल नाचने-गाने और नकल करने में ही जाहिर हो, उस शिक्षा का मै कायल नहीं हूँ। शायद ही मुल्क में कोई ऐसी शिक्षासंस्था हो जिसने कौम की पुकार का इतनी जवाँमर्दी से स्वागत किया हो। अगर विद्या हमें सेवा और त्याग का भाव न लाये, अगर विद्या हमें आदर्श के लिए सीना खोलकर खड़ा होना न सिखाये, अगर विद्या हमें स्वाभिमान न पैदा करे, और हमें समाज के जीवनप्रवाह से अलग रखे तो उस विद्या से हमारी अविद्या अच्छी। और समाज ने हमारी भाषा के साथ जो उपकार किया है उसका सबसे उज्ज्वल प्रमाण यह है कि स्वामी दयानन्द ने इसी भाषा में सत्यार्थप्रकाश लिखा और उस बक्त लिखा जब उसकी इतनी चर्चा न थी। उनकी बारीक नजर ने देख लिया

कि अगर जनता मे प्रकाश ले जाना है तो उसके लिए हिन्दी भाषा ही अफेला साधन है, और गुरुकुला ने हिन्दी भाषा को शिक्षा का मान्यम बनाकर अपने भाषा-प्रेम को ओर भी सिद्ध कर दिया है।

सज्जनों, मैं यहाँ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास की कथा नहीं कहना चाहता, वह सारी कथा भाषा विज्ञान की पौथियों मे लिखी हुई है। हमारे लिए इतना ही जानना काफी है कि आज हिन्दुस्तान के पन्द्रह सोलह फ़रोड़ लोगों के सभ्य व्यवहार और साहित्य की यही भाषा है। हाँ, वह लिखी जाती है दो लिपियों मे और उसी एतबार से हम उसे हिन्दी या उदूँ कहते हैं। पर है वह एक ही। बोलचाल मे तो उसमे बहुत कम फर्क है, हाँ लिखने मे वह फर्क बढ़ जाता है। मगर उस तरह का फर्क सिर्फ हिन्दी मे ही नहीं, गुजराती, बँगला और मराठी वगैरह भाषाओं मे भी कमोबेश वैसा ही फर्क पाया जाता है। भाषा के विकास मे हमारी सस्कृति की छाप होती है, और जहाँ सस्कृति मे भेद हागा वहाँ भाषा मे भेद होना स्वाभाविक है। जिस भाषा का हम और आप व्यवहार कर रहे हैं, वह देहली प्रात की भाषा है। उसी तरह जैसे ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी और मारवाड़ी आदि भाषाएँ अलग अलग क्षेत्रों मे बोली जाती हैं और सभी साहित्यिक भाषा रह चुकी है। बोली का परिमार्जित रूप ही भाषा है। सबसे ज्यादा प्रसार तो ब्रजभाषा का है क्योंकि यह आगरा प्रात के बड़े हिस्से की ही नहीं, सारे बुन्देलखण्ड की बोलचाल की भाषा है। अवधी अवध प्रात की भाषा है। भोजपुरी प्रान्त के पूर्वी जिलों मे बोली जाती है, और मैथिली विहार प्रात के कई जिलों मे। ब्रजभाषा मे जो साहित्य रचा गया है, वह हिन्दी के पद्य साहित्य का गौरव है। अवधी का प्रमुख ग्रथ तुलसीकृत रामायण और मलिक मुहम्मद जायसी का रचा हुआ पद्मावत है। मैथिली मे विद्यापति की रचनाएँ ही मशहूर हैं। मगर साहित्य मे आम तौर पर मैथिल का व्यवहार कम हुआ। साहित्य मे तो अवधी और ब्रजभाषा का व्यवहार होता था। हिन्दी के विकास के पहले ब्रजभाषा ही हमारी

साहित्यिक भाषा थी और प्राय उन सभी प्रदेशों में जहाँ आज हिन्दी का प्रचार है, पहले व्रजभाषा का प्रचार था। अब वे में और काशी में भी कवि लाग अपने कवित्त व्रजभाषा में ही रहते थे। यहाँ तक कि गया में भा व्रन्तभाषा का ही प्रचार हाता था।

ता यक्यक व्रजभाषा, अब भी, भाजपुरी आदि को पीछे हटाकर हिन्दी केमे सबके ऊपर गालिव आयी यहाँ तक कि अब अबधी और भोजपुरी का तो साहित्य में कही व्यवहार नहीं है। हों, व्रजभाषा को अभी तक थाड़े से लोग सीने से चिपटाये हुए हैं। हिन्दी का यह गारव प्रदान करने का श्रेय मुसलमानों को है। मुसलमानों ही ने दिल्ली प्रान की इस बोली का, जिसको उस बक्त तक भाषा का पद न मिला था, व्यवहार में लाकर उसे दरवार की भाषा बना दिया और दिल्ली के उमरा और सामत जिन प्रातों में गये, हिन्दी भाषा को साथ लेते गये। उन्हीं के साथ वह दक्षिण में पहुँची और उसका बचपन दक्षिण ही में गुजरा। दिल्ली में बहुत दिनों तक अराजकता का जोर रहा, और भाषा को विकास का अवसर न मिला। और दक्षिण में वह पलती रही। गोलकुड़ा, बीजापूर, गुलबर्गा आदि के दरवारों में इसी भाषा में शेर शायरी हाता रही। मुसलमान बादशाह प्राय साहित्यप्रेमी होते थे। बाबर, हुमायूँ, जहाँगीर, शाहजहाँ, और गजेब, दाराशिकोह सभी साहित्य के मर्मज्ञ थे। सभी ने अपने-अपने रोजनामचे लिखे हैं। अकबर खुद शिक्षित न हो, मगर साहित्य का रसिक था। दक्षिण के बादशाहों में अकसर ने कविताएँ की और कवियों को आश्रय दिया। पहले तो उनकी भाषा कुछ अजीब खिचड़ी सी थी जिसमें हिन्दी, फारसी सब कुछ मिला होता था। आपको शायद मालूम होगा कि हिन्दी की सबसे पहली रचना खुसरो ने की है, जो मुगलों से भी पहले खिलजी राजकाल में हुए। खुसरो की कविताका एक नमूना देखिये—

जब यार देखा नैन भर, दिल की गयी चिन्ता उत्तर,

ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाय कर।

जब आँख से ओझल भया, तडपन लगा मेरा जिया,  
 हक्का इलाही क्या किया आँसू चले भरखायकर ॥  
 तू तो हमारा यार है, तुम पर हमारा प्यार है,  
 तुझ दोस्ती विसियार है, यक शब मिलो तुम आय कर।  
 मेरा जा मन तुमने लिया, तुमने उठा गम को दिया,  
 गम ने मुझे ऐसा किया जैसे पतगा आग पर ॥  
 खुसरा की एक दूसरी गजल देखिये—  
 वह गये बालम, वह गये नदियों किनार,  
 आप पार उतर गये हम तो रहे अरदार ।  
 भाई रे मल्लाहो हम को उतारो पार,  
 हाय का देझँगी मुँदरी, गल का देझँ हार ।  
 मुसलमानी जमाने मे अवश्य हा हिन्दी के तीन रूप होंगे । एक  
 नागरी लिपि मे ठेठ हिन्दी, जिसे भाषा या नाशरी कहते थे, दूसरी उदूँ  
 यानी फारसा लिपि मे लिखी हुई, फारसी से मिली हुई हिन्दी और तीसरी  
 ब्रजभाषा । लेकिन हिन्दी भाषा को मोजूदा सूरत मे आते-आते सदियों  
 गुजर गयी । यहाँ तक कि सन् १८०३ ई० से पहले का कोई ग्रन्थ नहीं  
 'मिलता । सदल मिश्र की 'चन्द्रावती' का रचना काल १८०३ माना  
 जाता है, और सदल मिश्र ही हिन्दी के आदि लेखक ठहरते हैं । इसके  
 बाद लल्लूजी, सैयद इशा अल्लाह खाँ वगैरह के नाम है । इस लिहाज  
 से हिन्दी गद्य का जीवन सवा सौ साल से ज्यादा का नहीं है, और  
 क्षबा यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सवा सौ साल पहले जिस जवान  
 मे कोई गद्य रचना तक न थी वह आज सारे हिन्दुस्तान की कौमी जवान  
 बनी हुई है । और इसमे मुसलमानों का कितना सहयोग है यह हम बता  
 चुके हैं । हमे सन्देह है कि मुसलमानों का सहारा पाये वगैर हमको  
 आज यह दरजा हासिल होता ।

जिस तरह हिन्दुओं की हिन्दी का रूप विकसित हो रहा था, उसी  
 तरह मुसलमानों की हिन्दा का रूप भी बदलता जा रहा था । लिपि

तो शुरू से ही अलग थी, जबान का रूप भी बदलने लगा। मुसलमानों की स्कृति ईरान और अरब की है। उसका जबान पर असर पड़ने लगा। अरबी और फारसी के शब्द उसमें आ-आकर मिलने लगे, यहाँ तक कि आज हिन्दा और उदूँ दो अलग-अलग जबानें सी हो गयी हैं। एक तरफ हमारे मौलवी साहबान अरबी और फारसी के शब्द भरत जाते हैं, दूसरी ओर परिणाम, स्कृत और प्राकृत के शब्द टूँस रहे हैं और दोनों भाषाएँ जनता से दूर होती जा रही हैं। हिन्दुओं की खासी तादाद अभी तक उदूँ पढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी तादाद दिन दिन घट रही है। मुसलमानों ने हिन्दी से कोई सरोकार रखना छोड़ दिया। तो क्या यह तै समझ लिया जाय कि उत्तर भारत में उदूँ और हिन्दी दो भाषाएँ अलग-अलग रहेगी? उन्हे अपने-अपने ढग पर, अपनी अपनी स्कृति के अनुसार बढ़ने दिया जाय उनको मिलाने की ओर इस तरह उन दोनों की प्रगति का रोकने की कोशिश न की जाय? या ऐसा सम्भव है कि दोनों भाषाओं को उत्तरा समीप लाया जाय कि उनमें लिपि के सिवा काई भेद न रहे। बहुमत पहले निश्चय की ओर है। हाँ, कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जिनका खयाल है कि दोनों भाषाओं में एकता लायी जा सकती है, और इस बढ़ते हुए फर्क को रोका जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज है। ये लोग हिन्दी और उदूँ नामों का व्यवहार नहीं करते, क्योंकि दो नामों का व्यवहार उनके भेद को और मजबूत करता है। यह लोग दोनों को एक नाम से पुकारते हैं और वह 'हिन्दुस्तानी' है। उनका आदर्श है कि यहाँ तक मुमकिन हो लिखी जानेवाली जबान और बोलचाल की जबान की सूत एक हो, और वह थोड़े से पढ़े लिखे आदमियों की जबान न रहकर सारी कौम की जबान हो। जो कुछ लिखा जाय उसका फायदा जनता भी उठा सके, और हमारे यहाँ पढ़े लिखों की जो एक जमात अलग बनती जा रही है, और जनता से उनका सम्बन्ध जो दूर होता जा रहा है, वह दूरी

मिट जाय और पढ़े-बेघडे सब अपने को एक जान, एक दिल समझे, और कौम मे ताकत आवे । चूंकि उर्दू जबान अरसे से अदालती और सभ्य-समाज की भाषा रही है, इसलिए उसमे हजारों फारसी और अरबी के शब्द इस तरह छुल मिल गये हैं कि बज्र देहाती भी उनमा मतलब समझ जाता है । ऐसे शब्दों को अलग करके हिन्दी मे विशुद्धता लाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, हम उसे जबान और कौम दोनों ही के साथ अन्याय समझते हैं । इसी तरह हिन्दी या संस्कृत या अँग्रेजी के जो बिंगडे हुए शब्द उर्दू मे मिल गये, उनमा चुन चुनकर निकालने और उनकी जगह खालिस फारसी और अरबी के शब्दों के इस्तेमाल को भी उतना ही एतराज के लायक समझते हैं । दोनों तरफ से इस अलगौंभे का सबब शायद यही है कि हमारा पढा लिखा समाज जनता से अलग-थलग होता जा रहा है, और उसे इसकी खबर ही नहीं कि जनता किस तरह अपने भावों और विचारों को अदा करती है । ऐसी जबान जिसके लिखने और समझने वाले थोड़े से पढ़े लिखे लोग ही हों, मसनुई, बेजान और बोझल हो जाती है । जनता का मर्म स्पर्श करने की, उन तक अपना पैगाम पहुँचाने की, उसमे कोई शक्ति नहीं रहती । वह उस तालाब की तरह है जिसके घाट सगमरमर के बने हो जिसमे कमल खिले हों, लेकिन उसका पानी बन्द हो । क्या उस पानी मे वह मजा, वह सेहत देनेवाली ताकत, वह सफाई है जो खुली हुई धारा मे होती है ? कौम की जबान वह है जिसे कौम समझे, जिसमे कौम की आत्मा हो, जिसमे कौम के जजबात हो । अगर पढ़े लिखे समाज की जबान ही कौम की जबान है तो क्यों न हम अँग्रेजी को कौम की जबान समझें क्योंकि मेरा तजरबा है कि आज पढा-लिखा समाज जिस बेतकल्फी से अँग्रेजी बोल सकता है, और जिस रवानी के साथ अँग्रेजी लिख सकता है, उर्दू या हिन्दी बोल या लिख नहीं सकता । बडे बडे दफ्तरों मे और ऊँचे दायरे मे आज भी किसी को उर्दू हिन्दी बोलने की महीनों, बरसों जरूरत नहीं होती । खानसामे और बैरे भी ऐसे रखे जाते हैं जो अँग्रेजी बोलते

और समझते हैं। जो लोग इस तरह की जिन्दगी बसर करने के शौकीन हैं उनके लिए तो उर्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी का कोई भगड़ा ही नहीं। वह इतनी बुलदी पर पहुँच गये है कि नीचे की धूल और गर्मी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वह मुश्किलक हवा में लटके रह सकते हैं। लेकिन हम सब तो हजार कोणिश करने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें तो हमी धूल और गर्मी में जीना और मरना है। Intelligentia में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है, वह जनता ही से आता है। उससे अलग रहकर वे हाफिम की सूरत में ही रह सकते हैं, खादिम की सूरत में, जनता के होकर नहीं रह सकते। उनके अरमान और मस्ते उनके हैं, जनता के नहीं। उनकी आवाज उनको है, उनमें जनसमूह की आवाज की गहराई और गरिमा और गम्भीरता नहीं है। वह अपने प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि नहीं।

बेशक, यह बड़ा जोरदार जवाब है कि जनता में शिद्धा इतनी कम है, समझने की ताकत इतनी कम कि अगर हम उसे जेहन में रखकर कुछ बालना या लिखना चाहे, तो हमें लिखना और बोलना बन्द करना पड़ेगा। यह जनता का काम है कि वह साहित्य पढ़ने आर गहन विषयों को समझने की ताकत अपने में लाये। लेखक का काम तो अच्छी-से अच्छी भाषा में ऊँचे से ऊँचे विचारों को प्रकट करना है। अगर जनता का शब्दकोष सौ दो सौ निहायत मामूली रोजमर्रा के काम के शब्दों के सिवा और कुछ नहीं है, तो लेखक कितनी ही सरल भाषा लिखें, जनता के लिए वह कठिन ही होगी। इस विषय में हम इतना अर्ज करेंगे कि जनता को इस मानसिक दशा में छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। हममें जिनके पास इलम है, और फुरसत है, यह उनका फर्ज था कि अपनी तकरीरों से जनता में जागृति पैदा करते, जनता में ज्ञान के प्रचार के लिए पुस्तकों लिखते और सफरी कुतुबखाने कायम करते। हममें जिन्हे मकदरत है, वह मदरसे खोलने के लिए लाग्वों रूपये खैरात करते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि कौम को ऐसे

मुहरिनों को धन्वग्राद न देना चाहिये, मगर क्या ऐसी सम्थाएँ न खुल सकती थी और क्या उनसे कौम का कुछ कम उपकार होता जो भाषणों और पुस्तकों से जनता में साहित्य और विज्ञान का प्रचार करती और उनको सम्मता की जैसी सतह पर लाती ? आर्यसमाज ने जिस तरह के विषयों का जनता में प्रचार किया है उन विषयों को साधारण पढ़ा-लिखा आर्यसमाजी भी खूब समझता है । अदालती मामलों को, या मुक्ति और आवागमन जैसे गम्भीर विषयों को गाव के किसान भी अगर ज्यादा नहीं समझते, तो साधारण पढ़े लिखो के बराबर तो समझ ही लेते हैं । इसी तरह अन्य विषयों की चर्चा भी जनता के सामने होती रहती तो हमें यह शिकायत न होती कि जनता हमारे विचारों को समझनहीं सकती । मगर हमने जनता की परवाह ही क्व की है ? हमने केवल उसे दुधार गाय समझा है । वह हमारे लिए अदालतों में मुकदमे लाती रहे, हमारे कारखानों की बनी हुई चीजें खरीदती रहे । इनके सिवा हमने उससे कोई प्रयोजन नहीं रखा, जिसका नतीजा यह है कि आज जनता को अंग्रेजों पर जितना विश्वास है उतना अपने पढ़े लिखे भाइयों द्वारा नहीं ।

सयुक्त-प्रान्त के साविक से पहले के गवर्नर सर विलियम मैरिस ने इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एफेडेमी खोलते वक्त हिन्दी उर्दू के लेखकों को जो सलाह दी थी, उसे व्यान में रखने की आज भी उतनी ही जरूरत है, जितनी उस वक्त थी, शायद और ज्यादा । आपने फरमाया कि हिन्दी के लेखकों को लिखते वक्त यह 'समझते रहना चाहिए कि उनके पाठक मुसलमान हैं ।' इसी तरह उर्दू के लेखकों को यह ख्याल रखना चाहिए कि उनके कारी हिन्दू हैं ।

यह एक सुनहरी सलाह है और अगर हम इसे गॉठ बॉध ले, तो जबान का मसला बहुत कुछ तथ्य हो जाय । मेरे मुसलमान दोस्त मुझे माफ फरमाये अगर मैं कहूँ कि इस मुआमले में वह हिन्दू लेखकों से ज्यादा खताबार है । सयुक्तप्रान्त की कॉमन लैग्वेज रीडरों को देखिए ।

आप सहल किसम की उर्दू पायेगे। हिन्दी की अदबी किताबों में भी-अरबी और फारसी के सैकड़ों शब्द धड़ल्ते से लाये जाते हैं। मगर उर्दू माहिन्य में फारसीयत की तरफ ही ज्यादा मुकाबला है। इसका सबव यही है कि मुसलमानों ने हिन्दी से कोई ताल्लुक नहीं रखा है और न रखना चाहते हैं। शायद हिन्दी से थाङी सी वाकियत हासिल कर लेना भी वह बरसरे शान समझते हैं, हालांकि हिन्दी वह चीज़ है, जो एक हफ्ते में आ जाती है। जब तक दोनों भाषाओं का मेल न होगा, हिन्दुस्तानी जवान की गाड़ी जहाँ जाकर रुक गयी है, उससे आगे न बढ़ सकेगी। और वह सारी करामात फोर्ट विलियम की है जिसने एक ही जवान के दो रूप मान लिये। इसमें भी उस वक्त कोई राजनीति काम कर रही थी या उस वक्त भी दोनों जवानों में काफी फर्क आ गया था, यह हम नहीं कह सकते। लेकिन जिन हाथों ने यहाँ की जवान के उस वक्त दो टुकड़े कर दिये उसने हमारी कौमी जिन्दगी के दो टुकड़े कर दिये। अपने हिन्दू दोस्तों से भी मेरा यही नम्र निवेदन है कि जिन शब्दों ने जन साधारण में अपनी जगह बना ली है, और उन्हे लाग आपके मुँह या कलम से निकलते ही समझ जाते हैं, उनके लिए सस्कृत-फ्रेंच की मदद लेने की जरूरत नहीं। ‘मौजूद’ के लिए ‘उस्थित’, ‘इरादा’ के लिए ‘सकल्प’, ‘वनावटी’ के लिए ‘कृत्रिम’ शब्दों को काम में लाने की कोई खास जरूरत नहीं। प्रचलित शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखने का रिवाज भी भाषा को अकारण ही कठिन बना देता है। खेत को चेत्र, बरस का वर्प, छेद को छिद्र, काम को कार्य, सूरज को सूर्य, जमना को यमुना लिखकर अप मुँह और जीभ के लिए ऐसी कमरत का सामान रख देते हैं जिसे नब्बे फी सदी आदमी नहीं कर सकते। इसी मुश्किल को दूर करने और भाषा को सुबोध बनाने के लिए कवियों ने ब्रजभाषा और अवधी में शब्दों के प्रचलित रूप ही रखे थे। जनता में अब भी उन शब्दों का पुराना बिगड़ा हुआ रूप चलता है, मगर हम विशुद्धता की धुन में पड़े हुए हैं।

मगर सवाल यह है, क्या इस हिन्दुस्तानी में क्लासिकल भाषाओं

के शब्द लिये ही न जायें ? नहीं, यह तो हिन्दुस्तानी का गला घोट देना होगा । आज साएस की नयी नयी शाखें निकलती जा रही हैं और नित नये शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, जिन्हे जनता तक पहुँचाने के लिए हमें सम्भृत या फारसी की मदद लेनी पड़ती है । किस्ते कहानियों में तो आप हिन्दुस्तानी जवान का व्यवहार कर सकते हैं, वह भी जब आप गद्य काव्य न लिख रहे हों, मगर आलोचना या तनकीद, अर्थशास्त्र, राजनीति दर्शन और अनेक साएस के विषयों में क्लासिकल भाषाओं से मदद लिये वगैर काम नहीं चल सकता । तो क्या सम्भृत और अरबी या फारसी से अलग अलग शब्द बन जायें ? ऐसा हुआ तो एकरूपता कहों आयी ? फिर तो वही होगा जो इस वक्त हो रहा है । जरूरत तो यह है कि एक ही शब्द लिया जाय, चाहे वह सम्भृत से लिया जाय, या फारसी से, या दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द गढ़ लिया जाय । Sex के लिए हिन्दी में कोई शब्द अभी तक नहीं बन सका । आम तौर पर 'खी-पुरुष सम्बन्ध' इतना बड़ा शब्द उस भाव को जाहिर करने के लिए काम में लाया जा रहा है । उर्दू में 'जिन्स' का इस्तेमाल होता है । जिसी, जिसियत आदि शब्द भी उसी से निकले हैं । कई लेखकों ने हिन्दी में भी जिसी, जिस, जिसियत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है । लेकिन यह मसला आसान नहीं है । अगर हम इसे मान ले कि हिन्दुस्तान के लिए एक कौमी जवान की जरूरत है, जिसे सारा मुल्क समझ सके तो हमें उसके लिए तपम्या करनी पड़ेगा । हमें ऐसी सभाएँ खोलनी पड़ेंगी जहाँ लेखक लोग कभी कभी मिलकर साहित्य के विषयों पर, या उसकी प्रवृत्तियों पर आपस में खायालात का तबादला कर सकें । दिला की दूरी भाषा की दूरी का मुख्य कारण है । आपस के हेल-मेल से उस दूरी को दूर करना होगा । राजनीति के परिणामों ने कौम को जिस दुर्दशा में डाल दिया है, वह आप और हम सभी जानते हैं । अभी तक साहित्य के सेवकों ने भी किसी-न-किसी रूप में राजनीति के परिणामों को अगुआ माना है, और उनके पीछे पीछे चले हैं । मगर अब साहित्यकारों के

अपने विचार से काम लेना पड़ेगा । सत्य, शिव, सुन्दर के उसल को वहाँ भी बरतना पड़ेगा । सियासियात ने सम्प्रदायों को दों कैम्पों में खङ्गा कर दिया है । राजनीति की हस्ती ही इस पर कायम है कि दोनों आपस में लड़ते रहे । उनमें मेल होना उसकी मृत्यु है । इसलिए वह तरह-तरह के रूप बदलते और जनता के हित का स्वर्गभरकर अब तक अपना व्यवसाय चलाती रही है । साहित्य धर्म को फिर्काबन्दी की हड़ तक गिरा हुआ नहीं देख सकता । वह समाज को सम्प्रदायों के रूप में नहीं, मानवता के रूप में देखता है । किसी धर्म की महानता और फजीलत इसमें है कि वह इन्सान को इन्सान का कितना हमदर्द बनाता है, उसमें मानवता (इन्सानियत) का कितना ऊँचा आदर्श है, और उस आदर्श पर वहाँ कितना अमल होता है । अगर हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि इन्सानियत और हमदर्दी और भाईचारा सब कुछ अपने ही धर्मवालों के लिए है, और उस दायरे से बाहर जितने लोग हैं, सभी गैर हैं, और उन्हें जिन्दा रहने का कोई हक नहीं, तो मैं उस धर्म से अलग होकर विधर्मी होना ज्यादा पसन्द करूँगा । धर्म नाम है उस रोशनी का जो कतरे को समुद्र में मिल जाने का रास्ता दिखाती है, जो हमारी जात को इमाओस्त में, हमारी आत्मा को व्यापक सर्वात्म में, मिले होने की अनुभूति या यकीन कराती है । और चूंकि हमारी तबीयतें एक-सी नहीं हैं, हमारे सस्कार एक-से नहीं हैं, हम उसी मजिल तक पहुँचने के लिए अलग-अलग रास्ते अखिलयार करते हैं । इसलिए भिन्न-भिन्न धर्मों का जहूर हुआ है । यह साहित्यसेवियों का काम है कि वह सब्जों धार्मिक जाग्रति पैदा करें । धर्म के आचार्यों और राजनीति के पण्डितों ने हमे गलत रास्ते पर चलाया है । मगर मैं दूसरे विषय पर आ गया । हिन्दुस्तानी को व्यावहारिक रूप देने के लिए दूसरी तदबीर यह है कि मैट्रिक्युलेशन तक उर्दू और हिन्दी हरेक छात्र के लिए लाजमी कर दी जाय । इस तरह हिन्दुओं को उर्दू में और मुसलमानों को हिन्दी में काफी महारत हो जायगा,

और अज्ञानता के कारण जो बदगुमानी और सन्देह है, वह दूर हो जायगा। चैकि इस वक्त भी तालीम का सीधा हमारे मिनिस्ट्रों के हाथ में है और करिकुलम में इस तबदीली से कोई जायद खर्च न होगा, इसलिए अगर दोनों भाई मिलकर यह मुतालवा पेश करें तो गवर्नरेट को उसके स्वीकार करने में कोई इन्कार न हो सकेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तजवीज में हिन्दी या उर्दू किसी से भी पक्षपात नहीं किया गया है। साहित्यकार के नाते हमारा यह धर्म है कि हम सुल्क में ऐसी फिजा, ऐसा वातावरण लाने की चेष्टा करे जिससे हम जिन्दगी के हरेक पहलू में दिन दिन आगे बढ़े। साहित्यकार पैदाइश से सौन्दर्य का उपासक होता है। वह जीवन के हरेक अङ्ग में, जिन्दगी के हरेक शोबे में, हुस्न का जलवा देखना चाहता है। जहाँ सामङ्गस्य या हम आँहेंगी है वही सौन्दर्य है, वही सत्य है, वही हकीकत है। जिन तत्वों से जीवन की रक्षा होती है, जीवन का विकास होता है, वही हुस्न है। वह वास्तव में हमारी आत्मा की बाहरी सूरत है। हमारी आत्मा अगर स्वस्थ है, तो वह हुस्न की तरफ बेअख्तियार दौड़ती है। हुस्न में उनके लिए न रुकने-वाली कशिश है। और क्या यह कहने की जरूरत है कि नेफाक और हसद, ओर सन्देह और सधर्ष, यह मनोविकार हमारे जीवन के पोषक नहीं बल्कि धातक है, इसलिए वह सुन्दर कैसे हो सकते हैं? साहित्य ने हमेशा इन विकारों के खिलाफ आवाज उठायी है। दुनिया में ‘मानव जाति के कल्याण के जितने आनंदोलन हुए हैं, उन सभी के लिए साहित्य ने ही जमीन तेयार की है, जमीन ही नहीं तैयार की, वीज भी बोये और उसकी सिंचाई भी की। साहित्य राजनीति के पीछे चलनेवाली चीज़ नहीं उसके आगे-आगे चलनेवाला ‘एडवास गार्ड’ है। वह उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति, और कुरुचि से होता है। और लेखक अपनी कोमल भावनाओं के कारण उस विद्रोह की जबान बन जाता है। और लोगों के दिलों पर भी चोट लगती है, पर अपनी व्यथा को, अपने दर्द को दिल हिला देनेवाले शब्दों में वे जाहिर

नह कर सकते। साहित्य का स्थान उन चोटों को हमारे दिलो पर इस तरह ग्रक्षित करता है कि हम उनकी तीव्रता को सौगुने वेग के साथ महसूस करने लगते हैं। इस तरह साहित्य की आत्मा आदर्श है और उसकी देह यथार्थ चित्रण। जिस साहित्य में हमारे जीवन की समस्याएँ न हो, हमारी आत्मा को स्पर्श करने की शक्ति न हो, जो केवल जिन्मी भावों में गुदगुदी पैदा करने के लिए, या भाषा चातुरी दिखाने के लिए, रचा गया हो वह निर्जीव साहित्य है, सत्यहीन, प्राणहीन। साहित्य में हमारी आत्माओं को जगाने की, हमारी मानवता को सचेत करने की, हमारी रसिकता को तृप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी ही रचनाओं से कौमे बनती हैं। वह साहित्य जो हमें विलासिता के नशे में डुबा दे, जो हमें वैराग्य, पस्तहिमती, निराशावाद की और ले जाय, जिसके नजदीक ससार दुख का घर है और उससे निकल भागने में हमारा कल्याण है, जो केवल लिप्सा और भावुकता में डूबी हुई कथाएँ लिखकर कामुकता को भड़काये, निर्जीव है। सजीव साहित्य वह है, जो प्रेम से लबरेज हो, उस प्रेम से नहीं, जो कामुकता का दूसरा नाम है, वल्कि उस प्रेम से जिसमें शक्ति है, जीवन है, आत्म-सम्मान है। अब इस तरह की नीति से हमारा काम न चलेगा।

रहिमन चुप है बैठिये, देखि दिनन को फेर

अब तो हमे डाठ दक्षाल का शखनाद चाहिए—

ब शाखे जिन्दगिये मा नमीजे तिश्ना वसस्त

तलाशे चस्मए हैरों दलीले ब तलबीस्त। १

ता कुजा दर तहे बाले दिगरों मी बाशी,

दर हवाये चमन आजाद परीदन् आमोज। २

१) मेरे जीवन की डाली के लिए तुषा की तरी ही काफी है।

अमृतकुड़ की खोज में भटकना आकाश्च के अभाव का प्रमाण है।

२) दूसरों के डैनों का आश्रय तुम कब तक लोगे? चमन की हव में आजाद होकर उड़ना सीखो।

दर जहाँ वालो - परे खेश कुशूदन आमोज,  
कि परीदन् नतवाँ बा परो बाले दिगरों । ३

जब हिन्दुस्तानी कौमी जबान है, क्योंकि किसी न किसी रूप में यई पन्द्रह-सोलङ्की करोड़ आदमियों की भाषा है, तो यह भी जरूरी है कि हिन्दुस्तानी जबान में ही हमे भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ पढ़ने को मिले। आप जानते हैं, हिन्दुस्तान में बारह उन्नत भाषाएँ हैं और उनके साहित्य है। उन साहित्यों में जो कुछ सग्रह करने लायक है, वह हमे हिन्दुस्तानी जबान में ही मिलना चाहिये। किसी भाषा में भी जो जो अमर साहित्य है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति है। मगर अभी तक उन साहित्यों के द्वारा हमारे लिए बन्द थे, क्योंकि हिन्दुस्तान की बारहों भाषाओं का जान-विरले को ही होगा। राष्ट्र प्राणियों के उस समूह को कहते हैं कि जिनकी एक विद्या, एक तहजीब हो, एक राजनैतिक सगठन हो, एक भाषा हो और एक साहित्य हो। हम और आप दिल से चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सच्चे मानी में एक कोम बने। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि भेद पैदा करने वाले कारणों को मिटायें और मेल पैदा करनेवाले कारणों को सगठित करें। कौम की भावना यूरेप में भी दो ढाई सौ साल से ज्यादा पुरानी नहीं। हिन्दुस्तान में तो यह भावना अग्रेजी राज के विस्तार के साथ ही आयी है। इस गुलामी का एक रोशन पहलू यही है कि उसने हम में कौमियत की भावना को जन्म दिया। इस खुदादाद मौके से फायदा उठाकर हमे कौमियत के अटूट रिश्ते में बँध जाना है। भाषा और साहित्य का भेद ही खास तौर स हमे भिन्न भिन्न प्रातीय जस्तों में बँटे हुए हैं। अगर हम इस अलग करने वाली बाधा को तोड़ दे तो राष्ट्रीय सकृति की एक धारा बहने लगेगी जो कौमियत की सबसे मज-

३ ) दुनिया में अपने डैने-पखे को फैलाना सीखो। क्योंकि दूसरे के डैने-पखे के सहारे उड़ना सम्भव नहीं है।

बूत भावना है। यही मकसद सामने रखकर हमने 'हस' नाम की एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की है, जिसमें हरेक भाषा के नये और पुराने साहित्य की अच्छी से-अच्छी चीजे देने की कोशिश करते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने एक भारतीय साहित्य परिषद् या हिन्दुस्तान की कौमी अदबी सभा की बुनियाद डालने की तजवीज़ की है और परिषद् का पहला जलसा २३, २४\* को नागपूर में महात्मा गांधी की सदारत में करार पाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि परिषद् में सभी सूचे के साहित्यकार आये और आपस में खगलात का तबादला करके हम तजवीज़ को ऐसी सूत दे, जिसमें वह अपना मकसद पूरा कर सके। बाज़ सूचे में अभी से प्रातीयता के जजवात पैदा होने लगे हैं। 'सूचा सूचेवाला के लिए' की सदाएँ उठने लगी है। 'हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के लिए' की सदा इस प्रातीयता की चीख़ पुकार में कहीं झ़ब न जाय, इसका अदेशा अभी से होने लगा है। अगर बगाल बगाल के लिए, पजाव पजाव के लिए की हवा ने जोर पकड़ा तो वह कौमियत की जो जन्नत गुलामी के पसीने ओर जिल्लत से बनी थी मादूम हो जायगी और हिन्दुस्तान फिर छोटे छोटे राजों का समूह होकर रह जायगा। और फिर क्यामत के पहले उसे परावीनता की कैद से नजात न होगी। हमें अफसोस तो यह है कि इस किस्म की सदाएँ उन दिशाओं से आ रही हैं, जहाँ से हमें एकता की दिल बढ़ानेवाली सदाओं की उम्मीद थी। डेढ़ सौ साल की गुलामी ने कुछ कुछ हमारी आँखें खोलनी शुरू की थीं कि फिर वही प्रान्तीयता की आवाजें पैदा होने लगीं और इस नयी व्यवस्था ने उन भेद-भावों के फलने-फ्लने के लिए जमीन तैयार कर दी है। अगर 'प्राविंशल अटानोमी' ने यह सूत्र अस्तियार की तो वह हिन्दुस्तानी कौमियत की जवान मौत नहीं, बाल मृत्यु होगी। और वह तफरीक जाकर रुकेगी कहाँ उसकी तो कोई इति ही नहीं।

सूबे के लिए, जिला जिले के लिए, हिन्दू हिन्दू के लिए, मुसलिम मुसलिम के लिए, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए, वैश्य वैश्य के लिए, कपूर कपूर के लिए, सक्सेना सक्सेना के लिए, इतनी दीवारों और कोठरियों के अन्दर कौमियत कैदिन सोसे ले सकेगी ! हम देखते हैं कि ऐतिहासिक परम्परा प्रान्तीयता की ओर है। आज जो अलग अलग सूबे हैं विसी जमाने में अलग-अलग राज थे, कुदरती हदें भी उन्हें दूसरे सूबों से अलग किये हुए हैं, और उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति सब एक हैं। लेकिन एकता के ये सारे साधन रहते हुए भी वह अपनी स्वाधीनता को कायम न रख सके, इसका सबब यही तो है कि उन्होंने अपने नो अपने फिले में बन्द कर लिया और बाहर की दुनिया से कोई सम्बन्ध न रखा। अगर उसी अलहादगी की रीति से वह फिर काम लेगे तो फिर शायद तारीख अपने को दोहाराये। हमें तारीख से यह सबक न लेना चाहिए कि हम क्या थे, यह भी देखना चाहिए कि हम क्या हो सकते थे। अकसर हमें तारीख को भूल जाना पड़ता है। भूत हमारे भविष्य का रहबर नहीं हो सकता। जिन कुपथ्यों से हम बीमार हुए थे, क्या अच्छे हो जाने पर फिर वही कुपथ्य करेगे ? और चूँकि इस अलहादगी की दुनियाद भाषा है, इसलिए हमें भाषा ही के द्वार से प्रान्तीयता की काया में राष्ट्रीयता के प्राण डालने पड़ेगे। प्रान्तीयता का सद्यपयोग यह है कि हम उस क्रिसान की तरह जिसे मौरूसी पट्टा मिल गया हो अपनी जमीन को खूब जोते, उसमें खूब खाद डाले और अच्छी-से-अच्छी फसल पैदा करे। मगर उसका यह आशय हर्गिज़ न होना चाहिए कि हम बाहर से अच्छे बीज और अच्छी खाद लाकर उसमें न डाले। प्रान्तीयता अगर अयोग्यता को कायम रखने का बहाना बन जाय तो यह उस प्रान्त का दुर्भाग्य होगा और राष्ट्र का भी। इस नये खतरे का सामना करना होगा और वह मेल पैदा करनेवाली शक्तियों को संगठित करने ही से हो सकता है।

सज्जनो, साहित्यिक जागृति किसी समाज की सजीवता का लक्षण है।

साहित्य की सबसे अच्छी तारीफ जो की गयी है, वह यह है कि वह अच्छे से अच्छे दिल और दिमाग के अच्छे से अच्छे भावों और विचारों का संग्रह है। आपने अँग्रेजी साहित्य पढ़ा है। उन साहित्यिक चरित्रों के साथ आपने उससे कहीं ज्यादा अपनापा महसूस किया है जितना आप किसी यहाँ के साहब वहाँदुर से कर सकते हैं। आप उसकी इसानी सूखत देखते हैं, जिसमें वही वेदनाएँ हैं, वही प्रेम है, वही कमजारियाँ हैं, जो हममें और आप में हैं। वहाँ वह हुक्म्रमत और गुरुर का पुतला नहीं, बल्कि हमारे और आपका सा इन्सान है जिसके साथ हम दुखी होते हैं, हँसते हैं, सहानुभूति करते हैं। साहित्य वदगुमानियों को मिटानेवाली चीज है। अगर आज हम हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के साहित्य से ज्यादा परिचित हो, तो सुमिकिन है हम अपने को एक दूसरे से कहीं ज्यादा निकट पाये। साहित्य में हम हिन्दू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, बल्कि मनुष्य है, और वह मनुष्यता हमें और आपको आकर्षित करती है। क्या यह खेद क बात नहीं है कि हम दोनों जो एक सुल्क में आठ सौ साल से रहते हैं, एक दूसरे के पडोस में रहते हैं, एक दूसरे के साहित्य से इतने बेखबर हैं? यूरोपियन विद्वानों को देखिए। उन्होंने हिन्दुस्तान के मुतश्रिलक्षण हर एक सुमिकिन विषय पर तहकीकारों की हैं, पुस्तकों लिखी है, वह हमें उससे ज्यादा जानते हैं जिनना हम अपने को जानते हैं। उसके विशेषता हम एक दूसरे से अनभिज्ञ रहने ही में मग्न है। साहित्य में जो सबसे बड़ी खूबी है, वह यह है कि वह हमारी मानवता को ढट बनाता है, हममें सहानुभूति और उदारता के भाव पैदा करता है। जिस हिन्दू ने कर्वला के मार्के की तारीख पढ़ी है, यह असम्भव है कि उसे मुसलमानों से सहानुभूति न हो। उसी तरह जिस मुसलमान ने रामायण पढ़ा है, उसके दिल में हिन्दू मात्र से हमदर्दी पैदा हो जाना यकीनी है। कम से कम उत्तरी हिन्दुस्तान में हरेक शिक्षित हिन्दू मुसलिम को अपनी तालीम अधूरी समझनी चाहिए, अगर वह मुसलमान है तो हिन्दुओं के और हिन्दू है तो मुसलमानों के साहित्य से

अपरिचित है। हम दोनों ही के लिए दोनों लिपियों का और दोनों भाषाओं का ज्ञान लाजमी है। और जब हम जिन्दगी के पद्रह साल अँगरेजी हासिल करने में कुरबान करते हैं तो क्या महीने दो-महीने भी उस लिपि और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगा सकते, जिस पर हमारी कौमी तरक्की ही नहीं, कौमी जिन्दगी का दारोमदार है ?

---

## उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी

यह बात सभी लोग मानते हैं कि राष्ट्र को उठ और बलवान बनाने के लिए देश में सास्कृतिक एकता का होना बहुत आवश्यक है। और किसी राष्ट्र की भाषा तथा लिपि इस सौस्कृतिक एकता का एक विशेष अग्र है। श्रीमती खलीदा अदीब खानम ने अपने एक भाषण में कहा था कि तुर्की जाति और राष्ट्र की एकता तुर्की भाषा के कारण ही हुई है। और यह निश्चित बात है कि राष्ट्रीय भाषा के बिना किसी राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। जब तक भारतवर्ष की कोई राष्ट्रीय भाषा न हो, तन तक वह राष्ट्रीयता का दावा नहीं कर सकता। सम्भव है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष एक राष्ट्र रहा हो, परन्तु वौद्धों के पतन के उपरान्त उसकी राष्ट्रीयता का भी अन्त हो गया था। यद्यपि देश में सास्कृतिक एकता वर्तमान थी, तो भी भाषाओं के भेद ने देश को खण्ड खण्ड करने का काम और भी सुगम न कर दिया था। मुसलमानों के शासनकाल में भी जो कुछ हुआ था, उसमें भिन्न-भिन्न प्रान्तों का राजनीतिक एकीकरण तो हो गया था, परन्तु उस समय भी देश में राष्ट्रीयता का अस्तित्व नहीं था। और सच बात तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना अपेक्षाकृत बहुत देर से ससार में उत्पन्न हुई है और इसे उत्पन्न हुए लगभग दो सौ वर्षों से अधिक नहीं हुए। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का आरम्भ अगरेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ हुआ। और उसी की उठता के साथ साथ इसकी भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इस समय राजनीतिक पराधीनता के अतिरिक्त देश के भिन्न-भिन्न अंगों

और तत्वों में कोई ऐसा पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है जो उन्हे सघटित करके एक राष्ट्र का स्वरूप दे सके। यदि आज भारतवर्ष से अगरेजी राज्य उठ जाय तो इन तत्वों में जो एकता इस समय दिखायी दे रही है, बहुत सम्भव है कि वह विमेद और विरोध का रूप धारण कर ले और भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार पर एक ऐसा नया सघटन उत्पन्न हो जाय जिसका एक दूसरे के साथ काई सम्बन्ध ही न हो। और फिर वही खींचातानी शुरू हो जाय जो अगरेजों के यहाँ आने से पहले थी। अत राष्ट्र के जीवन के लिए यह बात आवश्यक है कि देश में सास्कृतिक एकता हो। और भाषा की एकता उस सास्कृतिक एकता का प्रधान स्तम्भ है, इसलिये यह बात भी आवश्यक है कि भारतवर्ष की एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा हो जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बोली और समझी जाय। इसी बात का आवश्यक परिणाम यह होगा कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय साहित्य की सुषिट भी आरम्भ हो जायगी और एक ऐसा समय आयेगा, जब कि भिन्न भिन्न जातियों और राष्ट्रों के साहित्यिक मण्डल में हिन्दुस्तानी भाषा भी बराबरी की हैसियत से शामिल होने के कानिल हो जायगी।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि इस राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप क्या हो ? आजकल भिन्न भिन्न प्रान्तों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, उसमें तो राष्ट्रीय भाषा बनने की योग्यता नहीं, क्योंकि उनके कार्य और प्रचार का क्षेत्र परिमित है। केवल एक ही भाषा ऐसी है जो देश के एक बहुत बड़े भाग में बोली जाती है और उससे भी कही बड़े भाग में समझी जाती है। और उसी को राष्ट्रीय भाषा का पद दिया जा सकता है। परन्तु इस समय उस भाषा के तीन स्वरूप हैं—उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी। और अभी तक यह बात राष्ट्रीय रूप से निश्चित नहीं की जा सकी है कि इनमें से कौन सा स्वरूप ऐसा है जो देश में सबसे अधिक मान्य हो सकता है और जिसका प्रचार भी ज्यादा आसानी से हो सकता है। तीनों ही स्वरूपों के पक्षपाती और समर्थक मौजूद हैं और उनमें खींचातानी हो रही है।

यहों तक कि इस मतभेद का राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है और हम इस प्रश्न पर शान्त चित्त और शान्त मस्तिष्क से विचार करने के अव्याध हो गये हैं।

लेकिन इन सब रुकावटों ने होते हुए भी यदि हम भारतीय राष्ट्रीयता के लद्य तक पहुँचना और उसकी विद्धि करना असम्भव समझकर हिम्मत न हार बैठेता किर हमारे लिए इस प्रश्न की किसी न किसी प्रकार मीमासा करना आवश्यक हा जाता है।

देश मे ऐसे आदिमियों की सख्ता कम नहीं है जो उर्दू और हिन्दी की अलग-अलग और स्वतन्त्र उन्नति और विकास<sup>पृष्ठे</sup> के मार्ग मे बाधक नहीं हाना चाहते। उन्होंने यह मान लिया है कि आरम्भ मे इन दोनों के स्वरूपों मे चाहे जा कुछ एकता और समानता रही हो, लेकिन फिर भी इस समय दोनों की दोनों जिस रास्ते पर जा रही है, उसे देखते हुए इन दोनों मे मेल और एकता हाना असम्भव ही है। प्रत्येक भाषा की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति हाती है। उर्दू का फारसी और अरबी के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है। और हिन्दी का सस्कृत तथा प्राकृत के साथ उसी प्रकार का सम्बन्ध है। उनको यह प्रवृत्ति हम किसी शक्ति से रोक नहीं सकते। किर इन दोनों को आपस मे मिलाने का प्रयत्न करके हम क्या व्यर्थ इन दोनों का हानि पहुँचावे?

यदि उर्दू और हिन्दी दोनों अपने आपको अपने जन्म स्थान और प्रचार क्षेत्र तक ही परिमित रखे तो हमे इनकी प्राकृतिक वृद्धि और विकास के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति न हो। बैंगला, मराठी, गुजरात, तामिल, तेलगू और कन्नडी आदि प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध मे हमे किसी प्रभार की चिन्ता नहीं है। उन्हे अधिकार है कि वे अपने अन्दर चाहे जितनी सस्कृत, अरबी या लैटिन आदि भरती चले। उन भाषाओं के लेखक आदि स्वय ही इस बात का निर्णय कर सकते है, परन्तु उर्दू और हिन्दी की बात इन सबसे अलग है। यहों तो दोनों ही भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा कहलाने का दावा करती हैं। परन्तु वे अपने व्यक्तिगत

रूप में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकीं और इसीलिए सयुक्त रूप में स्वयं ही उनका सयोग आरम्भ हो गया। और दोनों का यह सम्मिलित स्वरूप उत्पन्न हो गया जिसे हम बहुत ठीक तौर पर हिन्दुस्तानी जबान कहते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा न तो वह उदूर् ही हो सकती है जो अरबी और फारसी के अप्रचलित तथा अपरिचित शब्दों के भार से लदी रहती है और न वह हिन्दी ही हो सकती है जो सस्कृत के कठिन शब्दों से लदी हुई होती है। यदि इन दोनों भाषाओं के पक्षपाती और समर्थक आमने सामने खड़े होकर अपनी साहित्यिक भाषाओं में बातें करे तो शायद एक दूसरे का कुछ भी मतलब न समझ सके। हमारी राष्ट्रीय भाषा तो वही हो सकती है जिसका आधार सर्व सामान्य वोधगम्यता हो—जिसे सब लोग सहज में समझ सकें। वह इस बात की क्यों परवाह करने लगी कि असुक शब्द इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह फारसी, अरबी अथवा सस्कृत का है? वह तो केवल यह मान-दरेड अपने सामने रखती है कि जन-साधारण यह शब्द समझ सकते हैं या नहीं। और जन साधारण में हिन्दू, मुसलमान, पजाबी, बगाली, महाराष्ट्र और गुजराती सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई शब्द या मुहावरा या पारिभाषिक शब्द जन साधारण में प्रचलित है तो फिर वह इस बात की परवाह नहीं करती कि वह कहों से निकला है और कहों से आया है। और यही हिन्दुस्तानी है। और जिस प्रकार अगरेजी की भाषा अगरेजी, जापान की जापानी, ईरान की ईरानी और चीन की चीनी है, उसी प्रकार हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषा को इसी तौर पर हिन्दुस्तानी कहना केवल उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी है। और अगर इस देश को हिन्दुस्तान न कहकर केवल हिन्द कहे तो इसकी भाषा को हिन्दी कह सकते हैं। लेकिन यहों की भाषा को उदूर् तो किसी प्रकार कहा ही नहीं जा सकता, जब तक हम हिन्दुस्तान को उर्दुस्तान न कहने लगें, जो अब किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। प्राचीन काल के लोग यहों की भाषा को हिन्दी ही कहते

थे और खुसरो ने खालिकवारी की रचना करके हिन्दुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रन्थ की रचना में कदाचित् उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हे दोनों ही रूपों में निखलाये जायें, जिसमें उन्हे अपने रोजमर्रा के कामा में सहूलियत हा जाय। अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो सका है कि उदूर्ध्व की सुष्ठिरकथ और कहों हुई थी। जो हो, परन्तु भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा न तो उदूर्ध्व ही है और न हिन्दी, बल्कि वह हिन्दुस्तानी है जो सारे हिन्दुस्तान में समझी जाती है और उसके बहुत बड़े भाग में बोली जाती है लेकिन फिर भी लिखी कहीं नहीं जाती। और यदि कोई लिखने का प्रयत्न करता है तो उदूर्ध्व और हिन्दी के साहित्यिक उसे टाट बाहर कर देते हैं। बास्तव में उदूर्ध्व और हिन्दी की उन्ननि में जो बात बावजूद है वह उनका वैशिष्ट्य प्रेम है। हम चाहे उदूर्ध्व लिखे और चाहे हिन्दी, जन-साधारण के लिए नहीं लिखते बल्कि एक परिमित वर्ग के लिए लिखते हैं। और यही कारण है कि हमारी साहित्यिक रचनाएँ जन साधारण को प्रिय नहीं होतीं। यह बात विलकुल ठीक है कि किसी देश में भी लिखने और बोलने की भाषाएँ एक नहीं हुआ करती। जा अग्रेजी हम किताबों और अन्वयारों में पढ़ते हैं, वह कहीं बोली नहीं जाती। पढ़े लिखे लोग भी उस भाषा में बातचीत नहीं ऊरते जिस भाषा में ग्रन्थ और समाचार-पत्र आदि लिखे जाते हैं। और जन साधारण की भाषा तो विलकुल अलग ही होती है। इंग्लैण्ड के हरएक पढ़े लिखे आदमी से वह आशा-अवश्य की जाती है कि वह लिखो जानेवाली भाषा समझे और अवसर पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर सके। यही बात हम हिन्दुस्तान में भी चाहते हैं।

परन्तु आज क्या परिस्थिति है? हमारे हिन्दीवाले इस बात पर तुले हुए हैं कि हम हिन्दी से भिन्न भाषाओं के शब्दों को हिन्दी में किसी तरह छुसने ही न देंगे। उन्हे 'मनुष्य' से तो प्रेम है परन्तु 'आदमी' से पूरी पूरी घृणा है। यद्यपि 'दरख्वास्त' जन-साधारण में भली-भाति

प्रचलित है परन्तु फिर भी उनके यहा इसका प्रयोग वर्जित है। इसके स्थान पर वे 'प्रार्थना पत्र' ही लिखना चाहते हैं, यद्यपि जन सावारण इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं समझता। 'इस्तीफा' को वे किसी तरह मजबूर नहीं कर सकते और इसके स्थान पर 'त्याग-पत्र' रखना चाहते हैं। 'हवाई जहाज़' चाहे कितना ही सुवाध कपो न हो, परन्तु उन्हे 'वायुयान' की सैर ही पसन्द है। उदूर वाले तो इस बात पर और भी अधिक लट्टू है। वे 'खुदा' को तो मानते हैं, परन्तु 'ईश्वर' को नहीं मानते। 'कुसर' तो वे बहुत से कर सकते हैं, परन्तु 'अपराध' कभी नहीं कर सकते। 'खिदमत' तो उन्हे बहुत पसन्द है, परन्तु 'सेवा' उन्हे एक आख भी नहीं भाती। इसी तरह हम लोगों ने उदूर और हिन्दी के दो अलग अलग कैम्प बना लिये हैं। और मजाल नहीं कि एक कैम्प का आदमी दूसरे कैम्प में पैर भी रख सके। इन दृष्टिकोण से हिन्दी के मुकाबले में उदूर में कहीं अधिक कड़ाई है। हिन्दुस्तानी इस चारदीवारी को तोड़कर दोनों में मेल-जोल पैदा कर देना चाहती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के घर बिना किसी प्रकार के सकोच के आ जा सके और वह भी उसके मेहमान की हैसियत से नहीं, बल्कि घर के आदमी की तरह। गारसन डि टासी के शब्दों में उदूर और हिन्दी के बीच में कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती, जहाँ एक को विशेष रूप से हिन्दी और दूसरी को उदूर कहा जा सके। अँग्रेजी भाषा के भी अनेक रंग हैं। कहीं लैटिन और यूनानी शब्दों की अधिकता होती है, कहीं ऐरलोसैक्सन शब्दों की। परन्तु है दोनों ही अँग्रेजी। इसी प्रकार हिन्दी या उदूर शब्दों के विभेद के कारण दो भिन्न भिन्न भाषाएँ नहीं हो सकतीं। जो लोग भारतीय राष्ट्रीयता का स्वप्न देखते हैं और जो इस सास्कृतिक एकता को दृढ़ करना चाहते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे लोग हिन्दुस्तानी का निमन्त्रण ग्रहण करें, जो कोई नयी भाषा नहीं है बल्कि उदूर और हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप है।

स्युक्र प्रान्त के अपर प्राइमरी स्कूलों में चौथे दरजे तक इसी मिथित

भाषा अर्थात् हिन्दुस्तानी की रीडरे पढ़ाई जाती हैं। केवल उनकी लिपि अलग हाती है। उनकी भाषा मे काई अन्तर ही नहीं हाता। इसमे शिक्षा-भिभाग का उद्देश्य यह होगा कि इस प्रकार विद्यार्थियों मे बचपन मे ही हिन्दुस्तानी की नींव पड़ जायगी और वे उर्दू तथा हिन्दी के विशेष प्रचलित शब्दों से भली भांति परिचित हो जायेंगे और उन्हीं का प्रयोग करने लगेंगे। इसमे दूसरा लाभ यह भी है कि एक ही शिक्षक शिक्षा दे सकता है। इस समय भी वही व्यवस्था प्रचलित है। लेकिन हिन्दी और उर्दू के पक्षपातियों की ओर से इसकी शिकायतें शुरू हो गयी हैं कि इस मिश्रित भाषा की शिक्षा से विद्यार्थियों को कुछ भी साहित्यिक ज्ञान नहीं होने पाता और वे अपर प्राइमरी के बाद भी साधारण पुस्तके तक नहीं समझते। इसी शिकायत को दूर करने के लिए इन रीडरों के अतिरिक्त अपर प्राइमरी दरजां के लिए एक साहित्यिक रीडर भी नियत हुई है। हमारे मासिक पत्र, समाचार पत्र और पुस्तकों आदि विशुद्ध हिन्दी मे प्रकाशित होती है। इसलिए जब तक उर्दू पढ़नेवाले लड़कों के पास फारसी और अरबी शब्दों का और हिन्दी पढ़नेवाले लड़कों के पास सस्कृत शब्दों का यथेष्ट भएँडार न हा, तब तक वे उर्दू या हिन्दी की कोई पुस्तक नहीं समझ सकते। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही हमारे यहा उर्दू और हिन्दी का विभेद आरम्भ हो जाता है। क्या इस विभेद को मिटाने का कोई उपाय नहीं है?

जा लोग इस विभेद के पक्षपाती है, उनके पास अपने अपने दावे की दलाले और तरफ भी मौजूद है। उदाहरण के लिए विशुद्ध हिन्दी के पक्षपाती फहते हैं कि सस्कृत का और झुकने से हिन्दी भाषा हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं के पास पहुँच जाती है, अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे बने बनाये शब्द मिल जाते हैं, लिखावट मे साहित्यिक रूप आ जाता है, आदि आदि। इसी तरह उर्दू का झएँडा लेकर चलने-बाले कहते हैं कि फारसी और अरबी की ओर झुकने से एशिया की दूसरी भाषाएँ, जैसे फारसी और अरबी, उर्दू के पास आ जाती हैं।

अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे अरबी का विद्या सम्बन्धी भडार मिल जाता है, जिससे बढ़कर विद्या की भाषा और कोई नहीं है, और लेखन-शैली में गम्भीरता और शान आ जाती है, आदि, आदि। इस लिए क्यों न इन दानों को अपने-अपने ढग पर चलने दिया जाय और उन्हे आपस में भिलाकर क्यों दानों के रास्तों में रुकावटे पैदा की जायें ? यदि सभी लोग इन तकों से सहमत हो जायें, तो इसका अभिप्राय वही होगा कि हिन्दुस्तान में कभी राष्ट्रीय भाषा की सुषिट्ठि न हो सकेगी। इसलिए हमें आवश्यक है कि यहाँ तक हो सके, हम इस प्रभार की धारणाओं को दूर करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे हम दिन पर दिन राष्ट्रीय भाषा के और भी अधिक समीप पहुँचते जायें, और सम्भव है कि दस बीम वर्षों में हमारा स्वान यथार्थता में परिणत हो जाय। हिन्दुस्तान के हरएक सूबे में मुसलमानों की थोड़ी बहुत सख्त्य मौजूद ही है। सयुक्तप्रान्त के सिवा और और सूबों में मुसलमानों ने अपने अपने सूबे की भाषा अपना ली है। बगल का मुसलमान बगला बोलता और लिखता है, गुजरात का गुजराती, मैसूर का कन्नड़ी, मदरास का तामिल और पजाब का पजाबी आदि। यहाँ तक कि उसने अपने अपने सूबे की लिपि भी ग्रहण कर ली है। उदूर लिपि और भाषा से यद्यपि उसका धर्मिक और सास्कृतिक अनुराग हो सकता है, लेकिन नित्यप्रति के जीवन में उसे उदूर की विलकुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि दूसरे दूसरे सूबों के मुसलमान अपने-अपने सूबे की भाषा निस्सकोच भाव से साख सकते हैं और उसे यहाँ तक अपनी भी बना सकते हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा में नाम को भी कोई भेद नहीं रह जाता, तो फिर सयुक्तप्रान्त आर पजाब के मुसलमान क्यों हिन्दी से इतनी धूरण करते हैं ?

हमारे सूबे के देहातों में रहनेवाले मुसलमान प्राय देहातियों की भाषा ही बोलते हैं। जो बहुत से मुसलमान देहातों से आकर शहरों में आबाद हो गये हैं, वे भी अपने घरों में देहाती जबान ही बोलते हैं।

बोल चाल की हिन्दी समझने में न ता सावारण मुसलमानों को ही कोई कठिनता होती है और न बोल चाल की उदूँ समझने में साधारण हिन्दुओं को ही। बोल चाल की हिन्दी और उदूँ प्राय एक मी हा हैं। हिन्दी के जो शब्द सावारण पुस्तकों और समाचार पत्रों में वर्गीकृत होते हैं और कभी-कभापिण्डियों के भाषणों में भी आ जाते हैं, उनकी सख्ती दो हजार से अधिक न हांगी। इसी प्रकार फारसी के सावारण शब्द भी इससे अधिक न हांगे। क्या उदूँ के वर्तमान काषों में दो हजार हिन्दी शब्द और हिन्दी के काषों में दो हजार उदूँ शब्द नहीं बढ़ाये जा सकते और इस प्रकार हम एक मिश्रित कोष की सुषिटि नहीं कर सकते क्या हमारी स्मरण-शक्ति पर वह भार असह्य हांगा? हम अँग्रेजी के असख्त शब्द याद कर सकते हैं और वह भी केवल एक अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो फिर क्या हम एक स्थायी उद्देश्य की सिद्धि के लिए थाङे से शब्द भी याद नहीं कर सकते? उदूँ और हिन्दी भाषाओं में न तो अभी विस्तार ही है और न दृढ़ता। उनके शब्दों की सख्ती परिमित है। प्राय साधारण अभिप्राय प्रकट करने के लिए भी उन्हें शब्द नहीं मिलते। शब्दों की इस वृद्धि से यह शिकायत दूर हो सकती है।

भारतवर्ष की सभी भाषाएँ या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्कृत से निकली हैं। गुजराती, मराठी और बंगला की तो लिपियाँ भी देवनागरी से मिलती जुलती हैं। यथापि दक्षिणी भारत की भाषाओं की लिपियाँ विलकुल भिन्न हैं, परन्तु फिर भी उनमें स्वस्कृत शब्दों की बहुत अधिकता है। ग्रंथों और फारसी के शब्द भी सभी प्रान्तीय भाषाओं में कुछ न कुछ मिलते हैं। परन्तु उनमें स्वस्कृत शब्दों की उतनी अधिकता नहीं हाती, जितनी हिन्दी में हाती है। इसलिए यह बात विलकुल ठीक है कि भारतवर्ष में ऐसी हिन्दी बहुत सहज में स्वीकृत और प्रचलित हो सकती है जिसमें स्वस्कृत के शब्द अधिक हों। दूसरे प्रान्तों के मुसलमान भी ऐसी हिन्दी सहज में समझ सकते हैं परन्तु

फारसी और अरबी के शब्दों से लदी हुई उर्दू भाषा के लिए सयुक्त प्रान्त और पजाव के नगरों और कस्बों तथा हैदराबाद के बड़े बड़े शहरों के मिशन और कोई क्षेत्र नहीं। मुसलमान सत्यमें आवश्य आठ करोड़ हैं, लेकिन उर्दू बोलनेवाले मुसलमान इसके एक चौथाई से अधिक न होंगे। ऐसी अवस्था में क्या उच्चकोटि की राष्ट्रीयता के विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है कि उर्दू में कुछ आवश्यक सुधार और वृद्धि करके उसे हिन्दी के साथ मिला लिया जाय? और हिन्दी में भी इसी प्रकार की वृद्धि करके उसे उर्दू से मिला दिया जाय? और इस मिश्रित भाषा को इतना ढट कर दिया जाय कि वह सारे भारतवर्ष में बोली समझी जा सके? और हमारे लेखक जो कुछ लिखे, वह एक विशेष क्षेत्र के लिए न हो बल्कि सारे भारतवर्ष के लिए हो? सिन्धी भाषा इस प्रकार के मिश्रण वा बहुत अच्छा उदाहरण है। सिन्धी भाषा की केवल लिपि अरबी है परन्तु उसमें हिन्दी के सभी तत्त्व सम्मिलित कर लिये गये हैं। और शब्दों में उचित समझना, अरबी और फारसी का कुछ ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि कहीं खटक नहीं मालूम होती। हिन्दुस्तानी के लिए भी कुछ इसी प्रकार के सम्मिश्रण की आवश्यकता है।

जो लोग उर्दू और हिन्दी को बिलकुल अलग-अलग रखना चाहते हैं, उनका यह कहना एक बहुत बड़ी सीमा तक ठीक है कि मिश्रित भाषा में किस्से कहानियाँ और नाटक आदि तो लिखे जा सकते हैं, परन्तु विज्ञान और साहित्य के उच्च विषय उसमें नहीं लिखे जा सकते। वहों तो विवश होकर फारसी और अरबी के शब्दों से भरी हुई उर्दू और संस्कृत के शब्दों से भरी हुई हिन्दी का व्यवहार आवश्यक हो जायगा। विज्ञान और विद्या सम्बन्धी विषय लिखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों की होती है। और पारिभाषिक शब्दों के लिए हमें विवश होकर अरबी और संस्कृत के असीम शब्द भरणारों से सहायता लेनी पड़ेगी। इस समय प्रत्येक प्रान्तीय भाषा अपने लिए अलग-अलग पारिभाषिक शब्द तैयार कर रही है। उर्दू में भी विज्ञान सम्बन्धी

पारिभाषिक शब्द बनाये गये हैं और आभा यह क्रम चल रहा है। क्या यह नात कही अधिक उत्तम न होगी कि भिन्न भिन्न प्रान्तीय सभाएँ और संस्थाएँ आपस में मिलकर परामर्श फरे और एक दूसरी की सहायता से यह कठिन कार्य पूरा करे? इस समय सभी लोगों को अलग अलग बहुत कुछ परिश्रम, माथापच्ची और व्यय करना पड़ रहा है और उसमें बहुत कुछ बचत हो सकती है। हमारी समझ में तो यह आता है कि नये सिरे से पारिभाषिक शब्द बनाने की जगह कहीं अच्छा यह होगा कि अँग्रेजी के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके उन्हीं को ग्रहण फर लिया जाय। ये पारिभाषिक शब्द केवल अँग्रेजी में ही प्रचलित नहीं हैं बल्कि प्राय सभी उन्नत भाषाओं में उनसे मिलते जुलते पारिभाषिक शब्द पाये जाते हैं। कहते हैं कि जापानियों ने भी इसी मार्ग पर अवलम्बन किया है और मिस्र में भी थोड़े बहुत सुवार और परिवर्तन के साथ उन्होंने ग्रहण किया गया है। यदि हमारी भाषा में बटन, लालटेन और बाइसिकिल सीखे सैन्डो विदेशी शब्द खप सकते हैं तो फिर पारिभाषिक शब्दों को लेने में कौन सी बात बाधक हो सकती है? यदि प्रत्येक प्रान्त ने अपने अलग अलग पारिभाषिक शब्द बना लिये तो फिर भारतवर्ष की कोई राष्ट्रीय विद्या और विज्ञान सम्बन्धी भाषाएँ न बन सकेंगी। बैंगला, मराठी, गुजराती और कन्नड़ी आदि भाषाएँ संस्कृत की सहायता से यह कठिनता दूर कर सकती हैं। उदूँ भी अरबी और फारसी की सहायता से अपनी पारिभाषिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती है। परन्तु हमारे लिए ऐसे शब्द प्रचलित अँग्रेजी पारिभाषिक शब्दों से भी कही अधिक अपरिचित होंगे। 'आइन अक्वरी' ने हिन्दू दर्शन, सगीत और गणित के लिए संस्कृत के प्रचलित पारिभाषिक शब्द ग्रहण करके एक अच्छा उदाहरण उपस्थित कर दिया है। इस्लामी दर्शन, धर्म शास्त्र आदि में से हम प्रचलित अरबी पारिभाषिक शब्द ग्रहण कर सकते हैं। जो विद्याएँ पाश्चात्य देशों से अपने अपने पारिभाषिक शब्द लेकर आयी हैं, याद उन्हें भी हम् उन शब्दों के सहित

यह कहा जा सकता है कि मिथित हिन्दुस्तानी उतनी सरस और कोमल न हाँगी। परन्तु सरसता और कोमलता का मान दरड मदा बदलना रहता है। कई साल पहले अवकन पर ऑग्रेजी टोपी बेजोड़ और हास्यास्पद मालूम होती थी। लेकिन अब वह साधारणत सभी जगह दिखायी देती है। स्थियों के लिए लम्बे लम्बे सिर के बाल सौन्दर्य का एक विशेष स्तम्भ है, परन्तु आजकल तराशे हुए बाल प्राय पसन्द किये जाते हैं। फिर किसी भाषा का मुख्य गुण उसकी सरसता नहीं है, बल्कि मुख्य गुण तो अभिप्राय प्रकट करने की शक्ति है। यदि हम सरसता और कोमलता की कुरवानी करके भी अपनी राष्ट्रीय भाषा का क्षेत्र विस्तृत कर सके तो हमें इसमें सफोच नहीं होना चाहिए। जब कि हमारे राजनीतिक ससार में एक फेडरेशन या सघ की नींव डाली जा रही है, तब क्यों न हम साहित्यिक ससार में भी एक फेडरेशन या सघ की स्थापना करें, जिसमें हरएक प्रान्तीय भाषा के प्रतिनिवि साल में एक बार एक सप्ताह के लिए किसी केन्द्र में एकत्र होकर राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर विचार-विनिमय करें और अनुभव के प्रकाश में सामने आनेवाली समस्याओं की मीमांसा करें? जब हमारे जीवन की प्रत्येक बात और प्रत्येक अग्र में परिवर्तन हो रहे हैं और प्राय हमारी इच्छा के विरुद्ध भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो फिर भाषा के विषय में हम क्यों सौ वर्ष पहले के विचारों और टॉपिकों पर ओड़े रहे? अब वह अवसर आ गया है कि अद्वितीय हिन्दुस्तानी भाषा और साहित्य की एक सभा या संस्था स्थापित की जाय जिसका काम ऐसी हिन्दुस्तानी भाषा की सुष्ठि करना हो जो प्रत्येक प्रान्त में प्रचलित हो सके। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस सभा या संस्था के कर्तव्य और उद्देश्य क्या होंगे। इसी सभा या संस्था का यह काम होगा कि वह अपना कार्यक्रम तैयार करे। हमारा तो यही निवेदन है कि अब इस काम में ज्यादा देर करने की गुज्जाइश नहीं है।

## अन्तरप्रान्तीय साहित्यिक आदान-प्रदान के लिए

[ इस शीर्षक के अन्तर्गत लेखक की चार महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे साहित्य और भाषा के अनेक सवालों पर रोशनी पड़ती है। ये टिप्पणियाँ अलग अलग मोक्षों पर लिखी गयीं, लेकिन इनके पीछे काम करनेवाला विचार एक ही है, इसलिए इन्हे एक स्थान पर दिया जा रहा है। ]

### १ : एक सार्वदेशिक साहित्य-संस्था की आवश्यकता

भारत में विज्ञान और दर्शन की, इतिहास और गणित की, शिक्षा और राजनीति की आलाइडिया संस्थाएँ तो हैं, लेकिन साहित्य की कोई ऐसी संस्था नहीं है। इसलिए, सावारण जनता को अन्य प्रान्तों की साहित्यिक प्रगति की कोई खबर नहीं होती और न साहित्य-सेवियों को ही अपस में मिलने का अवसर मिलता है।

बगाल के दो चार कलाकारों के नाम से तो हम परिचित हैं, लेकिन गुजराती, तामिल, तेलुगू और मलयालम आदि भाषाओं के निर्माताओं से हम बिल्कुल अपरिचित हैं। अँग्रेजी साहित्य का तो जिक्र ही क्या, फ्रास, जर्मनी, रूस, पोलैंड, स्वेडेन, वेलजियम आदि देशों के साहित्य से भी अँग्रेजी अनुवादों द्वारा हम कुछ न कुछ परिचित हो गये हैं, लेकिन बँगला को छोड़कर भारत को अन्य भाषाओं की प्रगति का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हरेक प्रान्तीय भाषा अपना सम्मेलन अलग अलग करती

है, और फरना ही चाहिए। हरेक प्रान्त में लोकल कौसिले हैं पर प्रान्तीय साहित्यों की केन्द्रीय स्थिति कहाँ है? हमारे खयाल में ऐसी एक स्थिति की जरूरत है और यदि साहित्य सम्मेलन इसकी स्थापना करे, तो वह राष्ट्र और हिन्दी की बड़ी सेवा करेगा।

अभी तक हिन्दी ने जो विस्तार प्राप्त किया है, वह एक प्रकार से अपनी शक्ति द्वारा किया है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो भारत के सभी बड़े शहरों में समझी जाती है, चाहे बोली न जाती हो। अगर अँग्रेजी बीच में न आ खड़ी होती, तो अन्य प्रान्तों के निवासी एक दूसरे से हिन्दी ही में बातें करते और अब भी करते हैं—यद्यपि वही, जो अँग्रेजी से अनभिज्ञ है।

अब वह समय आ गया है कि प्रान्तीय भाषाओं का सम्बन्ध ज्यादा धनिष्ठ किया जाय और हमारे सक्षारों का ऐसा सम्बन्ध हो जाय कि हम राष्ट्रीय भाषा का ही नहीं, राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण भी कर सके। हरेक प्रान्त के साहित्य की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। यह आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा में उन सारी विशेषताओं का मामजस्य हो जाय और हमारा साहित्य प्रान्तीयता के दायरे से निकलकर राष्ट्रीयता के चेत्र में पहुँच जाय। इस विषय में हम अन्य भाषाओं के कर्णधारा की सहायता और सहयोग से जितना आगे बढ़ सकते हैं, उतना और किसी तरह नहीं बढ़ सकते। यो तो कई बैंगला और मराठी के विद्वान् हिन्दी में बराबर लिख रहे हैं और अनुमान किया जा सकता है कि हिन्दी का चेत्र सदैव फैलता जायगा, लेकिन ऐसी राष्ट्रीय साहित्य स्थिति के द्वारा हम इस प्रगति को आरं तेज कर सकते हैं।

अभी हमें बम्बई जाने का अवसर मिला था। वहाँ गुजरात के प्रमुख साहित्य-सेवियों से बातचीत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें मालूम हुआ कि वे ऐसी स्थिति के लिए कितने उत्सुक हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यह प्रस्ताव उन्हीं महानुभावों का था और हिन्दी-साहित्य

सम्मेलन के माननीय अविकारियों से अनुरोध करूँगा, कि वे इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करें। हिन्दा का प्रचार समस्त भारत में बढ़ रहा है। यदि साहित्य सम्मेलन ऐसी सन्था का आयाजन करे, तो मुझे विश्वास है कि अन्य भाषाओं के लेखक उसमा स्वागत करेंगे और हिन्दी का गौरव भी बढ़ेगा और विस्तार भी।

यह कौन नहीं जानत। कि भारत में प्रान्तीयता का भाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है, कि हरेक प्रान्त का साहित्य अलग है। यह आदान प्रदान और विचार-विनिमय ही है, जिसके द्वारा प्रान्तीयता के सघर्ष को रोका जा सकता है। राष्ट्रों का निर्माण उसके साहित्य के हाथ में है। यदि साहित्य प्रान्तीय है, तो उसके पढ़नेवालों में भी प्रान्तीयता अविक होगी। अगर सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य-सेवियों का वाष्पिक अधिवेशन होने लगे, तो सघर्ष की जगह सौम्य सहकारिता का भाव उत्पन्न होगा और यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि साहित्यों के सन्निकट हो जाने से प्रान्तों में भी सामीग्र्य हो जायगा। जिन विद्वानों का अभी हमने नाम ही सुना है, उन्हे हम प्रत्यक्ष देखेंगे, उनके विचार उनके श्रीमुख से सुनेंगे आर सत्सग से बहुत से भ्रम, बहुत सी सकीर्णताएँ आप ही आप शान्त हो जायेंगी। अन्यत्र हम पी० ई० एन० नामक विश्व साहित्य-संस्था का सक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं। जब बड़ी बड़ी उन्नत भाषाओं को ऐसी एक संस्था की जरूरत मालूम होती है, तो क्या भारत की प्रान्तीय भाषाओं का एक केन्द्रीय संस्था से सम्बद्ध हो जाना आवश्यक नहीं है? भारत की आत्मा, अभिव्यक्ति के लिए अपने साहित्यकारों की आर देख रही है। दार्शनिक उसके विचारों को प्रकट कर सकता है, वैज्ञानिक उसके ज्ञान की वृद्धि फर सकता है, उसकी मर्म, उसकी वेदना, उसका आनन्द, उसकी अभिलाषा, उसकी महत्वाकाङ्क्षा ता साहित्य ही की वस्तु है और वह महान शक्ति प्रान्तीय सीमाओं के अन्दर जकड़ी पड़ी है। बाहर की ताजा हवा और प्रकाश से वह चित है और यह बन्धन उसके विकास और वृद्धि में

बाधक हो रहा है। सुष्टि-धाराएँ अपने एकान्त पथ पर चलकर सकीर्ण और प्रग्राह शृद्धि हो गई हैं। इन धाराओं को समन्वित करके हम उनमें प्रवाह और प्रगति उत्पन्न कर सकते हैं। और यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नैसर्गिक कर्तव्य है।



## २ : भारतीय साहित्य-परिषद्

आज से कई साल पहले हमारे मन में जो एक साहित्यिक कल्पना उठी थी, वह चौबीस एप्रिल को भारतीय साहित्य-परिषद् के रूप में मूर्तिमान हो गई। विचार यह था कि हिन्दुस्तान में जहाँ सस्फुटि के अन्य सभी अण्ठों की अपनी-अपनी अलग आँल इडिया सस्थाएँ हैं, वहाँ साहित्य की कोई ऐसी सस्था नहीं, हालों कि साहित्य किसी राष्ट्र की तहजीब का सबसे बलवान् अग है। कोई ऐसा प्लेटफार्म तो होना ही चाहिए जिस पर हिन्दुस्तान के हरेक साहित्य के जाने माने लोग मिलकर आपस में समाज और साहित्य के अनेक प्रश्नों पर अपने विचारों का तबादला कर सके, एक दूसरे के समर्क से उनमें मित्रता और एकता का भाव मजबूत हो, उनकी नजर फैले, और वह साहित्यिक और मानसिक प्रान्तीयता, जो रोज बढ़ती जा रही है, और जिससे कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने का डर है, मुनासिब हदों के अन्दर रहे। किसी हद तक स्पर्धा की तो जरूरत है। इसके बगैर जीवन में प्रगति नहीं आती, लेकिन जब यह स्पर्धा ईर्ष्या और सकीर्णता की सूत अख्लियार कर लेती है, तब वह समाज के लिए घातक हो जाती है। इस तरक्की करने वाले युग में नित्य नये मसले पैदा होते जा रहे हैं और साहित्यिकों को अपने लिए कोई ठीक रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा

है। साहित्य भी उसी जलवायु में पूरी तरह विकास पा सकता है, जब उसमें आदान-प्रदान होता रहे, उसे चारा तरफ से हवा और रोशनी आजादी के साथ मिलती रहे। प्रान्तीय चारदीवारी के अन्दर साहित्य का जीवन भी पीला मुर्दा और बे जान हांकर रह जायगा। यही चिचार थे, जिन्हें हमें इस परिषद् की बुनियाद डालने को आमादा किया, और यद्यपि अभी हमें वह कामयाबी नहीं हुई है जिसकी हमने कल्पना की थी पर आशा है कि एक दिन यह परिषद् सच्चे अर्थ में हिन्दुस्तान का साहित्यिक परिषद् बन जायगा। इस साल तो प्रान्तीय परिपदों से बहुत कम लोग आये थे। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमें जल्दी से काम लेना पड़ा। हम पहले से अपना कार्यक्रम निश्चित न कर सके, प्रान्तीय साहित्यकारों को काफी समय पहले कर्डि सूचना न दी जा सकी। महात्माजी की बीमारी के कारण दो बार तारीखे बदलनी पड़ी। इतने थाडे समय में जो कुछ हुआ, वहां गनीमत है। हमें गव है कि परिषद् की बुनियाद महात्माजी के हाथा पड़ी। अपने जीवन के अन्य विभागों की भाँति साहित्य में भी, जिसका जीवन से गहरा सम्बन्ध है, उन्हाने लोकवाद का समावेश किया है और गुजराती साहित्य में एक खास शैली और स्कूल के आविष्कारक है। आपने बहुत ठीक कहा फि—

‘मेरी दृष्टि में तो साहित्य की कुछ सीमा मर्यादा होनी चाहिए। मुझे पुस्तकों की सख्ता बढ़ाने का मोह कभी नहीं रहा है। प्रत्येक प्रान्त की भाषा में लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तक का परिचय दूसरी सब भाषाओं में हाना मैं आवश्यक नहीं मानता। ऐसा प्रयत्न यदि सभव भी हो, तो उसे मैं हानिकर समझता हूँ। जो साहित्य एकता का, नीति का, शौर्यादि गुणों का, विज्ञान का पोषक है उसका प्रचार प्रत्येक भूमन्त में होना आवश्यक और लाभदायक है। भारतीय परिषद् का यहां उद्देश्य हाना चाहिए कि प्रान्तीय भाषाओं में जो कुछ ऊँचा उठाने वाला, जीवन देनेवाला, बुद्धि और आत्मा का परिष्कार करने वाला अश है—उसी का हिन्दुस्तानी द्वारा दूसरी भाषाओं को परिचय कराया जाय।’

कुछ लोगों को एतराज है कि महात्माजी ने अपने भाषण में शृङ्खार रस का वहिकार कर दिया है और उस निकृष्ट कहा है। यह ग्रम इसलिए हुआ है कि 'शृङ्खार' का आशय समझने में भेद है। शृङ्खार अगर सौदर्य भोग को दृढ़ करता है, हममें ऊचे भावों को जाग्रत करता है तो उसमा वहिकार कौन करेगा। महात्माजी ने वहिकार तो उस शृङ्खार साहित्य का किया है जो अश्लाल है। एक दल साहित्यकारों का ऐसा भी है, जो साहित्य को श्लील अश्लील के बन्धन से मुक्त समझता है। वह कालिदास और वाल्मीकि की रचनाओं से अश्लील शृङ्खार की नज़ीरे देकर अश्लीलता की सफाई देता है। अगर कालिदास या वाल्मीकि या और किसी नये या पुराने साहित्यकार ने अश्लील शृङ्खार रचा है, तो उसने सुखनि और सौदर्य भावना की हत्या की है। जो रचना हमें कुरुचि की आर ले जाय, कामुकता को प्रोत्साहन दे, समाज में गदगी फैलाये, वह त्याज्य है, चाहे किसी की भी हा। साहित्य का काम समाज और व्यक्ति का ऊचा उठाना है, उस नीचे गिराना नहीं। महात्माजी ने खुद इन शब्दों में उसका व्याख्या की है।

'आजकल शृङ्खारयुक्त अश्लील साहित्य को बाढ़ सब प्रान्तों में आ रही है। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि एक शृङ्खार को छोड़कर और कोई रस है ही नहीं। शृङ्खार रस को बढ़ाने के कारण ऐसे सज्जन दूसरों को 'त्यारी' कहकर उनकी उपेक्षा और उपहास करते हैं। जो सब चाँजों का त्याग कर बैठते हैं, वे भी रस का ना त्याग नहीं कर पाते। किसी-न-किसी प्रकार के रस से हम सब भरे हैं। दादाभाई ने देश के लिए सब कुछ छोड़ा था, वे तो बड़े रसिक थे। देश-सेवा ही उन्होंने अपना रस बना रखा था।'

हर एक समाज की जरूरते अलग अलग हुआ करती हैं, उसी तरह जैसे हर एक मनुष्य को अलग अलग भोजन की जरूरत होती है। एक बलवान्, स्वस्थ आदमी का भाजन अगर आप एक जीर्ण रोगी को सिला दें, तो वह ससार से प्रस्थान कर जायगा। उसी तरह एक रोगी

का भोजन आप एक स्वस्थ ग्रादमी को खिला दें, तो शायद थोड़े दिनों में वह खुद रोगी हो जाय। इगलैंड या फ्रास समृद्धि के ऊचे शिखर पर पहुँच गये हैं, वे अगर शाराव और नाच और कामुकता में मरन हो जायें, तो उनके लिए विशेष चिन्ता की बात नहीं। उनक राष्ट्र देह में इन विषों को पचाने की ताकत है। हिन्दुस्तान जो गुलामी के जीरो में जकड़ा हुआ एड़ियों रगड़ रहा है, उसके लिए वह सभी चीजें त्याज्य और निषिद्ध हैं जिनसे जीवन-शक्ति क्षीण होती है, जिनसे सबम-शक्ति का ह्रास होता है। जो आँख केवल नगन चित्र ही में सौदर्य देखती है, और जो रुचि केवल रति वर्णन या नगन विलास में ही कवित्व का सबसे ऊँचा विकास देखती है, उसके स्वस्थ होने में हमें सदेह है। यह 'सुन्दर' का आशय न समझने की वरकत है। जो लोग दुनिया को अपनी मुट्ठी में बन्द किये हुए हैं, उन्हें दिमागी ऐयाशी का अधिकार हो सकता है। पर जहाँ फारा है और नगनता है और पराधीनता है, वहाँ का साहित्य अगर नगी कामुकता और निर्लज्ज रति वर्णन पर मुर्गध है, तो उसका यही आशय है कि अभी उसका प्रायश्चित्त पूरा नहीं हुआ, और शायद दो चार सदियों तक उसे गुलामी में और बसर करनी पड़ेगी।

भारतीय परिषद् के स्वागताध्यक्ष आचार्य काका कालेलकर न्या भाषण विद्वत्ता-पूर्ण है और इस उद्योग के सभी पहलुओं पर आपने काफी विचार किया है। आपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण की चर्चा करते हुए साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता को देश का महारोग, बतलाया, और साहित्य में इन गलत प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नियन्त्रण की जरूरत बतलाई। आपने इस प्रयास की कठिनाई का अनुमान करते हुए कहा—

'साहित्य को पकड़कर रखना मुश्किल है, बौध रखना अशक्य है। उसे कायदे के बन्धन में कम-से-कम बौधना चाहिए। सदाचार और सुरुचि के प्रणेता शिष्ट पुरुषों का अकुशा साहित्य के लिए अच्छा है।' लेकिन इसके साथ ही आप यह चेतावनी भी देते हैं—

‘वर्मचार्य तो जीवन की वास्तविकता से कोसो दूर है। वे तो भूतकाल के आदशों को भी नहीं समझते। प्राचीन आदर्श पर जो जग चढ़ा है, उसी को वे धर्म का रहस्य मान बैठे हैं।’

‘यह नियत्रण तभी सफल हो सकेगा जब वह साहित्य की आत्मा से निकलेगा, जब भारतीय परिपद् पूर्ण रूप से विकसित होकर इस योग्य होगा कि संस्कृति के ऐसे महान् अग्र को फ़्लुषित प्रवृत्तियों से बचाये। इसी तरह अनेक प्रश्नों पर परिपद् साहित्य समाज की हित साधना करता रहेगा।’

आपने भी महात्माजी के इस कथन का समर्थन किया कि हमारे साहित्य का आदर्श जन सेवा होना चाहिए—

‘जो साहित्य केवल विलासिता का ही आदर्श अपने सामने रखता है, उसके सगठन करने की आवश्यकता ही क्या? हम तो जन सेवा के लिए ही साहित्य की सेवा करने में प्रवृत्त हुए हैं। भाषा जन सेवा का कीमती साधन है। इसीलिए हम उसका महत्व मानते हैं। राष्ट्रीय एकता के बिना, संस्कृति विनिमय के बिना, लोक जीवन प्रसन्न, पुरुषार्थी और परिपूर्ण नहीं हो सकता है।’

परिपद् के स्वीकृत प्रस्तावों में एक प्रस्ताव इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रक्खा गया था—

अ ) जो साहित्य जीवन के उच्च आदशों का विरोधी हो, सुरुचि को बिगड़ा हो, अथवा साम्प्रदायिक सद्व्यावना में बाधा डालता हो, ऐसे साहित्य को यह परिपद् हरिगिज प्रोत्साहित न करेगा।

आ ) लोक-जीवन के जीवित और प्रत्यक्ष सवालों को हल करने-बाले साहित्य के निर्माण को यह परिपद् प्रोत्साहन देगा।

परिपद् का अभी कोई विधान नहीं बन पाया है। उसके सचालन के लिए एक कमेटी बन गई है, और वही उसका विधान भी बनायेगी, और उसके कार्यक्रम का निश्चय भी करेगी। हमारी अभिलाषा है कि यह संस्था शुद्ध साहित्यिक संस्था झो, ताकि वह हिन्दुस्तान की साहित्यिक

एकाडेमी का पद ले सके। उसमे फिसी सम्मेलन या भाषा को प्रधानता देना उसके लिए धातक होगा। उसे किसी भी प्रान्तीय परिषद् के अतर्गत न होकर पूर्ण स्वतन्त्र होना चाहिए। प्रान्तीय परिपदों को उसके लिए मेघरों को चुनने का अधिकार हागा और उन्हे चाहिए कि ऐसे ही महानुभाव का उसमे भेजे जिन्होंने अपनी साहित्य सेवा और लगन से वह अधिकार प्राप्त कर लिया है। अगर वहाँ भी गिराहवन्दी हुई, तो परिषद् की उपयोगिता गायब हो जायगी। यहाँ सम्मान और अधिकार बॉटने का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो ऐसे साहित्य सेवियों की जल्लरत है, जो हमारे साहित्य को ऊँचा उठा सके, उसमे प्रगति ला सके, उसमे सार्वजनिकता पैदा कर सके। महात्माजी ने इस विषय मे जो सलाह दी है, वह हमे हृदयगम कर लेनी होगी—

‘हमे अब सोच लेना है कि साहित्य सम्मेलन के कार्य और भारतीय-परिषद् के कार्य मे कुछ अतिव्याप्ति है या नहीं। साहित्य-सम्मेलन का कर्तव्य अन्य साहित्यों का सगठन करना नहीं है। उसका कर्तव्य तो हिन्दी-भाषा की सेवा करना है और हिन्दी का देश मे प्रचार बढ़ाना है। इस परिषद् का उद्देश्य हिन्दी भाषा की सेवा करना नह है। इसका उद्देश्य तो अन्य साहित्यों के रत्न इकडे करके उसे देश के आम वर्ग के सामने रखना है।’

इस वक्त भी कई प्रान्तों को परिषद् के नेक इरादो मे विश्वास नहीं है। उनका ख्याल है, कि हिन्दी वालो ने उन पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए यह नया स्वाग रचा है। उनके दिल से यह सन्देह मिटाना होगा और तभी वे उसमे शरीक होगे और परिषद् वास्तव मे हिन्दुस्तान के साहित्य परिषद् का गोरव पा सकेगा।

### ३ : भारतीय साहित्य परिषद् की अस्ल हकीकत

हैदराबाद के रिसाला 'उदू' मे मौलाना अब्दुल हक साहब ने भारतीय साहित्य परिषद् के जलसे का सचित्र हाल लिखते हुए कुछ ऐसी वार्ते लिखी है जो हमारे ख्याल मे गलतफहमी के कारण पैदा हुई हैं, और उन शकाओं के रहते हुए हमे भय है कि कही परिषद् जो उदू के सहयोग से हाथ न धोना पड़े। इसलिए जरूरी मालूम होता है कि उस विषय पर हम अपने विचार प्रकट करके उन शकाओं को मिटाने की चेष्टा करे। भारतीय साहित्य परिषद् ने जब हिन्दुस्तान के सभी साहित्यों के अतिनिधियों को निमन्त्रित किया, तो इसीलिए कि इस साहित्यिक उद्योग मे हम सब राजनैतिक मतभेदों को भूल कर शारीक हों, और कम से कम साहित्य के क्षेत्र मे तो एकता का अनुभव कर सकें। अगर परिषद् के बानियों का उद्देश्य इस बहाने से ऊबल हिन्दी का प्रचार करना होता, तो उसे सभी साहित्यों को नेवता देने की कोई जरूरत न थी। हिन्दी-प्रचार का काम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा के जरिये हो रहा है। उस काम के लिए एक नया परिषद् ही क्या बनाया जाता। हमारे सामने यही, और एक मात्र यही उद्देश्य था कि हिन्दुस्तान मे कोई ऐसी सस्था बनाई जाय जिसमे सभी भाषाओं के साहित्यकार आपस मे मिलें, साहित्य और समाज न नये नये जटिल प्रश्नों पर विचार करें, साहित्य की नई विचारधाराओं की आलोचना करें, और इस तरह उनमे एक विशाल विरादरी के अङ्ग हाने की भावना जागे, उनमे आत्म विश्वास पैदा हो, उन्हे दूसरे साहित्यों का ज्ञान हो और अपने साहित्य में जो कभी नजर आये, उस पूरा कराने की प्रेरणा मिले। यह सभी मानते हैं कि अगर हिन्दुस्तान का जिनदा रहना है, तो वह एक राष्ट्र के रूप मे ही जिन्दा रह सकता है, एक राष्ट्र बनकर ही वह सभार की सकृति में अपने स्थान की रक्षा कर सकता है, अपने खोये हुए गौरव

का पा सकता है। अलग-अलग राष्ट्रों के रूप में तो उसकी दशा फिर वही हो जायगी, जो मुसलमानों आर उसके बाद अँग्रेजों के आने के समय थी। हममे से कोई भी यह नहीं चाहता कि हमारे प्रान्तीय भेद भाव फिर वही रूप धारणा करें कि जब एक प्रातःशत्रु के पैरों के नावे पड़ हों, तो उसरा प्रान्त ईर्ष्याभिश्रित हर्ष के साथ दूर से बैठा तमाशा देखता रहे। यह कहने में हमें कोई सकोच नहीं है कि अँग्रेजों के आने के पहले हममे राष्ट्रीय भावना का नाम भी न था। यह सच है कि उस वक्त राष्ट्र-भावना इतनी प्रवल और विकसित न हुई थी, जितनी आज है, फिर भी यूरोप में इस भावना का उदय हा गया था। उदय ही नहीं हा गया था, प्रखर भी हो गया था। अँग्रेजों की सगठित राष्ट्रीयता के समने हिन्दुस्तान की असगठित, विखरी हुई जनता को परास्त होना पड़ा। इसमे सन्देह नहीं कि उस वक्त भी हिन्दुस्तान मे सास्कृतिक एकता किसी हद तक मौजूद थी, मगर वह एकता कुछ उसी तरह की थी, जैसी आज यूरोप के राष्ट्रों में पाई जाती है। वेदा आर शास्त्रों को सभी मानते थे, जैसे आज बाइबल को सारा यूरोप मानता है। राम और कृष्ण और शिव क सभी उपासक थे, जैसे सारा यूरोप ईसा और अनेक महात्माओं का उपासक है। कालिदास, वाल्मीकि, भवभूति आदि का आनन्द सभी उठाते थे, जैसे सारा यूरोप हामर और वर्जिल या प्लेटो और अरस्टू का आनन्द उठाता है। पर भी उनमे राष्ट्रीय एकता न थी। यह एकता अँग्रेजी-राज्य का दान है और जहाँ अँग्रेजी राज्य ने 'देश का बहुत कुछ अहित किया है, वहाँ एक बहुत बड़ा हित भी किया है, यानी हममे राष्ट्रीय भावना पैदा कर दी। अब यह हमारा काम है कि इस मोके से फायदा उठाये और उस भावना को इतना सजीव, इतना धनिष्ठ बना दे कि वह किसी आपात से भी हिल न सके। प्रान्तीयता का मर्ज फिर जार पकड़न लगा है। उसके साफ साफ् लक्षण दिखाइ देने लगे हैं। इन दो सदियों की गुलामी मे हमने जो सबक सीखा था, वह हम अभी से भूलने लग है, हालोंकि गुलामी अभी ज्यो-

की त्यो कायम है। अनुमान कह रहा है कि प्राविशल आटोनोमी मिलते ही प्रान्तीयता और भी जोर पड़ेगी, प्रान्तों में द्वेष बढ़ेगा, और यह राष्ट्र भावना कमज़ोर पड़ जायगी। भारतीय परिषद् का उद्देश्य जहाँ साहित्यिक सगठन, सच्चे साहित्यिक आदर्शों का प्रचार और साहित्यिक सहयोग था, वहाँ एक उद्देश्य यह भी था कि उस सगठन और सहयोग के द्वारा हमारी राष्ट्र भावना भी बलवान् हो। हमारा यह मनोभाव कभी न था कि इस उद्योग से हम प्रान्तीय साहित्यों की उन्नति और विकास में बाधा ढाले। जब हमारी मातृभषाएँ अलग हैं, तो साहित्य भी अलग रहेगे। अगर एक एक प्रान्त रहकर हम अपना अस्तित्व बनाये रह सकत, तो हमें इस तरह के उद्योग की जरूरत ही न होती, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा भविष्य, राष्ट्रीय एकता के हाथ है। उसी पर हमारी जिंदगी और मोत का दारमदार है। और राष्ट्रीय एकता के कई अगों में भाषा और साहित्य की एकता भी है। इसलिए साहित्यिक एकता के विचार के साथ एक भाषा का प्रश्न भी अनायास ही बिना बुलाये मेहमान की तरह आ खड़ा होता है। भाषा के साथ लिपि का प्रश्न भी आ ही जाता है। और परिषद् के इस जलसे में भी ये दोनों प्रश्न आ गये।

झगड़ा हुआ भाषा पर, यानी साहित्य-परिषद् भाषा के किस रूप का आश्रय ले। 'हिन्दी' शब्द से उदूँ को उतनी ही चिढ़ है जितनी 'उदूँ' से हिन्दा को है। और यह भेद बेवल नाम का नहीं है। हिन्दी जिस रूप में लिखी जा रही है, उसमें स्वकृत के शब्द बेतकल्पुक आते हैं। उदूँ जिस रूप में लिखी जाती है उसमें फारसी और अरबी के शब्द बेतकल्पुक आते हैं। इन दोनों का बिचला रूप हिन्दुस्तानी है, जिसका दावा है कि वह साधारण बोल-चाल की जबान है, जिसमें किसी भाषा के शब्दों का त्याग नहीं किया जाता, अगर वह बोल-चाल में आते हैं। हिन्दी को 'हिन्दुस्तानी' चाहे उतना प्रिय न हो, पर उदूँ को 'हिन्दुस्तानी' के स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि उसे वह अपनी परिचित-सी लगती है। मगर परिषद् ने 'हिन्दुस्तानी' को अपना माध्यम बनाना न

स्वीकार करके 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' को स्वीकार किया। उदूवानों को 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' का मतलब समझ ने न आया, शायद वह समझे कि हिन्दी हिन्दुस्तानी केवल हिन्दी का हा दूसरा नाम है। यही उन्हें भ्रम हुआ कि शायद हिन्दुस्तानी के साथ हिन्दी को जाइकर उदू' के साथ अन्याय हो रहा है। इसी बदगुमानी में पड़कर मौलाना अब्दुल हक साहब के कलम से ये शब्द निकले हैं—

'एक दिन वह या कि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तानी यानी उदू' जवान और फारसी हरूके में अपने दस्तेखास से हकीम अनमनखोर्खा का खन लिखा था और आज वह वक्त आ गया है कि उदू तो उदू', वह तनहा 'हिन्दुस्तानी' का लफज भी लिखना और सुनना पसन्द नहीं करते। उन्होंने अपनी गुफतगू में एक बार नहीं मई बार फरमाया कि अगर रेजाल्यूशन में तनहा 'हिन्दुस्तानी' का लफज रखा गया तो उसका मतलब उदू' समझा जायगा लेकिन उनका नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशन में तनहा हिन्दुस्तानी का लफज रखते हुए यह खयाल न आया। आखिर इसकी क्या वजह है? कौन से ऐसे अस्वाच पैदा हो गये हैं जो इस हैरताग्रेज इन्क्लाव के बाइस हुए। गोर करने के बाद मालूम हुआ कि इस तमाम तगैयुर व तबद्दुल, जोड़ तोड़, दोव पेंच का बाइस हमारे मुल्क का बदनसीब पालिटिक्स है। जब तक महात्मा गांधी और उनके रफका (सहकारियो) को यह तबक्का (आशा) थी कि मुसल मानो से कोई सियासी (राजनैतिक) समझौता हो जायगा, उस वक्त तक, वह हिन्दुस्तानी-हिन्दुस्तानी उपकरते रहे, जो थपककर सुलाने के लिये अच्छी खासी लोरी थी, लेकिन जब उन्हे इसकी तबक्का न रही, या उन्होंने ऐसे समझौते की जरूरत न समझी, तो रिया (फरेव) की चादर उतार फेंकी और असली रग में नजर आने लगे। वह शौक से हिन्दी का प्रचार करे। वह हिन्दी नहीं छोड़ सकते ता हम भी उदू' नहीं छोड़ सकते। उनको अगर अपने बसीश जराए और बसायल (विशाल साधनो) पर घमड है, तो हम भी कुछ ऐसे हेठे नहीं हैं।'

हमें मौलाना अब्दुल हक जैसे वयोवृद्ध, विचारशील और नीति चतुर बुजुर्ग के कलम से ये शब्द देखकर दुख हुआ। जिस सभा में वह बैठे हुए थे, उसमें हिन्दीवालों की कसरत थी। उर्दू के प्रतिनिधि तीन से ज्यादा न थे। फिर भी जब 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' और अचेले हिन्दुस्तानी पर बोट लिये गये तो 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में आधा से कुछ ही कम रायें आईं। अगर मेरी याद गलती नहीं कर रही है तो शायद पन्द्रह और पचीस का बटवारा था। एक हिन्दी-प्रधान जलसे में जहाँ उर्दू के प्रतिनिधि कुल तीन हों, पन्द्रह रायों का हिन्दुस्तानी के पक्ष में मिल जाना हार होने पर भी जीत ही है। बहुत सभव है कि दूसरे जलसे में हिन्दुस्तानी का पक्ष और मजबूत हो जाता। और जो हिन्दुस्तानी अभी व्यवहार में नहीं आई, उसके और ज्यादा हिमायती नहीं निकले तो कोई ताज्जुत नहीं। जो लोग 'हिन्दुस्तानी' का बकालतनामा लिये हुए हैं, और उनमें एक इन पक्षियों का लेखक भी है, वह भी अभी तक 'हिन्दुस्तानी' का कोई रूप नहीं खड़ा कर सके। केवल उसकी कल्पना मात्र कर सके हैं, यानी वह ऐसी भाषा हो, जो उर्दू और हिन्दी दोनों ही के संगम की सूरत में हो, जो सुधोम हो और आम बोल-चाल की हो। यह हम हिन्दुस्तानी हिमायतियों का कर्तव्य है कि मिलकर उसका प्रचार करें, उसे ऐसा रूप दें कि उर्दू और हिन्दी दोनों ही पक्षवाले उसे अपना लें। दिल्ली और लाहौर में हिन्दुस्तानी सभाएँ खुली हुई हैं। दूसरे शहरों में भी खोली जा सकती है। यह उनका कर्तव्य होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी के विकास और प्रचार का उद्योग करे। और अभी जो चीज सिर्फ कल्पना है, वह सत्य बनकर खड़ी हो जाय। हम मौलाना साहब से प्रार्थना करेंगे कि परिषद् से इतनी जल्द बड़ी-बड़ी आशाएँ न रखें और नीयतों पर शुब्बहा न करें। मुमकिन है आज जो बात मुश्किल नजर आ रही है, वह साल-दो-साल में आसान हो जाय। केवल तीन उर्दू पक्षवालों की मौजूदगी का ही यह नतीजा था कि परिषद्

ने अपने रेजोल्यूशनों की भाषा में तरमीम स्वीकार की। अभी से निराश होकर वह परिषद् का जीवन खतरे में न डाले।



## ४ : प्रान्तीय साहित्य की एकता

आज 'हस' भारत के समस्त साहित्यों का मुख्यपत्र बनने की इच्छा से एक नई विशाल भावना को लेकर अवतारण हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों की साहित्य समृद्धि को गष्ट्रवाणी हिन्दी के द्वारा सारे भारत के आगे उपस्थित करना।

राष्ट्र, वस्तु नहीं वह एक भावना है। करोड़ों स्थी पुरुषों की सकलयुक्त इच्छा पर इस भावना के रचना हुई है। आज अगणित भारतवासी अपने आचार और विचार में इसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। सारा हिन्द एक और अविभाज्य है।

यह भावना, कई तरह से, कई रूपों में प्रकट है। अग्रेजी पढ़े लिखे लोग अग्रेजी भाषा के द्वारा इस भावना को जाहिर करते हैं, दूसरे अनेक अपनी अपनी मातृभाषा में प्रयत्न एक ही दिशा में अनेकों हो रहे हैं। वे राष्ट्रभाषा और साहित्य के बिना एकरूप नहीं हो सकते।

अब हिन्दी, राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वजनमान्य हो चुकी है। महात्मा गान्धी जैसे राष्ट्र विधाता इसे जीवित राष्ट्रभाषा बनाने का ब्रत ले चुके हैं। परन्तु यह भाषा सिर्फ बगहार की, आपस के बालचाल की ही नहीं, साहित्य की भी हानी चाहिए। सास्कारिक विनिमय तथा सौन्दर्य दर्शन में भी उसका उपयोग होना चाहिए। यदि भारत एक और अविभाज्य हो, तो इसका सस्कार-विनिमय और सौन्दर्य-दर्शन एक ही भाषा में और परस्परावलम्बी साहित्य-प्रवाह द्वारा करना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रभाषा कोई भी हो, उसमें हमें प्रत्येक देश भाषा के

तत्वों का बल पहुँचाना होगा। भारतीय साहित्य वही है, जिसमें प्रान्त प्रान्त की साहित्य समृद्धि का सर्वोग सुन्दर सार-तत्व हो। अपने राष्ट्र की आत्मा का साहित्य द्वारा सबको दर्शन होना चाहिए। ये ही विचार हमारे इस प्रयत्न के प्रेरणा रूप हैं।

देश के सभी प्रान्तों के साहित्य में आनंदरिक एकता भरी हुई है। साहित्यिक रचनाएँ चाहे जिस भाषा में लिखी गई हों, वे एक सूत्र में पिरोई हुड़ हैं। यह सूत्र कोई नया नहीं, परम्परा से चला आ रहा है। हर एक साहित्य में भगवान व्यास कृष्ण द्वैपायन की प्रेरणा है। रामायण के अप्रतिम सौन्दर्य का प्रतिविम्ब उसमें भलकता है। पुराणों की प्रतिध्वनियों युग युग के साहित्य में गैंजती है। सस्कृत साहित्य के निर्माताओं की ज्याति ने प्रत्येक प्रान्त के साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया है। अपने कथा साहित्य ने भी एकसूत्र रूप हो हरेक प्रान्त के साहित्य को एक अखला में बॉब लिया है। जातक का कथाएँ किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रान्तीय साहित्य में मिलती है। गुणाढ्य की बृहत्कथा और पचतन्त्र के अनुवाद सभी प्रान्तों में प्रेम से व्रपनाये गये हैं। यह अपनी लोक कथाये इस देश की स्वयंभू और जीवन साहित्य है और इसका मूल तत्व इस देश की, यहाँ की प्रजा की समान स्तरकारी कल्पना में है।

पिछले काल में भगवत् धर्म और भगवद्भक्ति ने हर एक प्रान्त के साहित्य को पुनर्जन्म दिया है। विद्यापति और चडीदास, सूर और तुलसी, नरसी, मीरा और कबीर, ज्ञानदेव और साधु तुकाराम, आलावार और और आचार्यों के पद शक्तर, रामानुज, मध्व, बल्लभ और चैतन्य, के प्रभावशाली सिद्धान्त एक ओर से भारत की सास्कारिक एकता का ख्याल कराते हैं और दूसरी तरफ समस्त भारत के स्तरकारों को एक रूप बनाते हैं।

और मुस्लिम राज्य काल में हिन्दू मुस्लिम स्तरकारों के विनिमय का असर किस प्रान्त पर नहीं पड़ा? अगर सगीत में मुसलमानों ने हिन्दुओं की शब्दावली और रस को अपनाया, तो नीति और राजकीय विषयों में

मुसलमानों की शब्दावली का यहों प्रचार हुआ। दोनों ने मिलकर हिन्दुस्तानी भाषा की सुषिट की, जो आज हमारी राष्ट्रभाषा है और हिन्दुस्तानी का आदि कवि खुसरो था, जो बलबन का समकालीन था। उसकी पहेलियाँ और मुकरियों और पद आज तक हिन्दी भाषा की सम्पत्ति हैं और इस ज्ञेत्र में अब तक कोई उसका जोड़ पैदा नहीं हुआ। सदियों तक सास्कृतिक आदान प्रदान होता रहा। हिन्दू कवि फारसी और उसके बाद उर्दू में कविता करते थे और मुसलमान कवि हिन्दी में। जिन मुसलमान कवियों ने हिन्दी में पत्र रखे, और हिन्दी पत्र ग्रन्थों की टीकाएँ कीं, उन पर आज भी हिन्दी को गर्व है। जायसी की पद्मावत तो हिन्दी भाषा का आज भी गौरव है और सूफी कवियों ने तो मतों और पन्थों के बन्धन को तोड़कर प्रेम और एकता की जो धारा चलाई उससे कौन सी भाषा प्रभावित नहीं हुई? कई सदियों के सर्सर्ग से हमारी सस्कृति ने जो रूप धारण कर लिया है, उसमें किन जन समूहों का क्या अश है, उसका निर्णय करना आज असम्भव है।

अँग्रेजों के आने के बाद साहित्य के आदर्श अँग्रेजों साहित्य के। आधार पर नये साचे में ढले। निवन्ध, उपन्यास, गल्प, नाटक और कविता की समृद्धि स्स्कृत साहित्य के बाण, माघ और कालिदास से आई है, पर उनका स्वरूप, सूक्ष्मता और सरसता, इगलैंड में प्रचलित रोमान्टिसिज्म द्वारा निर्मित लेखक के हृदय से निकली हैं। और यह सब शेली, वर्डस्वर्थ, स्काट और लिटन की प्रेरणा से मिली हैं।

१९०४ ई० में बग भग के बाद जो ज्वलत राष्ट्रीयता का सचार हमारे जीवन में हुआ, उसका प्रतिबिम्ब प्रत्येक साहित्य में मिलता है। आज महात्मा गान्धी के लेखों और भाषणों की और उसी तरह कवीन्द्र रवीन्द्र की कृतियों की प्रेरणा हर एक एक साहित्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है।

भारतीय साहित्य में मौलिक एकता पहले भी थी और अब भी है, सिर्फ भाषा का परिधान हर प्रान्त में पृथक् पृथक् रहा। सारा साहित्य

एक ही स्थल पर एक ही भाषा द्वारा भारतीयों को मिलने लगे, तो जरूर यह एकता स्वरूप पाकर ढृढ़ बनेगी। एक ही जगह में और एक ही भाषा में समस्त प्रान्तों का साहित्य समृद्धि होने से प्रत्येक साहित्य को स्फूर्ति और वेग मिले बिना न रहेगे। कुछ लोगों को यह खौफ है कि इससे प्रान्तीय साहित्यों की खूब या सरसता चली जायगी। कई भाष्यों को इस प्रयत्न में प्रान्तीय गौरव के भग होने के लक्षण दीखते हैं, पर गहराई के साथ सोचें, तो यह भय बिना आवार का लगता है। प्रान्तीय साहित्य एक दूसरे के साथ बराबर की कतार में खड़े हुए एक दूसरे का माप करते रहे, और एक दूसरे के समर्पक से नये आदेश, नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति पाते रहे, क्या इससे किसी भी साहित्य को कोई आधात पहुँच सकता है? आज जो कई जगह हमारा साहित्य सकुचित होता हुआ दीख रहा है, वह प्रवाहित हो उठेगा। कालिदास, होमर, गेटे या शेली, ये मनुष्य मात्र को सरसता का पाठ सिखाते हैं। और जब तक हमारा प्रान्तीय साहित्य विशाल चेत्र में न विचरण करे, तब तक विश्व साहित्य में स्थान प्राप्त करने के लायक नहीं होगा। अतः इसमें सन्देह नहीं, इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप साहित्य सकुचित होने के बदले और भी अधिक रमणीयता तथा विशालता प्राप्त करेगा।

कुछ साहित्यकार कहते हैं, कि ये प्रयत्न हिन्दी में किसलिए? अग्रेजी में क्यों नहीं?

यह पूछोक प्रश्न, यह बेदगा सवाल, आज ई० स० १६३५ में भी पूछा जा सकता है, इससे हमें आश्चर्य और दुख होता है। इस देश में क्या इतनी शक्ति नहीं रही, और राष्ट्रभक्ति इतनी निस्सत्त्व हो गई है कि भारत को विदेशियों की भाषा द्वारा अपने प्राण व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़े। और अगर यह बात ठीक है, तो हमें लज्जा के मारे छूब मरना चाहिए। अग्रेजी सुन्दर भाषा है, उसके साहित्य में अमर सरसता समाई हुई है, उसकी प्रेरणा के सहारे हमारा बहुत सा आधुनिक साहित्य तिर्मित हुआ है, परन्तु यह भाषा कितने लोगों की समझ में

आती है ? इस भाषा में हम अपने भारतीय संस्कारों को किस रीति से दिखला सकते हैं ? अपनी देश भाषा से बघे हुए अपने संस्कारों को पर भाषा के बेढ़गे स्वरूप में किस प्रकार व्यक्त करें ?

हिन्दी कई प्रान्तीय भाषाओं की बड़ी बहन है। उर्दू के साथ इसका बहुत निकट सम्बन्ध है। कई करोड़ प्रजा हिन्दी में बोलती है, और उससे भी अधिक संख्या इसे समझ सकती है। आज इसे राष्ट्र सिंहासन पर राष्ट्र विधाताओं ने बिठाया है। इसे छोड़ हम क्या परभाषा में साहित्य का विनिमय करें ।

हिन्दी को छोड़कर दूसरी भाषा इस देश की हो नहीं सकती है। हमें इस बस्तु का भान, इस बात का विश्वास, जितनी जल्दी हो जाय, उतना ही इस देश का भार्योदय जल्दी नजदीक आ पहुँचेगा ।

हिन्दी में हर एक प्रान्त का साहित्य अवतीर्ण हो तो यह प्रयाग या । काशी की हिन्दी न होगी, इस हिन्दी में हर एक प्रान्त की विशेषताएँ अवश्य होगी। इसकी वाक्य रचना में विविधता आयेगी। इसके कोष, में अन्य अपरिचित भाषाओं के शब्द भी आकर जमा होंगे। ऐसी अनेक सामग्रियों में से नई राष्ट्रभाषा प्रकट होगी ।

ऐसी एक सर्वसामान्य भाषा के लिए मौलिक हिन्दी का ही उपयोग करना जरूरी है। थोड़े सरल शब्दों की यह एक भाषा बने, यह सर्वथा बाल्कीनीय है, परन्तु यह काम साहित्य क दृष्टि से उतना सहल नहीं, यह हम अच्छी तरह समझते हैं। आज हिन्दी में, बगला में, मराठी और गुजराती में, तेलुगू और मलयालम में, संस्कृत के अश प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। संस्कृत की समृद्धि और उसके माधुर्य की सहायता न होती, तो इन भाषाओं का विकास सम्भव नहीं था, अर्थात् उसकी समृद्धि और माधुर्य रखने और सरलता को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रश्न बहुत से साहित्यकारों के सामने उपस्थित हैं। वे इन कठिनाइयों को खूब जानते हैं, कि ये आसानी से हल होने वाली नहीं हैं। इससे भी बड़ा और महत्व का एक प्रश्न है। हिन्दू और मुसलमान। दोनों को समझ में आये, ऐसी

साहित्य की कौन सी भाषा है ? बाजार में, लकड़कर में, सामान्य व्यवहार में सरल हिन्दी, सरल उर्दू के नजदीक आ सकती है, परन्तु जहाँ साहित्यिक वाक्यगुटा, ऊर्ध्वाता, अर्थ सूचकान्या या अर्थगम्भीरता का सवाल आयेगा, वहाँ यह भाषा निकम्भी हो जाती है। वहाँ प्रत्येक लेखक अपनी प्यारी में से आवश्यक और अपेक्षित समृद्धि ले लेता है। इसमें निराशा के लिए जगह नहीं। दिनदूर मुसलमानों को एक साहित्य की भाषा पैदा कर छुटमारा पाना होगा। प्रत्येक पक्ष अपनी विशेषता खोकर या छोड़ कर आगे न बढ़े, दोनों पक्ष एक दूसरे की खूबियों ग्रना कर नई भाषा की सुषिटि कर सकेंगे।

इसके लिए जितना धीरज चाहिए, उतनी ही उदारता भी। ससार की बड़ी बड़ी वस्तुयें लम्बी मुहूर्त और भगीरथ प्रयत्नों के बाद ही बनती हैं।



### हिन्दी-साहित्य सम्मेलन

नागपुर में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की काफी धूम-धाम रही। मेहमानों के ठहरने का इन्तजाम ऐग्रिकल्चर-कालेज के होस्टल में किया गया था। आराम की सभी चीजें मौजूद थीं। भोजन भी किफात से और मुनासिब दामो मिलता था। सम्मेलन का पड़ाल भी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर था। मच पर तो शामियाना तना हुआ था पर श्रोताओं के लिए खुले में कर्श का प्रबन्ध था। लाउड स्पीकर भी लगा हुआ था। फाटक पर और सस्ते के दोनों तरफ बिजली के रगीन बल्ब लगा दिये गये थे। नेताओं का ऐसा जमघट सम्मेलन के किसी जलसे में शायद ही हुआ हो। महात्माजी, पडित जवाहरलालजी नेहरू, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, सरदार साहब श्रीराजगोपालाचार्य आदि प्रतिष्ठित नेताओं ने सम्मेलन को गौरव

प्रदान कर दिया था। चौबीस अप्रेल की शाम को पड़ाल में स्वागताध्यक्षजी का मुख्तसर पर समयानुकूल भाषण हुआ। पश्चात् सभापति ने अपना सदारती भाषण सुनाया। अब तक हमने सम्मेलन के जितने सदारती भाषण पढ़े, हमें अभने फानो से सुनने का केवल एक बार दिल्ली में अवसर मिला। उसमें दो-एक को छुआँकर सभी भाषणों का एक ढर्ण-सा निकला हुआ जान पड़ा। जो आया उसने हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति से आरम्भ किया और उसके ही विकास की लम्बी कथा पढ़ सुनाई। साहित्य की समस्याओं और धाराओं से उसे कोई मतलब नहीं। बाबू राजेन्द्र प्रसाद का भाषण विद्वत्ता पूर्ण भी था, आलोचनात्मक भी और व्यावहारिक भी। भाषा और साहित्य का ऐसा कोई पहलू नहीं, जिस पर आपने प्रकाश न डाला हा और मौलिक आदेश न दिया हा। भाषा के भडार को बढ़ाने के विषय में आपने जो सलाह दी, उससे किसी भी प्रगतिशील ग्रादमा को आपत्ति नहीं हा सकती। आपने बताया कि हिन्दी में अरबी और फारसी के जो शब्द आकर मिल गये हैं, उन्हे व्यवहार में लाना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों के विषय में आपका प्रस्ताव है कि यथासाध्य सभी प्रान्तीय भाषाओं में एक ही शब्द रखा जाय। प्रत्येक भाषा में अलग अलग शब्द गढ़ने में समय और श्रम लगाना बेकार है। आपने यह भी बताया कि गोव में ऐसे हजारों शब्द हैं, जिनको हमने साहित्यिक हिन्दी से बाद कर दिया है, हालोंकि वे अपने आशय का जितनी सफाई और निश्चयता से बताते हैं, वह सस्कृत से लिए हुये शब्दों में नहीं पाई जाती।

साहित्य के मर्म के विषय में भी आपके विचार इतने ऊचे और मान्य हैं। आपने सच्चे साहित्य की बात यो बताई—

‘सच्चे साहित्य का एक ही माप है। चाहे उसमें रस ‘कोई भी हो’ पर याद वह मानव जाति को ऊपर ले जाता हो, तो सच्चा साहित्य है, और यदि उसका प्रभाव इससे उल्टा पड़ता हो, तो चाहे जैसी भी सुन्दर और ललित भाषा में क्यों न हो, वह शास्त्र नहीं हो सकता।

इससे स्पष्ट है कि सच्चे साहित्य न निर्माण में वही सफल हो सकता है जिसने तपस्या और सयम से अपने का इस योग्य बनाया हो। इसके लिए एक प्रकार की दैवी शक्ति चाहिए, जो पूर्व संस्कार और इस जन्म की तपस्या और सयम का ही फल हो सकती है।'

साहित्य में सयम, साधना और अनुभूति का कितना महत्त्व है, इस पर जार दर्ते हुए आपने आगे चलकर कहा—

‘अनुभूति और मस्तिष्क-चमत्कार में उतना ही मेद है, जितना मधु के सुन्दर वर्णन में और उसके चलन में। इसलिए चाहे जिस प्रकार के ग्रथ क्या न लिखे जायें, यदि वह अनुभूति और जीवन से निकले हैं, तो उनकी कीमत है और उनमें आज और प्रभाव है। यदि वह केवल चमत्कार मात्र है, तो उन्हे केवल वागाडम्बर ही मानना चाहिए। इस कसौटी पर अपने आधुनिक साहित्य को कसा जाय, तो थाङे ही ‘ग्रन्थ खरे निकलेंगे। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास आज भी प्रिय हैं और करोड़ों के जीवन सुधार में प्रेरक होते हैं। उनके पदों में एक प्रकार का आनन्द है, जो दूसरा की रचनाओं में शीघ्र ही नहीं मिलता। इसलिए कविता और दूसरे साहित्य निर्माण करनेवालों से यही सविनय निवेदन है कि यह उनका धर्म है कि युग और समय के अनुसार सच्चे साहित्य का निर्माण करें। जातीय जीवन को भलक साहित्य में आनी चाहिए। हमारा भावनाओं और उमगों को साहित्य में प्रतिविम्बित होना चाहिए। हमारी उम्मीदें, अभिलाषाएँ और उच्चाकाञ्चाएँ साहित्य में प्रदर्शित होना चाहिए और उनका साहित्य से पुष्टि भी मिलनी चाहिए।’

इस भाषण का एक एक शब्द विचार और अनुकरण करने योग्य है। यही बाते हम भी वरावर कहत आये हैं, पर कहीं-कहीं उसका जवाब यही मिला है कि कला कला के लिए है, उसमें किसी प्रकार का उद्देश्य न होना चाहिए। आशा है वह सज्जन अब इस उत्तरदायित्वपूर्ण कथन को पढ़कर अपने विचारों में तरमाम करेंगे।

सम्मेलन में इतिहास-परिपद्, दर्शन परिषद् और विज्ञान परिषद् की भी आयोजना की गई थी, पर हमें एक खास जरूरत से २५ की शाम ही को चला आना पड़ा, और उन परिपदों का कोई रिपोर्ट भी नहीं मिल सका। यह सम्मेलन का काम था कि कम से कम पत्रा पत्रिकाओं के पास तो उनकी रिपोर्ट भेज देना। हमें साहित्य परिपद् के समाप्ति श्री बालकृष्णजी 'नवीन' का भाषण पढ़ने को मिला। उसमें जोर है, प्रवाह है, जाश है। कवि सम्मेलना की मोजदा हालत और उसके सुधार के विषय में श्रापने जो कुछ कहा, वह सर्वथा मानने योग्य है, पर जहाँ श्रापने के कला को उपरोगिता क बन्धन से आजाद कर दिया, वहीं आपसे हमारा मतभेद है। आखिर कवि किस लिए कविता करता है? क्या कवि भी श्यामा चिड़िया है, जो प्रकृतदत्त उल्लास में अपना माठा राग सुनने लगता है? ऐसा तो नहीं है। श्यामा जगल में भी गायेगा, कोई सुननेवाला है पा नहीं, इसकी उसे परवा नहीं, बल्कि जमघट में तो उसकी जगन बन्द हो जाती है। उसके पिंजरे पर कपड़े की मोटी तह लेपेटफ़र जब उसे एकान्त के भ्रम में डाला जाता है, तभी वह जमघट में चहरती है। कवि तो इसीलिए कविता करता है कि उसने जो अनुभूति पाई है, वह दूसरों का दे, उन्हे अपने दुख सुख में शरीक करे। ऐसा शायद ही काई पागल कवि होगा, जो निर्जनता में बैठकर अपनी कविता का आनन्द ले। कभी वह निर्जनता में भी अपनी कविता का आनन्द लेता है, इसमें सन्देह नहीं, पर इससे उसकी त्रुति नहीं हाता। वह तो अपनों अनुभूतियों को, अपनी व्यथाओं को लिखेगा, छपायेगा ग्रोंर सुनायेगा। दूसरों का उससे प्रभावित होते देखकर ही उसे उसकी सत्यता का विश्वास होता है। जब तक वह अपने रोने पर दूसरों को रुला न ले, उसे इसका सन्ताप ही कैसे होगा कि वह वहीं रोया, जहाँ उसे रोना चाहिए था। दूसरों का सुन कर अपनी भावनाओं और व्यथाओं की सत्यता जॉचने का यह नशा इनना जबरदस्त होता है कि वह अपनी अनुभूति न को मुवालगे के साथ प्रगत करता है, ताकि सुननेवालों पर

गहरा असर पडे। इसलिए यह कहना कि कविता का कुछ उद्देश्य ही नहीं होता और उसको उपयोगिता के बन्धन में बँधना गलती है, एक सारहीन वात है। कवि को देखना होगा कि वह जो दूसरों को रुला रहा है, या हँसा रहा है तो क्यों? मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, तो मैं क्यों दूसरों के सामने रोता और उनको रुलाता फिरू? इसीलिए कि विना दूसरों के सामने रोये दिल का बोझ हलका नहीं होता? नहीं। उसका उद्देश्य है, हमारी करण भावनाओं को उत्तेजित करना, हमारी मानवता को जगाना और यही उसकी उपयोगिता है। मगर हम तो कवि की सभी अनुभूतियों के कायल नहीं। अगर उसने अपनी प्रेयसी के नखशिख के बखान में वाणी का चमत्कार दिखाया है, तो हम देखेगे कि उसने किन भावों से प्रेरित होकर यह रचना की है। अगर उससे हमारे मनोभावों का परिष्कार होता है, हममें सौन्दर्य की भावना सजग होती है, तो उसकी रचना ठीक, वरना गलत।

---





## हंस के जन्म पर

‘हंस’ के लिए यह परम सौभाग्य की बात है, कि उसका जन्म ऐसे शुभ अवसर पर हुआ है, जब भारत में एक नए युग का आगमन हो रहा है, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों से निकलने के लिए तड़पने लगा है। इस निथि की यादगार एक दिन देश में कोई विशाल रूप धारण करेगी। बहुत छोटी छोटी, तुच्छ विजयों पर बड़ी बड़ी शानदार यादगारें बन चली हैं। इस महान् विजय की यादगार हम क्या और कैसे बनावेंगे, यह तो भविष्य की बात है पर यह विजय एक ऐसी विजय है, जिसकी नजीर ससार में नहीं मिल सकती और उसकी यादगार भी बैसी ही शानदार होगी। हम भी उस नये देवता की पूजा करने के लिये, उस विजय की यादगार कायम करने के लिये, अपना मिट्ठी का दीपक लेकर खड़े होते हैं। और हमारी विसात ही क्या है। शायद आप पूछें, सग्राम शुरू होते ही विजय का स्वभ देखने लगे। उसकी यादगार बनाने की भी सूझ गई। मगर स्वाधीनता केवल मन की एक वृत्ति है। इस वृत्ति का जागना ही स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार ने जन्म ही न लिया था। हमारी चेतना इतनी मद, शिथिल और निर्जीव हो गई थी कि उसमे ऐसी महान् कल्पना का आविर्भाव ही न हो सकता था, पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सुष्ठि कर दी। अब वह बढ़ेगा, फूले-फूले गा। अब से पहले हमने अपने उद्धार के जो उपाय सोचे, वह व्यर्थ सिद्ध हुए, हालोंकि उनके आरम्भ में भी सत्ताधारियों की ओर से ऐसा ही विरोध हुआ था। इसी भौति इस सग्राम

मेरी भी एक दिन हम विजयी होगे। वह दिन देर मेरे आयेगा या जल्द, यह हमारे पराक्रम, बुद्धि और साहस पर मुनहसर है। हों, हमारा यह वर्म है कि उस दिन को जल्द से जल्द लाने के लिये तपस्या करते रहे। वही 'हस' का व्येय होगा, और इसी व्येय के अनुकूल उसकी नीति होगी।

### हँस की नीति

कहते हैं, जब श्रीरामचंद्र समुद्र पर पुल बोध रहे थे, उस वह बक्त छोटे-छोटे पशु पक्षियों ने मिट्ठी ला लाकर समुद्र के पाटने मेरदद दी थी। इस समय देश मेरे उससे कहीं विकट सग्राम छिड़ा हुआ है। भारत ने शान्तिमय समर की भेरी बजा दी है। इस भी मानसरोवर की शान्ति छोड़कर, अपनी नन्हीं सी चोच मे चुटकी-भर मिट्ठी लिये हुए, समुद्र पाटने—आजादी के जग मेरोग देने—चला है। समुद्र का विस्तार देखकर उसकी हिम्मत छूट रही है, लेकिन सब शक्ति ने उसका दिल मजबूत कर दिया है। समुद्र पटने के पहले ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जायगी, या वह अन्ततक मैदान मे डटा रहेगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही जाने, पर हमे ऐसा विश्वास है कि हस की लगन इतनी कच्ची न होगी। यह तो हुई उसकी राजनीति। साहित्य और समाज मे वह उन गुणों का परिचय देगा, जो परम्परा ने उसे प्रदान कर दिये हैं।

### डोमिनियन और स्वराज्य

न डोमिनियन मौर्गे से मिलेगा, न स्वराज्य। जो शक्ति डोमिनियन छीनकर ले सकती है, वह स्वराज्य भी ले सकती है। इंग्लैण्ड के लिये दोनों समान है। डोमिनियन स्टेट्स मे गोलमेज-कान्फ्रेस का उलझावा है, इसलिये वह भारत को इस उलझावे मे डाल कर भारत पर बहुत दिनों तक राज्य कर सकता है। फिर उसमे किस्तों की गुजायश है और किस्तों की अवधि एक हजार वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। इसलिए इंग्लैण्ड का डोमिनियन स्टेट्स के नाम से न घबड़ाना समझ मे आता है। स्वराज्य मे किस्तों की गुजायश नहीं, न गोलमेज का उलझावा

है, इसलिए वह स्वराज्य के नाम से कानों पर हाथ रखता है। लेकिन हमारे ही भाइयों में इस प्रश्न पर क्यों मतभेद है, इसका रहस्य ग्रासानी से समझ में नहीं आता। वे इतने बेसमझ तो हैं नहीं कि इंग्लैण्ड की इस चाल को न समझने हो। अनुमान यहीं होता है कि इस चाल का समझकर भी वे डोमिनियन के पक्ष में हैं, तो इसका कुछ और आशय है। डोमिनियन पक्ष को गौर से देखिए, तो उसमें हमारे राजे महाराजे, हमारे जमीदार, हमारे धनी-मानी भाई ही ज्यादा नजर आते हैं। क्या इसका यह कारण है कि वे समझते हैं कि स्वराज्य की दशा में उन्हें बहुत कुछ दबकर रहना पड़ेगा? स्वराज्य में मजदूरों और किसानों का आवाज इतनी निर्वल न रहेगी? क्या यह लोग उस आवाज के भय से थरथरा रहे हैं? हमें तो ऐसा ही जान पड़ता है। वह अपने दिल में समझ रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा अग्रेजी शासन ही से हो सकती है। स्वराज्य कभी उन्हें गरीबों को कुचलने और उनका रक्त चूसने न देगा। डोमिनियम का अर्थ उनके लिये यहीं है कि दो चार गवर्नरियों दो चार बड़े बड़े पद, उन्हें और मिल जायेंगे। इनका डोमिनियन स्टेट्स इसके सिवा और कुछ नहीं है। ताल्लुकेदार और राजे इसी तरह गरीबों को चूसते चले जायेंगे। स्वराज्य गरीबों की आवाज है, डोमिनियन गरीबों की कमाई पर मोटे होनेवालों की। सम्भव है, अभी ग्रमीणों की आवाज कुछ दिन और गरीबों को दबाये रखते। गरीबों के सब्र का प्याला अब भर गया है। इंग्लैण्ड को अगर अपना रोजगार प्यारा है, अगर अपने मजदूरों की प्राण-रक्षा करनी है, तो उसे गरीबों की आवाज को ठुकराना नहीं चाहिए, वरना भारत के राजों और शिक्षित-समाज के ऊंचे ओहदेदारों के समाले उसका रोजगार न सँभलेगा। जब एक बार गरीब समझ जायेंगे कि इंग्लैण्ड उनका दुशमन है, तो फिर इंग्लैण्ड की सैरियत नहीं। इंग्लैण्ड अपनी सगठित शक्ति से उनका सगठित होना रोक सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं।

## युवकों का कर्तव्य

अब युवकों का क्या कर्तव्य है ? युवक नई दशाआ का प्रवर्त्तक हुआ करता है। ससार का इतिहास युवकों के साहस और शौर्य का इतिहास है। जिसके हृदय में जगानी का जोश है, यौवन की उमग है, जो अभी दुनिया के धक्के खान्खाकर हतोत्साह नहीं हुआ, जो अभी बाल बच्चों की फिक्र से आजाद है अगर वही हिम्मत छोड़कर बैठ रहेगा, तो मैदान में आयेगा कोन ? फिर, क्या उसका उदासीन होना इसाफ की बात है ? आखिर यह सग्राम किस लिए छिड़ा है ? कौन इससे ज्यादा फायदा उठावेगा ? कौन इस पौंछे के फल खावेगा ? बूढ़े चद दिनों के मेहमान हैं। जब युपर ही स्वराज्य का मुख भोगेगे, तो क्या यह इसाफ की बात होगी, कि वह दुवरे बैठे रहे। हम इसकी झलना भी नहीं कर सकते, कि वह गुलामी में खुश है और अपनी दशा का सुधारने की लगन उन्हे नहीं है। यौवन कहीं भी इतना बेजान नहीं हुआ रहता। तुम्हारी दशा देखकर ही नेताओं को स्वराज्य की फिक्र हुई है। वह देख रहे हैं कि तुम जी तोड़कर डिग्रियाँ लेते हो पर तुम्हे कोई पूछता नहीं, जहाँ तुम्हे होना चाहिए, वहाँ बिदेशी लोग डटे हुए हैं। स्वराज्य वास्तव में तुम्हारे लिए है, और तुम्हे उसके आन्दोलन में प्रमुख भाग लेना चाहिए। गवर्नर और चासेलर तुम्हे तरह तरह के स्वार्थमय उपदेश देकर, तुम्हे अपने कर्तव्य से हटाने की कोशिश करेंगे, पर हमें विश्वास है, तुम अपना नफा-नुकसान समझते हो और अपने जन्म अधिकार को एक न्याले भर दूध के लिये न बेचोगे। लेकिन यह न समझो, कि केवल स्वराज्य का झड़ा गाड़कर और 'इन्कलाब' की हॉक लगाकर तुम अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हो। तुम्हे मिशनरी जोश और धैर्य के साथ इस काम में जुट जाना चाहिए। ससार के युवकों ने जो कुछ किया है, वह तुम भी कर सकते हो। क्या तुम स्वराज्य का सदेश गौव में नहीं पहुँचा सकते ? क्या तुम गौवों के सगठन में योग नहीं दे सकते ? हम सच कहते हैं, एल एल० बी०, या एम० ए० हो जाने के बाद यह अमली तालीम,

वह अनुभव तुम्हे इतना हितकर होगा, जितना पुस्तक ज्ञान उम्र भर भी नहीं तो सकता। तुम मर्द हो जाओगे।

### सरल जीवन स्वाधीनता के संग्राम की तैयारी हो

लेकिन जब हम अपने छात्रों का विलास प्रेम देखते हैं, तो हमें उनके विषय में बड़ी चिन्ता होती है। वह रोज अपनी जरूरते बढ़ाते जाते हैं, विदेशी चीजों की चमक दमक ने उन्हे अपना गुलाम बना लिया है। वे चाय और काफी के, साबुन और सेट के और न जाने कितनी अल्लम गल्लम चीजों के दास हो गये हैं। वाजार में चले जाइए, आप युवको और युवतियों का शौक और विलास की चीजे खरीदने में रत पाएंगे। वह यह समझ रहे हैं, कि विलास की चीजे बढ़ा लेने से ही जीवन का आदर्श ऊँचा हो जाता है। युनिवर्सिटिया में अपने अव्यापका का विलास प्रेम देखकर यदि उन्हे ऐसा विचार होता है, तो उनका दोष नहीं। यहों तो आवें का आवाँ विगड़ा हूँगा है। मादे और सरल जीवन से उन्हे बृणा सी होती है। अगर उनका कोई सहपाठी सीधा-सादा हो, तो वे उसकी हँसी उड़ाते हैं, उस पर तालियाँ बजाते हैं। अग्रेज अगर इन चीजों के शौकीन हैं, तो इसलिए कि इस तरह वे अपने देश के व्यवसाय की मदद करते हैं। फिर, वह समझ है, हमारी और उनकी वरावरी ही क्या? उन्होंने फरल काट ली है, अब मजे से बैठे खा रहे हैं। हमने तो अभी फसल बोई भी नहीं, हम अगर उनकी नकल करे, तो इसके सिवा कि बीज खा डाले, और क्या कर सकते हैं। और यही हो रहा है। जिस गाढ़ी रुमाई को देशी व्यवसाय और धधे में खर्च होना चाहिए था, वह यूरोप चली जा रही है और हम उन आदतों के गुलाम होकर। अपना भविष्य खाक में मिला रहे हैं। शौक और सिगार के बन्दे जिन्दगी म कभी स्वाधीनता का अनुभव कर सकते हैं, हमें इसमें सन्देह है। विद्यालय से निकलते ही उन्हे नौकरी चाहिए—इसके लिये वह हर तरह की खुशामद और नकघिसनी करने के लिये तैयार है। नौकरी मिल गई, तो उन्हे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये ऊपरी आमदनी की फिक

होती है। उनकी आत्मा की स्वतन्त्रता, शौक की बेदी पर चढ़ा दी जाती है। दुनिया के जितने बड़े से बड़े महापुरुष हो गये हैं, और हैं, वे जीवन की सरलता का उपदेश देते आये हैं और दे रहे हैं, मगर हमारे छात्र हैं, कि हैट और कालर की फिक्र में अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं।

### शांतिरक्षा

हिज एक्सेलेन्सी वाइसराय से लेकर सूबा के हिज एक्सेलेन्सियो तक सभी कानून और शाति की रक्षा की धमकियों दे रहे हैं, जिसका अर्थ यह है, कि इस वक्त कानून और शाति की रक्षा के लिये, जो कुछ किया जा रहा है, उससे ज्यादा और भीषण रीति से किया जायगा। और, उधर महात्मा गांधी है कि किसी दशा में भी शाति को हाथ में नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ तक कि अवज्ञा का सारा भार उन्होंने अपने सिर ले लिया है।

जहाँ तक शातिरक्षा का सवध है, ऐसा कौन आदमी होगा, जो सरकार से इस विषय में सहयोग न करे और मुख्य में बद्रमली हो जाने दे। मगर मुश्किल यह है, कि सरकार ने जिस चीज का नाम शाति रख छोड़ा है, वह हमारे लिये न शाति है, न कानून। जो कानून राष्ट्र बनाता है, उसका पालन वह स्वयं शाति पूर्वक करता है, लेकिन जो कानून दूसरे लोग उसके लिए बना देते हैं, उसकी पावदी वह करती तो है पर सगीनों और मशीनगनों के जोर से, और ऐसी शाति को भौति शाति कहेगा, जिसका आधार तलवारों की झकार और तोपों की गरज है! जहाँ तक हमे याद है, सरकार ने और चाहे जितनी गलतियों की हो, शाति की रक्षा में उसने कभी गलती नहीं की। यह दूसरी बात है, कि हिन्दू मुसलमान आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे के प्राण लें, एक दूसरे की जायदाद लूटें, घर में आग लगावें, औरतों की आवृण बिगाड़े। न जाने सरकार की शाति-रक्षणी शक्ति ऐसे नाजुक मौकों पर क्यों नहीं काम करती।

### बेल-सुधार

जिस तरह किसी व्यक्ति के चरित्र का अन्दाजा उसके मित्रों का देखकर किया जा सकता है, उसी तरह किसी राज्य की सुव्यवस्था का अन्दाजा, उसके जेलों की दशा से हो सकता है। रुस के जेल भारत के जेलों को देखते स्वर्ग है। यहाँ तक कि ईरान जैसे देश के जेल भी बहुत कुछ सुवर चुके हैं। हमारे जेलों की दशा जितनी खराब है, शायद ससार में, इस बात में कोई उसका सानी न मिलेगा। जतीन्द्रनाथ दास के उत्सर्ग का कुछ फल उस सुधार के रूप में निकला है, जो अभी किये गये हैं, मगर कैदियों का कई दंगों में विभाजित किया जाना और हरेफ कक्षा के साथ अलग अलग व्यवहार करना, उन बुराइयों की दवा नहीं है। जेल ऐसे होने चाहिए, कि कैदी उसमें से मन और विचार में कुछ सुधरकर निकले, यह नहीं कि उसके पतन की क्रिया वहाँ जाकर और भी पूरी हो जाय। इस सुधार से यह फल न होगा, हाँ जो धनी हैं, उन्हें वहाँ कुछ आराम हो जायगा। गरीब की सब जगह मौत है, जेल में भी। मालूम नहीं ईश्वर के घर भी यही भेद भाव है, या इससे कुछ अच्छी दशा है।

### जापान के लोग लम्बे हो रहे हैं

हिन्दुस्तान के लोग दिन दिन ढुर्वल होते जाते हैं। लेकिन जापान के एक पत्र ने लिखा है—जापानियों का डील धीरे धीरे ऊँचा हो रहा है। बलिष्ठ तो वे पहले भी होते थे, लेकिन अब वे ऊँचे भी हो रहे हैं। इसका कारण है, रहन-सहन में सुवर। अब वे पहले से अच्छा और पुष्टिकारक भोजन पाते हैं, ज्यादा साफ और हवादार धरो में रहते हैं, आर्थिक चिन्ताओं का भार भी कम हो गया है। जहाँ अस्सी फी सैकड़े आदमी आधे पेट भोजन भी नहीं पाते, वे क्या बढ़ेगे और क्या मोटाएँगे? शायद सौ वर्ष के बाद हिन्दुस्तानियों की कहानी रह जायगी।

## राजनीति और रिशवत

वर्तमान राजनीति में रिशवत भी एक जरूरी मद है। क्या इंग्लैण्ड, क्या फ्रास, क्या जागरन, सभी सभ्य और उच्चत देशों में यह मरज़ दिन दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए बड़े-बड़े लोग जमा किये जाते हैं और बोटरों से बोट लेने के लिए सभी तरह के प्रलोभनों से काम लिया जाता है। जब देश के शासक खुद ऐसे काम करते हैं, तो उसे गेंके फौन ? शैतान ही जानता है चुनाव के लिए कैसी कैसी चाले चली जानी हैं, कैसे कैसे दाँव खेले जाते हैं। अपने प्रतिद्वन्द्वी को नीचा दिखाने के लिए बुरे-से बुरे सावन काम में लाये जाते हैं। जिस दल के पास धन ज्यादा हो, और कार्यकर्ता—कनवैसर—अच्छे हो, उसकी जीत होती है। यह वर्तमान शासन पद्धति का कलक है। इसका फल यह होता है कि सबसे योग्य व्यक्ति नहीं, सबसे चालवाज लोग ही चुनाव के संग्राम में विजयी होते हैं। ऐसे ही स्वार्थी, आदर्श हीन, विवेकहीन मनुष्यों के हाथ में ससार का शासन है। फिर अगर ससार में स्वार्थ का राज्य है, तो क्या आश्चर्य !

## पहले हिन्दुस्तानी, फिर और कुछ

हिन्दू तो हमेशा में यही रट लगाते चले आ रहे हैं लेकिन मुसल्लमान इस आवाज में शरीक न थे। बीच में एक बार मौ० मुहम्मदअली या शायद उनके बड़े भाई साहब ने यह आगाज मुह से निकालने पा साहस किया था, मगर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने फिर पहलू बदला और ‘पहले मुसल्लमान फिर और कुछ’ का नारा बलन्द किया। फिर क्या था, मुसलिम दल में उनका जितना सम्मान कम हो गया था, उससे कई गुना ज्यादा मिल गया। आज अगर कोई मुसल्लमान ‘पहले हिन्दुस्तानी’ होने का दावा करे, तो उस पर चारों तरफ से बौछारे होने लगेगी। ‘पहले मुसल्लमान’ बनकर वर्मान्ध जनता की निगाह में गोरख प्राप्त कर लेना तो आसान है, पर उसका मुसल्लमानों की मनोवृत्ति पर जो बुरा

अमर पड़ता है, वह देश हित के लिए प्रातक है। मुसलमान किसी प्रश्न पर राष्ट्र की ग्राँवों से नहीं देखता, वह उसे मुसलिम ग्राँवों से देखता है। वह अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो मुसलिम दृष्टि से, किस बात का पिरोव करता है, तो वह मुसलिम दृष्टि से। लाखों मुसलमान वाड और सूखे के कागण तबाह हो रहे हैं। उनकी तरफ किसी मुसलिम मेम्बर की निगाह नहीं आती। आज तक कोई ऐसा मुसलिम सघटन नहीं हुआ, जो मुसलिम जनता की सासारिक दशा को सुवारने का प्रयत्न करता। हाँ, उनकी धार्मिक मनोवृत्ति से भायदा उठानेवालों की कमी नहीं है। महात्मा गांधी खद्दर का प्रचार दिल्लीजान से कर रहे हैं। इससे मुसलमान जुलाहा का भायदा अगर हिन्दू कोरियो से ज्यादा नहीं, तो कम भी नहीं है। लेकिन जहाँ इस सूबे के छोटे-से छोटे शहर ने महात्माजी को थैलियों मेंट कीं, अलीगढ़ ने कवल सूखा ऐड्रेस देना ही काफी ममझा। यह मुसलिम मनोवृत्ति है। देना चाहिए, सर तेजबहादुर मध्य सर्वदल सम्मेलन को सफल बनाने में रहों तक सफल होत है। हमारी आशा तो नौजवान मुसलमानों का मुह ताक रही है। इसलामिया कालोज लाहौर में, जहाँ अधिकाश मुसलमान छात्र थे, स्वाधीनता का प्रस्ताव मुसलमान नेताओं के विरोध पर भी वास हो गया। इससे पता चलता है, कि हवा का रुख किधर है।

### महात्माजी का वाइसराय से निवेदन

महात्माजी ने वाडसराय को जो पत्र लिखा है उसे Ultimatum कहना, उस पत्र के महस्त्र को मिटाना है। वह एक सच्चे, आत्मदर्शी हृदय के उद्गार है। उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जिसमें मालिन्य, क्रोध, द्वेष या रुद्दुता की गध हो। उस पवित्र आत्मा में मालिन्य या द्वेष का स्थान ही नहीं है। वह किनीं का शत्रु नहीं, सबका मित्र है। अँग्रेजी शासन का ऐसा सपूर्ण इतिहास इतने थोड़े से शब्दों में, इतनी सद् प्रेरणा के साथ महात्माजी के सिवा दूसरा कौन लिख सकता था। उस पत्र में जितनी जागृति, जितनी स्कूर्ति, जितना सत्साहस है, वह शायद

भगवत्गीता मे हो तो हो, और ता हमे नहीं नहीं मिलता। भारत के ही इतिहास मे नहीं, ससार के इतिहास मे भां वह यादगार बनकर रहेगा। पाठक के हृदय पर एक एक शब्द देव वाणी-सा प्रभाव डालता है, प्रतिक्षण आत्मा ऊँची होती जाती है, यहाँ तक कि उसे समाप्त कर लेने पर आप अपने को एक नई दुनिया मे पाते हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कह दिया है, कि हम पद के लिए, धन के लिए, अधिकार के लिए स्वराज्य नहीं चाहते, हम स्वराज्य चाहते हैं उन गूँगे, बेजबान आदमियों के लिए, जो दिन-दिन दरिद्र होते जा रहे हैं। अगर आज सभी अँग्रेज अफसरों की जगह हिन्दुस्तानी हो जायें, तब भी हम स्वराज्य से उतने ही दूर रहेंगे, जितने इस वक्त हैं। हमारा उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब हमारी दरिद्र, क्षुधित, बख्खीन जनता फी दशा कुछ सुधरेगी।

मगर हमारे ही देश मे हमारे ही कुछ ऐसे भाई हैं, जिन्हे इस निवेदन मे कोई नयी बात, कोई नया सन्देश नहीं नजर आता। उन पर उसके ऊँचे, पवित्र भावों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह अब भी यही रट लगाये जा रहे हैं कि महात्माजी आग से खेल रहे हैं, समाज की जड़ खोदनेवाली शक्तियों को उभार रहे हैं। जिन्हे अँग्रेजों के साथ मिलकर प्रजा को लूटते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर प्राप्त है, वे इसके सिवा और कह ही क्या सकते हैं। वे अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी प्रभुता का सिक्का जमते देखना चाहते हैं। उनके स्वराज्य मे गरीबों का मजदूरों को, किसानों को स्थान नहीं है, स्थान है केवल अपने लिए, मगर जिस व्यक्ति के हृदय मे गरीबों की दिन दिन गिरती हुई दशा देख कर ज्वाला सी उठती रहती है, जो उनकी मूक वेदना देख-देखकर तड़प रहा है, वह किसी ऐसे स्वराज्य की कल्पना से सतुष्ट नहीं हो सकता जिसमे कुछ ऊँचे दरजे के आदमियों का हित हो और प्रजा की दशा ज्यों-की त्यों बनी रहे। हमारी लड़ाई केवल अँग्रेज सत्ताधारियों से नहीं हिन्दुस्तानी सत्ताधारियों से भी है। हमे ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, कि यह दोनों सत्ताधारी इस अधार्मिक संग्राम मे आपस मे मिल जायेगे और

प्रजा को दबाने की, इस आनंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगे। लेकिन यह उन्हीं के हक में बुरा होगा। प्रजा की दशा तो अब जितनी बुरी है, उससे बुरी और हो ही क्या सकती है? हों जो लोग प्रजा के मत्थे एश ऊरते हैं, यूरोप में विहार करते हैं, मोटरों में बैठे हुए हवा में उड़ते हैं, उनकी खैरियत नहीं है। हम उन्हे धमकी नहीं दे रहे हैं, धौधली उसी वक्त तक हो सकती है, जब तक जनता सोई हुई है। हम अब भी आशा रखते हैं, कि महात्माजी का सद्गुण सत्ताधारियों के विचार कोण में इच्छित परिवर्तन करेगा। विचारों का परिवर्तन अब तक तलबार से होता आया है, लेकिन विचार जैसी सूक्ष्म वस्तु पर तलबार का असर या तो होता ही नहीं, या होता है तो स्थायी नहीं होता। सूक्ष्म वस्तु पर सूक्ष्म वस्तु का ही असर पढ़ता है। भारत ने इसके पहले भी ससार के सामने आन्यासिक आदर्श रखे हैं, यही चेष्टा वह फिर कर रहा है। वह इतिहास की परम्परागत प्रगति को बदल देना चाहता है। वह सफल होगा या विफल, यह दैव के हाथ है, लेकिन उसकी विफलता भी ऐसी हामी, जिस पर सैकड़ों सफलताएँ भेट की जा सकती है।

हमे आशा है, कि वाइसराय के हृदय पर इस निवेदन का कुछ असर होगा, वह उस सौजन्य, विनम्रता और सच्चाई की कुछ कद्र करेगे। पर वाइसराय की ओर से उसका जो जवाब दिया गया है, वह सिद्ध कर रहा है कि महात्माजी का सन्देश उनके हृदय तक नहीं पहुँचा।

---

## प्रगतिशील लेखक संघ का अभिनन्दन

हमे यह जानकर सच्चा आनन्द हुआ कि हमारे सुशिक्षित और विचारशील युवकों में भी साहित्य में एक नई स्फूर्ति और जागृति लाने की धुन पैदा हो गई है। लन्दन में The Indian Progressive Writers, Association की इसी उद्देश्य से बुनियाद डाल दी गई है, और उसने जो अपना मैनिफेस्टो भेजा है, उसे देखकर यह आशा होती है कि अगर यह सभा अपने नये मार्ग पर जमी रही, तो साहित्य में नवयुग का उदय होगा। उस मैनिफेस्टो का कुछ अंग हम यहाँ ग्राशय रूप में देते हैं—

भारतीय समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। पुराने विचाराओं और विश्वासों की जड़े हिलती जा रही हैं और एक नये समाज का जन्म हो रहा है। भारतीय साहित्यकारों का धर्म है कि वह भारतीय जीवन में पैदा होनेवाली क्राति को शब्द और रूप दे और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलाने में सहायक हो। भारतीय साहित्य, पुरानी सम्यता के नष्ट हो जाने के बाद से जीवन की यथार्थताओं से भागकर उपासना और भक्ति की शरण में जा छिगा है। नतीजा यह हुआ है कि वह निस्तेज और निष्प्राण हो गया है, रूप में भी अर्थ में भी। और आज हमारे साहित्य में भक्ति और वैराग्य की भरमार हो गई है। भावुकता ही का प्रदर्शन हो रहा है, विचार और बुद्धि का एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया गया है। पिछली दो सदियों में विशेषकर इसी तरह का साहित्य रचा गया है जो हमारे इतिहास का लज्जास्पद काल है। इस सभा का

उद्देश्य अपने साहित्य और दूसरी कलाओं को पुजारियों पड़ितों और अप्रगतिशील वगों के आविष्ट्य से निकालकर उन्हे जनता के निकटतम् मर्सग में लाया जाय, उनमें जीवन और वास्तविकता लाई जाय, जिससे हम अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सके। हम भारतीय सभ्यता की परम्पराओं की रक्षा करते हुए, अपने देश की पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों की बड़ी निर्दयता से आलोचना करेगे और आलोचनात्मक तथा रचनात्मक कृतियों से उन सभी वातां का सचय करेगे, जिससे हम अपनी मजिल पर पहुँच सकें। हमारी धारणा है कि भारत के नये साहित्य को हमारे वर्तमान जीवन के मौलिक तथ्यों का समन्वय करना चाहिये, और वह है हमारी रोटी का, हमारी दरिद्रता का, हमारी सामाजिक अवनति का और हमारी राजनैतिक पराधीनता का प्रश्न। तभी हम इन समस्याओं को समझ सकेंगे और तभी हममें क्रियात्मक शक्ति आयेगी। वह सब कुछ जो हमें निष्ठियता, अकर्मण्यता और अन्विश्वास की ओर ले जाता है, हेय है, वह सब कुछ जो हममें समीक्षा की मनोवृत्ति लाता है, जो हमें प्रियतम रूढियों को भी बुद्धि की कसोटी पर कसने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें कर्मण्य बनाता है और हममें सगठन की शक्ति लाता है, उसी को हम प्रगतिशील समझते हैं।

इन उद्देश्यों को सामने रखकर इस सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये हैं—

१) भारत के भिन्न भिन्न भाषा प्रातों में लेखकों की सस्थाएँ बनाना, उन संस्थाओं में सम्मेलनों, पैम्फलेटों आदि द्वारा सहयोग और समन्वय पैदा करना, प्रान्तीय, केन्द्रीय और लन्दन की संस्थाओं में निकट सम्बन्ध स्थापित करना।

२) उन साहित्यिक संस्थाओं से मेल-जौल पैदा करना, जो इस सभा के उद्देश्यों के बिपद्ध न हों।

(३) प्रगतिशील साहित्य की सुषिटि और अनुवाद करना, जो कलात्मक दृष्टि से भी निदोष हो, जिससे हम साम्कृतिक अवसाद को दूर कर सके और भारतीय स्वावीनता और सामाजिक उत्थान की ओर बढ़ सकें।

(४) हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भाषा और इडो रोमन लिपि को राष्ट्र-लिपि स्वीकार कराने का उद्योग करना।

(५) साहित्यकारों के हित की रक्खा करना, उन साहित्यकारों की सहायता करना, जो अपनी पुस्तके प्रकाशित कराने के लिए सहायता चाहते हों।

(६) विचार और राय को आजाद करने के लिए प्रयत्न करना।

मैनिफेस्टो पर सर्वश्री डा० मुल्कराज आनन्द, डा० कै० एस० भट्ट, डा० जे० सी० बोष, डा० एस० खिन्हा, एम० डी० तासीर और एस० एस० जहीर के शुभ नाम हैं, और पत्र व्यवहार का पता है—

Dr M R Anand

32, Russell Square

London (W C I)

हम इस संस्था का छृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वह चिरजीवी हो। हमें वास्तव में ऐसे ही साहित्य की जरूरत है और हमने यही आदर्श अपने सामने रखा है। हस भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए जारी किया गया है। हों, हम अभी इडो रोमन को राष्ट्र लिपि स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम नागरी लिपि में सशोधन करके उसे इतना पूर्ण बना लेना चाहते हैं, जिससे वह भारत की सभी भाषाओं के लिये समान रूप से उपयोगी हो। हम यह भी कह देना चाहते हैं, कि अगर यह संस्था भारत के उस साहित्य को, जो उसके उद्देश्यों के अनुकूल हो, अग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित कराने का प्रबन्ध कर सके, तो यह साहित्य और राष्ट्र—दोनों ही की सच्ची सेवा होगी। हम

हिन्दी-लेखक सघ के सदस्यों से भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि वे इन प्रस्तावों पर विचार करें और उस पर अपना मत प्रकट करें। लेखक सघ के उद्देश्य भी बहुत कुछ इस संस्था से मिलते हैं और कोई कारण नहीं कि दोनों में सहयोग न हो सके।

---

## उट्टो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो

अबकी विहार का प्रातीय साहित्य सम्मेलन २२-२३ फरवरी को प्रणिया मे हुआ। श्री बाबू यशोदानन्दन जी ने, जो हिन्दी के व्यो-वृद्ध साहित्य सेवी है, सभापति का आसन ग्रहण किया था। इस जीर्णा वस्था मे भी उन्होने यह दायित्व स्वीकार किया, यह उनके प्रौढ़ माहित्यानुराग का प्रमाण है। प्रान्त के हरेक भाग से प्रतिनिधि आये हुए थे और खूब उत्साह था। मेहमानों के आदर-सत्कार मे स्वागताध्यक्ष श्री बाबू रघुवर्षसिंह के सुप्रबन्ध से कोई कमी नहीं हुई। सभापति महोदय ने अपने भाषण मे हिंदी भाषा, साहित्य, देव नागरी लिपि आदि विषयों का विस्तार से उल्लेख किया और विहार मे हिन्दी के प्रचार और प्रगति की जो चर्चा की, वह विहार के लिए गौरव की वस्तु है। हमे नही मालूम था कि कविता मे खड़ी बोली के व्यवहार की प्रेरणा पहले विहार मे हुई, और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की कल्पना भी विहार की ही ऋणी है। मुसलमानी शासन-काल मे हिन्दी की वृद्धि क्योकर हुई, इस पर आपने निष्पक्ष प्रकाश डाला। आप उर्दू को कोई स्वतत्र भाषा नही मानते, बल्कि उसे हिन्दी का ही एक रूप कहते हैं। आपने कहा—

‘मुसलमानी-शासन ने हिन्दी भाषा के प्रसार और प्रचार के मार्ग मे बड़ी सहायता पहुँचाई है। उसी काल मे हिन्दी के तीन रूप हो गये थे। एक नागरी लिपि मे व्यक्त ठेठ हिन्दी, जिसे लोग अधिकाश मे ‘भाषा’ या ‘देव-नागरी’ या ‘नागरी’ कहते थे, दूसरा उर्दू यानी फारसी लिपि मे लिखी हुई फारसी मिश्रित हिन्दी, त्रथात् उर्दू और तीसरी पद्ध हिन्दी यानी ब्रज भाषा। जो हिन्दी आज राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर अभिषिक्त होने की अधिकारिणी है, वह देव नागरी है। यह और उर्दू वस्तुत एक ही है और दिल्ली प्रात की बोली है।’

इधर विहार में भी सयुक्त प्रात की भाति यह आयोजन किया जा रहा है कि स्मारमिक्र दरजों में रीडरों की भाषा हिन्दी और उर्दू दोनों लिपियों में एक कर दी जाय, केवल लिपि का अन्तर हो। विहार में इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है और अखौरीजी ने अपने भाषण में उसका विरोध किया। आपके विचार में इससे उर्दू और हिन्दी दोनों को हानि पहुँचेगी और जो बालक इन रीडरों को पढ़कर निकलेंगे, वे अपनी भाषा के साहित्य ग्रथ पढ़ने में असमर्थ होंगे, मगर जब यह माना जाता है कि उर्दू केवल फारसी-मिश्रित हिन्दी है, और हिन्दी केवल सस्कृत मिश्रित उर्दू, तो अगर हम फारसी और सस्कृत को यथासाध्य दोनों में से निकाल दें, तो दोनों एक हो जाती हैं, केवल लिपि का अन्तर रह जाता है। जहाँ तक हम दोनों रूपों को मिलाये रख सके, वहाँ तक तो हमें मिलाये रहने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। हाँ, जहाँ दोनों का मिश्रण असम्भव हो जाय, वहाँ पृथक् हो जाने में कोई वादा नहीं। शुरू ही से क्यों इस भेद पर जार दिया जाय। लिपि का भेद तो है ही, भाषा के भेद को अगर मिटाया जा सके, तो हमें तो इसमें हानि के बदले लाभ ही नजर आता है। चौथे या सातवें दरजे तक एक ही भाषा रहने से मुख्लमान लड़कों को सस्कृत के और हिन्दू लड़कों को फारसी के सैकड़ों शब्द अनिवाय रूप से मालूम हो जायेंगे और इससे उनके परस्पर व्यवहार में सुविधा ही होगी। जिसे साहित्य पढ़ने का शौक है, वह चौथा या मिडिल पास करके साहित्य की दो-तीन किताबें चार महीनों में पढ़कर इस कमी को पूरा कर लेगा। जब हम अँग्रेजी के हजारों शब्दों को अपनी भाषा में आने से किसी तरह नहीं रोक सकते (और न रोकना चाहिए) तो सौ-दो सौ फारसी शब्दों के मिल जाने से उर्दू का और सौ दो सौ फारसी शब्दों के आ जाने से हिन्दी का हास न होगा।

इस सम्मेलन के साथ एक कवि-सम्मेलन भी हुआ था, जिसके सभापति श्री प्रो० मनोरजन एम० ए० थे। प्रोफेसर साहब स्वयं अच्छे

कवि है और जीवन मे कविता का स्थान क्या है, यह खूब जानते हैं। आपने बहुत ठीक कहा, कि कविता केवल मनोरजन की वस्तु नहीं और न गा गाकर सुनाने की चीज है। वह तो हमारे हृदय मे प्रेरणाओं की डालने वाली, हमारे अवसाद ग्रस्त मन मे आनन्दमय स्फुर्ति का सचार करने वाली, हममे कोमल भावनाओं को जगाने वाली (स्त्रैण भावनाओं को नहीं) वस्तु है। कविता मे अगर जागृति पैदा करने की शक्ति नहीं है, तो वह बेजान है। आप हाला बोधे, या तन्त्री के तार, या बुलबुल और कफस, उसमे जीवन को तड़पाने वाली शक्ति होनी चाहिए। प्रेमि काओं के सामने बैठकर ओँसू बहाने का यह जमाना नहीं है। उस व्यापार मे हमने कई सदियों खो दीं, विरह का रोना रोते-रोते हम कहीं के न रहे। अब हमे ऐसे कवि चाहिए, जो हजरते इकवाल की तरह हमारी मरी हुई हड्डियों मे जान डाले॥ देखिए, इस कवि ने लेनिन को खुदा के सामने ले जाकर क्या फरियाद कराई है और उसका खुदा पर इतना असर होता है कि वह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है—

उझो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,

काखे<sup>१</sup> उमरा के दरो-दीवार हिला दो।

गरमाओ गुलामो का लहू सोजे यकी से,  
कुजिश्क<sup>२</sup> फरोमाया<sup>३</sup> को शाही<sup>४</sup> से लड़ा दो।

सुलतानिये<sup>५</sup> जमहूर<sup>६</sup> का आता है जमाना,  
जो नकशे कोहन<sup>७</sup> तुमको नजर आये मिटा दो।

जिस खेत से दहकों<sup>८</sup> को मयस्सर नहीं रोटी,  
उस खेत के हर खाशए<sup>९</sup> गदुम को जला दो।

क्यो खालिको<sup>१०</sup> मखलूक<sup>११</sup> मे हायल रहे परदे,  
पीराने<sup>१२</sup> कलीसा<sup>१३</sup> को कलीसा<sup>१४</sup> से उठा दो।

(१) महल (२) चिङ्गा (३) तुच्छ (४) शिक्का (५-६) प्रजा राज्य

(७) पुराना (८) किसान (९) गेहूं की बाल (१०) स्वष्टा (११) सुष्टि-  
(१२) मठधारी (१३) गिरजे।

## अतीत का मुर्दा बोझ

२१, २२ सितम्बर को पटना ने अपने साहित्य परिषद् का कई बरसो के बाद आने वाला वार्षिकोत्सव बढ़ी धूमधाम से मनाया। हिन्दी के शब्द जादूगर श्री माखननाल जी चतुर्वेदी सभापति थे और साहित्यकारों का अच्छा जमघट था। हम तो अपने दुर्भाग्य से उसमें सम्मिलित होने का गोरख न पा सके। शुक्रवार की सन्ध्या समय से ही हमे ज्वर हो आया और वह सोमवार को उत्तरा। हम छुटपटा कर रह गये। रविवार को भी हम यही आशा करते रहे कि आज ज्वर उत्तर जायगा और हम चले जायगे, लेकिन ज्वर ने उस बक्त गला। छोड़ा, जब परिषद् फा उत्सव समाप्त हो चुका था। पटने जाकर खाट पर सोने से काशी में खाट पर पड़े रहना और ज्यादा सुखद था, और यों भी बीमारी के समय, चाहे वह हलकी ही क्यों न हो, बुजुर्गों के मतानुसार, और धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार, काशी के समीप ही रहना ज्यादा कल्याणकारी होता है लौकिक और पारलौकिक दोनों भूटियों से! अतएव हमे आशा है कि हमारे साहित्यिक बन्धुओं ने हमारे गैरहाजिरी मुआफ कर दी होगी। इस ज्वर ने ऐसा अच्छा अवसर हमसे छीन लिया, इसका बदला हम उससे अवश्य लेंगे, चाहे हमे अहिंसा नीति तोड़नी क्यों न पड़े। सभापति का जो भाषण छुपकर नाची भात के रूप में मिला है, वह गर्म गर्म कितना स्वादिष्ट होगा यह सोचता हूँ तो यही जी चाहता है कि ज्वर महोदय कहीं फिर दिखे, लेकिन उनका कहीं पता भी नहीं। इस भाषण में जीवन है, आदेश है, मार्ग निर्देशन

है और साहित्यसेवियों के लिये आदश है, मगर आपने पूर्वजों का बोझा मस्तक पर लादने की जो बाट कही, वह हमारी समझ में न आई। हमारा ख्याल है कि हम पूर्वजों का बोझ जल्दत से ज्यादा लादे हुए हैं, और उसके बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। हम अतीत में रहने के इतने आदी हो गये हैं कि वर्तमान और भविष्य की जैसे हमें चिन्ता ही नहीं रही। यूरोप और पश्चिमी जग इसीलिए हमारी उपेक्षा करता है कि वह हमें पाच हजार साल पहले के जन्तु समझता है, जिसके लिए अजायबघरों और पिंजरापोलो में ही स्थान है। वह हमारे भोजपत्रों और ताम्र लेखों को लाद लादकर इसलिए नहीं ले जाता कि उनसे ज्ञान का अर्जन करे, बलिक इसलिए कि उन्हे अपने सग्रहालयों में सुरक्षित रखकर अपने विजय गर्व को तुष्टि दे, उसी तरह जैसे पुराने जमाने में विजय की लूट के साथ नर नारियों की भी लूट होती थी और जलूसों में उनका प्रदर्शन किया जाता था। प्राचीन अगर हमें आदर्श और मार्ग देता है, तो उसके साथ ही रुद्धियों और अन्ध विश्वास भी देना है। चुनाचे आज राम और कृष्ण राम लीला और रास लीला की वस्तु बनकर रह गये हैं, और बुद्ध और महात्मीर ईश्वर बना दिये गये हैं। यह प्राचीन का भार नहीं तो और क्या है कि आज भी असख्य प्राणी, जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमियों की सख्ता है, नदियों में नहाकर अपना मन शुद्ध कर लिया करते हैं? प्राचीन, उन गध्डों और जातियों के लिए गर्व की वस्तु होगी और होनी चाहिए जो अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ और उनकी साधनाओं से आज मालामाल हो रहे हैं। जिस जाति को पूर्वजों से पराजय का अपमान और रुद्धियों का तौक ही विरासत में मिला, वे प्राचीन के नाम को क्यों रोयें। ऐसे दर्शन को क्या हम लेकर चाटें, जिसने हमारे पूर्वजों को इतना अकर्मण्य बना दिया कि जब बलियार खिलजी ने विहार विजय किया, तो पता चला कि सारा नगर और किला एक विशाल बाचनालय था। विद्वान् लोग मजे से राज्य का आश्रय पाते थे और अपनी कुटिया में बैठे हुए प्राचीन शास्त्रों में ढूबे रहते थे।

उनके इर्दे गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया किस गति से बढ़ी जा रही है, उन्हें इसकी खबर न थी। और शायद वस्तियार उन विद्वानों से मुजाहिम न होता और उनमी वृत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती, तो वे उसी बेकिकी से अपना शास्त्र पढ़े जाते और आधात्मिक विचारों के आनन्द लूटते रहते और अमर जीवन की मजिल नापते चले जाते। उधर पश्चिम के नाविक समुद्र के तूफान का सुकावला करके ससार विजय कर रहे थे और हमारे बाबा दादा बैठे मुक्ति का मार्ग दूँढ़ रहे थे। पश्चिम ने जिस वस्तु के लिए तपस्या की, उसे वह वस्तु मिली। हमारे पूर्वजों ने जिस वस्तु की तपस्या की, वह उन्हें मिली या मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना कठिन है। जिसके लिए ससार मिश्या हा, और दुख का घर हो, उसकी यदि ससार उपेक्षा करे, तो उन्हें शिकायत का क्या मौका है? हमें न्यर्ग की ओर से निश्चिन्त रहना चाहिए, वह हमें मिलेगा और जरूर मिलेगा। चतुर्वेदी जी के ही शब्दों में ‘ग्रन्थों के बन्धना के आदी हम स्वामी राम के कथन में भी मुक्ति का गीत दूँढ़ने के बजाय वेदान्त का बन्धन दूँढ़ने लगे।’ और क्यों न दूँढ़ते? बन्धनों के सिवा, और ग्रन्थों के सिवा हमारे पास और क्या था? पड़ित लोग पढ़ते थे और योद्धा लोग लड़ते थे और एक दूसरे की बेइजती करते थे और लड़ाई से फुरसत मिलती थी तो व्यभिचार करते थे। यह हमारी व्यावहारिक सस्कृति थी। पुस्तकों में वह जितनी ही ऊची और पवित्र थी, व्यवहार में उतनी ही निन्द्या और निकृष्ट।

आगे चलकर सभापति जी ने हमारी वर्तमान साहित्यिक मनोवृत्ति का जो चित्र खींचा है, उसका एक एक शब्द यथार्थ है

‘हम अपनी इस आदत को क्या करे? यदि किसी के दोष सुनता हूँ तो तुरन्त मान लेता हूँ और उस अद्रव्य को पेट में लेकर फिर बाहर लाता हूँ और अपनी साहित्यिक पीढ़ी को उस निन्द्य निधि की खैरात बाटता हूँ। ससार के दोषों का मैं बिना प्रमाण सरल विश्वासी होता हूँ और यह चाहता हूँ कि मेरी ही तरह मेरा पाठक भी मेरी

लोक निन्दा पर विश्वास करे । किन्तु यदि किसी के गुण, किसी की मौलिकता, किसी की उच्चता की चर्चा सुनता हूँ, तब मैं उसके लिए प्रमाण वस्तुत करने के इजहार लेना चाहता हूँ ।'

और भाषण के अन्तिम शब्द तो बड़े ही मर्मस्पर्शी हैं :

'हम बड़े हो या छोटे, हमने घर घर या व्यक्ति व्यक्ति में मरने का ढर बोया है । हमारे लिए मार डालना ही गुनाह नहीं, मर जाना गुनाह हो गया है..... आज के साहित्यिक चिन्तक पर जिम्मेवारी है कि वह पुरुषार्थ को दोनों हाथों में लेकर जीने का खतरा और मरने का स्वाद अपनी पीढ़ी में बोये । यह पुरुषार्थ शस्त्रधरों से नहीं हो सकता, यह तो कलम के धनियों ही के करने का काम है ।'

---

## साहित्यिक उदासीनता

हिन्दी साहित्य में आजकल जो शिथिलता सी छाई हुई है, उसे देखकर साहित्य प्रेमियों को हताश होना पड़ता है। आज हिन्दी में एक भी ऐसा सफल प्रकाशक नहीं, जो साल भर में दो चार पुस्तकों से अधिक निकाल सकता हो। प्रत्येक प्रकाशक के कार्यालय में हस्त लिखित पुस्तकों का ढेर लगा पड़ा है, पर प्रकाशकों को साहस नहीं होता कि उन्हे प्रकाशित कर सके। दो चार इने गिने लेखकों की पुस्तकें ही छपती हैं, पर वहाँ भी पुस्तकों की निकाली नहीं हाती। दो हजार का एडीशन बिकते-बिकते कम-से-कम तीन साल लग जाते हैं। अधिकाश पुस्तकों की तो दस साल में अगर दो हजार प्रतियाँ निकल जायें, तो गनीमत समझी जाती है। जब पुस्तकों की बिक्री का यह हाल है, तो प्रकाशक पुरस्कार कहरों से दे और दे भी तो वह पत्र-पुष्प से अधिक नहीं हो सकता। पत्र-पुष्प से लेखक को क्या सतोष हो सकता है क्योंकि वह भी आदमी है और उसे भी जरूरतें होती ही हैं। इसका फल यह है, कि लेखक अलग उत्साहीन होते जाते हैं, प्रकाशक अलग कठा डालते जाते हैं और साहित्य की जो उच्चति होनी चाहिए, वह नहीं होने पाती। लेखक को अच्छा पुरस्कार मिलने को आशा हो तो वह तन-मन से रचना में प्रवृत्त हो सकता है, और प्रकाशक को यदि अच्छी बिक्री की आशा हो तो वह रुपये लगाने को भी तैयार है। लेकिन सारा दारमदार पुस्तकों की बिक्री पर है और जब तक हिन्दी पाठक पुस्तकें खरीदना अपना कर्तव्य न समझने लगेंगे, यह शिथिलता ज्योंकी-त्यों बनी रहेगी। कितने खेद की बात

है, कि बड़ी बड़ी आमदनी रखनेवाले सज्जन भी हिन्दी की पुस्तकों मौगकर पढ़ने में सकोच नहीं करते। शायद वह हिन्दी पुस्तकों पढ़ना ही हिन्दी पर कोई एहसान समझते हैं। इस विषय में उर्दूवाले क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा हम यहाँ कर देना चाहते हैं। लाहौर में, जो उर्दू का केंद्र है, कुछ लोगों ने एक समिति बना ली है और उनका काम है शहर-शहर और कस्बे कस्बे घ्रमकर पाठकों से अपनी आय का शताश उर्दू पुस्तकों खरीदने में खर्च करने का अनुरोध करना। पाठक जो पुस्तक चाहे अपनी रुचि के अनुसार खरीदे, पर खरीदे जरूर। पाठकों से एक प्रतिज्ञा कराई जाती है और सुनते हैं कि समिति को इस सदुद्योग में खासी सफलता हो रही है। बहुत से पाठक तो केवल इसलिए पुस्तके नहीं खरीदते कि उन्हे खबर नहीं कौन-कौन सी अच्छी पुस्तके निकलती हैं। उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जरूरत की चीजें तो उन्हे भक्त मारकर लेनी पड़ती हैं। स्थी-लङ्डके सभी आग्रह करते हैं, लेकिन पुस्तकों के लिए ऐसा आग्रह अभी नहीं होता। केवल पाठ्य पुस्तकें तो परीद ली जाती है, अन्य पुस्तकों का खरीदना अनावश्यक या फिजूल-रच्चा समझी जाती है। मगर जब समिति ने पब्लिक का व्यान इस ओर खींचा, तो लोग बड़े हर्ष से उसके साथ सहयोग करने को तैयार हो गये। कितने ही सज्जनों ने तो पुस्तकों के चुनाव का भार भी समिति के सिर रख दिया। जिसकी वार्षिक आय बाहर सो रुपये है, वह साल भर में बारह रुपये की पुस्तकें खरीदने का यदि प्रण कर ले, तो हमें विश्वास है, कि थोड़े ही दिनों में हिन्दी साहित्य का बड़ा कल्याण हो सकता है। ऐसे सज्जनों की रुमी नहीं है, केवल साहित्य प्रेमियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने की जरूरत है। अगर उर्दू में ऐसी समिति बन सकती है, तो हिन्दी में भी अवश्य बन सकती है। अगर हमारी हिन्दी सभाएँ इस तरफ व्यान दे, तो साहित्य का बहुत उपकार हो सकता है।

## लेखक संघ

लेखक संघ के विषय में 'हस' में विज्ञप्ति निकल चुकी है और साहित्य सेवियों तथा पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि लेखकों ने संघ का खुले दिल से स्वागत किया है। और लगभग भाठ सज्जन उसके सदस्य बन चुके हैं। चारों तरफ से आशाजनक पत्र आ रहे हैं मगर अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका कि संघ का मुख्य काम क्या होगा? मयोजक महोदय ने अपने प्रारम्भिक पत्र में संघ के उद्देश्यों का कुछ जिक्र किया है, और जो लोग संघ में शामिल हुए हैं, वे उन उद्देश्यों से सहमत हैं, इसमें सन्देह नहीं, लेकिन वह उस्सल कार्य बनकर क्या रूप धारण करेगे, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। संघ लेखकों के स्वत्वों की रक्षा करेगा। लेकिन कैसे? कुछ सज्जनों का विचार है कि लेखक संघ उसी तरह लेखकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करें, जैसे अन्य मजूर संघ अपने सदस्यों की रक्षा करते हैं, क्योंकि लेखक भी मजूर ही है, यथापि वे हथौड़े और बसुले से काम न करके कलम से काम करते हैं। और लेखक मजूर हुए तो प्रकाशक पूजीपति हुए। इस तरह यह संघ लेखकों को प्रकाशकों की लूट से बचाये, और यही उसका मुख्य काम हो। कुछ अन्य सज्जनों का मत है कि लेखक संघ को पूजी खड़ी करके एक विशाल सहकारी प्रकाशन संस्था बनाना चाहिए, जिससे वह लेखक को उसकी मजदूरी की ज्यादा से ज्यादा उजरत दे सके। खुद केवल नाम मात्र का नफा ले ले, वह भी केवल कार्यालय के कर्मचारियों के बेतन और कार्यालय के दूसरे कामों के लिए। सम्भव है इसी तरह के और

प्रस्ताव भी लागों के मन में हो। ऐसी दशा में यही उचित जान पड़ता है कि सघ के कार्यक्रम को निश्चय करने के लिए सभी सदस्यों को किसी केन्द्र में निमन्त्रित किया जाये और वहा सब पक्षों की तजवीजे सुनने और उन पर विचार करने के बाद कोई राय कायम की जाये। और तब इस निश्चय को कार्य रूप में लाने के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाय। उस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य को अपने प्रस्ताव पेश करने और उसका समर्थन कराने का अधिकार होगा और जो कुछ होगा बहुमत से होगा, इसलिए किसी को शिकायत का मौका न होगा। हम इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहते हैं कि मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि प्रकाशकों के लेखकों के साथ ज्यादा न्यायसंगत व्यवहार करने पर मजबूर किया जा सके। साहित्य का प्रकाशन करने वाले प्रकाशकों की वास्तविक दशा का जिन्हे अनुभव है, वह यह स्वीकार करेंगे कि इस समय एक भी ऐसा साहित्य ग्रन्थ प्रकाशक नहीं है जो नफे से काम कर रहा हा। जो प्रकाशक वर्मग्रन्थों या पाठ्यपुस्तकों का व्यापार करते हैं उनकी दशा इतनी बुरी नहीं है, कुछ तो खासा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग मुख्यत साहित्य ग्रन्थ ही निकाल रहे हैं, वे प्रायः वड़ी मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाते हैं। कारण है साधारण जनता की साहित्यिक अरुचि। जब प्रकाशक को यही विश्वास नहीं कि किसी पुस्तक के कागज और छपाई की लागत भी निकलेगी या नहीं, तो वह लेखकों को पुरस्कार या रायलटी कहों से दे सकता है। नतीजा यह होगा कि प्रकाशकों को अपना कारोबार चलाने के लिए सङ्गियल पुस्तकें निकालनी पड़ेगी और अच्छे लेखकों की पुस्तकें कोई प्रकाशक न मिलने के कारण पड़ी रह जायेंगी। साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन प्रायः बन्द सा है। प्रकाशक नई पुस्तकें छापते डरते हैं, और नये लेखकों के लिए तो द्वार ही बन्द हैं। इसलिए पहले ऐसी परिस्थिति तो पैदा हो कि प्रकाशक को प्रकाशन से नफे की आशा हो। हिन्दी बोस करोड़ व्यक्तियों की भाषा होकर भी गुजराती, मराठी या बगला के बराबर पुस्तकों का

प्रचार नहीं कर सकती। अगर नफे की आशा हो तो प्रकाशक बड़ी खुशी से स्फये लगायेगा और नभी लेखकों के लिए कुछ किया जा सकता है। इसलिए अभी तो सघ को यही सोचना पड़ेगा कि जनता में साहित्य की सूचि कैसे बढ़ाई जाये और किस दण की पुस्तकों तैयार की जावँ जो जनता को अपनी ओर खींच सकें। अतएव सघ को साहित्यिक प्रगति पर नियन्त्रण रखने की चेष्टा करनी पड़ेगी। इस समय जो सम्प्रदाय हैं जैसे नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन या हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उनके काम में सघ ने इस्तेवेप करने की जरूरत नहीं। नागरी प्रचारिणी सभा अब विशेषकर पुराने कवियों की ओर उनकी रचनाओं की खोज कर रही है। वह साहित्यिक पुरातत्व से मिलती जुलती चीज है। सम्मेलन को परीक्षाओं से विशेष दिलचस्पी है और हिन्दुस्तानी एकेडेमी एक सरकारी संस्था है, जहाँ प्रोफेसरों का राज है और जहाँ साधारण साहित्य सेवियों के लिए स्थान नहीं। सघ का कार्य केवल इनसे अलग और ऐसा होना चाहिए जिससे साहित्य और उसके पुजारी दोनों की सेवा हो सके।

---

## एक प्रसिद्ध गल्पकार के विचार

मि० जेम्स ओपेनहाइम अँग्रेजी के अच्छे कहानी-लेखक है। हाल में एक अँग्रेजी पत्रिका के सम्पादक ने फटानी-कला पर मि० ओपेनहाइम से कुछ बातचीत की थी। उनमें जो प्रश्नोत्तर हुआ, उसका साराश हम पाठकों के मनोरजन के लिए यहाँ देते हैं। पत्रिकाओं में जितनी कहानियाँ आती हैं, उतने और किसी विषय के लेख नहीं आते। यहाँ तक कि उन सबों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अधिकाश तो युवकों की लिखी होती है, जिनके कथानक, भाव, भाषा, शैली में कोई मौलिकता नहीं होती और ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी लिखने के पहले उन्होंने कहानी कला के मूल तत्वों का समझने की चेष्टा नहीं की। यह विलक्षण सच है कि सिद्धान्तों को पढ़ लेने से ही कोई अच्छा कहानी-लेखक नहीं हो जाता, उसी तरह जैसे छन्द-शास्त्र पढ़ लेने से कोई अच्छा कवि नहीं हो जाता। साहित्य-रचना के लिए कुछन्त कुछ प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए। फिर भी सिद्धान्तों को जान लेने से अपने में विश्वास आ जाता है और हम जान जाते हैं, कि हमें इस ओर जाना चाहिए। हमें विश्वास है, इस कहानी लेखक के विचारों से उन पाठकों को विशेष लाभ होगा, जो कहानी लिखना और कहानी के गुण-दोष समझना चाहते हैं—

प्रश्न—पहले आपके मन मे फिसी कहानी का विचार कैसे उत्पन्न होता है ?

उत्तर—तीन प्रकार से। पहला, किसी चरित्र को देखकर। किसी व्यक्ति से कोई असाधारणता पाकर मै उस पर एक कहानी की कल्पना

कर लेता हूँ। दूसरे, किसी नाटमीय घटना द्वारा। जब कोई रोचक और विचित्र घटना हो जाती है, तो उसमे कुछ उलझाव और नवीनता लाकर एक स्नाट बना लेता हूँ। तीसरे, किसी समस्या या सामाजिक प्रश्न द्वारा। समाचार पत्रों मे तरह तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रश्नों पर आलोचनाएँ होती रहती है। उनमे से कोई प्रश्न लेकर, जैसे बालकों के परिश्रम और मजूरी का प्रश्न, उन, पर कहानी का ढाँचा खड़ा कर लेता हूँ।

प्रश्न—जब आप किसी चरित्र का चित्रण करने लगते हैं, तो क्या उसमे वास्तविक जीवन की बातें लिखते हैं?

उत्तर—कभी नहीं। वास्तविक जीवन की बातों और कृत्यों से कहानी नहीं बनती। वह तो केवल कहानी के लिये ईट मसाले का काम दे सकते हैं। वास्तविक जीवन की नीरसताओं और बाधाओं से कुछ देर तक मुक्ति पाने के लिये तो लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। जब तक कहानी मे मनोरजक्ता न रहेगी, ता उससे पाठकों का क्या आनन्द मिलेगा? जीवन मे बहुत-सी बातें इतनी मनारजक और विस्मयकारी होती हैं, जिनकी काइ बड़े से बड़ा कलाकार भी कल्पना नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है—सत्य कथा से कहीं विचित्र होता है। कलाकार जो कुछ करता है, वह यही है कि उन अनुभूतियों पर अपने मनोभावों का, अपने दृष्टि काण का रंग चढ़ा दे।

प्रश्न—क्या एक कल्पित चरित्र की सुष्टि करने की अपेक्षा ऐसे चरित्र का निर्माण करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो सजीव प्राणी की भौति हँसता बोलता, जीता-जागता दिखाई दे?

उत्तर—हाँ, यह बिलकुल ठीक है। इसलिए जब तक मैं चरित्र नायक को अच्छी तरह जान नहीं लेता, उसके विषय मे एक शब्द भी नहीं लिखता। इससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। मैं हीरो के विषय मे पहले यह जानना चाहता हूँ कि उसके मौं बाप कौन है? वह कहों पैदा हुआ था? उसकी बाल्यावस्था किन लोगों की सगत मे गुजरी? उसने

मितनी और कैसी शिक्षा पाई ? उसके भाई-बहन हैं या नहीं ? उसके मित्र किस तरह के लोग हैं ? सभव है, मैं इन गौण बातों को अपनी कहानी में न लिखूँ, लेकिन इनका परिचय होना आवश्यक है। इन ब्योरो से चरित्र चित्रण सजीव हो जाता है। जब तक लेखक को ये बातें न मालूम हों, वह चरित्र के विषय में कोई दृढ़ कल्पना नहीं कर सकता, न उसको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखकर स्वाभाविक रूप से उसका सचालन कर सकता है। वह हमेशा दुबंधे में पड़ा रहेगा।

प्रश्न—चरित्रों के वर्णन में आप किस तरह की बातें लिखना अनुकूल समझते हैं ?

उत्तर—मैं उसकी वेश भूषा, रग रूप, आकार प्रकार आदि गौण बातों का लिखना अनावश्यक समझता हूँ। मैं केवल ऐसी स्पष्ट और प्रत्यक्ष बातें लिखता हूँ, जिनसे पाठक के सामने एक चित्र खड़ा हो सके। बहुत सी गौण बातें लिखने से चित्र स्पष्ट होने की जगह और धूंधला हो जाता है। मुझे खूब याद है कि बालजक ने अपने एक उपन्यास में एक चचल रमणी के विषय में लिखा था, कि ‘वह तीतरी की भौति कमरे में आई। उसके सर्वोले रग पर लाल कपड़े खूब खिलते थे।’ इस वाक्य से उस छी का चित्र मेरी आँखों के सामने फिरने लगा, लेकिन बालजक को इतने ही से सन्तोष न हुआ। उसने डेढ़ पृष्ठ उस चरित्र के विषय में छोटी छोटी बातें लिखने में रँग दिये। फल यह हुआ कि जो चित्र मेरी कल्पना में खड़ा हुआ था, वह धूंधला होते होते बिलकुल गायब हो गया। वास्तव में किसी चरित्र का परिचय कराने के लिए केवल एक विशेष लक्षण काफी है। दूसरी बातें अवसर पड़ने पर आगे चलकर व्यान की जा सकती हैं।

प्रश्न—एक बात और। क्या आप अपनी गल्पों में दृष्टिकोण का परिवर्तन भी कभी करते हैं ? अर्थात्—कथा के विकास और प्रगति पर कभी एक चरित्र की दृष्टि से और कभी दूसरे चरित्र की दृष्टि से नजर ढालते हैं या नहीं ?

उत्तर—नहीं, मुझे यह पसन्द नहीं है। मैं फ्रासीसी शैली को अच्छा समझता हूँ। किसी एक चरित्र को अपना मुख पात्र बना कर लिखता हूँ और जो कुछ सोचता या अनुभव करता हूँ सब उसी के मुख से कहला देता हूँ। इससे कहानी में यथार्थता आ जाती है।

प्रश्न—लेखकों के विषय में, अन्त प्रेरणा के विषय में आपका क्या विचार है?

उत्तर—मैं तो अन्त प्रेरणा को मानसिक दशा समझता हूँ। प्रत्येक कहानी, लेखक के मन का ही प्रतिविम्ब होती है। भावों में तीव्रता और गहराई पैदा करने के लिए प्रबल भावावेश होना चाहिए। यदि ऐसा आवेश न हो, तो भी गल्प के विषय को बार बार सोचकर मन में उन्हीं बातों की निरन्तर कल्पना करके हम अपने भावों में तीव्रता उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे किसी कहानी का शुरू करना बहुत कठिन मालूम होता है, लेकिन एक बार शुरू कर देने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ता।

इसके बाद और भी कुछ सवाल-जवाब हुए, जिनमें मिठा-ओपेन-हाइम ने बताया कि वह कहानी लिखने के पहले उसका कोई खाका नहीं तैयार करते, केवल उसका अन्त और उसका उद्देश्य सोच लेते हैं। गल्प के प्रारंभ में आप ने बताया कि उसे चाहे जिस रूप में रखिए—वाक्य हो या सभाषण, कोई घटना हो या कल्पना, चाहे कोई अनुभूति या विचार हो—जो कुछ हो, ससमे मौलिकता, नवीनता और अनोखापन हो। वह सामान्य, लचर, सौ बार की दुहराई हुई बात न हो। अन्त में आपने कहा कि गल्प-रचना में भी अन्य कलाओं की भौंति अभ्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है।

## समाचारपत्रों के मुफ्तखोर पाठक

जहाँ विदेश से निकलनेवाले पत्रों के लाखों ग्राहक होते हैं वहाँ इमारे अच्छे से अच्छे भारतीय पत्र के ग्राहकों की सख्त्या कुछ हजारों से अधिक नहीं होती। यह एक विचारणीय बात है। जापान का ही एक उदाहरण लीजिये। यह तो सबसे मालूम है कि जापान भारतवर्ष का षष्ठमाश ही है, किर भी जहाँ भारत से कुल ३५०० पत्र प्रकाशित होते हैं, वहाँ जापान से ४५००, और यह ४५०० भी ऐसे पत्र हैं जिनके प्रकाशन की सख्त्या हजारों नहीं लाखों की है। ‘ओसाका मेनीची’ नाम का एक दैनिक पत्र है। उसके कार्यालय की इमारत ही तैतीस लाख रुपये की है। ‘ओसाका ओसाही’ और ‘टोकियो नीची’ नामक दो पत्र भी इसी कोटि के हैं। एक एक पत्र के कार्यालय में दो तीन हजार टक आदमी काम करते हैं और उनका जाल ससार भर में फैला हुआ है। जिस पत्र के कार्यालय में चार छु सौ आदमी काम करते हैं, उसकी तो वहाँ कोई गणना ही नहीं होती। कई पत्र तो वहाँ ऐसे हैं जो पचास लाख तक छापे जाते हैं और दिन में जिनके आठ आठ सप्तकरण निकलते हैं और जिनको वितरण करने के लिए हवाई जहाजों से काम लिया जाता है। यह है जापानी पत्रों का वैभव। और इस वैभव का कारण है वहाँ की शिक्षित जनता का पठन प्रेम और सहयोग। वहाँ के प्रत्येक पॉर्च आदमियों में आपको एक आदमी अखबार पढ़ने वाला अवश्य मिलेगा। पूजीपति से लेकर मजदूर तक, बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक, पत्रों को स्वयं खरीद कर पढ़ते हैं। फुरसत के समय को वे लोग

बकार के हसी मजाक, खिलवाड़ या गाली-गलौज मे नहीं, अब बारों के पढ़ने मे बिताते हैं। जिस प्रकार वे अपनी शारीरिक भूख के लिए अब को आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार वे अपनी आत्मा की भूख के लिए पत्रों को खरीदकर पढ़ना जरूर समझते हैं। उन्होंने पत्रों का पढ़ना अग्रना एक अटल नियम बना रखा है। जो मनुष्य जिस रुचि का द्वेष है, अपनी रुचि के पत्र का ग्राहक बन जाता है और उस पत्र से अपना ज्ञान-पर्द्धन और मनोरजन करता है। वहाँ के लोग पत्रों को खरीद कर पढ़ते हैं। कहीं से मागकर नहीं लाते। वे दूसरों के अखबार का जूठन समझते हैं। यही कारण है कि वहाँ के पत्रों के ग्राहकों की सख्त्या पचास लाख तक है। जब हम यह समाचार पढ़ते हैं और भारतीय पत्रों की ओर इष्टियात करते हैं तो दौतों तले उंगली दबाने लगते हैं। कहते हैं विदेश के लोग पत्र निकालना जानते हैं। वे लोग शिक्षा मे और सभी बातों मे हमसे आगे बढ़े हुए हैं। उनके पास पैसा है। यह सभी बातें सही हो सकती हैं। किन्तु भारतीय पत्रों की प्रकाशन सख्त्या न बढ़ने का केवल यही कारण नहीं है कि भारतीय विद्वान् पत्र निकालना नहीं जानते, वे शिक्षा मे पछड़े हुए हैं और पत्रों को खरीदने के लिए भारतीय जनता के पास पैसा नहीं है। यह दलीलें कुछ अशों मे ठीक हो भी सकती हैं, पर भारतीय पत्रों के न पनपने का एक और भी प्रबल कारण है।

हमारे यहाँ ऐसे लाखों मनुष्य हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो शिक्षित है, और जिन्हे पत्रों को पढ़ते रहने का शौक भी है। पर वे लोग मुफ्तखोर हैं। पत्रों के लिए पैसा खर्च करना वे पाप समझते हैं। या तो पत्रों को खोज लाजकर अपने मित्रों और परिचित लोगों के यहाँ से ले आयेंगे, या लाइब्रेरियों मे जाकर देख आयेंगे। लेकिन उनके लिए पैसा कभी न खर्च करेंगे। सोचते हैं जब तिकड़मबाजी से ही काम चल जाता है तो व्यर्थ पैसा कौन खर्च करे। यह दशा ऐसे लोगों की है जो हजारों का व्यवसाय करते हैं और व्याह-

शादी या ओसर मोसर मे अधे बनकर धन व्यय करते रहते हैं। ये लोग बीड़ी और सिगरेट मे, पान और तमाकू मे, नाटक और सिनेमा मे, लाटरी और जुए मे, चाय और काफी मे आर विविध प्रकार के दुर्घटनानों मे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा फूक सकते हैं, किन्तु पत्रों के लिए एक पाई भी खर्च नहीं कर सकते। जीभ के स्वाद के लिए बाजारो मे मीठी और नमकीन चीजों पर ये लोग रुपये खर्च कर सकते हैं पर पत्रों को भूलकर भी नहीं खरीद सकते। इसके विपरीत, खरीदनेवालो को मूर्ख समझते हैं, यद्यपि उन्हीं की जूठन से इनका काम चलता है। अगर बहुत हिम्मत की तो किसी लाइब्रेरी के मेम्बर बन गये और लाइब्रेरियन को अपनी मीठी बातों मे फसाकर नियम के विरुद्ध अनेक पुस्तके और पत्र पढ़ने के लिए ले गये। और भाग्यवश यदि किसी लेखक से परिचय हो गया, या अपनी तिकड़िम से किसी पत्र सम्पादक को साध लिया तो कहना ही क्या, कारूँ का खजाना उन्हे मिल गया। इस प्रकार ये लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं। इससे आगे बढ़ना ये लोग मूर्खता समझते हैं। भारतीय पत्रों के प्रति इन लोगो के प्रेम, कर्तव्य पालन और सहानुभूति का कितना सुन्दर उदाहरण है। क्या ऐसा सुन्दर उदाहरण आपको ससार के किसी भी देश मे मिल सकेगा ? धन्य है ये लोग और धन्य है अपनी भाषा के प्रति इनका अनुराग !

इन लोगों की यही दुर्व्विति भारतीय पत्रों के जीवन को सदैव सकट मे डाले रहती है। यह लोग जरा भी नहीं सोचते कि यह प्रवृत्ति समाचार पत्रों के लिए कितनी भयानक और हानिकर सिद्ध हो सकती है। इनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय पत्र पनपने नहीं पाते। जहाँ विदेशी पत्रों की निजी इमारतें लाखों रुपयों की होती हैं और उनके कार्यालयों मे हजारों आदमी काम करते हैं, वहाँ हमार भारतीय पत्रों के कायोलय किराये के, साधारण, या टूटे फूटे मकानों मे होते हैं और कहीं कहीं तो उनमे काम करने वाले मनुष्यों की सख्ता एक दर्जन भी नहीं होती। नाम मात्र के लिए कुछ इने गिने पत्र ही ऐसे हैं जिनके कार्यालय

में काम करने वाले दो सौ के लगभग या कुछ ही अधिक हों। ऐसे लोगों की कृपा के कारण ही भारतीय पत्रों का यह हाल है। कहीं-कहीं तो बेचारा एक ही आदमी समादर, मुद्रक, व्यवस्थापक, प्रकाशक और प्रूफरीडर है। ससार के लिए यह बात नयी ओर आश्चर्यजनक है। यह सब इन भारतीय मुफ्तखोर पाठकों की कुवृत्ति का ही परिणाम है, लेकिन अब इन मुफ्तखोर तथा अपनी भाषा के साथ अन्याय करने वालों को कुछ लज्जा आनी चाहिए। उन्हे मालूम होना चाहिए कि वे लोग भारतीय पत्रों का गला धोट रहे हैं और उन्हे ससार के उपहास और व्यग की एक बस्तु बना रहे हैं। जब कि ये लोग बड़ी-बड़ी रकमे व्यर्थ के कामों में फँके सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि ये अपने देशीय पत्रों के लिए एक छोटी सी रकम खर्च करके उनके प्राणों की रक्षा न कर सके।

---

## जापान में पुस्तकों का प्रचार

मिं० गिलन शा ने जापानी साहित्य के अनक ग्रन्थ अग्रेजी भाषा में अनुवाद किये हैं। आपने हिसाब लगाया है कि जापान इस समय सासार में सबसे अधिक पुस्तके प्रकाशित करने वाला देश है। जापान के बाद सोवियटरूस, जर्मनी, फ्रान्स, इंगलैण्ड, पोलैण्ड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्रम से नम्बर आता है। जापान की आबादी अमेरिका की आबादी में ज्यादा नहीं पर हर साल वह अमेरिका से दुगुनी किताबें छापता है।

इस समय जापानी साहित्य की रूचि राष्ट्रीयता की ओर विशेष रूप से हो रही है। इतिहास, साहित्य, वर्म, युद्धनीति आदि सभी अगो में यही प्रवृत्ति दिसाई देती है। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि बौद्ध धर्म विषय की ओर यकायक लोगो में वड़ी दिलचस्पी हो गई है। हालांकि यह किसी धार्मिक अनुराग का नतीजा नहीं, केवल राष्ट्र आनंदोलन का ही एक भाग है।

गत वर्ष जापान में दस हजार से ज्यादा पुस्तकें निकली। इनमें से २७०० शिक्षा विषयक, २५०० साहित्य, १६०० अर्थनीति, २०० पाठ्य, और १००० गृह प्रबन्ध विषय की थीं। शिक्षा विषयक पुस्तकों की सख्ता ही सबसे ज्यादा थी। इससे मालूम होता है जापान अपने राष्ट्र के निर्माण में कितना उद्योगशील है, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र की जड़ है। गृह प्रबन्ध की ओर भी उनका ध्यान कितना ज्यादा है। भारत में तो इस विषय की पुस्तकें निकलती ही नहीं, और निकलती भी है, तो विकती नहीं। इस विषय में भी कुछ नई बात कही जा सकती है, कुछ नई अनुभूतियों संग्रह की जा सकती हैं—यह शायद हम समझ नहीं समझते। जो घर समझ कहलाते

है, उनमे भी पहुँच जाइए तो आपको मालूम होगा कि एक हजार माह-वार खर्च करके भी यह लोग रहना नहीं जानते। न कोई बजट है, न कोई व्यवस्था। अललटापू खर्च हो रहा है। जरूरी चीजों की ओर किसी का व्यान नहीं है, विना जरूरत की चीजें ढेरों पड़ी हुई हैं। कपडे कीडे खा रहे हैं, फर्नीचर में दीमक लग रही है, किताबों में नमी के कारण फफूदी लग गई है। किसी की निराह इन बातों की तरफ नहीं जाती। नौकरों का वेतन नहीं दिया जाता। मगर कपडे बेजरूरत खरीद लिये जाते हैं। यह कुव्यवस्था इसीलिए है कि इस विषय में हम उदासीन हैं।

जापान के अधिकाश साहित्यकार टोकियो में रहते हैं। उसमे छु सौ से अधिक ऐसे हैं जिनके नाम जापान भर में प्रसिद्ध हैं। मगर जापान में लेखकों को ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलता।

जापान में साहित्य रचना के भिन्न भिन्न आदर्श हैं। कोई स्कूल जन साधारण की रुचि की पूर्ति करना ही अपना व्येय मानता है। तीशू वगी स्कूल सबसे प्रसिद्ध है। ये लोग पुरानी कथाओं को नई शैली में लिख रहे हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी इसी रग के अनुयायी अधिक हैं।

एक दूसरा स्कूल है जो कहता है, हम जन साधारण के लिए पुस्तके नहीं लिखते, हमारा व्येय साहित्य की सेवा है। इनका आदर्श है कला कला के लिए।

एक तीसरा दल है जो केवल दार्शनिक विषयों का ही भवन है। यह लोग अपनी गल्पों के प्लाट भी दर्शन और विज्ञान के तत्वों से बनाते हैं। उनके चरित्र भी प्रायः वास्तविक जीवन से लिये जाते हैं।

---

## रुचि की विभिन्नता

इस विषय में पुस्तक-विक्रेताओं ने बड़े महत्व की बातें कही हैं। जिससे भिन्न भिन्न श्रेणियों और जातियों की साहित्यिक प्रवृत्ति का ठीक पता चल जाता है। उनका कहना है कि स्त्रियों को सरस साहित्य में विशेष प्रेम है, और मदों को गम्भीर साहित्य से। नये पुस्तकालयों में नये-से-नये उपन्यासों ही की प्रधानता होती है औस्थे पुस्तकालय स्त्रियों की ही कृपा टॉपिक पर चलते हैं। पुराने ढंग के पुस्तकालयों के ग्राहक अधिकतर पुरुष होते हैं, और उनमें भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तकें सग्रह की जाती हैं। हिन्दुस्तानी और युरोपियन महिलाओं की रुचि में भी बड़ा अन्तर है। यहाँ की देवियों उपयोगी विषयों की पुस्तकें पढ़ती हैं, जैसे पाकशास्त्र या गृह विज्ञान या शिशु पालन आदि। इसके विलाफ यूरोपियन स्त्रियों कथा कहानी, शृंगार और फैशन की पुस्तकों से ज्यादा प्रेम रखती है। दोनों जातियों के मनुष्यों की रुचि में भी अतर है। युरोपियनों को मामूली तौर से कथा अधिक प्रिय है, हिन्दुस्तानियों को श्रथंशास्त्र, जीवन-चरित्र, नीति विज्ञान आदि विषयों से ज्यादा प्रेम है। कुछ नवीनता के परम भक्त युवकों को छोड़कर हिन्दुस्तानियों में शायद ही कोई उपन्यास मोल लेता हो।

युरोपियन स्त्री पुरुषों का किस्से कहानी से प्रेम होना इसका प्रमाण है कि वह सम्पन्न हैं और उन्हे अब उपयोगी विषयों की आवश्यकता नहीं रही। जिसके सामने जीवन का प्रश्न इतना चिन्ताजनक नहीं है, वह क्यों न प्रेम और विलास की कथाएँ पढ़कर मन बहलाये। यह देख-

कर कि हिन्दुस्तानियों को गम्भीर विषयों से अधिक रुचि है, यह कहा जा सकता है कि हमारी रुचि अब प्रौढ़ हो रही है। लेकिन हिन्दी के प्रकाशकों से पूछा जाय, तो शायद वे कुछ और ही कहे। हिन्दी में गम्भीर साहित्य की पुस्तकें बहुत कम बिकती हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि जिन्हे गम्भीर साहित्य से प्रेम है, वे अग्रेजी पुस्तके खरीदते हैं। कथा कहानियों कुछ ज्यादा बिक जाती है शायद इसलिए कि भारतीय जीवन का चित्रण हमें अग्रेजी पुस्तकों में नहीं मिलता, नहीं शायद कोई हमारे हिन्दी उपन्यास और कहानियों को भी न पूछता। एक कारण यह भी हो सकता है कि उपन्यास और कहानियों के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं समझी जाती। जिसके हाथ में कलम है वही उपन्यास लिख सकता है। लेकिन दर्शन या अर्थशास्त्र या ऐतिहासिक विवेचन पर कलम उठाने के लिए विद्वत्ता चाहिए। और जो लोग विद्वान हैं, वे अग्रेजी में लिखना ज्यादा पसन्द करते हैं, क्योंकि अग्रेजी का क्षेत्र विस्तृत है। वहा यशा भी अधिक मिलता है और धन भी।

---

## प्रेम-विषयक गल्पों से अरुचि

जनता की साहित्यिक रचि के विषय में बुकसेलरों से अच्छी जानकारी शायद ही किसी को होती हो। और लोग अकलीगदा लगाते हैं, बुकसेलर को इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अभी थोड़े दिन हुए एक समाचार पत्र ने कई बड़े बड़े बुकसेलरों से पूछा था कि आजकल आप लोगों के यहों किस विषय की पुस्तकों की ज्यादा मौग है। इसका बुकसेलरों ने जो उत्तर दिया उसका सारांश यो है—

‘जहों तक पुस्तकों की विक्री का सम्बन्ध है, कल्पना साहित्य बड़ी आसानी से प्रथम स्थान ले लेता है। कहानियों के सग्रह, उपन्यास, नाटक और कई विख्यात लेखकों के निबन्ध—यह सब इसी श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन प्रेम विषयक और शृङ्खारपूर्ण रचनाओं की अब उतनी खपत नहीं रही, जितनी कई साल पहले थी। क्या इसका मतलब यह है कि प्रेम कथाओं और कामोत्तेजक विषयों में लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है? नहीं। प्रेम और काम सम्बन्धी साहित्य में लोगों की रुचि बढ़ रही है। हों, अब जनता को केवल भावुकता और विकलता से सन्तोष नहीं होता, प्रेम और विवाह आदि का वह वास्तविक और तात्त्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, और इस तरह के साहित्य की मौग बढ़ रही है। उपन्यासों में भी ‘सेक्स’ सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा केवल विवाह और मिलन तक नहीं रहती, गृहस्थी और विवाह पर एक नवीन और विचार पूर्ण ढग से विचार किया जाने लगा है। प्रेम की मधुर कल्पनाओं से हटकर जन-रुचि विवाह और घर और नर नारी के

असली जीवन की ओर अधिक झुका हुआ है। जनता केवल कविता नहीं चाहती, गम्भीर-विचार और वैज्ञानिक प्रकाश चाहती है। विनोद-प्रण साहित्य और रोमांचकारी जासूसी कहानियों की ओर जनता का प्रेम ज्यों का त्यो बना हुआ है। पी० जी० बुडहाउस और थार्न स्मिथ की हास्य कथाओं का बहुत अच्छा प्रचार है। आम तौर पर जो यह ख्याल है कि ऊँची श्रेणी के लोगों में धासलेटी साहित्य और रक्त और हत्या से भरी हुई कथाओं का विशेष प्रचार है—कम से कम हिन्दुस्तान में उसकी पुष्टि नहीं होती।

---

## साहित्य में ऊंचे विचार की आवश्यकता

रूस में हाल में साहित्यकारों में एक बड़े मजे की बहस छिड़ी थी। विषय था—साहित्य का उद्देश्य क्या है? लोग अपनी अपनी गा रहे थे। कोई कहता था—साहित्य सत्य की खोज का नाम है। कोई साहित्य को सुन्दर की खोज कहता था। कोई कहता था—वह जीवन की आलोचना है। कोई उसे जीवन का चित्रण मात्र बतलाता था! आखिर जब यह भगड़ा न तय हुआ तो सलाह हुई कि किसी गवार से पूछा जाय कि वह साहित्य को क्या समझता है। आखिर यह जत्था मजदूर की खोज में निकला। दूर न जाना पड़ा। चन्द ही कदम पर एक मजदूर कन्धे पर फावड़ा रखे, पस्ती में तर आता हुआ दिखाई दिया। एक साहित्य महारथी ने उससे पूछा—क्यों भाई तुम साहित्य किस लिए पढ़ते हो? मजदूर ने उन विद्वज्जनों की ओर विस्मय दृष्टि से देखा। ऐसी मोटी-सी बात भी इन लोगों को नहीं मालूम। देखने में तो सभी पढ़े लिखे से लगते हैं। समझा, शायद यह लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बिना कुछ जवाब दिये आगे बढ़ा। तुरन्त फिर वही प्रश्न हुआ—क्यों भाई, तुम साहित्य किस लिए पढ़ते हो?

मजदूर ने अबकी कुछ जवाब देना आवश्यक समझा। कहीं यह लोग उसकी परीक्षा न ले रहे हो। तैयार छात्र की भाँति तत्परता से बोला—जीवन की सच्ची विधि जानने के लिए। इस उत्तर ने विवाद को समाप्त कर दिया। साहित्य का उद्देश्य जीवन के आदर्श को उपस्थित करना है, जिसे पढ़कर हम जीवन में कदम कदम पर आने

बाली कृष्णनाइयों का सामना कर सकें। अगर साहित्य से जीवन का सही रास्ता न मिले, तो ऐसे साहित्य से लाभ ही क्या। जीवन की आलोचना कीजिए चाहे चित्र खींचिए, आर्ट के लिए लिखिए चाहे ईश्वर के लिए, मनोरहस्य दिखाइए चाहे विश्वव्यापी सत्य की तलाश कीजिए—अगर उससे हमें जीवन का अच्छा मार्ग नहीं मिलता, तो उस रचना से हमारा कोई फायदा नहीं। साहित्य न चित्रण का नाम है, न अच्छे शब्दों को चुनकर सजा देने का, अलकारों से वाणी को शोभायमान बना देने का। ऊँचे और पवित्र विचार ही साहित्य की जान है।

---

## रूसी साहित्य और हिन्दा

उपन्यास और गल्प के क्षेत्र में, जो गद्य साहित्य के मुख्य अग है, समस्त ससार ने रूस का लोहा मान लिया है, और फ्रान्स के सिवा और कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, जो इस विषय में रूस का मुकाबला कर सके। फ्रान्स में बालजाक, अनातोल फ्रान्स, रोमा रोलो, मोपासॉ आदि ससार प्रसिद्ध नाम हैं, तो रूस में टालस्टाय, मैक्सिम गोर्की, तुर्गनीव, चेखाव, डास्टावेस्की आदि भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, और ससार के किसी भी साहित्य में इतने उज्ज्वल नक्काशों का समूह मुश्किल से मिलेगा। एक समय था कि हिन्दी में रेनाल्ड के उपन्यासों की वूम थी। हिन्दी और उदूँ दोनों ही रेनाल्ड की पुस्तकों का अनुवाद करके अपने को धन्य समझ रहे थे। डिकेस, थैकरे, लैम्ब्र, रस्किन आदि को किसी ने पूछा तक नहीं। पर अब जनता की रुचि बदल गई, और यद्यपि अब भी ऐसे लोगों की कमा नहीं है, जो चोरी, जिना और डाके आदि के वृत्तान्तों में आनन्द पाते हैं लेकिन साहित्य की रुचि में कुछ परिष्कार अवश्य हुआ है और रूसी साहित्य से लोगों को कुछ रुचि हो गई है। आज चेखाव की कहानियों पत्रों में बड़े आदर से स्थान पाती हैं और कई बड़े-बड़े रूसी उपन्यासों का अनुवाद हो चुका है। टालस्टाय का तो शायद कोई बड़ा उपन्यास ऐसा नहीं रहा, जिसका अनुग्राद न हो गया हो। गोर्की की कम से कम दो पुस्तकों का अनुवाद निकल चुका है। तुर्गनीव के Father & Son का 'पिता और पुत्र' के नाम से अभी हाल में दिल्ली से अनुवाद प्रकाशित हुआ है। टालस्टाय की 'अन्ना' का अनुवाद काशी

मे प्रकाशित हुआ है। डास्टावेस्की की एक पुस्तक का अनुवाद निकल चुका है। इस वीच मे अग्रेजी या फैंच साहित्य की कदाचित् एक भी पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ। जिन लेखको ने रूस को उस मार्ग पर लगाया, जिस पर चलकर आज वह दुखी ससार के लिए आदर्श बना हुआ है, उनकी रचनाएँ क्यों न आदर पाये ?

---

## शिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए ?

नागरी लिपि समिति ने जितने उत्साह और योग्यता के अपनी कठिन जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू किया है उससे आशा होती है कि निकट भविष्य में ही शायद हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। और हर्ष की बात है, कि समिति के प्रस्तावों और आदेशों का उतना विरोध नहीं हुआ, जितनी कि शका थी। राष्ट्रीय एकीकरण हमें इतना प्रिय हो गया है कि उसके लिए हमसे जो कोई भी माकूल बात कही जाय; उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। शिरोरेखा के प्रश्न को भी समिति ने जिस खूबसूरती से हल्का किया है, उसे प्राय स्वीकार कर लिया गया है। शिरोरेखा नागरी अक्षरों का कोई आवश्यक अग नहीं। जिन ब्राह्मी अक्षरों से नागरी का विकास हुआ है, उन्हीं से बगला, तामिल, गुजराती आदि का भी विकास हुआ है, मगर शिरोरेखा नागरी के सिवा और किसी लिपि में नहीं। हम बचपन से शिरोरेखा के आदी हो गये हैं और हमारी कलम जबर्दस्ती, अनिवार्य रूप से ऊपर की लकीर खींच देती है, लेकिन अभ्यास से यह कलम काबू में की जा सकती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि शिरोरेखा का परित्याग करके हम अपने लेखक की चाल बहुत तेज कर सकेंगे और उसकी मन्द गति की शिकायत बहुत कुछ मिट जायगी और छपाई में तो कहीं ज्यादा सहूलियत हो जायगी। रही यह बात कि बिना शिरोरेखा के अक्षर मुड़े और सिर-कटे से लगेंगे, तो यह केवल भाँतुकता है। जब आखें बेरेखा के अक्षरों की आदी हो जायेंगी, तो वही अक्षर सुन्दर लगेंगे और हमें आश्चर्य होगा कि हमने इतनी सदियों तक क्यों अपनी लिपि के सिर पर इतना बड़ा व्यर्थ का बोझ लादे रखा।